सप्तम माला, खंड 30, अंक 11 सोमवार, 26 जुलाई 1982/4 श्रावण, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(नौवां सत्र)

(खंड 30 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 53 (16) 3
Date 4. 3. 83
लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 11, सोमवार, 26 जुलाई, 1982/4 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 224, 227, 228, 230 और 235	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18-214
*तारांकित प्रश्न संख्या : 225, 229, 232, 233, 234 और 236 से 243	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2439 से 2469, 2471 से 2477, 2479 से 2497 2499 से 2505, 2507 से 2523, 2525 से 2582 2584 से 2603, 2605 से 2637 और 2640 से 2653	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	215-216
राज्य सभा से संदेश	216
नौसेना (संशोधन) विधेयक	216
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	216-233
लिंग निर्धारण परीक्षणों का समाचार	
श्रीमती सुशीला गोपालन	216
श्री बी० शंकरानन्द	217
श्री बापू साहिब परुलेकर	222
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	228
श्री ई० बालानन्दन	230
ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक—पुनःस्थापित	233
ाम 377 के अधीन मामले	233-239
क) वर्तमान मकान किराया अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता	233
श्री कमल नाथ	
) नारियल जटा चटाइयों के निर्माण के संबंध में यंत्रीकरण करने के कथित निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	235
श्री के० ए० राजन	
(तीन) खीरी-लखीमपुर के आसपास के क्षेत्रों में शारदा परियोजना के कारण पानी भर जाने का समाचार	236
श्रीमती ऊषा वर्मा	
(चार) क्षेत्रीय रक्षा कालेज खोलना	237
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	
(पांच) पाकिस्तान की जेलों से हाल ही में रिहा किये गये कैदियों को वित्तीय सहायता	237
श्री ए० के० बालन	
(छः) राजस्थान में सवाई माधोपुर में केन्द्रीय सैक्टर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना	238
श्री कृष्ण कुमार गोयल	

* किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(सात) सूखे से पीड़ित किसानों को राहत देने हेतु कदम उठाना श्री हरिकेश बहादुर	238
(आठ) तमिलनाडु में हथकरघा निर्मित कपड़ों पर दीपावली और पोंगल के दिनों में विशेष छूट देने की आवश्यकता श्री एम० कंडा स्वामी	239
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	239-274
विचार करने का प्रस्ताव	
राव बीरेन्द्र सिंह	239
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	240
श्री संतोष मोहन देव	244
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	246
श्री केयूर भूषण	247
श्री बापूसाहिब परुलेकर	248
श्री मूलचन्द डागा	249
श्री कमला मिश्र मधुकर	253
श्री चन्द्रपाल शैलानी	254
श्रीमती कृष्णा साही	256
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	258
श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी	260
खंड 2 से 5 और पास करने का प्रस्ताव	268
राव बीरेन्द्र सिंह	268
श्री एन० जी० रंगा	268
श्री गिरधारी लाल व्यास	269
श्री रामावतार शास्त्री	270
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक	274-280
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	274
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	276
श्री मूलचन्द डागा	280
सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आटा मिलों को दिये जाने वाले गेहूं की कीमत में वृद्धि के बारे में वक्तव्य राव बीरेन्द्र सिंह	280-281
चीनी का रक्षित भंडार बनाने के बारे में वक्तव्य राव बीरेन्द्र सिंह	281-282
आधे घंटे की चर्चा	283-294
कोढ़ उन्मूलन संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	
श्री हरिनाथ मिश्र	283
श्री वी० शंकरानन्द	287
श्री मूल चन्द डागा	290
श्री दिलीप सिंह भूरिया	291
श्री रामावतार शास्त्री	291
श्री राम विलास पासवान	291

लोक-सभा

सोमवार, 26 जुलाई, 1982 / 4 श्रावण, 1904 (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर

*224. श्री आर० एन० राकेश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार ग्रामीण युवकों को (शिक्षित और अशिक्षित) 1982-83 में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का है ;

(ख) उक्त अवधि में कितने ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार, वर्षवार, किसी क्षेत्र विशेष को उत्थान कार्य लागू करने के लिए चुनने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए चुने गये क्षेत्रों का नाम क्या है और वहां किये जाने वाले विकास कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 1982-82 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना (ट्राईसेम) कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षित तथा अशिक्षित लाभ भोगियों में कोई अन्तर नहीं है। ना, ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयु के आधार पर कोई अन्तर है। "ट्राईसेम" योजना मुख्यरूप से ग्रामीण युवकों के लिए है।

(ख) यह आशा की जाती है कि वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 से 400 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया जाएगा। 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 3 मिलियन परिवारों को सहायता प्राप्त होने की आशा है। 1982-83 के दौरान "ट्राईसेम" योजना के अन्तर्गत लगभग दो लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं। उपर्युक्त कार्यक्रम देशभर में चल रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष जी, क्वेश्चन के (बी) पार्ट के जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 30 लाख लोगों को ऐमप्लायमेंट देंगे और 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे । देश में दसियों करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इतने लोगों की 1982-83 में जो व्यवस्था की गई थी इसका मतलब यह है कि देश में बकिया लोग जो बचते हैं उनमें इस स्कीम से कोई आशा नहीं है और वह अभी से समझ लें कि इस 1982-82 में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है । हमारे यहां एक कहावत है कि दाता से सूम भला जो तुरत ही दे जवाब । बहुत अच्छा हुआ मंत्री जी ने बता दिया कि इस स्कीम में इतने लोगों को लाभ मिलेगा और बकिया लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है । देश भर के खेत मजदूर मुश्किल से तीन महीने के लिए मजदूरी पाते हैं और नौ महीने बेरोजगार रहते हैं । उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और फतेहपुर जिलों के मंझनपुर, सिराथू, चायल और खाजा तहसीलों में लाखों लोग मुश्किल से तीन महीने सूखी रोटी पाते हैं और बकिया समय भूखों करवटें बदलते हैं । प्रति-वर्ष दर्जनों लोग भूखों मरते हैं । गढ़वाल और पहाड़ी क्षेत्रों में लाखों लोगों के पास एक दिन की भी रोजी-रोटी नहीं है। स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीज सरकार की गलत और अज्ञान पर आधारित नीतियों के कारण बेरोजगार पैदा करने के कारखाने बन गए हैं : चुनावी घोषणापत्रों और 20-सूत्री कार्यक्रमों को सगुण रूप देने के लिए क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, जब तक वह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर न कर ले, बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बालेश्वर राम : मान्यवर, मैंने अपने जवाब को अपने विभाग तक महदूद रखा है । इस बारे में मेरा विभाग क्या कर सकता है, इसीका जवाब मैंने दिया है । दूसरे विभाग भी काम कर रहे हैं । फारेस्ट्री का काम है । इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा काम किया जा रहा है । स्पेशल काम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत भी काम हो रहा है । होम मिनिस्ट्री और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इस काम को कर रही हैं । वह सब डैटा मैंने नहीं दिया है । इस विभाग की मार्फत जो काम हो सकते हैं, वे मैंने दिए हैं । माननीय सदस्य ने कुछ लोकल समस्याओं का जिक्र किया है । उनके बारे में मै इस वक्त जवाब नहीं दे सकता ।

श्री आर० एन० राकेश : बेरोजगारी भत्ते के बारे में जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले कई दफा आ चुका है ।

श्री आर० एन० राकेश : क्या केरल की तरह कोई पालिसी बनाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले कई दफा पालिसी क्लीयर हो चुकी है ।

श्री आर० एन० राकेश : क्या क्लीयर हो चुकी है ? उसको रिपीट कर दें । यह सीधा सवाल है ।

श्री बालेश्वर राम : मैंने सीधा जवाब दिया है । मैंने बताया है कि 1982-83 के दौरान एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० और ट्राईसेम के अन्तर्गत क्या काम किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अनएम्प्लायमेंट एलाउंस के बारे में जवाब दे दीजिए।

श्री बालेश्वर राम : वह इस सवाल से नहीं उठता है। इस बारे में फिगर्ज मेरे पास हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अलग-अलग काम कर रही हैं। एम्प्लायमेंट देने का काम सिर्फ इसी विभाग के मातहत नहीं है। इस विभाग ने जितना जिम्मा लिया है, वह मैंने बताया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे खयाल से वह जवाब नहीं दे पायेंगे। इसका जवाब फाईनेन्स मिनिस्ट्री देगी।

श्री आर एन० राकेश : कौन देगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपके सवाल का जवाब आ गया है। बेरोजगारी भत्ते का ताल्लुक दूसरी मिनिस्ट्री से है। मैं नहीं समझता कि वे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री आर० एन० राकेश : बेरोजगारी भत्ता देंगे या नहीं ? मेरे सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा है। सवाल स्पष्ट है, लेकिन जवाब स्पष्ट नहीं है। लगता है कि सरकार की पालिसी क्लीयर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल पूछिए। अनएम्प्लायमेंट एलाउंस के बारे में सैपरेट सवाल पूछिए। जो मिनिस्ट्री जवाब देने वाली है, वह जवाब देगी।

श्री आर० एन राकेश : 1971 और 1980 के चुनावों के समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा जादू-मंतर नहीं हैं कि छू-मंतर कर देने से बेरोजगारी दूर हो जाए। अब तो प्रधान मंत्री का शब्द "कृतसंकल्प" मजाक हो गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप तो सवाल का मजाक बना रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री आर० एन० राकेश : क्यों हल्ला करते हैं ? क्या मैंने झूठ बोला है ? क्या प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा ? प्रधान मंत्री जी ने क्या नहीं कहा कि हम 1978 में बेरोजगारी दूर करेंगे और सत्ता में आने के बाद कहा कि मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि एक कलम से बेरोजगारी दूर कर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल क्या है ?

श्री आर० एन० राकेश : ये लोग सवाल करने नहीं दे रहे हैं। हल्ला मचा रहे हैं।

मेरा सवाल है कि इस देश की बेरोजगारी को दूर करने के सिलसिले में आजादी के 35 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी क्या सरकार के पास कोई टाइम बाउन्ड प्रोग्राम ऐसा है कि इतने समय में वह देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बेरोजगारी को दूर कर देगी ? यदि है, तो वह क्या है, स्पष्ट करें।

श्री बालेश्वर राम : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बतौर स्पीकर के कहता हूं कि आप स्पष्ट को अस्पष्ट नहीं करें।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, क्या हो गया ? आपको क्या तकलीफ हो गई ?

श्री रामवतार शास्त्री : हिन्दी की जानकारी हम लोगों को ज्यादा है और आप हिन्दी इन को बताते हैं। आप उसके मास्टर नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मास्टर तो नहीं रहा मैं, पर विद्यार्थी ज़रूर रहा हूं।

श्री रामवतार शास्त्री : यह तो हिन्दी का मजाक उड़ाना है, माफ कीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं मैं उड़ाता हूं या आप उड़ाते हैं ?

श्री बालेश्वर राम : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरोजगारी बढ़ने का सवाल है 30 वर्ष का हवाला माननीय सदस्य दिया करते हैं लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि 30 वर्ष पहले जो हिन्दुस्तान की आबादी थी उससे दुगुनी तो आज ज़रूर हो गई है। ···(व्यवधान)··· लेकिन यह बात भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रधान मंत्री ने···

श्री आर० एन० राकेश : यह तो मजाक हो रहा है।

श्री बालेश्वर राम : आप मजाक कर रहे हैं। सुनिए तो सही।

प्रधान मंत्री और हमारी पार्टी ने संकल्प किया है कि यह जो एक राष्ट्रीय समस्या है इस को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। यह बात भी सही है कि यह ऐसा मसला नहीं है कि कोई कह दे कि हम एक साल के अन्दर सारी बेरोजगारी दूर कर देंगे। लेकिन प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम भी देश के सामने रखा है और भी हमारे कार्यक्रम इसी दिशा में चल रहे हैं कि बेरोजगारी को हम कम कर सकें। इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

श्री उमाकान्त मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह बेरोजगारी का प्रश्न बहुत गंभीर है, इसमें कोई सन्देह नहीं और इस प्रश्न में जैसा आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित दो तरह के बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो अशिक्षित बेरोजगारों के लिए तो एन० आर० ई० पी० जैसी योजनाएं चल रही हैं, अगर उनको ठीक से कार्यान्वित किया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाने में काफी सफलता मिल सकती है। लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों का, उसमें आई० टी० आई० पास हैं, वी० टी० सी० हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, हाई स्कूल भी हैं, वह इतने निराश और मायूस हो रहे हैं, इतनी कुण्ठा उनके अन्दर पैदा हो रही है कि एक दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने एक बार सुझाव दिया था और आज भी मैं सुझाव उपस्थित कर रहा हूं, साथ-साथ प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो शिक्षित बेरोजगार तरह-तरह के हैं उनकी संख्या जो बढ़ रही है, उनको काम में लगाने के लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सोच रहा है ? ऐसे तो यह किसी एक मंत्रालय के बूते का नहीं है, यह तो सारी सरकार के मिल कर करने का विषय है लेकिन ग्रामीण विकास विभाग जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम बनाए, ऐसा कोई विचाराधीन मामला है ?

श्री बालेश्वर राम : यह तो मैंने मूल प्रश्न के जवाब में बताया है कि जहां तक इस विषय

का सम्बन्ध है ट्रायसेम योजना जो चल रही है उसमें हर एक प्रखण्ड में प्रति वर्ष 40 ऐसे युवकों को हम प्रशिक्षित करना चाहते हैं और उनको हम एक साल तक की ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिसमें 125 रुपया हम उनको भत्ता देते हैं···

एक माननीय सदस्य : बहुत कम है।

श्री बालेश्वर राम : ठीक है, कम तो जरूर है, हम मानते हैं कि बहुत नहीं है। लेकिन फिर भी 125 में भी हम पूरी तरह से उसको मोबिलाइज़ नहीं कर पाये हैं। हमारी कोशिश है कि देश में जो 5011 ब्लाक्स हैं उनमें से प्रत्येक ब्लाक में से 40 युवक-युवतियां प्रशिक्षित हों और इस प्रकार से 2 लाख व्यक्ति सेल्फ एम्प्लायमेंट लें। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि बैंकों ने भी इस ओर ध्यान दिया है। हमारे काफी युवक-युवतियां इस प्रकार से उत्साहित हो रही हैं। वे ट्रेनिंग लेकर सेल्फ एम्प्लायमेंट ले रहे हैं। इस कृषि विभाग के माध्यम से ट्राइसेम योजना को चलाते हैं लेकिन कुछ अन्य विभाग भी इस काम को कर रहे हैं, जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंन्ट है वह भी इसको चला रहे हैं। लेकिन यह जो योजना चल रही है, ट्राइसेम योजना, इसका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए भी हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी।

खोई का उपयोग

*227. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी मिलों द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित कुल खोई का कोई अनुमान लगाया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने यह भी पता लगाया है कि इसमें से कितनी खोई ईंधन के रूप में प्रायुक्त की जा रही है और शेष खोई का क्या प्रयोग किया जाता है ;

(ग) कागज उत्पादन के लिए कितनी खोई प्रयोग की जा रही है ;

(घ) क्या खोई से कागज का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारत की सभी चीनी फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर खोई का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार हुआ था :

1976-77	163.06 लाख मीटरी टन (नमी के आधार पर)
1977-78	224.30 लाख मीटरी टन
1978-79	198.94 लाख मीटरी टन
1979-80	130.11 लाख मीटरी टन
1980-81	171.88 लाख मीटरी टन
1981-82	276.55 लाख मीटरी टन

उपर्युक्त मात्रा में से लगभग 97 प्रतिशत खोई फैक्ट्रियों में "कैप्टिव" ईंधन के रूप में इस्तेमाल की गयी थी, लगभग 2 प्रतिशत कागज, कार्ड बोर्ड आदि बनाने जैसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की गई थी और लगभग 1 प्रतिशत खोई प्रत्येक मौसम के अन्त में चीनी फैक्ट्रियों के पास छोड़ दी गई थी।

खोई से कागज के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, ने प्रेस नोट संख्या 10 (13)/76-पेपर तारीख 11 अप्रैल, 1979 जारी किया था जिसमें नीति संबंधी कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए थे। भारत सरकार ने खोई बचाने और कागज उत्पादन के लिए खोई देने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति संबंधी विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। खोई पर आधारित पेपर प्लांट स्थापित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी शामिल किए गए हैं। ये प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :

(1) चीनी मिलों के निकट के स्थानों में पेपर और/अथवा न्यूजप्रिंट मिलें लगाने के लिए चीनी फैक्ट्रियों के समूहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(2) वित्तीय संस्थान खोई पर आधारित पेपर प्लांट को सहायता देते समय प्राथमिकता देंगे।

(3) खोई पर आधारित पेपर प्लांट की ऊंची लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत खोई से बनाए गए सभी प्रकार के कागज पर उत्पादन शुल्क में छूट दी जाएगी।

श्री बालासाहिबविखे पाटिल : महोदय विवरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने कागज के उत्पादन के लिए खोई को बचाने तथा खोई देने के लिए चीनी कारखानों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। परन्तु जहां तक मुझे पता है खोई को बचाने के लिए चीनी कारखानों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी कोई नीति नहीं है। क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि सरकार चीनी कारखानों को किस प्रकार का प्रोत्साहन देती है? इसके अतिरिक्त विवरण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि चीनी कारखानों को अपने कारखानों के निकट कागज और/या न्यूजप्रिंट मिलें स्थापित करने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन देगी। क्या सरकार को मैं यह बता सकता हूं कि प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले तीन या चार वर्ष से केवल उत्पादन शुल्क में छूट दी जा रही है। अन्यथा उन्हें और कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। सरकार कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे और उसके पश्चात् में प्रश्न पर आगे बोलूंगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : कागज के कारखाने स्थापित करने के लिए खोई पर आधारित जो प्रोत्साहन देने का निर्णय किया गया है उनका विवरण उल्लेख है। खोई पर आधारित कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाएं उन्हें सहायता देने में उच्च प्राथमिकता देंगी। इसके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है और उद्योग विभाग चीनी कारखानों के क्षेत्र में कागज के कारखाने स्थापित करने के लिए उन्हें अधिमान देगा। अब माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं वह पूछें और शायद वे महाराष्ट्र के कुछ कारखानों के बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय को जाना चाहिए था। परन्तु दुर्भाग्यवश यह कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया। मूलतः यह उद्योग कृषि और गांवों पर आधारित उद्योग हैं और पहले इसका उद्देश्य ग्रामीण अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना था। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या चीनी फैक्टरियों में 'हाई प्रेसर बायलर प्लांट' शुरू करने की कोई योजना है ताकि हम खोई बचा सकें और देश के विभिन्न भागों में कागज के संयन्त्र स्थापित कर सकें। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार को 30 से 50 टन खोई के कागज संयंत्र और बड़े कागज संयंत्रों में अन्तर रखना चाहिए। यदि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है।

राव वीरेन्द्र सिंह : जहां तक मुझे पता है कागज मिलें एक प्रतिशत नहीं बल्कि दो प्रतिशत खोई का प्रयोग करती हैं। शेष खोई चीनी मिलें चीनी के उत्पादन में प्रयोग करती हैं क्योंकि यह एक ऐसा ईंधन है जो मिलों को आसानी से मिल जाता है और वे इसका प्रयोग कर सकते हैं।

जहां तक खोई पर आधारित महियों के स्थान पर कोयले पर आधारित ब्यालर लगाने का संबंध है, यह कार्य चीनी मिलें कर सकती हैं और मैं जानता हूं कि यह बहुत ही कठिन है क्योंकि जो चीजें आसानी से उपलब्ध हैं उसके स्थान पर कोयले या तेल जैसी सामग्री अन्य स्थानों में मंगाना आसान नहीं है। यदि मिलें ऐसा करना चाहती हैं तो उद्योग विभाग प्रत्येक मिल की मांग पर ध्यान देगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कुछ प्रोत्साहनों पर सहमति हो गई है। इन फैक्टरियों को आसान शर्तों पर ऋण दिए जाएंगे। शायद फैक्टरियां और रियायतों की मांग कर सकती हैं, ताकि वे खोई पर आधारित भट्टियों के स्थान पर कोयले पर आधारित भट्टियां लगाने में होने वाले घाटे को पूरा कर सकें।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, यह प्रश्न और ब्यौरे के लिए यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय को जाना चाहिए।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : महाराष्ट्र में कितनी चीनी मिलों ने कागज के कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदन किया है और सरकार आसान शर्तों पर ऋण तथा अन्य रियायतों के लिए उनके आवेदनों पर किस प्रकार विचार करेगी ?

राव वीरेन्द्र सिंह : खोई से कागज बनाने वाले छः कारखाने हैं और पांच कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, दत्ता एस० एस० के० लिमिटेड, शिरोल और वरीना एस० एस० के० लिमिटेड, वोराजनगर, जिला कोल्हापुर, नाम के दो कारखाने हैं जिनके पास लाइसेंस हैं। कुछ आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं, परन्तु वे महाराष्ट्र के नहीं हैं।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, शुगर कारखाने जो अपना उत्पादन करते हैं उसकी 10 परसैंट बगास बचती है। पिछले दिनों में हमने भी एक नया शुगर कारखाना मध्यप्रदेश में को-आपरेटिव्ज में शुरू किया है। नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर मिल नेपानगर में एशिया की बिगैस्ट पेपर मिल है। उनसे बात हुई थी, उन्होंने जानकारी दी है कि केन्द्रीय शासन यह विचार कर रहा है कि जहां-जहां न्यूजप्रिंट पेपर मिल हैं वहां वह खुद शुगर के कारखाने लगायेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है कि जहां पेपर मिलें हैं, और वहां गन्ना हो सकता है तो वह खुद अपनी शुगर फैक्टरी लगायें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर कोई शुगर फैक्टरी, पेपर मिल लगाना चाहे तो हम उसे एंकरेज करेंगे। पाटिल साहब की एक शुगर मिल है जिसने कागज का कारखाना लगाया हुआ है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : एक शुगर कारखाना केवल 10 प्रतिशत बगास बचाता है और 1250 टन की कैपेसिटी की शुगर फैक्टरी के लिए यह संभव नहीं है कि वह खुद का अपना पेपर मिल लगा सके। यह बात अलग है कि 4, 5 शुगर फैक्टरी मिलकर अपना एक पेपर का कारखाना लगायें। लेकिन उन मिलों के लिए जो शुरुआत कर रही हैं, और 1250 टन कैपेसिटी की हैं, वह अपना बगास पेपर्स मिल को दे सकें, जैसे हमारे पास नेपानगर में न्यूजप्रिंट पेपर मिल है जो कि केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है विशेषकर नेपानगर न्यूजप्रिंट मिल के लिये ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि शुगर फैक्ट्रीज के अन्दर कागज बनाने के लिए दस प्रतिशत भी बगास नहीं बचता है। 96-97 प्रतिशत बगास जला दिया जाता है, माननीय सदस्य का ख्याल गलत है। कई जगहों पर बहुत सी फैक्ट्रीज मिलकर एग्रीमेंट करके कागज का कारखाना लगाना चाहती हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी योजना बना रही हैं। जैसे तमिलनाडु के अन्दर छः फैक्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट करके कागज का कारखाना लगा रखा है। उनसे बगास लेकर वे लगा रहे हैं। यदि इस तरह की कोई ओर दरख्वास्त होगी, तो उस पर गौर करेंगे।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि खोई, जो कि बहुत ही कीमती कच्चा माल है, को चीनी मिलों द्वारा जलाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत चीनी मिलें कोयले पर आधारित ब्यालर लगाएं। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह विचार कर रही है कि भविष्य में उन्हीं को लाइसेंस दिए जाएंगे जो खोई का प्रयोग न करके कोयले का प्रयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, खोई के संबंध में मैं किसानों की एक समस्या पर प्रश्न पूछना चाहता हूं, महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए अंग्रिम तीन सुझाव स्वागत योग्य है। यदि उनका क्रियान्वयन प्रभावशाली ढंग से किया जाता है और खोई का प्रयोग कागज के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्या चीनी का उत्पादन मूल्य कम नहीं होगा और यदि ऐसा होता है और लाभ बढ़ता है तो क्या गन्ना उत्पादकों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसका अभी हिसाब

लगाना पड़ेगा। यदि लाभ को ध्यान में रखा जाता है तो चीनी उत्पादन के लागत मूल्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि खोई के स्थान पर अन्य ईंधन के प्रयोग करने से लागत में वृद्धि होगी।

टाल परियोजना

***228 श्री रामवतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1972 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री के० एल० राव ने टाल परियोजना का निरीक्षण करने के पश्चात् एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इस बात की सिफारिश की गई थी कि इस परियोजना का पटना जिले के फतुहा से मुंगेर जिले के बड़हिया तक बरास्ता बाढ़-मोकामा विस्तार किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) डा० राव ने टाल क्षेत्र का निरीक्षण करने के पश्चात् तटबन्धों के लिए अन्वेषण और कुछ स्कीमें तैयार करने, संचयन जलाशयों के निर्माण तथा अधिशेष जल के व्यपवर्तन एवं विभिन्न तालों में जल-निकास को नियन्त्रित करने के सुझाव दिये थे।

(ग) डा० राव के सुझावों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को दिया गया था। उन्होंने अब तक निम्नलिखित दो स्कीमों को तैयार किया है और क्रियान्वयन के लिए उन्हें हाथ में लिया है :—

1. गंगा के पश्च उमड़ जल को ताल क्षेत्र में पड़ने से रोकने के लिए पुन-पुन नदी के दक्षिण तट के साथ-साथ 165.46 लाख रुपये की लागत वाला एक तटबंध।

2. 172.35 लाख रुपये की लागत वाली मोकामे ताल जलनिकास स्कीम।

राज्य सरकार ने मार्च, 1982 तक इन निर्माण कार्यों पर लगभग 1.00 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जोबस्कीम के अन्वेषण पूर्ण हो गए हैं और फुलवरिया तथा अन्य स्कीमों के अन्वेषण किए जा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि मेरे पास यह हिन्दी की लिस्ट है। इसमें कुछ अशुद्धि रह गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक करिए।

श्री रामावतार शास्त्री : एक जगह हमारे यहां बाढ़ है, वह सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है। फल्ड नहीं बाढ़। शहर का नाम बाढ़ है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है हिन्दी में "बरह-मोकामा"। बहर कोई जगह नहीं है।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : बड़ाहिया।

श्री रामावतार शास्त्री : पांडे जी आप तो वहीं के हैं, आप तो सब जानकार हैं, आप पढ़ लीजिए। हमारे यहां ताल योजना है।

राव वीरेन्द्र सिंह : बड़ाहिया ताल है।

श्री रामावतार शास्त्री : फतुहा से आप बड़हिया तक चले जाइए···

अध्यक्ष महोदय : टाल योजना है, या ताल योजना है।

श्री रामावतार शास्त्री : वैसे आपटाल भी लिखिए, तो इसका मतलब निकल जाता है, लेकिन बिहार के लोग उसको टाल बोलते हैं। Tal-टाल, तो इसकी शुद्धि हो जानी चाहिए। पता नहीं ये लोग ऐसा कैसे कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ऊपर वाली बात नहीं, यह पर्मानेन्ट बात है।

प्रो० मधु दंडवते : गंगाजल डालिये, शुद्धि हो जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : यह 410 वर्ग मील का इलाका है और बहुत ही उपजाऊ इलाका है। अगर ये योजनाएं लागू करके सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, और फालतू पानी जो होता है, उसको निकालने की व्यवस्था कर दी जाए, तो वहां पर दाल का उत्पादन बहुत बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश में दाल का उत्पादन कम होता है और हमारा जो बिहार प्रान्त है, उसका सातवां स्थान दाल के उत्पादन के मामले में है। इस चीज को देखते हुए आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस योजना से आप कितना ज्यादा पैदा कर सकते हैं और अपने यहां दालों का भंडार भर सकते हैं। एक बार आप देखने चलिए और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, इनको भी साथ ले चलिए क्योंकि कृषि और सिंचाई दोनों से इसका संबंध है। वहां जाकर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आप की दाल कितनी ज्यादा वहां पैदा हो सकती है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : कौन सी दाल ?

श्री रामावतार शास्त्री : मसूर की दाल और चना और तीसी, जिससे तेल निकालते हैं। आप ने कहा है कि दो योजनाएं बिहार सरकार ने बनाई हैं, जिनमें से एक पर 165.46 लाख रुपये और दूसरी पर 172.35 लाख रुपये खर्च होंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह समझते हैं कि इतनी धनराशि खर्च करने की स्थिति में राज्य सरकार है ? मैं तो समझता हूं कि नहीं है। क्या भारत सरकार इस पूरी योजना को अपने अधीन लाकर इसको पूरा करने का विचार रखती है ?

श्री हरिकेश बहादुर : दाल का उत्पादन टाल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टाल को दाल में बदल रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : दाल में कुछ काला है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनावेवाला की बात सही है कि यह टाल एरिया बहुत उपजाऊ एरिया है और यह बात भी सही है कि अगर इस पूरी स्कीम को इम्पलीमेंट कर दिया जाए उसके पानी को निकाल दिया जाये और सिंचाई की सुविधाएं पहुंचा दी जाएं, तो इसमें काफी पैदावार बढ़ सकती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : 'अगर' हटा लीजिए ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा हूं और इसी ख्याल से डा० राव, जो पहले हमारे इर्रीगेशन मिनिस्टर थे, वे दो मर्तबा 1971 और 1972 में वहां गये और वहां से आकर उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिये और उसके फालो-अप एक्शन में हमारी तरफ से सेक्रेटरी, इर्रीगेशन वहां गये और वहां पर उन्होंने विशेषज्ञों और इंजीनियरों से बैठकर बात की और उसके बाद तफसील के साथ पूरी स्कीम को बनाया गया लेकिन आप जानते हैं कि इर्रीगेशन की या फ्लड कन्ट्रोल की जो स्कीमें हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है और केन्द्र सरकार उनको नहीं ले सकती। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार को ही उस स्कीम को बनाना होगा और उसके लिए फंड्स का प्राविजन करना होगा और जो एसिसटेंस सेंटर उसको प्लान के एप्रूव होने के बाद दे सकता है, वह हम दे सकते हैं। हम टेक्निकल एसिसटेंस दे सकते हैं। इसी वजह से सेक्रेटरी, इर्रीगेशन ने अप्रैल, 1982 में इसके बारे में बात की थी। मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि ये जो दो स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट ने ली हैं, मेरे नजदीक और हमारे विशेषज्ञों के नजदीक, ये नाकाफी हैं प्राब्लम को सोल्व करने के लिए। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इर्रीगेशन सेक्रेटरी ने दो सजेश्चन्स दिये। एक तो यह था कि एक डेवलपमेंट कमेटी फौरन कांस्टीट्यूट की जाए जिसमें वहां के सोशल वर्कर्स के नुमायंदे हों, इंजीनियर्स हों और दूसरे लोग हों और वह उसका एक टोटल प्लान करे। दूसरा यह था कि एक टेक्निकल कमेटी बनाए जाएं, जो चैयरमैन, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के मातहत हो और वह पूरी स्कीम का एक मास्टर प्लान बनाए और उसका इम्पलीमेंटेशन हो। यह 27 अप्रैल, 1982 को जो सजेशन आया उसके अनुसार है। हमारी मजबूरी यह है कि यह हमारे बसका नहीं है कि सारी इर्रीगेशन की स्कीम्स को मरकजी सरकार ले ले जिसका कि शास्त्री जी ने सुझाव दिया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : ये कितनी कच्छप गति से चल रहे हैं। आप अन्दाज कीजिए कि 10-12 वर्ष में तो यह नतीजा निकला है। (व्यवधान) सरकार ही कहीं कछुआ न बन जाए। इतने दिन हो गये हैं, अरबों रुपये की यह योजना है और इस पर अब तक एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। पता नहीं उस करोड़ रुपये का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, यह आप जानते होंगे ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या बिहार सरकार ने आपसे किसी धनराशि की मांग की है ? अगर उन्होंने मांग की है तो कितने धन की मांग की है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अब तक अगर कोई सहायता दी है तो कितनी सहायता दी है ?

यह आप दोनों स्पष्ट बताइये, मैं अस्पष्ट नहीं पूछ रहा हूं कि उनकी मांग के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई, कितना रुपया आपने दिया और आगे जो योजना चलेगी उसमें आप किसी प्रकार की मदद करने की स्थिति में हैं या नहीं, या भगवान भरोसे, बिहार के उस क्षेत्र के लोगों को छोड़ देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अति सुन्दर ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : राज्य सरकार इर्रीगेशन के लिए किसी स्कीम के लिए अलग से

मांग नहीं करती है और न ही मरकजी सरकार की तरफ से अलग से किसी स्कीम के लिए राशि मंजूर की जाती है। जब प्लानिंग कमीशन इस प्रकार की स्कीमों को मंजूर कर देता है तो जो उस राज्य को जो प्लान आउट-ले है, उसमें जो सेन्टर की तरफ से असिस्टेंश दी जाती है उसी में ऐसी स्कीमों के लिए भी असिसटेंश होती है, अलग से नहीं होती है। इस स्कीम के लिए कितनी रकम रखी गयी थी···

अध्यक्ष महोदय : वह तो आपने पहले ही बता दी है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह तो मेरे जवाब में आ गया है कि इसके लिए 165.46 लाख रुपया रखा गया था।

श्री रामावतार शास्त्री : इस स्कीम के लिए आपने कितना रुपया दिया ? दिया हो तो बता दीजिए, नहीं दिया हो तो भी बता दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए कितना रुपया दिया है, यह बताना मुमकिन नहीं है। टोटल प्लान को देखकर रकम दी जाती है, किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए नहीं।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो ताल प्रोजेक्ट है, यह डिप्रेशन माना गया है। यह ऐसा डिप्रेशन है जिसमें 6 नदियां आती हैं और सात डिप्रेशन माने गये हैं। सौ किलो मीटर इसकी लम्बाई है। वास्तव में अपने टाइप का यह डिप्रेशन है और वास्तव में फर्टाइल एरिया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ताल तो भोपाल में होता है।

श्री केदार पांडे : इसमें रबी नहीं होता है। इसमें चना और मसूर होता है। वास्तव में बहुत बड़ा डिप्रेशन है। जैसा मेरे साथी ने बताया कि तीन-चार बार डा० के० एल० राव ने इसको विजिट किया है और 1972 में विजिट किया है। स्कीम बनी हुई है, दो स्कीमें चालू हैं। कुछ रुपया भी खर्च हो चुका है और काफी अभी खर्च होना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया। आंकड़ों में मत जाइए।

श्री केदार पांडे : मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कीम बनी हुई है और चालू हो गई है। लेकिन शासन की तरफ से कोई अलग से डिमाण्ड इसके लिए नहीं है, लेकिन हम लोग इसको करने के लिए तत्पर हैं और कम से कम समय में सारा इन्तजाम किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बस करिए।

श्री केदार पांडे : जहां तक केन्द्रीय सरकार की बात है, हम इसको नहीं लेंगे। राज्य सरकार ही इस कार्य को करेगी।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस क्षेत्र में 2 लाख हैक्टर में दाल का उत्पादन होता है। (व्यवधान)

पाण्डे जी तो बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इन्हें तो सारी जानकारी है। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अलग से इसके लिए कोई मांग नहीं की गई है। मैं एक रिपोर्ट जो इनके पास

आई है, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ओर से उसका एक अंश पढ़ना चाहती हूं। मैं इसके लिए एक मिनट का समय चाहती हूं, क्योंकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

> "राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि 'विस्तृत क्षेत्र योजना' के अन्तर्गत ताल वर्ष के लिए संयंत्र सुरक्षा उपाय मंजूर किए जाएं। भारत सरकार ने इस योजना को जनवरी 1982 के मध्य में स्वीकृति प्रदान की, जब तक फली बेधन का समय गुजर चुका था।"

अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस पर सदन में काफी विचार-विमर्श हुआ। मैं जानती हूं कि यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इंटेंसिव एग्रीकलचर स्कीम जिस प्रकार से गुजरात आदि राज्यों में चलाई गई है, के अन्तर्गत इस 410 वर्गमील एरिया को अपने अधीन लेकर शीघ्र से शीघ्र इस स्कीम को लागू करने का विचार रखती है? क्योंकि इससे बिहार स्वयं तो आत्म निर्भर होगा ही बल्कि पूरे देश को दाल दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका ज़वाब आ गया है।

श्री केदार पांडे : मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि छटी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 528 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। करीब .00 लाख खर्च किया जा चुका है और 125 लाख 1982-83 में किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : इसको लेंगे या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए।

श्री केदार पांडे : मेरा कहना यह है कि इस ओर सरकार का पूरा ध्यान है और माननीय सदस्या से मेरी इस बारे में चर्चा भी हुई है। सारी बातों की जानकारी हमको भी है और उनको भी है, शास्त्री जी को भी है। इसलिए इस सवाल की गम्भीरता को हम सब समझ रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन से खाद्य तेल का आयात

*230 ***श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता पत्तन के माध्यम से खाद्य तेल के आयात को बढ़ाने और आयातित तेल को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित करने से पूर्व स्थानीय शोधक कारखानों में साफ करने की व्यवस्था को पुनः लागू करने का है, जिससे मार्ग में होने वाली हानि, भाड़े तथा ढुलाई में काफी बचत हो सकेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) कलकत्ता बन्दरगाह के पृष्ठ प्रदेश (हिन्टरलैण्ड) में स्थित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की

खाद्य तेलों की आवश्यकताओं को देखते हुए, कलकत्ता बन्दरगाह के जरिये किया जा रहा खाद्य-तेलों का आयात कुल मिलाकर पर्याप्त है ।

कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय सभी संबंधित बातों, विशेषकर इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, (1) कलकत्ता बन्दरगाह में जहाज के लिए जल की अपेक्षित गहराई संबंधी प्रतिबंध, जहां बड़े टैंकरों को नहीं लाया जा सकता; (2) यूरोप और अमेरिका से आने वाले जहाजों का माल-भाड़ा; (3) सरकारी प्रबंधाधीन कच्चे रेपसीड तेल के परिष्करण की सुविधाएं । इन प्रबन्धों की लगातार पुनरीक्षा की जाती रहती है ।

पश्चिम बंगाल सरकार कच्चे रेपसीड तेल और अन्य तेलों के परिष्करण का कार्य शुरू करने के लिए अपना परिष्करण एकक लगा रही है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न में यह जानना चाहता था कि कलकत्ता पत्तन के माध्यम से आयात करने में कुछ तुलनात्मक लाभ हैं अथवा नहीं। यदि मेरी सूचना सही है, तो बम्बई पत्तन के माध्यम से लगभग 9 लाख टन तेल का आयात किया गया और उसे शोधन के लिए कानपुर और दिल्ली भेजा जाता है और इसके बाद यह पूर्वी राज्यों को भेजा जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सीधे कलकत्ता के माध्यम से आयात करने और स्थानीय तौर पर शोधन करके उसे उपभोग के लिए पूर्वी राज्यों में भेजने के लिए जहां आपके पास पर्याप्त अवसर है उसकी अपेक्षा ऐसा करने में कम खर्च कैसे होता है, आपके उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि इस समय कुल एक मिलियन टन आयात किए जाने वाले तेल में से आप 9 लाख टन तेल का आयात बम्बई पत्तन के माध्यम से करते हैं और कलकत्ता से केवल 1 लाख से 1.2 लाख टन तक तेल का आयात किया जाता है ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : बम्बई के कामगार अधिक परिश्रमी हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ऐसा हो सकता है । वहां की एक मांग है—एक साधारण मांग—कि यह आयात तीन लाख टन तक बढ़ा दिया जाए, ताकि आप पूर्वी राज्यों के लोगों की मांग पूरी कर सकें । अब मेरा प्रश्न यह है कि आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचे कि कलकत्ता पत्तन आपको कोई सुविधा नहीं देता जबकि पत्तन में आने वाले सामान के लिए उन्होंने मालवाहकों की विशेष सुविधा आपको प्रदान की है । इसका आयात कलकत्ता में और करके स्थानीय रूप पर शोधन क्यों नहीं किया जाता जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभदायक है ।

कृषि और ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : गत वर्ष 1980-81 कलकत्ता पत्तन के माध्यम से 25,000 टन रेपसीड तेल का आयात किया गया था और वर्ष 81-82 में कलकत्ता पत्तन के माध्यम से 41,000 टन रेपसीड तेल का आयात किया गया था। ा में बढ़ोत्तरी हुई है । पिछले वर्ष से सरकार की नीति कच्चे रेपसीड तेल का शोधन सार्वजनिक के उपक्रमों से और यदि आवश्यकता पड़ी तो सहकारी क्षेत्रों से करने की रही है । मुझे माननीय – महोदय को निजी क्षेत्रों की वकालत को सुनकर आश्चर्य हुआ । यह जानकर की पश्चिम सरकार वेस्ट बंगाल कमोडिटीज कारपोरेशन के अंतर्गत अपने शोधन कारखाने लगायेगी । तीन रखानों को शोधन का काम दिया गया है । ऐसा केवल पश्चिमी बंगाल में होता है । और

हमने उनसे कहा है कि यदि वे इस तेल वर्ष के अन्त तक ऐसा नहीं करेंगे तो शोधन के लिए इन निजी कारखानों को भी तेल मिलना बन्द हो जायेगा। सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले शोधित तेल की किस्म के लिए वह (पश्चिम लंगाल सरकार) और अधिक जिम्मेदारी ले। इसी विचार से इस काम को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का उपयोग करने की नीति हमने अपनाई हैं। इस बारे में शिकायतें मिली हैं। पहले सारे देश के लिए राज्य व्यापार निगम निजी मिलों के माध्यम से यह काम करता था। पिछले साल से यह बन्द कर दिया गया है, यदि पश्चिम बंगाल सरकार अपने यहां सार्वजनिक क्षेत्र में अपने तेल शोधक कारखाने नहीं खोलती तो यह भी बन्द कर दिया जायेगा, जहां तक रेपसीड तेल का सम्बन्ध है इस समय पश्चिम बंगाल की शोधन क्षमता, जिसका इस समय उपयोग हो रहा है, पश्चिम बंगाल और कुछ पूर्वी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का सम्बन्ध केवल रेपसीड तेल से ही नहीं अपितु सामान्य रूप से तेल से है। उसके बाद मैंने कलकत्ता और बम्बई पत्तन के माध्यम से आयात किए जाने वाले तेल के तुलनात्मक आंकड़े दिए थे, जो भी हो, उत्तर सन्तोष जनक है। दूसरा प्रश्न सामान्य किस्म का है।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपने कहा है कि उत्तर सन्तोष जनक है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हां, उत्तर सन्तोष जनक है। सामान्य तौर पर हमें आपसे सन्तोष जनक उत्तर मिलते हैं और सामान्य तौर पर आपके उत्तरों को 20 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं दिए जा सकते। यह अधिकतम अंक हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर को अंक देने की आदत है। उन्हें अभी इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सका है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जहां तक खाद्य तेलों का सम्बन्ध है। हमारी मांग और सप्लाई के बीच अन्तर बढ रहा है और हम अधिक से अधिक खाद्य तेल का आयात करने के लिए बाध्य हैं। आंकड़ों के अनुसार 1952-65 की अवधि के बीच तिलहनों का उत्पादन या उत्पादन दर 3.46 प्रतिशत से घट कर 1.6 प्रतिशत हो गयी। और इस दशाब्दी के अन्त तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2 मिलियन टन तक खाद्य तेलों का आयात किया जायेगा। हम प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर रहें है। पेट्रोलियम के बाद यह सबसे अधिक लागत का बिल है। जहां तक खाद्य तेलों के सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने का सम्बन्ध है दोनों परम्परागत तरीकों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं, यह तो चर्चा हो गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आयात के बारे में और देश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बात कर रहा था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि हम आत्मनिर्भर हो गए तो कलकत्ता को कुछ नहीं मिलेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : बम्बई को भी कुछ नहीं मिलेगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल आयातित तेल और कलकत्ता पत्तन के माध्यम से आयात करने से है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यन्त सामान्य प्रश्न है।

राव वीरेन्द्र सिंह : तिलहनों का हमारा निजी उत्पादन धीरे-धीरे बढ रहा है। पिछले तीन चार वर्षों में यह बढ़कर 115 मिलियन टन तक हो गया है और इस वर्ष इसके 12 मिलियन टन तक होने की उम्मीद है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन प्रतिशत वृद्धि दर में कमी आयी है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मांग बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप समझे नहीं, मैंने कहा था कि प्रतिशत वृद्धि दर में कमी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आगे कोई प्रश्न नहीं होगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे पर मैं उन्हें सूचित कराना चाहता हूं कि कच्चे रूप में केवल रेपसीड तेल का आयात किया गया है। इसके अतिरिक्त, आर० बी० डी०, पाम आयल, जिन तेलों का हम आयात करते हैं सभी को शोधित रूप में आयात किया जाता है। उन्हें आगे शोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कच्चे रूप में केवल रेपसीड तेल का आयात किया जाता है। जिसे सार्वजनिक रूप से वितरण करने से पहले शोधित किया जाता है। मैंने इस सम्बन्ध में सारी जानकारी दे दी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल की अपेक्षा तिलहनों का आयात करना सस्ता नहीं बैठेगा ? क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

(ख) तेल पर 150 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यह बहुत अधिक अथवा अवास्तविक है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, ये तो सुझाव हैं। (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मंत्री महोदय ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया है कि हम इम्पोर्टेड आयल का इम्पोर्ट करना कब बन्द करेंगे ? इसके पहले मेरा एक सवाल यह है कि जो एगमार्क लगाया जाता है, उसके बारे में मेरा खुद का अनुभव है कि कानून के मुताबिक यह सिर्फ इंडीजिनस आयल के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में काफी इम्पोर्टेड आयल लाया जा रहा है जो कि वनस्पति के लिए और बाकी रिफाइन्ड आयल्स के लिए जैसे पोस्टमैन वगैरह है, उनके लिए भी दिया जाता है। लेकिन उस पर जो एगमार्क की निशानी की जाती है कांसश कंज्यूमर के लिए, जब तक आप इस कानून में तबदीली नहीं कर लेते हैं, तब तक इम्पोर्टेड आयल पर एगमार्क लगाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वह एगमार्क के कानून में तबदीली करके इम्पोर्टेड आयल बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई से लोगों को मिले और उसमें कुछ कमी न रहे। इस पर विचार कर रहे हैं ताकि इम्पोर्टेड आयल जहां भी यूज होता है वह सही कंज्यूमर्स को मिलने की व्यवस्था हो सके ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इम्पोर्टेड आयल कुछ तो रिफाइन्ड आ रहा है जिसके मुताल्लिक पूरी

तसल्ली और इतमिनान करके लिया जाता है कि वह अच्छा है, अच्छी तरह से रिफाइन्ड है और इस्तेमाल के लिए ठीक है। दूसरा जो सजैश्चन है कि सरकार उस पर एगमार्क लगा सकती है या नहीं, तो वह मैं दिखला लूंगा।

सदस्या ने जो यह पूछा है कि इम्पोर्टेड आयल मंगाना कब बन्द होगा तो वह तो जब हमारी प्रोडक्शन काफी हो जायेगी तब बन्द होगा या लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी या जितना अपने यहां होता है, उससे काम चला लें तब होगा, इसके लिए मैं कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर सकता हूं।

वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट

*235. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "एम० ए० एफ० प्लान्ट बून टु गुड़गांव" शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गुड़गांव जिले के पटौदी में वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए स्थान का चयन किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ जिलों में इस वर्ष कम से कम 1,000 किचन गार्डन लगाये जाने हैं;

(घ) यदि हां, तो संयंत्र का निर्माण करने में कितनी लागत लगेगी और यह कब तक उत्पादन शुरू करने हेतु तैयार होगा तथा सरकार इस क्षेत्र में किसानों के लाभ के लिए कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें शुरू करने वाली है ;

(ङ) क्या इस मामले में भी "सन आफ द सोयल" नीति अपनाई जायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लि० हरियाणा के गुड़गांव जिले में टमाटर के पेस्ट का उत्पादन करने के लिए एक वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के एक प्रस्ताव की जांच कर रही है। इस प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में एक परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है। इस प्लांट के स्थान अथवा प्रस्ताव के अन्य पहलुओं के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) मालूम हुआ है कि हरियाणा राज्य सरकार का गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ के जिलों में एक बागवानी विकास परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अधीन उक्त सरकार का फलों और सब्जियों की खेती में वृद्धि करने का विचार है। इस परियोजना में इन जिलों के उत्पादकों के परिसरों में किचन गार्डन लगाने के लिए आवश्यक सहायता और मार्ग-दर्शन देने की भी परिकल्पना की गई है।

(घ) से (च) : भाग (ख) के दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्लांट के ठीक-ठीक स्थान, उसकी

क्षमता अथवा लागत, उसको पूरा करने की समय-अनुसूची तथा अन्य विवरणों के बारे में अभी कुछ बताना बहुत जल्दबाजी होगी।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर है कि संयत्र लगाने के लिए संयत्र के लिए समुचित स्थान, उसकी क्षमता या संयत्र की लागत और संमय सीमा के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में उन्होंने 'हां' कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि मोडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड इस प्रस्ताव की जांच कर रही है। क्या माननीय मंत्री जी मुझे बता सकते हैं कि क्या तकनीकी और आर्थिक पहलू की रिपोर्ट पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। यह कब तक पूरा हो जाएगा। तत्संबंधी ब्यौरा क्या है !

जहां तक हरियाणा सरकार का सम्बन्ध है उनके पास 1000 किचन गार्डन्स का प्रस्ताव है। परन्तु उसका विबरण नहीं दिया गया है। पहिले ही इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के समेकित विकास की योजना

*225. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के समेकित विकास की योजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या और अधिक कस्बों का विकास किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा भविष्य में किन-किन कस्बों को सहायता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। दो तिमाही प्रगति रिपोर्ट/प्रपत्र एक वास्तविक प्रगति के लिए और दूसरा वित्तीय प्रगति के लिए सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया था (अनुलग्नक-1)। जिसमें अनुमोदित योजनाओं की सूचना देने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4322/82]

(ग) तथा (घ) सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत चालू योजना अवधि के अन्त तक छोटे मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास के लिए 231 से और अधिक कस्बों को शामिल करने के बारे कोई निर्णय नहीं लिया है।

प्लाटों के पंजीकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव

*229. **श्री जैनुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार प्लाटों के आबंटन के लिए निकट भविष्य में पंजीकरण खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार कितने प्लाट आबंटित करने का विचार है; और

(ग) यह पंजीकरण किस महीने में खोलने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) निकट भविष्य में प्लाटों के आबंटन के लिए नया पंजीकरण खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी आवास परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले सम्भावित प्लाटों की संख्या की तुलना में प्लाटों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कम है, इसलिए यदि आवश्यक समझा गया तो दिल्ली विकास प्राधिकरण फिर से पंजीकरण खोल सकता है।

वानिकी शिक्षा और अनुसन्धान सेवा संबंधी समिति का पुनर्गठन

*232. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को पुनर्व्यवस्थित करने तथा केन्द्रीय वानिकी अनुसंधान सेवा के सृजन की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के निदेश पद क्या हैं, और

(घ) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के साथ वानिकी शिक्षा का एकीकरण करने की आवश्यकता की जांच करने तथा वन अनुसन्धान संस्थान और उन कृषि विश्वविद्यालयों, जिन्होंने वानिकी शिक्षा शुरू की है, के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हाल ही में एक विशेष समिति का गठन करने का फैसला किया है।

2. समिति का गठन निम्नलिखित ढंग से किया गया है :

1. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	अध्यक्ष
2. महा निदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	सदस्य

3. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
4. महा वन-निरीक्षक	सदस्य
5. अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
6. कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
7. श्री के० पी० करमचन्दानी, महा वनपाल, गुजरात	सदस्य
8. संयुक्त सचिव (वन एवं मृदा संरक्षण)	सदस्य
9. अतिरिक्त महा वन निरीक्षक	सदस्य सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(1) देश में वानिकी शिक्षा और प्रशिक्षण की विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन करना और इस बात की सिफारिश करना कि सेवारत अधिकारियों के लिए वानिकी शिक्षा को प्रशिक्षण के साथ किस प्रकार बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है।

(2) वन अनुसंधान और उन कृषि विश्वविद्यालयों, जिन्होंने वानिकी शिक्षा शुरू की है, के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सुझाव देना।

(3) वन अनुसन्धान, देहरादून में वानिकी में स्नातकोत्तर संकाय स्थापित करने की आवश्यकता की जांच करना।

4. समिति को 31-10-1982 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में वनों का विकास

*233. **श्री जयनारायण रौत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आदिवासियों के निर्वाह के लिए देश के आदिवासी-क्षेत्रों में वनों का विकास करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है :

(1) ठेकेदारों को पेड़ों की कटाई के कार्य से हटा देना चाहिए।

(2) आदिवासियों को लघु वन उत्पादों के संग्रह और विपणन सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय रूप से लगाना चाहिए।

(3) वन-श्रमिकों द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि का वंशागत किन्तु अहस्तान्तरकरणीय अधिकार प्रदान करना।

उपरोक्त मामले में की गई प्रगति इस प्रकार है :

(1) असम को छोड़कर सभी राज्यों ने कटाई सम्बन्धी कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से अथवा विभागीय तौर पर शुरू करके ठेकेदारों को हटाने की दिशा में कार्यवाही की है।

(2) असम को छोड़कर सभी राज्यों ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

(3) असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आदिवासियों के लाभ के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :

(i) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं।

(ii) केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं में छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में आदिवासी उप-योजना का घटक निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है :

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

(लाख रुपये)

	1980-85 परिव्यय	आदिवासी उप-योजना का घटक
(1) लाख विकास	25.00	8.75
(2) काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना	200.00	67.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
(1) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी	5000.00	850.00
(2) हिमालय क्षेत्र में मृदा जल और वृक्ष संरक्षण (सोयलवाच)	1500.00	195.00

बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम समिति के मुख्यालय का स्थानान्तरण

*234. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम समिति की कोलम्बो में हाल में हुई पहली बैठक में श्री लंका सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि कार्यक्रम का मुख्यालय मद्रास से हटा-कर कोलम्बो कर दिया जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत की ओर से किसी भी सरकारी प्रतिनिधि ने बैठक में भाग नहीं लिया, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्तावित स्थानान्तरण से तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश के छोटे मछुआरों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

1. खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1979 में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में लघु स्तर मात्स्यकी की एक क्षेत्रीय परियोजना की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय मद्रास में रखा गया था ।

2. इस परियोजना का नया नाम बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम रखा गया । इस कार्यक्रम की एक सलाहकार समिति है जिसमें भाग लेने वाले पांच देश, अर्थात् श्री लंका, भारत, बांगला देश, थाईलैंड और मलेशिया तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं ।

3. दिसम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह में कोलम्बों में हुई सलाहकार समिति की छठी बैठक में श्री लंका द्वारा "बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम" के मुख्यालय की मेजबानी करने की पेशकश की गई । बंगाल की खाड़ी समिति की प्रथम बैठक में श्री लंका द्वारा इस प्रस्ताव को पुनः रखा गया जिसमें इसे स्वीकार कर लिया ।

4. संसद-सत्र में व्यस्तता के कारण भारत से कोई भी सरकारी प्रतिनिधि दोनों में से किसी भी बैठक में भाग न ले सका ।

5. बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य लघु स्तर के मछुआरों की स्थिति में सुधार करने और छोटे क्षेत्र से प्राप्त होने वाली मछली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कार्य प्रणालियों का विकास और प्रदर्शन करना है । भारत सरकार ने इस परियोजना के मुख्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण पर आपत्ति की है और खाद्य और कृषि संगठन के समक्ष इस मामले को उठाया गया है । खाद्य और कृषि संगठन ने सूचना दी है कि बंगाल की खाड़ी समिति का अधिवेशन नवम्बर, 1982 में होने वाला है जहां इस विषय पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा ।

भूमि सेना बनाया जाना

*236 श्री हरिकेश बहादुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा भूमि सेना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्य भी भूमि सेना बना रहे हैं;

(ग) इस बारे में क्या प्रगति की है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में इन भूमि सेना द्वारा कितनी भूमि कृषि योग्य बनायी गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) जहां तक कर्नाटक सरकार का सम्बन्ध है, भूमि सेना 1971 में तैयार की गई थी। मध्य प्रदेश में भी भूमि सेना संगठन 14-12-1980 को गठित किया जा चुका है। किसी भी अन्य राज्य सरकार से अभी तक कोई सूचना अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) कर्नाटक भूमि सेना निगम द्वारा निर्मित परियोजनाओं के अधीन सिंचाई के अन्तर्गत दस हजार एकड़ भूमि लाई जा चुकी है। मंत्रालय के पास किसी अन्य भूमि सेना द्वारा किए गए कार्य के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्वेत क्रांति को वास्तविक रूप प्रदान करना

237. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्वेत क्रांति को शीघ्र ही वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए क्या-क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं,

(ख) क्या देश में दूध की सभी डेरियों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का विचार है,

(ग) समूचे देश में समान मूल्य पर दूध उपलब्ध कराने का क्या कार्य है, और

(घ) क्या सरकार सब्जियों के रस से नये किस्म के दूध के उत्पादन की परियोजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(i) आपरेशन फलड-II परियोजना का क्रियान्वयन, जिसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम तथा उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम तथा उन्नत परिसंस्करण एवं विपणन की सुविधाएं भी शामिल हैं,

(2) मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता से समेकित पशु एवं डेरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन,

(3) डेरी विकास से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन।

(4) अज्ञात नस्ल के पशुओं के संकर प्रजनन तथा स्वदेशी नस्ल के पशुओं एवं चुनींदा नस्ल की भैंसों के सुधार की योजनाएं,

(5) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी को अपनाने की योजनाएं,

(6) चुनींदा गोशालाओं का वैज्ञानिक विकास करने की योजना,

(7) सघन पशु विकास परियोजनाएं तथा प्रमुख ग्राम ब्लाक योजनाएं।

(ख) आपरेशन फलड-I से संबंधित कार्यक्रमों के तहत बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास की चार महानगरी डेरियों तथा उनके भीतरी प्रदेश के दुग्ध स्रवण क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिडों की स्थापना की गई है। आपरेशन फलड-II कार्यक्रम में राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के साथ क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिडों को जोड़ने की व्यवस्था है, जो अन्ततः प्रमुख दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों तथा खपत करने वाले शहरी केन्द्रों को आपस में जोड़ देगा जिससे दुग्ध उत्पादन एवं सप्लाई में क्षेत्रीय एवं मौसमी असन्तुलन को सन्तुलित करने में सहायता मिलेगी।

(ग) आशा है कि आपरेशन फलड-II कार्यक्रम में देश के 155 दुग्ध स्रवण क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ जायेंगे और एक लाख तथा इससे अधिक की आबादी वाले लगभग 153 शहर इससे जुड़ जायेंगे। इस प्रकार इन क्षेत्रों एवं महानगरों में दूध की सप्लाई सुनिश्चित हो जायेगी। इस प्रकार की व्यवस्था से मूल्य स्थिर करने में सहायता मिलेगी। हर स्थान पर दूध का समान मूल्य करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। दूध का मूल्य संबंधी मामला एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी संघों, जो डेरी संयंत्रों को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं आदि जैसे संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लेना होता है।

(घ) इस समय बंगलौर तथा हैदराबाद स्थित दो संयन्त्र "मिल्टन" का उत्पादन कर रहे हैं। जो मूंगफली के आटे से निकाले गए प्रोटीन के साथ ताज़े दूध के साथ सम्मिश्रण होता है तथा सर्करा, विटामिन और खनिजयुक्त होता है। इस उत्पादन का मुख्य रूप से कल्याणकारी आहार कार्यक्रमों के लिए वितरित किया जाता है। कानपुर, रांची तथा कलकत्ता में तीन और यूनिटें स्थापित की जा रही हैं।

बड़ौदा में स्थिति सुगम डेरी निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए "सुगम टी इन्रिचर/चाय साथी" का विपणन कर रही है। इस उत्पादन में स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, मूंगफली से निकाली गई वनस्पति प्रोटीन तथा वनस्पति वसा होता है तथा सर्करा एवं विटामिन "ए" युक्त होता है।

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने भी सोया दूध पेय उत्पादन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी स्तर के अध्ययन किए हैं।

हिमाचल प्रदेश में हाल में हुई ओला वृष्टि से सेव और आलू की फसल नष्ट होना

*238. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1982 के दौरान ओला वृष्टि के कारण कितने मूल्य के सेव, आलू इत्यादि की फसल नष्ट हुई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

29 मार्च, 1982 को हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1982 के दौरान आंधी के कारण फलों के 2 लाख वृक्ष उखड़ गए तथा भारी वर्षा, ओला वृष्टि और बर्फानी तूफान के कारण फलों के 8 लाख वृक्षों को नुकसान पहुंचा था। इसके अतिरिक्त 1,80 लाख हैक्टयर फसल क्षेत्र में गेहूं, जौ तथा दलहन की फसलों को भी नुकसान पहुंचा था। आलू की फसल को नुकसान पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी।

2. 25 जून को राज्य सरकार ने यह भी बताया कि मई के पहले पखवाड़े के दौरान भारी वर्षा और ओलावृष्टि से 53,744 हैक्टयर फसल क्षेत्र में नुकसान पहुंचा था। क्षतिग्रस्त हुई फसलों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

3. राज्य सरकार से प्रथम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक केन्द्रीय दल को राज्य का दौरा करने के लिए भेजा गया ताकि अपेक्षित केन्द्रीय सहायता का जायजा लिया जा सके। राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने प्रभावित लोगों की राहत व पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत तथा उन्हें फिर से ठीक-ठाक करने के लिए 326 87 लाख रु० के व्यय की अधिकतम सीमा की स्वीकृति दी है।

अमानत नदी योजना और ओरना जलाशय योजना का अनुमोदन

*239 **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामऊ जिले में अमानत नदी योजना और ओरना जलाशय योजना भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इनका कब तक अनुमोदन किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई अमानत जलाशय परियोजना की केन्द्रीय जल योजना द्वारा जांच की गई थी। परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जानी है जिसे वे दिसम्बर, 1982 तक भेज देने की आशा रखते हैं।

पलामऊ जिले में ओरना जलाशय योजना नाम की कोई परियोजना नहीं है। तथापि, बिहार

में पलामऊ जिले में औरंगा परियोजना की योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा जांच की गई थी। यह परियोजना संशोधनों के लिए वापस भेजी जा रही है।

परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, लागत प्रभावकारिता और योजना के अन्दर इन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने सम्बन्धी क्षमता का औचित्य देते हुए, राज्य सरकार द्वारा उनकी संशोधित रिपोर्टें प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद इन परियोजनाओं पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

राज्यों में पंचायती राज

*240. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज पूरी तरह लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) नागालैण्ड तथा मेघालय के राज्यों और लक्षद्वीप तथा मिजोरम के केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर पंचायती राज सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है।

(ख) पंचायती राज प्रणाली आमतौर पर एक त्रि-स्तरीय ढांचा है जिसमें ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरों पर क्रमशः ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें हैं। पंचायती राज निकाय राज्य विधान मण्डलों द्वारा निर्मित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अधीन शासित हैं। ये निकाय सम्बन्धित राज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय स्वायत शासन के विभिन्न कार्य और विकासात्मक कार्य करती है। राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज निकायों को भी कुछेक कर तथा शुल्क लगाने के लिए पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

फरक्का बांध के निकट भागीरथी नदी के तटों पर भू-कटाव

*241. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान फरक्का के निकट भागीरथी के तटों पर भारी भू-कटाव की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि इस भू-कटाव को न रोका गया तो इसका अर्थ भारत से बंगला देश को भूमि-क्षेत्र का चला जाना है और फरक्का बांध के प्रयोजन का ही खत्म हो जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) भागीरथी नदी पर कटाव की कोई समस्या नहीं है। तथापि, गंगा के तटों के कटाव के सम्बन्ध में, फरक्का बराज काम्प्लैक्स के विभिन्न भागों की

सुरक्षा के लिए अपेक्षित सभी निर्माण-कार्य परियोजना-प्राधिकारियों द्वारा हाथ में लिए गए हैं। चूंकि राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण निर्माण-कार्यों की योजना बनाने और उन्हें अपनी योजना की धनराशि में से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए अन्य भागों में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रारम्भ किए जाने हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाहों का विकास

*242. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खासतौर पर पश्चिमी समुद्रतट पर और अधिक मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाहों का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में कोई मत्स्यग्रहण बन्दरगाह निर्माणाधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक उसके पूरा हो जाने की और यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) मत्स्यकी बन्दरगाहों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर कई स्तरों पर विचार करना पड़ता है। आरंभ में स्थान का पता लगाने के लिए पैमाइशी सर्वेक्षण किया जाता है। इसके पश्चात् इन्जीनियरी और आर्थिक दोनों दृष्टियों से निवेशपूर्व अनुसंधान किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लेने के बाद, इन्हें भारत सरकार की मूल्यांकन एजेंसियों में परिचारित किया जाता है। तथापि भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में इस शीर्ष के अन्तर्गत 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बन्दरगाह का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रुपये)	शुरू होने की तारीख	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
मुख्य बन्दरगाहें			
1. मद्रास	1065	अगस्त, 1973	जून, 1983
2. बम्बई	405	मार्च, 1977	मार्च, 1984

1	2	3	4
3. विशाखापत्तनम (दूसरा स्तर)	579	नवम्बर, 1979	नवम्बर, 1982
छोटे बन्दरगाह (पश्चिमी तट)			
1. गुजरात में वेरावल	900	अगस्त, 1977	जून, 1981
2. गुजरात में मंगरोल	200	-तदेव-	दिसम्बर, 1982
3. गुजरात में पोरबन्दर	150	अक्तूबर, 1978	अक्तूबर, 1983
4. महाराष्ट्र में रत्नागिरी	344	अप्रैल, 1977	जून, 1985
5. कर्नाटक में माल्पे	426	अप्रैल, 1976	दिसम्बर, 1982
6. कर्नाटक में होनावर	46	जून, 1973	नवम्बर, 1982
7. कर्नाटक में मंगलोर (दूसरा स्तर)	33	दिसम्बर, 1978	दिसम्बर, 1983
8. केरल में नीनदाकरा	370	अक्तूबर, 1981	अक्तूबर, 1984
पूर्वी तट			
9. तमिलनाडु में चिनामुटोम	234	फरवरी, 1982	फरवरी, 1985
10. तमिलनाडु में वालिनकम्म	77	फरवरी, 1982	फरवरी, 1984
11. आंध्र प्रदेश में काकीनाडा	460	जून, 1978	मार्च, 1983
12. आंध्र प्रदेश में निजामपतनम्	77	जून, 1978	दिसम्बर, 1982
13. आंध्र प्रदेश में बबनपाडु	150	अक्तूबर, 1978	दिसम्बर, 1983
14. पश्चिम बंगाल में दीघा	139	जनवरी, 1982	जनवरी, 1985

उपरोक्त स्वतः पूर्ण मत्स्यन बन्दरगाहों की सूची के अतिरिक्त 69 केन्द्रों में माल उतारने तथा जहाज ठहराने की सुविधाएं मंजूर की गयी हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं।

रूस से कराकुल भेड़ों का आयात

*243. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से प्रयोगात्मक प्रजनन के तौर पर कराकुल भेड़ों को मंगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रयोग के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान् । कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर वर्ष 1974-75 हेतु भारत-सोवियत संघ में नयाचार के अन्तर्गत 50 कराकुल मेढ़े और 200 कराकुल भेड़, इन पर शुद्ध नस्ल और गलीचों की मोटी ऊन वाली स्थानीय नस्ल के साथ खाल उत्पादन हेतु संकरण पर, उनके कार्य निष्पादन अध्ययन के लिए, 1975 में सोवियत संघ से प्राप्त हुई।

(ख) शुद्ध नस्ल के रूप में कराकुल भेड़ व साथ ही मोटी ऊन वाली नस्ल के साथ खाल उत्पादन हेतु इसके संकरों की उत्पादन क्षमता, बीकानेर और लद्दाख की गर्म मरू और शीत मरू दोनों जलवायवीय स्थितियों में अत्यन्त संतोषप्रद रही। परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कराकुलों से भारत में उत्पन्न मेमनों की खाल, सोवियत संघ में उत्पन्न मेमनों और भारत में उत्पन्न अर्द्ध संकर मेमनों की खाल एक जैसी है और क्वालिटी की दृष्टि से स्वीकार्य है। संकर नस्लों में शरीर भार और ऊन की कोटि और उत्पादन में भी सुधार हुआ है। खाल उत्पादन के लिए विस्तार कार्यक्रम भी सफतापूर्वक हाथ में लिए गए हैं।

पटरियों को घेरना

2439. **श्री अजित बाग** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार गैर सरकारी ठेकेदारों को राजधानी में गैर सरकारी होटलों के निर्माण के लिए कब तक पटरियों को घेरने की अनुमति देती रहेगी ;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि मैरिडन होटल के निर्माण के लिए जनपथ और रायसीना रोड की पटरी को ठेकेदारों ने घेर रखा है जिससे पैदल चलने वालों को असुविधा हो रही है ; और

(ग) गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वे भवन निर्माण सामग्रियों को जमा करने हेतु पटरियों के इस्तेमाल की आज्ञा लिखित अनुरोध के प्राप्त होने तथा निर्माताओं द्वारा आवश्यक अपेक्षितताओं को पूरा करने की सहमति देने पर प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए दी जाती है। उसके लिए पहले ही यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने समय के लिए ये आज्ञायें मांगी जाएंगी और मंजूर की जायेंगी।

(ख) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि इससे पैदल चलने वालों को असुविधा हो रही है।

(ग) जब तक पटरियां नई दिल्ली नगर पालिका की स्वीकृति से इस्तेमाल की जाती हैं तब तक इस गतिविधि को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

2440. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम व्यापक योजना और विशेष कार्यान्वयन व्यवस्था के अभाव में भूमि संरक्षण और खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में संतोषजनक परिणाम नहीं दे सका; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं।

उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के निश्चित परिणाम मिले हैं। 1974-75 और 1979-80 के दौरान 27.83 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 25.43 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है, जो कि कुल परिव्यय का लगभग 91 प्रतिशत बैठता है। इसमें में से अधिकांश राशि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, मृदा और जल संरक्षण तथा वन संरक्षण और विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रयोग की गई। भूक्षरण तथा बेकार भूमि वाले क्षेत्रों को सीढीनुमा बनाया गया तथा फार्म तालाबों का निर्माण किया गया, ताकि गन्ना, धान और गेहूं जैसी फसलों के लिए उत्तम फसल प्रबन्ध लागू करने में सहायता की जा सके। इसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर तैयार करने के अतिरिक्त अधिक लाभप्रद खेती हो सकी है तथा भूमि के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

दिल्ली में अण्डमान और निकोबार भवन का निर्माण

2441. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के दिल्ली में अपने भवन हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर अण्डमान और निकोबार सरकार ने दिल्ली में अपना भवन बनाने के लिए जमीन लेने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार का क्या निर्णय है ?

संसदीय तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दिल्ली में कार्यालय हैं जिनमें उनके प्रतिनिधि हैं तथा दौरे पर आने-जाने वाले उच्चाधिकारियों के लिए रिहायशी वास हैं। अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने इस मंत्रालय को आवास-स्थल के लिए आवेदन दिया था।

(ख) भूमि के अभाव में संघ राज्य क्षेत्रों को अलग-अलग प्लाटों का आवंटन करने के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं था। यह निर्णय किया गया था कि एक प्लाट उद्दिष्ट किया जाय जहां कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं सहित एक साझा गेस्ट हाउस निर्मित किया जाय। अब यह प्लाट पाण्डिचेरी सरकार को आवंटित किया गया है। जिससे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। इसके होने तक कर्जन रोड होस्टल में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ सैटों को खाली करने पर इन्हें अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को आवंटन के लिए गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा।

आई० ए० आर० आई० में अवैज्ञानिक कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में शिकायत की जांच

2442. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० ए० आर० आई० के भूतपूर्व निदेशालय ने बायो केमिस्ट्री डिवीजन के अध्यक्ष की 1968 की डिवीजन रिपोर्टों में सोनार-64 गेहूं के 'लाइसीन' मूल्य में परिवर्तन करके उसे 8.26 प्रतिशत से 2.26 प्रतिशत करने के बारे में की गई शिकायत की जांच की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उस समय के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक की रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। उनके द्वारा यह स्थिति स्पष्ट कर दिए जाने के बाद की सोनारा-64 में लायसिन तत्व की मात्रा में परिवर्तन मुद्रण संबंधी भूल है। इसलिए इस मामले पर आगे कोई कार्यवाई नहीं की गयी।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक की रिपोर्ट

शरबती सोनारा गेहूं में लायसिन तत्व के संबंध में डा० गुप्ता के आरोप

डा० वाई० पी० गुप्ता, जो इस संस्थान के जैव-रसायन विभाग में जैव-रसायज्ञ हैं, ने गेहूं की किस्मों में एमीनो एसिड तत्व, प्रोटीन तत्व और प्रोटीन दक्षता अनुपात पर कार्य किया है। उनका कथन है कि अक्टूबर, 1968 समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने सोनारा-64 में 3.26 प्रतिशत लायसिन तत्व होना बताया था पर विभागाध्यक्ष ने इसे जानबूझकर 2.26% में परिवर्तन कर दिया जिससे कि शरबती सोनारा गेहूं अधिक अच्छा साबित हो। भा० कृ० अ० सं० के निदेशक ने डा० गुप्ता की मूल हस्तलिखित प्रति को, जैव रसायन विभाग की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए, उनसे 17-2-1968 को प्राप्त किया। गेहूं से सम्बन्धित इस रिपोर्ट का एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :

"तीन किस्मों—शरबती सोनारा, सोनारा-64 और लर्मा रोजो का उनके प्रोटीन, लायसिन, ट्रियोनाईन, ट्रिप्टोफान, मेथियोनाइन और पी० ई० आर० (प्रोटीन दक्षता अनुपात) तत्वों के लिए अध्ययन किया गया। शरबती सोनारा में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा पाई गई, परन्तु इन तीन किस्मों में यहां अध्ययन किए गए एमीनों एसिडों में ज्यादा अन्तर नहीं पाया गया। शरबती सोनारा, सोनारा 64 और लर्मा रोजो में 16 ग्रा० ना० (नाइट्रोजन) आधार पर लायसिन तत्व की मात्रा

क्रमशः 3.28, 3.26 और 3.21 ग्रा० मिली जबकि पी० ई० आर० मान संबंधित गेहूं की किस्मों में क्रमशः 1.37, 1.19 और 1.34 मिला।"

भा० कृ० अ० सं० के निदेशक ने यह पाया कि विभागीय रिपोर्टों में सोनारा 64 में लायसिन तत्व का मान 2.26 दिया गया था जबकि डा० गुप्ता की मूल रिपोर्ट में यह 3.26 था। चूंकि डा० एन० बी० दास के सेवानिवृत और बाद में दुर्भाग्यवश देहान्त होने से यह कहना कठिन है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया अथवा टाइप की भूल से ऐसा हो गया। डा० गुप्ता की मूल रिपोर्ट से लिया गया उपरोक्त उद्धरण का यह कथन "ये तीन किस्में एमीनों एसिड तत्वों के मामले में ज्यादा भिन्न नहीं हैं" से यही समझा जाना अधिक उपयुक्त है कि 3.26 से 2.26 की संख्या का परिवर्तन टाइप की ही भूल है। यदि ऐसा नहीं है तो 2.26 की संख्या डा० गुप्ता के उपरोक्त कथन से विरोधाभास पूर्ण होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तीन किस्में एमीनों एसिड तत्वों के मामले में ज्यादा भिन्न नहीं है।

इस विषय पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाद के अनुभवों से यह बात सामने आई है कि प्रोटीन और एमीनो एसिड तत्वों की मात्रा स्थान, मौसम और विश्लेषण किये गये पदार्थों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है।

वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण और संवर्धन

2443. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वन्य जीव-जन्तु बोर्ड ने हाल में नई दिल्ली में हुई बैठक में वन्य जीव-जन्तुओं की घटती हुई संख्या विशेषकर पक्षियों की दुर्लभ जातियों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, और

(ख) देश में वन्य जीव-जन्तुओं के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने और ग्रामीण जनसंख्या के इस कार्य में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय वन प्राणि बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक 1 जुलाई, 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। समिति ने देश में वन्य प्राणि संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया तथा वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के उपायों के बारे में सुझाव दिए।

(ख) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे इस कार्य के लिए जनता, विशेषकर वन्य प्राणि शरणस्थलों में या उसके आस-पास रहने वाली ग्रामीण जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त करें। इस कार्य के लिए समर्पित व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अवैतनिक वन्य प्राणि वार्डनों की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी कर दिए हैं। सम्पूर्ण देश में प्रति वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणि सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

किया जाता है तथा आकाशवाणी से इसकी विशेषताएं प्रसारित की जाती हैं तथा टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं और समाचार पत्रों में इसका व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि लोगों में प्रकृति व वन्य प्राणि संरक्षण के प्रति आम जागृति पैदा की जा सके।

इसके अलावा, भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड के कुछ गैर सरकारी सदस्यों के एक कृतक दल का गठन किया जा रहा है, जो देश में वन्य प्राणि संरक्षण में जनता का समर्थन और सहयोग लेने के लिए विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करेगा।

अधिशेष भूमि के अलाटियों को सहायता

2444. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूग्ण अधिशेष भूमि के अलाटियों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना 1975-76 में शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो देश में रूग्ण अधिशेष भूमियों के अलाटियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने अलाटियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) मार्च, 1982 तक इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और अब तक कितनी खर्च हुई है; और

(घ) इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1982 के अन्त तक संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत 13.52 लाख लोगों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि आवंटित की गई है; केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत अलाटियों को वितरित करने के लिए 16.42 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा पात्र अलाटियों को 9.66 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अन्तर्गत लाभ अलाटियों को शीघ्र प्राप्त हों, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का उपयोग करें और सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से तथा बैंकों से ऋण सहायता लेकर फालतू भूमि के आस-पास के खण्डों का विकास करें। ऐसे विकास पर कुल सरकारी व्यय योजना के लिए सहायता के निर्धारित प्रतिमान के अनुसार क्षेत्र के लिए पात्र धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण

अलाटियों की संख्या, केन्द्र सरकार द्वारा बंटित धनराशि तथा मार्च, 1982 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा वितरित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू भूमि के अलाटियों की संख्या (राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई अद्यतन उपलब्ध सूचना)	केन्द्र सरकार द्वारा बंटित निधियां (रुपये में)	वितरित की जा चुकी निधियां (राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई अद्यतन उपलब्ध सूचना) (रुपये में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2,13,301	2,20,08,071	1,74,02,418
असम	2,56,670	1,61,80,178	31,22,189
बिहार	1,56,476	1,70,99,995	1,45,99,995
गुजरात	1,800	2,72,061	79,691
हरियाणा	5,203	23,49,211	—
हिमाचल प्रदेश	4,363	3,53,625	86,701
जम्मू और काश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	12,551	19,20,885	5,23,648
केरल	85,167	44,78,196	38,88,411
मध्य प्रदेश	32,274	22,50,169	4,53,144
महाराष्ट्र	76,892	2,98,93,890	2,99,84,984*
मणीपुर	—	—	—
उड़ीसा	78,032	96,05,997	77,38,867
पंजाब	2,938	9,45,300	—
राजस्थान	27,988	2,14,66,713	55,81,270
तमिलनाडु	38,680	61,66,890	29,02,590
त्रिपुरा	1,043	43,835	18,835

*91,094 रुपये की अधिक व्यय की गई धनराशि को उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर बंटित किया जाना है।

1	2	4	5
उत्तर प्रदेश	1,90,468	1,64,16,848	92,46,628
पश्चिम बंगाल	1,65,327	1,26,20,445	9,17,310
दादर और नागर हवेली	1,481	42,322	—
दिल्ली	—	—	—
पाण्डिचेरी	1,010	67,570	—
योग	13,51,664	16,41,82,206	9,65,64,411

पक्की सड़कों के साथ जोड़े गए गांवों की संख्या

2445. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और जिलावार ऐसे कुल कितने गांव हैं जिन्हें अलग-अलग पक्की सड़कों और कच्ची सड़कों के साथ जोड़ा गया है और ऐसे कितने गांव हैं जिन्हें पक्की या कच्ची सड़कों के साथ नहीं जोड़ा गया है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिलावार और राज्य-वार कुल कितने गांवों को पक्की सड़कों के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव था और उनकी किलोमीटर में कुल लम्बाई कितनी है और यह लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ था; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि कब तक देश में सभी गांवों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ दिया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) देश में सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों (राज्यवार) की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। पक्की सड़कों तथा कच्ची सड़कों से जोड़े गए गांवों तथा वे गांव जिन्हें सड़कों से बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है के बारे में जिलावार सूचना और कच्ची सड़कों से जोड़े गए गांवों तथा जिन्हें सड़कों से बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जायेगा और इस कार्यक्रम के लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत 1985 तक पूरा कर लिया जायेगा।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें
(अनन्तिम)

31-3-1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों द्वारा गांवों को जोड़ना

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31-8-1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27221	10627
2.	असम	22026	11136
3.	बिहार	67566	19094
4.	गुजरात	18275	8691
5.	हरियाणा	6741	6560
6.	हिमाचल प्रदेश	16916	2115
7.	जम्मू और काश्मीर	6503	3465
8.	कर्नाटक	26871	7448
9.	केरल	1268	1268
10.	मध्य प्रदेश	70883	14072
11.	महाराष्ट्र	36033	9554
12.	मणिपुर	2000	394*
13.	मेघालय	4583	2185
14.	नागालैंड	960	628
15.	उड़ीसा	54606	717
16.	पंजाब	12188	11997
17.	राजस्थान	33305	5287
18.	सिक्किम	434	161
19.	तमिलनाडु	23047	11530
20.	त्रिपुरा	4930	1250
21.	उत्तर प्रदेश	112561	9081

1	2	3	4
22.	पश्चिम बंगाल	38074	16870
केन्द्र शासित क्षेत्र			
23.	अरुणाचल प्रदेश	3463	अप्राप्य
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	352	207
25.	चण्डीगढ़	26	26
26.	दादरा और नगर हवेली	72	55*
27.	दिल्ली	20	20
28.	गोवा दमन और दीव	435	402
29.	लक्ष्यद्वीप	अप्राप्य	अप्राप्य
30.	मिजोरम	237	40
31.	पाण्डिचेरी	333	286
	योग :	591929	155166

*31 मार्च 1980 तक ।

राजस्थान में सोयाबीन की खेती

2446. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सोयाबीन की खेती बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(ख) राजस्थान में इस समय विभिन्न जिलों में कितनी मात्रा में सोयाबीन की खेती की जाती है,

(ग) क्या खली और सोयाबीन के उत्पादन के लिए परिष्करण संयंत्र स्थापित करने की कोई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सोयाबीन विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राजस्थान में सोयाबीन की खेती में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) 1981-82 में 13,000 हैक्टार से 1982-83 के दौरान 50,000 हैक्टार क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का विस्तार करना;

(2) उन्नत बीज और उन्नत पैकेज प्रणालियों का उपयोग करना;

(3) मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण, जिनमें प्रत्येक में नई किस्में होंगी और जो आधे हैक्टार के लिए पर्याप्त हैं; और

(4) खेती के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना।

(ख) 1982-83 के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में सोयाबीन की खेती के लक्ष्य नीचे दिये हैं :—

जिला	लक्ष्य (हैक्टेयर)
1. भरतपुर	2,000
2. सवाई माधोपुर	2,000
3. कोटा	21,000
4. बूंदी	3,000
5. झालावाड़	10,000
6. बांसवाड़ा	5,000
7. चित्तौड़गढ़	7,000
कुल	50,000

(ग) और (घ) नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा एक प्लान योजना बनाई गई है तथा 12.5 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से इसको छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। यह योजना भारत सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत एक एकक, मैसर्स गणेश फ्लोर मिल द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। विनिर्माण की प्रस्तावित मदों में परिस्कृत तेल, सोया चूर्ण, सोया खाद्य आटा तथा टेक्सचर्ड सोया उत्पाद शामिल हैं।

सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का काम

2447. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुउद्देश्यीय अन्तर्राज्यीय सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तौर पर चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बहुउद्देश्यीय अन्तर्राज्यीय परियोजना लगभग कब तक पूरी होगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच त्रिपक्षीय करार के अनुसार, बिहार सरकार ने चांडिल बांध और सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के कुछ अन्य निर्माण-कार्यों का निर्माण पहले ही आरम्भ

कर दिया है, जिससे तीनों राज्यों को लाभ होगा। मार्च, 1982 तक 32.21 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण निर्माण-कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किए गए हैं।

(ग) रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में परियोजना 1982 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। उड़ीसा में परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि को राज्य सरकार द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

तुर्कमान गेट में आवासीय फ्लैट

2448. **श्री भीकूराम जैन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तुर्कमान गेट क्षेत्र में बनाए गए सभी आवासीय फ्लैटों को पानी और बिजली सुलभ की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि क्वार्टरों में पानी तथा बिजली देने का प्रावधान कर दिया गया है परन्तु आवंटियों को पानी तथा बिजली के अपने-अपने कनैक्सन प्राप्त करने होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक रोड के निर्माण के लिए केन्द्रीय धनराशि

2449. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक रोड बनाने के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्य-वार कितनी केन्द्रीय धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) रोड निर्माण कार्य में विशेषकर गुजरात में, अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) गुजरात में ग्रामीण लिंक रोड निर्माण कार्य के लिए वर्ष 1982-83 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है जिसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में परिव्यय सुलभ किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस प्रयोजन के कोई बंटन नहीं किए जाते हैं। 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) संलग्न विवरण-2 में यह दर्शाया गया है कि गुजरात में 18275 में से 8691 गांवों को 31 मार्च 1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ दिया गया था।

(ग) गुजरात में वर्ष 1982-83 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि अनन्तिम रूप से आवंटित की गई है।

विवरण -1

1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजनाओं के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	वार्षिक योजना (1980-81)	(लाख रुपये में) वार्षिक योजना (1981-82)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	450	200
2.	असम	558	700
3.	बिहार	2300	3570
4.	गुजरात	2814	2600
5.	हरियाणा	50	5
6.	हिमाचल प्रदेश	600	640
7.	जम्मू तथा काश्मीर	400	300
8.	कर्नाटक	665	583
9.	केरल	380	510
10.	मध्य प्रदेश	1525	933.87
11.	महाराष्ट्र	1490	1600
12.	मणिपुर	200	200
13.	मेघालय	150	80
14.	नागालैण्ड	130	45
15.	उड़ीसा	605	500
16.	पंजाब	375	430
17.	राजस्थान	1037	980
18.	सिक्किम	118	130
19.	तमिलनाडु	700	807
20.	त्रिपुरा	230	300
21.	उत्तर प्रदेश	4600	3133
22.	पश्चिम बंगाल	652	800

1	2	3	4
	केन्द्रशासित क्षेत्र		
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	76	90
24.	अरुणाचल प्रदेश	85.40	86.67
25.	चण्डीगढ़	—	2
26.	दादर तथा नगर हवेली	1	10
27.	दिल्ली	5.10	10
28.	गोवा, दमन तथा दीव	3	2
29.	लक्षद्वीप	2.20	10
30.	मिजोरम	184	258.50
31.	पांडिचेरी	10.50	10
		20196.20	19556.04

(स्रोत :—योजना आयोग)

विवरण-2

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

31 मार्च 1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों का ब्यौरा (अनंतिम)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31-3-1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27221	10627
2.	असम	22026	11136
3.	बिहार	67566	19094
4.	गुजरात	18275	8691
5.	हरियाणा	6741	6560
6.	हिमाचल प्रदेश	16916	2115
7.	जम्मू और काश्मीर	6503	3465

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	26871	7448
9.	केरल	1268	1268
10.	मध्य प्रदेश	70883	14072
11.	महाराष्ट्र	36033	9554
12.	मणिपुर	2000	304*
13.	मेघालय	4583	2185
14.	नागालैंड	960	628
15.	उड़ीसा	54606	717
16.	पंजाब	12188	11997
17.	राजस्थान	33305	5287
18.	सिक्किन	434	161
19.	तमिलनाडु	23047	11530
20.	त्रिपुरा	4930	1250
21.	उत्तर प्रदेश	112561	9081
22.	पश्चिम बंगाल	38074	16870
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अरुणाचल प्रदेश	3463	अप्राप्य
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	352	207
25.	चण्डीगढ़	26	26
26.	दादरा और नगर हवेली	72	55*
27.	दिल्ली	20	20
28.	गोवा, दमन और दीव	435	402
29.	लक्ष्यद्वीप	अप्राप्य	अप्राप्य
30.	पांडिचेरी	333	286
31.	मिजोरम	237	40
	योग :	591929	155166

*31 मार्च 1980 तक

दिल्ली प्रशासन के वन विभाग के कर्मचारी

2450. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के वन विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाग के कर्मचारियों को 2-3 महीने के बाद एक महीने का वेतन दिया जाता है और वे वहां पर 15-20 वर्षों से कार्यरत हैं परन्तु उन्हें स्थायी नहीं किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उन्हें स्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली प्रशासन के वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 61 है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे 2 से 3 माह के बाद एक माह का वेतन दिया गया हो। केवल 20 कर्मचारियों को स्थायी या स्थाईत्व घोषित किया गया है और अन्य पात्र कर्मचारियों को स्थाईत्व घोषित किया जा रहा है। तथापि वे नियमित पदों पर काम कर रहे हैं, जिनके स्थायी बनाए जाने की संभावना है। पदों के स्थायी घोषित हो जाने पर कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार किया जायेगा।

तुर्कमान गेट के निवासियों के लिए आवास

2451. श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीढ़ियों पुराने मकानों को गिराने से पहले तुर्कमान गेट के निवासियों को दिल्ली में पर्याप्त जगह देने का आश्वासन दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तुर्कमान गेट क्षेत्र में अब फ्लैटों का आवंटन करते समय दो या तीन परिवारों को एक यूनिट माना गया है ;

(ग) क्या वह भी सच है कि उन सभी लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है जिनसे जगह खाली कराई गयी थी और क्षेत्र का एक भाग गैर सरकारी पार्टियों को दिए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि तुर्कमान गेट क्षेत्र सभी घोषित पात्र व्यक्तियों और वास्तविक बेदखलकारों को तुर्कमान गेट में आवास दिये जा रहे हैं 200 परिवारों ने उन्हें आवंटित टेनामेन्टों का पहले ही कब्जा ले लिया है, शेष परिवारों को शीघ्र ही कब्जा दिया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे सूचित किया है कि पुरानी दिल्ली अजमेरी गेट योजना के अन्तर्गत तुर्कमान गेट टेनामेन्टों के सामने एक भूमि की पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट थी। यह भूमि तुर्कमान गेट के रिहायषी काम्पलैक्स के विन्यास नक्शे के बाहर है और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए मूल योजना के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसका निपटाव किया जा रहा है। 10 प्लाटों में से प्रत्येक 351 वर्गमीटर भूमि के 5 प्लाटों की पहले ही नीलामी कर दी है।

दिल्ली में आवासीय समितियां

2452. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितनी आवासीय समितियां काम कर रही हैं, उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन समितियों में से प्रत्येक की सहायता से कितने लोगों को आवासीय सुविधा दी गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का सेवाकाल बढ़ाना

2453. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों का सेवाकाल 60 वर्ष से ऊपर बढ़ाने की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जिनका सेवाकाल बढ़ाया गया है अथवा निकट भविष्य में बढ़ाने का विचार है ;

(ख) क्या सभी अच्छे रिकार्ड वाले वैज्ञानिकों का सेवाकाल बढ़ाया जा रहा है ;

(ग) क्या नियमों से परे इस प्रकार सेवाकाल बढ़ाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा मंजूर किया जाता है और यदि नहीं, तो सरकार की नीति से हटने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या आचरण नियमों के अन्तर्गत सजा की मानित ए० एस० आर० बी०/यू० पी० एस० सी० द्वारा इस प्रकार सेवाकाल बढ़ाने की मंजूरी दी जाती है ; और

(ङ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि सभी रिक्त स्थानों को मंत्रि-मण्डल के निर्देशों के अनुसार अग्रिम रूप से भरे जाएं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की 60 वर्षों की आयु के बाद सेवा काल की अवधि सामान्यतया बढ़ाई नहीं जाती। तथापि, केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरिंग संस्थान, भोपाल के निदेशक प्रोफेसर ए० सी० पांड्या, के मामले में लोक हित को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की अल्प अवधि बढ़ाई गई थी क्योंकि संस्थान अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था और निदेशक के बिना संस्थान को छोड़ा नहीं जा सकता था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । सामान्यतया किसी भी वैज्ञानिक के सेवाकाल की अवधि 60 वर्ष की आयु के बाद बढ़ाई नहीं जाती है ।

(ग) चूंकि सभी पदों को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के द्वारा भरा जाता है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक स्वतंत्र नियुक्ति अभिकरण है, इसलिए परिषद की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति के एकरूप नीति से हटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) चूंकि उपरोक्त (क) के अन्तर्गत उल्लेख किए गए एक मामले को छोड़कर जिसमें अवधि बढ़ाई गई है, किसी की भी सेवा काल की अवधि नहीं बढ़ाई गई है । अतः ऐसे मामले में कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा सरकारी नीति से हटने या पृथक होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अतिरिक्त, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के साथ किसी ऐसे परामर्श के लिए किसी नियम की व्यवस्था नहीं है ।

(ङ) वर्ष के दौरान खाली होने वाली संभावित रिक्तियों को सामान्य रूप से अग्रिम रूप में विज्ञापित किया जाता है और मंत्रिमण्डल के अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के माध्यम से ठीक समय पर भरा जाता है ।

गोवा में वनों की क्षति

2454. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोवा में वनों को नष्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से इस संघ क्षेत्र के पर्यावरण पर असर पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार गोवा में प्राकृतिक वस्तुओं और जंगली जानवरों के संवर्द्धन के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में गोआ दमन और दीव में वन तथा वन्य प्राणी संरक्षण के लिए योजना परिव्यय बढ़ाकर 450 लाख रुपये कर दिया गया है जब कि पांचवी योजना में यह 317.41 लाख रुपये था ।

गोआ के लिए परिस्थिति की विकास योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग ने मई, 1981 में, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथ की अध्यक्षता में एक कृन्तक दल का गठन किया है। कृन्तक दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है ।

चिड़ियाघरों के प्रबन्ध को कारगर बनाना

2455. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिड़ियाघरों के प्रबन्ध में सुधार लाने और उसे कारगर बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या राज्य वन्य-जीवजन्तुओं संबंधी बोर्डों को सक्रिय और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु भी कदम उठाये जाने हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में चिड़ियाघरों के प्रबंध में सुधार और तेजी लाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है :

(1) छठी योजना में राज्यों में चुन्नीदां चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 लाख रुपए के परिव्यय से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू की गई है।

(2) देश में चिड़ियाघरों के विकास और अच्छे प्रबन्ध से संबंधित मामलों पर सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए भारतीय वन्य-प्राणि बोर्ड ने चिड़ियाघर सम्बन्धी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(3) देश में चिड़ियाघरों के उपयुक्त नियंत्रण और अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने हेतु वन्य-प्राणि संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) राज्य वन्य-प्राणि सलाहकार बोर्ड को सक्रिय तथा प्रभावी बनाने के लिए, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को हाल ही में नए अनुदेश जारी किए गए हैं तथा भारतीय वन्य-प्राणि बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी। भारतीय वन्य-प्राणि के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को राज्य बोर्डों की बैठकों में भाग लेने के लिए नामजद किया गया है। केन्द्रीय सरकार की ओर से वन्य-प्राणि संरक्षण के क्षेत्रीय सहायक निदेशक भी इन बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते रहेंगे।

दिल्ली दुग्ध योजना के मिल्क डिपो संख्या 610 (सांयकाल) का बन्द होना

2456. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्धयोजना का मिल्क डिपो संख्या 610 (सांयकाल) हाल में बन्द कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या आस-पास रहने वाले ऐसे लोगों, विशेष रूप से शान्तिनिकेतन (जहां दिल्ली दुग्ध योजना का कोई डिपो नहीं है) तथा साऊथ मोती बाग के कुछ क्षेत्रों के उन लोगों को जो शाम के समय दिल्ली दुग्ध योजना का दूध लिया करते थे इससे भारी असुविधा हुई है,

(घ) क्या सरकार इस डिपो को पुनः खोलने की वांछनीयता पर विचार करेगी, यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस क्षेत्र में और कौन-कौन से डिपो बन्द किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ड़) मिल्क बूथ नं० 609-610 का ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, अतः दूध की सप्लाई बूथ नं० 391-392, जो मिल्क बूथ नं० 609-610 से लगभग 200 गज की दूरी पर स्थित है, में अस्थाई तौर पर हस्तान्तरित कर दी गई थी।

उक्त मिल्क बूथ की मरम्मत किए जाने के पश्चात 12-7-82 से मिल्क बूथ नं० 609-610 से दूध की सप्लाई पुनः शुरू कर दी गई है। इस क्षेत्र में कोई अन्य बूथ बन्द नहीं किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास कुल वाहन

2457. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास 1 अप्रैल, 1982 को विभाग के कर्मचारियों के आने-जाने के लिए कारों, जीपों, बसों, स्टेशन वेगनों, मोटर साइकिलों सहित कुल कितने वाहन थे ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में मैकेनिकों, चालकों, हैल्परों सहित इनकों चलाने और इनके रख रखाव पर संस्थान-वार कितना खर्च हुआ ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में संस्थान-वार वाहन प्रतिवर्ष कितने मील चले। संस्थान के क्षेत्र में तथा संस्थान के मुख्यालय से बाहर ये वाहन कितने मील चले ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान-वार संस्थानों के वाहन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय का दौरा करने में कितने मील चले ; और

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान के पास वाहनों का प्रयोग रेल लाइनों से जोड़ने वाले स्थानों तक करने के सम्बन्ध में कोई नियम है और यदि हां, तो क्या इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) मुख्यालय से बाहर के स्थानों में जाने के लिए यद्यपि कि वे स्थान रेल मार्ग पर हैं स्टाफ कार नियमों के अनुसार, सक्षम अधिकारी की अनुमति से वहां जाने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है।

उर्वरक का प्रति हेक्टेयर उपभोग

2458. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है, और

(ख) अन्य देशों जैसे जापान, वियतनाम, चीन और कोरिया में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 में सकल सस्यगत क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर पोषक तत्व के रूप में उर्वरकों की खपत लगभग 35 किलोग्राम थी।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जापान, गणराज्य कोरिया, चीन तथा वियतनाम में 1979 में कृषि योग्य तथा स्थायी फसलों की पोषक तत्व के रूप में उर्वरक की प्रति हैक्टेयर खपत क्रमशः 477.7 किलोग्राम, 383.6 किलोग्राम, 128.9 किलोग्राम तथा 30.0 किलोग्राम थी।

"एफ० सी० आई० पेज रुपीज वन लेक एज डेमरेज टु रेलवेज" शीर्षक समाचार

2459. **श्री एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एक्सप्रेस के मदुरई संस्करण में 22 जून, 1982 को एफ० सी० आई० पेज रुपीज वन लेक एज डेमरेज टु रेलवेज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने रेलवे स्टेशनों से सामान को तत्काल हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार कौन है, भारतीय खाद्य निगम अथवा रेलवे ; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम से की गई जांच से मालूम हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम ने साल्ट कोटार्स रेलवे स्टेशन (मद्रास क्षेत्र) पर दो ब्लाक रेकों में प्राप्त 43,419 बोरे गेहूं की 14-6-82 से 22-6-82 तक निकासी की थी जबकि साल्ट कोटार्स पर अनुमत समय छूट 24 घंटे की थी। रेलवे परिसर से माल हटाने में देरी होने के कारण परेषण पर स्थान भाड़ा प्रभार 86,000 रुपये पड़ा था, न कि 1 लाख रुपये विलम्ब शुल्क / कुल माल को हटाने का कार्य 22-6-82 को पूरा हो गया था।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के हैंडलिंग ठेकेदार पर्याप्त संख्या में श्रमिकों के न दे पाने की उसकी असमर्थता के कारण परेषण की निकासी न हो सकी थी। ठेके की शर्तों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के हैंडलिंग ठेकेदार विलम्ब शुल्क और स्थान भाड़ा के रूप में हुए किसी भी फजूल खर्च के लिए उत्तरदायी होते हैं और वह राशि उनसे वसूली योग्य होती है। इस मामले में भारतीय खाद्य निगम का कोई भी अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

26 जुलाई, 1982 को उत्तर के लिए जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में कार्यरत दैनिक मजदूरी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

2460. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीन महीने से अधिक समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान ने दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि स्वीकृत अनुमानित खर्चे में से श्रमिकों को सामान्यतः दैनिक वेतन के आधार पर रखा जाता है। इन श्रमिकों को नये पद सृजित करके चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जा रहा है तथा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए भी उन पर विचार किया जाता है।

गन्दी बस्ती हटाने और पर्यावरण में सुधार करने की योजनाएं

2461. **श्री कुंवर राम : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विशेष गन्दी बस्ती हटाने और पर्यावरण में सुधार करने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें बिहार की छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है अथवा सातवीं योजना में शामिल करने का विचार है ;

(ख) अब तक कौन से काम पूरे हुए हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है ; और

(ग) कितने परिवारों को मकान दिए गए हैं, कितने क्षेत्र में पार्क बनाये गए हैं, तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) चूंकि मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र की एक योजना है, इसलिए बिहार सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित मलिन बस्ती उन्मूलन और पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं के नामों या पहले से ही निष्पादित कार्यों एवं उस पर हुआ खर्च, उन परिवारों की संख्या जिन्हें मकान दिए गए हैं, वह क्षेत्र जिनमें पार्क आदि बनाए गए हैं, के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, बिहार के चुने गए शहरी केन्द्रों में गंदी बस्ती निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजनाओं में 410 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निष्पादित की जाने वाली योजनाओं के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

त्रिलोकी कालोनी का विकास

2462. **श्री त्रेपन सिंह नेगी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर) नई दिल्ली आवास निर्माण की मंजूरी दिए जाने योग्य हो गई है, यदि नहीं, तो इसके मंजूरी दिए जाने योग्य होने की कब तक संभावना है ; और

(ख) नगर महापालिका दिल्ली को कालोनी की खाली विकसित भूमि को सामुदायिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु हस्तांतरित करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बापू पार्क (त्रिलोकी कालोनी) के लिए एक विकास योजना संशोधनाधीन है। बापू पार्क की भूमि को इस क्षेत्र के मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए टेनामेन्टों के निर्माणार्थ उपयोग में लाये जाने पर विचार हो रहा है। इसलिए गृह निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोटला मुबारकपुर परिसर में पर्यावरणीय सुधार कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जिन नई नागरिक सेवाओं की व्यवस्था स्लम निधियों से की जा रही है, उन्हें दिल्ली नगर निगम को इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद सौंपा जायेगा। तथापि, इस क्षेत्र में विद्यमान सेवाओं का आरक्षण तथा स्वच्छता कार्य पहले ही दिल्ली नगर निगम के पास हैं।

गुड़गांव में अधिग्रहण की गई भूमि और दिया गया मुआवजा

2463. **श्री छोटे सिंह यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री गुड़गांव में प्लाटों के मूल्य में की गई वृद्धि को वापस लेने के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2012 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय ने प्रति वर्गगज कितना मुआवजा बढ़ाया है और प्लाट धारकों पर प्रति वर्ग गज कितनी लेवी लगायी गयी है ; और

(ख) गुड़गांव में सेक्टर चार और सात के लिए कितनी एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है और उसमें क्षेत्र-वार कितने प्लाट बनाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) मुआवजे का भुगतान, प्लाटों की कीमत नियत करना और प्लाटों का अधिग्रहण करने का प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है। इस मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार का हथियायी गई जमीन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करना

2464. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल में केन्द्र सरकार से हथियाई गई जमीन के लिए संक्षिप्त कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को न्यायाधिकरण बिठाने के अधिकार हेतु एक अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव पर राय मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विचार राज्य सरकार को सूचित कर दिए थे।

सरकारी क्षेत्र में पानी तथा बिजली का काम देखने वाले संगठनों के अध्यक्ष

2465. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सरकारी क्षेत्र में पानी तथा बिजली का काम देखने वाले 19 विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों, कारपोरेशन सोसायटी आदि में से केवल एक अध्यक्ष केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा का है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न संगठनों के अन्य अध्यक्षों के नाम तथा संवर्ग क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों का दर्जा कम कर दिया गथा है क्योंकि राज्य जल प्रबंध को प्रमुखता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा के इंजीनियरों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस मंत्रालय को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है। तथापि, सिंचाई मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के अन्तर्गत ऐसे 16 संगठन हैं। इन संगठनों के अध्यक्षों का चयन निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार किया जाता है। इस समय, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का अध्यक्ष, केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा का एक अधिकारी है।

(ख) इन 16 संगठनों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

संगठन का नाम	अध्यक्ष का नाम सर्वश्री	काडर
1	2	3
1. जल और विद्युत सलाहकारी सेवाएं (भारत) लिमिटेड	विजेन्द्र सिंह	उत्तर प्रदेश सिंचाई
2. राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान	डा० एस० रामसेशन	आई० आई० टी० कानपुर
3. केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड	सी० वी० वर्मा	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

1	2	3
4. बेतवा नदी बोर्ड	के० बी० शाह	मध्य प्रदेश, सिंचाई
5. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	के० पी० रामाराव	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति	एस० के० अग्रवाल	पंजाब, सिंचाई
7. माही नियंत्रण बोर्ड	आर० के० शर्मा	राजस्थान, सिंचाई
8. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	पी० सी० अग्रवाल	मध्य प्रदेश, सिंचाई
9. दामोदर घाटी-निगम	पी० सी० लूथरा	आई० आर० एस० ई० (यांत्रिक इंजीनियरी)
10. ग्राम विद्युतीकरण निगम	रिक्त	—
11. उत्तर पूर्वी विद्युत निगम	एस० आर० शाह	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
12. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	बी० एस० कोछर	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
13. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	डी० आर० सिक्का	सरकारी उद्यम सेवा बोर्ड (पी० ई० एस० बी० द्वारा सीधी भर्ती)
14. राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम	एस० के० शाह	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
15. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधानशाला	सी० एस० श्रीनिवासन	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा के भूतपूर्व अधिकारी
16. विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसायटी	बी० सिन्हा	बिहार राज्य बिजली बोर्ड

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों के विभिन्न संघों से भिन्न-भिन्न मामलों पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं और उन पर मंत्रालय में उपयुक्त स्तर पर गुण-दोषों के आधार पर विधिवत विचार किया जाता है।

उर्वरकों की मांग

2466. **श्री सज्जन कुमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों की मांग की तुलना में उनका उत्पादन कितना है और इस आशय का सर्वेक्षण कब कराया गया था, और

(ख) देश में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1982-83 में उर्वरक खपत का वर्तमान लक्ष्य पोषक तत्वों के रूप में 72.04 लाख मीटरी टन है। नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटयुक्त उर्वरकों के देशी उत्पादन का अनुमान पोषक तत्वों के रूप में 46 लाख मीटरी टन निश्चित किया गया है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1976-77 के दौरान उर्वरकों की अनुमानित मांग के बारे में एक सर्वेक्षण किया था।

(ख) देश में उर्वरकों की कमी की पूर्ति आयात तथा देशी उत्पादन में वृद्धि करके पूरी की जा रही है।

उड़ीसा में तूफान से प्रभावित कर्मचारियों को विशेष ऋण दिया जाना

2467. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** :

श्री रेणुपद दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकार अथवा स्थानीय सरकार ने हाल ही में आए तूफान में प्रभावित उड़ीसा के छह जिलों के कर्मचारियों को विशेष ऋण की मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी सरकारों अथवा स्थानीय सरकारों के नाम क्या हैं, और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को समुद्री तूफान पेशगी मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है और स्थानीय स्वायत्त सरकार के कर्मचारियों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) प्राकृतिक आपदा के लिए राहत सम्बन्धी व्यय की वित्तीय व्यवस्था की योजना के अनुसार राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पेशगी देने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मुहैय्या नहीं की जाती है।

चीनी का उत्पादन

2468. **श्री रामप्यारे पानिका** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में चीनी का उत्पादन बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कितना बढ़ा है और यदि नहीं, तो क्या चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं, और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान मौसम 1981-82 में 7 जुलाई तक चीनी का उत्पादन 83.03 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है जबकि 1980-81 के मौसम में उसी तारीख तक 50.47 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था, अर्थात् 32.56 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वृक्षों की कटाई

2469. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई के कारण देश में पर्यावरण दूषित हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए इस समस्या का अध्ययन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सत्य है कि वृक्षों की बड़े पैमाने पर तथा अन्धाधुन्ध कटाई करने से पर्यावरण दूषित हो जाता है ।

(ख) अभी तक देशव्यापी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए वन क्षेत्र तथा प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है । सरकार देश में वनरोपण, सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी के कार्यक्रमों और विद्यमान वनों के संरक्षण को पहले ही प्राथमिकता दे रही है ।

उडुपी में बाढ़ की विभीषिका

2471. **श्री टी० आर० शमन्ना :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडुपी में आई हाल ही की बाढ़ की विभीषिका के कारण अनुमानतः कितने जन-धन की हानि हुई;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस बारे में केन्द्र ने कितनी राशि दी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उडुपी में बाद से हुई क्षति का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

1. मृत व्यक्तियों की संख्या	18
2. पूर्णत: आंशिक रूप से गिरे मकानों की संख्या	714
3. प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	5417
4. राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों/ नगरपालिका और ग्रामीण सड़कों को हुई क्षति (रुपयों में)	22.72 लाख रुपये
5. कर्नाटक बिजली बोर्ड को हुई हानि	0.19 लाख रुपये
6. कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति तथा जल निकास बोर्ड द्वारा उठायी गयी हानि	0.75 लाख रुपये

(ख) कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित सूचना दी है:—

1. प्रभावित लोगों को हटाने के लिये उपायुक्त को 25,000 रुपये की राशि दी गयी है।
2. शोकसंतप्त परिवारों तथा गम्भीर रूप से घायल हुये व्यक्तियों को अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी गयी है।
3. प्रभावित परिवारों को मुक्त राहत देने की व्यवस्था की गई।

(ग) कर्नाटक सरकार के पास आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिये 2.00 करोड़ रुपये की मार्जिन धन राशि है। ज्ञापन के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता राज्य सरकार के पास उपलब्ध मार्जिन धनराशि से कम है। अत: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह मार्जिन धनराशि में से इस व्यय की पूर्ति करे।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 3 लाख रुपये मंजूर किये हैं।

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2472. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) पानी की कमी वाले समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत कब तक लाया जाएगा ; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितना खर्च किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 1977-78 में आरम्भ किया गया था। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत जल मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्रामों का वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	जल मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1977-78	5534
1978-79	7054
1979-80	7640
1980-81	5757
1981-82	8599*

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता की कुल राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेय जल का कम से कम एक स्त्रोत उपलब्ध कराने के प्रयास होंगे जिसमें वर्ष भर जल उपलब्ध हो।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 600 करोड़ रुपये हैं। पूर्ण राशि के खर्च किये जाने की आशा है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981 82
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	152.30	351.11	215.60	436.23	376.75
2. असम	57.60	149.57	323.15	427.11	403.45
3. बिहार	242.80	504.20	680.45	503.36	862.50
4. गुजरात	332.80	260.85	127.80	358.50	402.25
5. हरियाणा	142.10	200.79	260.19	357.09	337.34
6. हिमाचल प्रदेश	222.60	425.12	392.86	561.77	368.69
7. जम्मू और कश्मीर	152.80	200.00	182.05	314.75	426.33

* इसमें मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में जल मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्राम शामिल नहीं है। नागालैंड की रिपोर्ट अधूरी है।

1	2	3	4	5	6
8. कर्नाटक	142.30	107.70	69.00	248.81	485.50
9. केरल	102.00	178.00	282.35	330.08	529.53
10. मध्य प्रदेश	252.80	290.00	357.15	690.00	1033.75
11. महाराष्ट्र	312.80	403.97	378.30	664.00	558.00
12. मणिपुर	52.50	53.57	53.55	106.03	151.32
13. मेघालय	25.00	103.77	111.60	149.00	246.12
14. नागालैण्ड	77.50	97.00	139.57	150.00	182.79
15. उड़ीसा	182.80	218.00	209.00	307.00	603.08
16. पंजाब	102.90	174.90	68.40	128.95	90.17
17. राजस्थान	252.30	353.27	205.00	559.10	1506.42*
18. सिक्किम	36.50	43.13	26.00	19.50	71.74
19. तमिलनाडु	217.30	408.00	219.37	506.00	569.71
20. त्रिपुरा	80.50	113.50	97.15	112.44	85.50
21. उत्तर प्रदेश	352.80	617.50	709.55	951.95	1024.13
22. पश्चिम बंगाल	242.80	534.01	672.72	443.50	580.96
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	30.00	18.50	15.50	6.00	22.10
24. अरुणाचल प्रदेश	20.00	25.00	46.20	35.00	35.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
26. दिल्ली	10.00	14.00	13.10	13.50	13.50
27. दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—	—	—
28. गोआ दमन तथा द्वीप	10.00	9.50	11.95	11.46	14.25
29. लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—
30. मिजोरम	15.00	18.50	19.05	26.25	2.47
31. पाण्डिचेरी	10.00	17.00	12.00	7.00	12.00
	3820.00	5998.46	5898.61	8424.38	10993.57

टिप्पणी : (1) इन आंकड़ों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रवोधन तथा अनुसंधान के लिए दी गई निधियां भी शामिल हैं।

(2) सूखा ग्रस्त राज्यों के लिए ड्रिलिंग रिग प्राप्त करने के लिए उनकी लागत तथा सम्बन्धित खर्च पर 1980-81 में लगभग 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया था।

*इसमें दो आस्टेलियाई रिगों के लिए भुगतान किया गया 71.00 लाख रुपये का सीमा शुल्क भी शामिल है।

विशाखापत्तनम मत्स्य बन्दरगाह की क्षमता

2473. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम मत्स्य बन्दरगाह की संख्यात्मक क्षमता क्या है;

(ख) विशाखापत्तनम में मत्स्य-बन्दरगाह को आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहीं समुद्र में दूर तक जाने वाली मत्स्य नौकाओं और यन्त्रिकृत नौकाओं की वास्तविक संख्या क्या है;

(ग) मत्स्य बन्दरगाह में भीड़भाड़ को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) किराए पर ली गई उन विदेशी मत्स्य नौकाओं की संख्या कितनी है जो इस समय विशाखापत्तनम मत्स्य बन्दरगाह का इस्तेमाल कर रही हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विशाखापत्तनम मत्स्यन बन्दरगाह में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 56 ट्रालरों और 300 यांत्रिकृत जलयानों के संचालन की क्षमता है।

(ख) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने रिपोर्ट दी है कि इस बेस से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 87 जलयान और 193 यंत्रीकृत नौकाऐं मछली पकड़ने का काम कर रही हैं।

(ग) भीड़-भाड़ कम करने के लिए हाल ही में गहरे समुद्र में चलने वाले 104 ट्रालरों तथा 300 यंत्रीकृत नौकाओं की क्षमता वाले मत्स्यन बन्दरगाह का विस्तार करने सम्बन्धी एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

(घ) इस मत्स्यन बन्दरगाह का विदेशी ट्रालरों द्वारा बार-बार प्रयोग नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में 8 विदेशी ट्रालरों ने विशाखापत्तनम के आंतरिक पत्तन का प्रयोग किया।

पशुओं की हत्या

2474. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद सदस्यों सहित सभी वर्गों के लाखों लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को भेजी गई एक याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे पशुओं की अनेक नस्लों की, जिनकी फैशन-परस्त सम्भ्रान्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हत्या की जाती है, अन्धाधुंध हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को "ब्यूटी विदाउट क्रुअल्टी" के अध्यक्ष का एक पत्र प्राप्त हुआ था। ऐसा बताया गया है कि यह याचिका, 1,50,000 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रधान मंत्री कार्यालय को विस्तृत टिप्पणियां भेज दी हैं तथा सम्बन्धित संगठन को भी एक विस्तृत उत्तर भेज दिया है। उत्तर में यह बताया गया है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत् कारा-क्रुल भेड़ मेमना और खरगोश के वध को क्रूरता नहीं माना जाता है।

लम्बित अन्तरपूल समायोजन

2475. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों जिनमें विभिन्न आवासीय पूल हैं, में अन्तरपूल समायोजन के लिए लम्बित पड़े उन मामलों की अलग-अलग संख्या क्या है जिनमें सेवा निवृत कर्मचारी सामान्य पूल आवास के अधिकारी हैं परन्तु उनके पुत्र/बच्चे किसी अन्य सरकारी आवास के अधिकारी हैं और जिनमें इसका विपरीत क्रम है और जिनमें सेवा निवृत कर्मचारी और उनके पुत्र/बच्चे सामान्य पूल के बजाय किसी अन्य पूल से आवास पाने के अधिकारी हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : चूंकि पात्र आश्रितों को उनके माता-पिता/पति-पत्नी की सेवा निवृति पर तदर्थ आधार पर सरकारी आवास के आबंटन की रिआयत में अन्तर-पूल की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों से सम्बन्धित सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार

2476. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस वर्ष खाद्यान्न का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार बनाया गया है और गत तीन वर्षों के लिए बनाए गए सुरक्षित भण्डार की तुलना में ये खाद्यान्न कितनी मात्रा में हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आवंटन की वर्तमान मात्रा और खरीफ की रिकार्ड वसूली तथा वर्तमान विपणन मौसम के दौरान रवी की अच्छी वसूली को भी देखते हुए यह महसूस किया जाता है कि सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध स्टाक सार्वजनिक वितरण की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ख) सरकारी एजेन्सियों द्वारा रखे गए खाद्यानों के स्टाक में मुख्यतया चावल, गेहूं और कुछ मोटे अनाज होते हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1-7-80, 1-7-81 और 1-7-82 के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(मिलियन मीटरी टन में)

को	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1-7-80	7.09	9.00	0.14	16.23
1-7-81	5.84	7.73	0.10	13.67
1-7-82 (अनन्तिम)	5.12	10.15	0.19	15.46

देवनगर, नई दिल्ली में टाइप "डी" के फ्लैटों का आवंटन

2477. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देव नगर में "डी" टाइप के पुराने फ्लैट किस श्रेणी के अधिकारियों को आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों को गत तीन वर्षों के दौरान फ्लैट आवंटित किए गए हैं जिनका वेतन निर्धारित सीमा से कम था और यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि निर्धारित वेतन सीमा वाले अधिकारियों द्वारा इन फ्लैटों को स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे एक के बाद एक अधिकारी द्वारा इन्हें लेने से इन्कार किया जाता है और ये फ्लैट लम्बी अवधि तक खाली पड़े रहते हैं तथा प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी के अतिरिक्त राजकोष को हानि होती है, इन फ्लैटों का दर्जा कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ये क्वार्टर उन अधिकारियों को आवन्टित किए जाते हैं जो 1500-1999 रुपये प्रति माह के वेतनमान की श्रेणी में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

सरकारी भूमि पर गैर कानूनी कब्जा

2479. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितने एकड़ सरकारी भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा किया गया था;

(ख) गैर-कानूनी कब्जेदारों द्वारा यह भूमि किस काम में लाई जा रही है ;

(ग) सरकारी भूमि पर किस तरीके से गैर-कानूनी कब्जा किया जाता है और पहले से कब्जे में लाई जा चुकी भूमि खाली करवाने के लिए क्या विशेष और प्रभावी कार्यवाही की गई हैं;

(घ) इन अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं जो गत 18 महीनों में बनी हैं और उनमें राशन की दुकानों, डाक-घरों, सड़कों, पार्कों आदि के निर्माण जैसी क्या-क्या जन-सुविधाएं हैं तथा इस प्रकार इनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) इस बारे में नीति क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होशंगाबाद में तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना का पूरा किया जाना

2480. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद में तावा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना, जिसे 1965 में शुरू किया गया था, के पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब के लिए प्रशासकीय कमियां और एजेंसियों की बहुतायत मुख्य तौर पर उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को अब तक पूरा न करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या एक चौथाई परियोजना भी अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(घ) क्या इस विलम्ब के बारे में कोई जांच की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तवा कमान क्षेत्र विकास परियोजना 1974 में आरम्भ की गई थी, न कि 1965 में। इसमें बहुत अधिक अभिकरण नहीं हैं: आयुक्त, होशंगाबाद डिवीजन-एवं-अध्यक्ष, तवा कमान क्षेत्र प्राधिकरण इस परियोजना के समस्त कार्यभारी अधिकारी हैं और विभिन्न तकनीकी स्कन्धों के कर्मचारी उनके अधीन काम कर रहे हैं। परियोजना के चरण-एक के विभिन्न घटकों में लक्ष्यों की उपलब्धि पूर्णतः संतोषप्रद है।

(ग) जी, नहीं। सभी घटकों में ६0 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) अतः, किसी प्रकार की जांच करने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही कोई जांच की गई है।

रायलसीमा के लिए कृष्णा नदी का पानी

2481. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीमा को कृष्णा नदी के पानी का उपयोग करने की मंजूरी मिल गयी है; और

(ख) यदि हां, तो रायलसीमा को कितना पानी दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपने अधिनिर्णय (मई, 1976) में आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा एकमात्र उपयोग के लिए कृष्णा के जल का 800 टी० एम० सी० जल नियत किया है। संबंधित राज्य, कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने भाग के जल को किसी भी तरीके से उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं।

कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने रायलसीमा क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से जल की कोई मात्रा पृथकरक्षित नहीं की है। यह आन्ध्र प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है कि वे रायलसीमा क्षेत्र को लाभ पहुंचाने हेतु सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए अपने भाग के जल के उपयोग के लिए परियोजनाएं तैयार करें। श्रीसैलम दक्षिण तट नहर परियोजना को, जिसमें रायलसीमा क्षेत्र में 76890 हैक्टेयर की सिंचाई करने के लिए श्रीसैलम जलाशय से कृष्णा के 19 टी० एम० सी० जल का व्यपवर्तन करना परिकल्पित है, पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम संबंधी सम्मेलन

2482. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के अन्त में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के सम्बन्ध में राज्य सचिवों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन ने अनेक सिफारिशें की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) व (ख) जी, हां।

(ग) सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के राज्य सरकारों के प्रभारी सचिवों के मई, 1982 में हुए सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों का वितरण जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को कार्यक्रम की आयोजना, पुनरीक्षा तथा कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

2. कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार ढूंढने वाले मजदूरों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिसूचित न्यूतनम कृषि मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए और मजदूरी के एक भाग के रूप में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 किलोग्राम खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. ऐसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जिनसे केवल अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचे और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की इस मद के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक संसाधनों के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

4. सामाजिक वानिकी के कार्यों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत संसाधनों के उपयोग के लिए पर्याप्त ध्यान दिना जाना चाहिए क्योंकि इससे गरीब ग्रामीणों की ईंधन की आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिलेगी।

5. राज्य सरकारों को क्षेत्र स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं को कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन की कुशलताओं से परिचित कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित सामुदायिक परिसम्पत्तियों में ग्रामीण विकास के लिए अनिवार्य सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचा सुलभ किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के

लिए ग्रामीण विकास की अन्य चल रही योजनाओं से उचित रूप से सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों को स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों की लागत पूरा करने के लिए लगाया जा सकें।

7. खण्ड तथा जिला दोनों स्तरों पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारी विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारी सुलभ किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को इस संबंध में अपने प्रस्ताव शीघ्र भेजने चाहिए।

8. कार्यक्रम के भौतिक तथा सांख्यिकीय दोनों पहलुओं के लिए निगरानी के उचित प्रबन्ध किए जाने जाहिए।

9. राज्य सरकारों को कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के लिए कुछेक मूल्यांकन अध्ययन करने चाहिए।

चीनी संकट

2483. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून, 1982 के महीनों के दौरान चीनी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे ;

(ग) क्या चीनी उद्योग ने गन्ने की कीमत बढ़ाकर 15 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए केन्द्र से आग्रह किया था ;

(घ) क्या राज्यों ने भी गन्ना उत्पादकों को यह बढ़ाई गई कीमत देने का समर्थन किया है ; और

(ङ) चीनी उद्योग के संकट को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाने का निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) गन्ने का अनुमानतः 1800 लाख मी० टन का रिकार्ड उत्पादन होने से चीनी फैक्ट्रियों पर गन्ने की अधिकतम मात्रा पेरने के लिए बहुत अधिक दबाव पड़ा था। मई और जून, के गर्मी के महीनों में भी पिराई कार्य जारी रखना पड़ा था, हालांकि चीनी की रिकवरी में गिरावट आ गई थी। चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने से भी उद्योग के लिए ऋण और भण्डारण से सम्बन्धित कुछेक समस्याएं पैदा हुई थीं।

(ग) और (घ) 1981-82 के लिए गन्ने सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय, राज्य सरकारों और उद्योग की राय ली गई थी। यद्यपि, चीनी के उत्पादकों की विभिन्न एसोसिएशनों में 16.00 रुपये से 25.00 के रेंज में मूल्यों का सुझाव दिया था, जबकि राज्य सरकारों ने 16.00 रु० से 30.00 रु० प्रति क्विंटल के रेंज के मूल्यों का सुझाव दिया था।

(ङ) चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए थे :

(1) सभी संगत बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने 1981-82 के लिए गन्ने के सांविधिक मूल न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी के लिए उपयुक्त प्रीमियम के साथ 13.00 रु० प्रति क्विंटल पर बनाए रखने का निर्णय किया था। चीनी मिलों से अपेक्षा की गई थी कि वे गैर-लेवी चीनी से अपनी अतिरिक्त प्राप्तियों में से ऊंचा मूल्य देंगी और उन्होंने वास्तव में 22/- रु० प्रति क्विंटल के आस-पास का मूल्य दिया है।

(2) मई से सितम्बर, 1982 के दौरान उत्पादित चीनी के लिए उद्योग को देर तक पिराई करने के लिए चीनी पर उत्पादन शुल्क में रिबेट दिया गया है।

(3) फैक्ट्रियों की ऋण सीमा को बढ़ाकर उनके गत वर्ष के अधिकतम स्तर की प्राप्तियों का 125 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) पात्र मामलों में जिस चीनी पर उत्पादन शुल्क न दिया गया हो उसका गोदाम के बाहर भण्डारण करने की अनुमति दे दी गई है।

(5) कुछेक राज्य सरकारों ने गन्ने के क्रय कर/उपकर को वापस कर दिया है।

देश में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट

2484. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र सहित देश में मूंगफली का प्रति हैक्टेयर उत्पादन पिछले दस वर्षों से निरन्तर घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में मूंगफली की प्रति हैक्टार उत्पादन, जिसमें सौराष्ट्र क्षेत्र भी शामिल है, विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रति हैक्टार न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन निम्न-लिखित था :

(किलोग्राम प्रति हैक्टार)

	न्यूनतम	अधिकतम
1. अखिल भारत	585 (1972-73)	935 (1975-76)
2. सौराष्ट्र	181 (1972-73)	1280 (1975-76)

(ख) भारत में मूंगफली की फसल, जिसमें सौराष्ट्र भी शामिल है, अधिकांशतः वर्षा सिंचित परिस्थितियों में उगाई जाती है। अतः पिछले वर्षों में प्रति हैक्टार उत्पादन में मौसम की परिस्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव आता रहा है। इसके अलावा मूंगफली मुख्य रूप से सीमांत भूमि और उन क्षेत्रों में उगायी जाती है जिनमें वर्षा अनिश्चित होती है।

(ग) प्रति हैक्टयर उत्पादन को स्थिर रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तिलहनों के विकास के लिए सघन कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य, किसानों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीज उत्पादन और वितरण सम्बन्धी व्यवस्था को मजबूत बनाना, वनस्पति रक्षण उपायों का विस्तार करना और किसानों तथा विस्तार कायकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के उत्पादन की एक विशेष परियोजना शुरू करना, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मूंगफली की फसल के लिए सुरक्षित सिंचाई की व्यवस्था करना है।

3. तिलहन विकास, जिसमें मूंगफली भी शामिल है, के लिए पांचवी योजना के 14 करोड़ रुपये के मुकाबले छठी योजना में नियत राशि को बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये करना।

4. 1979-80 में तिलहन फसलों के अन्तर्गत 8 लाख हैक्टयर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर 1984-85 तक 14 लाख हैक्टयर करना।

5. अनुसन्धान प्रयासों में तेजी लाना।

परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन

2485. **श्री चिंगवांग कोनयाक :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सम्बद्ध संसद की परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इनमें से कितनी समितियों का अब तक पुनर्गठन किया गया है; और

(ग) इन समितियों को अधिक प्रभावी उद्देश्यपूर्ण और रुचिकर बनाने के लिए किन कदमों का सुझाव दिया गया है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों की कुल संख्या 25 है। इन समितियों का दिनांक 29 जून, 1982 की अधिसूचना के अन्तर्गत पुनर्गठन किया गया है। तथापि, ये समितियां दिनांक 8 जुलाई, 1982 से प्रभावी हुई हैं।

(ग) ये समितियां इनके गठन और कार्यचालन को विनियमित करने वाली मार्ग-निर्देशिका के अनुसार पूरे प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

रिंग टाउनों का विकास

2486. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों के चारों ओर रिंग टाउनों के विकास की योजना विफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) नगर विकास राज्य का विषय है। महानगर क्षेत्रों और रिंग टाउनों का विकास करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। महानगरीय क्षेत्रों में कई राज्यों ने अनुषांगिक नगरों या प्रत्याकर्षित नगरों का विकास आरम्भ किया है ताकि वैकल्पिक विकास केन्द्रों का विकास किया जा सके और आन्तरिक (कोर) शहरों पर दबाव कम किया जा सके। दिल्ली के मामले में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के आस-पास के क्षेत्र भी शामिल हैं, का अनुमोदन उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड द्वारा 1973 में किया गया था और इस योजना में 18 रिंग टाउनों का स्वत: पूर्ण विकास कन्द्रों के रूप में विकास करने के बारे में विचार किया गया था। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रिंग टाउन की योजना विफल हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना

2487. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए, पिछले तीन महीनों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-नियोजित लोगों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से एकत्र की जा रही हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने हेतु विशेष दल भी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। एक अथवा दो राज्यों के नियमित आधार पर दौरे करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।

(ख) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना ग्रामीण युवकों में फैली बेरोजगारी को दूर करने के प्रमुख उद्देश्य से 15 अगस्त, 1979 से शुरू की गई थी। योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलता तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करना है ताकि वे स्वरोजगार के व्यवसाय शुरू कर सकें।

योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की वित्तीय सहायता ग्राह्य है।

(क) आवर्ती सहायता
प्रशिक्षार्थियों को वजीफे

(1) यदि प्रशिक्षार्थी को नि:शुल्क आवास सुलभ किया जाता है तो प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह 100 रुपये तक वजीफा दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण की अवधि एक माह से कम हो तो

अधिक से अधिक 100 रुपये प्रति माह तक 4 रूपये तक दैनिक वजीफा दिया जाता है ।

(2) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गांव में आयोजित किया जाता है तो वजीफे की दर 50 रूपये तक हैं ।

(3) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गांव के बाहर आयोजित किया जाता है और उसे निःशुल्क आवास सुलभ नहीं किया जाता है तो वजीफे की दर 125 रूपये तक है। ऐसे मामलों में एक माह से कम की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए दैनिक वजीफे की दर प्रति प्रशिक्षार्थी 5 रूपये तक है ।

प्रशिक्षण व्यय :

प्रशिक्षण संस्थाओं / मास्टर प्रशिक्षकों को प्रति माह प्रति प्रशिक्षार्थी 50 रूपये तक प्रशिक्षण व्यय दिए जाते हैं ।

कच्चा माल :

संस्था / मास्टर प्रशिक्षक को प्रति प्रशिक्षार्थी कच्चे माल के लिए प्रति माह प्रति प्रशिक्षार्थी 25 रूपये की धनराशि दी जाती है जो अधिक से अधिक 200 रूपये तक होगी ।

औजार किट :

प्रशिक्षार्थी को एक औजार किट सुलभ किया जाता है जिसकी लागत प्रति प्रशिक्षार्थी 250 रूपये से अधिक नहीं होती है ।

मास्टर प्रशिक्षक

प्रशिक्षार्थी द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए मास्टर प्रशिक्षक को प्रति पाठ्यक्रम प्रति प्रशिक्षार्थी 50 रूपये का इनाम दिया जाता है।

प्रशिक्षण के उपरान्त सहायता :

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थियों की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में सहायता की जाती है जिन्हें बैंकग्राह्य योजनाओं में परिवर्तित किया जाता है। प्रशिक्षार्थियों को अपनी यूनिट की स्थापना करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रतिमान पर उपदान दिये जाते हैं और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जहां इसकी अधिकतम सीमा 4000 रूपये है, को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसकी अधिकतम सीमा 3000 रूपये है। आदिवासी लाभभोगियों के मामले में उपदान की अधिकतम सीमा 5000 रूपये है ।

सभी आवर्ती सहायता समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों में से सुलभ की जाती हैं और केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन की जानी है ।

(ख) गैर-आवर्ती :

आवास, शयनागारों, कक्षा के कमरों, कर्मशाला के स्थान के निर्माण, प्रशिक्षण उपकरण और सहायक वस्तुओं के रूप में विद्यमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रावधान है। कार्यक्रम के इस घटक के लिए अलग बजट है जो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 5 करोड़

रूपये है । कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय संस्था आदि के लिए केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है । अन्यों के मामलों में, सहायता को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर बराबर आधार पर वहन किया जाता है ।

रूपनारायण नदी के पुनरूज्जीवन हेतु सर्वेक्षण

2488. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी के पुनरूज्जीवन हेतु कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह सर्वेक्षण कब किया गया था और उसके निष्कर्ष क्या थे ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

मत्स्य-पालन सहकारी समितियों को हानि

2489. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आधे से भी अधिक मत्स्य-पालन सहकारी समितियां हानि उठा रहीं हैं और अन्य एक चौथाई समितियों को न लाभ हो रहा है और न ही हानि ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा अध्ययन किए गए विभिन्न मुद्दों की जांच की है ; और

(ग) अध्ययन प्रतिवेदन में किन मुद्दों को उठाया गया है ; और

(घ) सरकार मत्स्य-पालन सहकारी समितियों को हानि से उभारने के लिए कब तक सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ड़) अध्ययन प्रतिवेदन मे किन अन्य मुद्दों को उठाया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सहकारिता वर्ष 1977-78 के अन्त में 45.6 प्रतिशत प्राथमिक मात्स्यकी सहकारी समितियों को घाटा हो रहा था और 27.3 प्रतिशत समितियों को न लाभ हो रहा था और न हानि ही ।

(ख) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद को चालू तथा प्रक्षेपित (1985) मांग तथा सप्लाई की स्थिति और विपणन पद्धति तथा प्रणाली की जांच के लिए अध्ययन करने और उसके बाद मछली की विपणन प्रणाली में सुधार लाने की सिफारिश करने के लिए कहा गया था । संस्थान को अभी तालिकाओं, पारिभाषिक शब्दावलियों तथा विषय वस्तु की पुनः जांच करनी है । अंतिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।

(ग) से (ड़) प्रश्न ही नहीं होता ।

सरकारी आवास के आवंटन के लिए अन्तरपूल का तर्क

2490. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पूल वाले उन मंत्रालयों से, विशेषकर रेल मंत्रालय से, सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को, जो सेवानिवृति के समय उस पूल के क्वार्टर में रह रहे हों जिसे पाने के हकदार उसके बच्चे नहीं हैं, उनके पूल से आवास के आवंटन के बारे में टिप्पणी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) विभिन्न पूल रखने वाले कितने और कौन-कौन से मंत्रालय / विभाग इस प्रस्ताव से सहमत हैं ;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो शीघ्र निर्णय के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 22-12-1981

(ग) 3. उनके नाम निम्न प्रकार से हैं :—

(i) रक्षा मंत्रालय

(ii) लोक सभा सचिवालय तथा

(iii) संचार मंत्रालय (महानिदेशक विदेश संचार का कार्यालय, बम्बई)

(घ) तथा (ङ) सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है ।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाना

2491. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और संघ क्षेत्रवार गंदी बस्तियों और उनमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनमें से कितनी गन्दी बस्तियां हटाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में लगभग आठ लाख व्यक्ति गन्दी बस्तियों में रहते हैं और यदि हां, तो इनके विकास के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि के अनुदान अथवा अन्यथा राशि देने की मांग की गई है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मलिन बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना राज्य क्षेत्र की एक योजना है और प्रत्येक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में मलिन बस्तियों तथा मलिन बस्ती निवासियों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, छठी योजना के दस्तावेजों के अनुसार, सन् 1985 में देश के विभिन्न शहरी केन्द्रों के मलिन बस्ती क्षेत्रों में लगभग 331 लाख लोग रह रहे होंगे जिसमें से 68 लाख लोगों को मार्च, 1980 तक मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। 151.55 करोड़ रुपये की छठी योजना परिव्यय सहित लगभग एक करोड़ मलिन बस्ती निवासियों को सामुदायिक जल-पूर्ति, नालियां, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, खड़जों वाले पथों तथा सामूहिक शौचालयों आदि जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया करने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) राजस्थान सरकार के अनुसार राज्य के 15 प्रमुख कस्बों में 8.39 लाख मलिन बस्ती निवासी हैं। मौजूदा 150 रुपये प्रति व्यक्ति की अधिकतम सीमा लागत पर, इन मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित कुल राशि लगभग 12 करोड़ रुपये होगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधियों को राज्य योजना में शामिल किया जाता है और राज्य सरकारों को योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, मलिन बस्ती सुधार हेतु 24 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए राज्य सरकार से ही हाल ही में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण रोजगार योजना को मजबूत बनाने के लिए की गई कार्यवाही

2492. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो की जा रही कार्यवाही का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए की गई कार्यवाही में निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शमिल है :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(3) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमन्द व्यक्तियों को विशेषकर मन्दे मौसम में जब कृषि का कार्य कम होता है रोजगार सुलभ करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम से प्रति वर्ष 300 मिलियन से लेकर 400 मिलियन श्रमदिनों का कार्य सृजित होने की आशा है।

(5) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के अवसर सुलभ करना तथा निर्धन श्रमिकों के आय स्तरों में वृद्धि करना है। देश के सभी 5011 विकास खण्डों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। एक वर्ष में प्रति खण्ड 600 परिवारों को इस कार्यक्रम के अधीन लिए जाने का लक्ष्य है। इनमें से लगभग 400 परिवारों को कृषि तथा उससे सम्बद्ध गतिविधियों, 100 परिवारों को ग्रामीण उद्योगों और अन्य 100 परिवारों को ग्रामीण सेवाओं, व्यापार उद्यमों आदि के अन्तर्गत लाया जायेगा।

(6) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रतिशक्ष देने की राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों में तकनीकी कुशलताओं का विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कुशलताओं में प्रति वर्ष लक्षित वर्ग में से लगभग 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने की योजना है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 में 403 मिलियन श्रमदिनों और 1981-82 में 334 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 में 2.8 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई थी। 1981-82 में इतने ही परिवारों को सहायता पहुंचाने का अनुमान है।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	प्रशिक्षित (हजार में)	स्वनियोजित (हजार में)
1979-80	40	14
1980-81	123	45
1981-82	132	61

किसानों को मुआवजा देने के लिए निधियां बनाने की मांग

2493. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलावृष्टि के कारण किसानों को कृषि उत्पादन में हुई हानि के लिए मुआवजा देने हेतु धनराशि की मांग का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ओलावृष्टि के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए धनराशि की अपनी मांगें अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. हरियाणा	15.31 करोड़ रुपये
2. हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं
3. राजस्थान	कोई नहीं

4. मध्य प्रदेश 34.21 करोड़ रुपये

5. उत्तर प्रदेश 22.00 करोड़ रुपये

अन्य कोई राज्य ओला-वृष्टि से प्रभावित नहीं हुआ था ।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत व्यय सम्बन्धी वित्तीय सहायता की योजना के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की हुई क्षति के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सर्वेक्षण

2494. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन निर्धारित प्रोफार्मा में मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है । 1980-81 और 1981-82 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्याकन संगठन भी कार्यक्रम का मूल्याकन कर रहा है ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान प्रगति (अनंतिम)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	खण्डों की संख्या	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय बंटन	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	324	810.00	715.39	1656.070
2.	असम	134	335.00	26.60	27.250
3.	बिहार	587	1467.50	551.59	1034.770
4.	गुजरात	218	545.00	466.87	842.560
5.	हरियाणा	87	217.50	161.15	356.280
6.	हिमाचल प्रदेश	69	172.50	167.55	107. 120
7.	जम्मू और काश्मीर	75	187.50	59-05	37.420
8.	कर्नाटक	175	437.50	376.86	956.130

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	144	360.00	351.66	460.274
10.	मध्य प्रदेश	458	1145.00	708.94	1356.000
11.	महाराष्ट्र	296	740.00	713.78750	1272.110
12.	मणिपुर	26	65.00	32.50	32.500
13.	मेघालय	24	50.00	13.28	38.580
14.	नागालैंड	21	52.50	73.42	150.270
15.	उड़ीसा	314	785.00	680.34	669.080
16.	पंजाब	117	292.50	277.50	647.660
17.	राजस्थान	232	580.00	580.00	1078.380
18.	सिक्किम	4	10.00	3.00	3.760
19.	तमिलनाडु	377	942.50	655.749	1428.800
20.	त्रिपुरा	17	42.50	41.26	90.330
21.	उत्तर प्रदेश	876	2190.00	1407.657	2823.840
22.	पश्चिम बंगाल	335	837.50	42.08	224.360
केन्द्र शासित क्षेत्र					
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5	25.00	—	अप्राप्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	48	240.00	52.00	4.958
25.	चण्डीगढ़	1	5.00	5.00	अप्राप्य
26.	दादरा और नगर हवेली	1	5.00	—	अप्राप्य
27.	दिल्ली	5	25.00	17,83	23.94
28.	गोवा, दमन तथा द्वीप	12	60.00	52.73	60.75
29.	लक्ष्यद्वीप	5	25.00	3.00	अप्राप्य
30.	मिजोरम	20	100.00	15.00	अप्राप्य
31.	पाण्डिचेरी	4	20.00	6.66	16.11
	अखिल भारत	5011	12780.00	8258.45350	15391.302

* 2-10-1980 की स्थिति ।

राज्य/केन्द्र शासित संख्या क्षेत्र	वितरित कुल आवधिक ऋण	सहायियत परिवारों की अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति	संख्या कुल
1 2	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	2835.59	71751	166483
2. असम	30.36	953	5594
3. बिहार	1356.75	28040	138956
4. गुजरात	620.78	38630	97494
5. हरियाणा	577.82	7176	52700
6. हिमाचल प्रदेश	125.25	20992	48090
7. जम्मू और काश्मीर	117.33	502	9357
8. कर्नाटक	799.35	5698	63906
9. केरल	354.70	4794	33510
10. मध्य प्रदेश	1105.14	48537	135598
11. महाराष्ट्र	1437.92	17908	85414
12. मणिपुर	—	2582	2768
13. मेघालय	—	5258	5267
14. नागालैंड	—	16721	16721
15. उड़ीसा	1590.40	32117	83220
16. पंजाब	920.60	48697	102694
17. राजस्थान	1992.61	75329	155238
18. सिक्किम	—	20	29
19. तमिलनाडु	2234-89	37594	249688
20. त्रिपुरा	134.70	5894	11006
21. उत्तर प्रदेश	4124.37	220487	1310716
22. पश्चिम बंगाल	256.88	10522	37415
केन्द्र शासित क्षेत्र			
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	अप्राप्य	अप्राप्य

1	2	3	4
24. अरुणाचल प्रदेश	—	अप्राप्य	अप्राप्य
25. चण्डीगढ़	—	अप्राप्य	अप्राप्य
26. दादर और नगर हवेली	—	अप्राप्य	अप्राप्य
27. दिल्ली	61.30	1242	4259
28. गोवा, दमन और द्वीप	56.62	—	12426
29. लक्ष्यद्वीप	—	अप्राप्य	अप्राप्य
30. मिजोरम	—	अप्राप्य	अप्राप्य
31. पाण्डिचेरी	8.22	94	272
अखिल भारत	20741.76	701536	2798815

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान प्रगति

अनन्तिम (लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल आवंटन	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय वंटन	उपलब्ध राष्ट्रीय निधियां (राज्यों द्वारा वंटन बराबर का मानते हुए)	आवंटन का वंटन प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1944.00	972.00	1434.765	2869.530	147.06
2.	असम	804.00	402.00	148.50	297.00	36.94
3.	बिहार	3522.00	1761.00	1249.06	2498.12	70.92
4.	गुजरात	1308.00	654.00	508.79	1017.58	77.79
5.	हरियाणा	522.00	261.00	299.93	599.86	114.91
6.	हिमाचल प्रदेश	414.00	207.00	176.10	352.20	85.07
7.	जम्मू और काश्मीर	450.00	225.00	180.07	360.14	80.03

1	2	3	4	5	6	7
8.	कर्नाटक	1050.00	525.00	360.30	720.60	68.62
9.	केरल	864.00	432.00	371.54	743.08	86.00
10.	मध्य प्रदेश	2748.00	1374.00	1374.00	2756.00	100.00
11.	महाराष्ट्र	1766.00	888.00	693.02	1386.04	78.04
12.	मणिपुर	156.00	78.00	13.50	27.00	17.30
13.	मेघालय	144.00	72.00	16.50	33.00	22.91
14.	नागालैंड	126.00	63.00	63.00	126.00	100.00
15.	उड़ीसा	1884.00	942.00	731.19	1462.38	77.62
16.	पंजाब	702.00	351.00	351.00	702.00	100.00
17.	राजस्थान	1392.00	696.00	676.09	1352.18	97.13
18.	सिक्किम	24.00	12.00	6.00	12.00	50.00
19.	तमिलनाडु	2262.00	1131.00	1272.76	2545.52	112.53
20.	त्रिपुरा	102.00	51.00	50.00	100.00	98.03
21.	उत्तर प्रदेश	5256.00	2628.00	2513.58	5027.16	95.64
22.	पश्चिम बंगाल	2010.00	1005.00	39.84	79.68	3.96
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	30.00	30.00	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	288.00	288.00	130.00	130.00	45.13
25.	चण्डीगढ़	6.00	6.00	—	—	—
26.	दादरा और नगर हवेली	6.00	6.00	—	—	—
27.	दिल्ली	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
28.	गोवा दमन और दीव	72.00	72.00	72.00	72.00	100.00
29	लक्ष्यद्वीप	30.00	30.00	—	—	—
30.	मिजोरम	120.00	120.00	60.00	60.00	50.00
31.	पाण्डिचेरी	24.00	24.00	23.40	23.40	97.50
	योग :	30066.00	15336.00	12844.935	25345.06	83.75

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उपयोगिता	कुल लाभभोगी	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों की संख्या	जुटाया गया आवधिक ऋण
1	2	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2271.88	2,33,413	126,861	5019.52
2.	असम	299.24	22,145	7,259	327.14
3.	बिहार	3133.68	2,76,169	82,850 †	4700.52+
4.	गुजरात	1041.42	1,13,338	39,433	1521.63+
5.	हरियाणा	647.08	79,605	25,716	908.89
6.	हिमाचल प्रदेश	403.55	34,877	19,053	501.14
7.	जम्मू और काश्मीर	291.84	1,94,560*	58,368 †	437.76+
8.	कर्नाटक	874.00	97,962	17,692	1914.94
9.	केरल	720.73	96,832	18,594	2274.47
10.	मध्य प्रदेश	1804.06	1,68,090	77,562	3851.26
11.	महाराष्ट्र	1332.45	1,53,330	39,000	3423.15
12.	मणिपुर	27.00 β	1,800*	900 †	शून्य
13.	मेघालय	90.67 β	6,945	1,813 †	शून्य
14.	नागालैंड	128.11	12,565	12,565	शून्य
15.	उड़ीसा	1451.28	1,45,038	56,375	2516.54
16.	पंजाब	844.05	88,867	39,931	1773.22
17.	राजस्थान	1571.22	1,20,205	67,000	2331.21
18.	सिक्किम	9.82	102	48	—
19.	तमिलनाडु	2810.64	3,58,225	87,765	4736.44
20.	त्रिपुरा	82.74 β	5,516	1,655 †	124.11+
21.	उत्तर प्रदेश	4873.12	5,40,160	1,89,035	9978.63
22.	पश्चिम बंगाल	211.22	67,338	29,920	422.26

1	2	3	4	5	6
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	130.00 β	8,667*	8,667	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
27.	दिल्ली	18.89	2040	680	41.29
28.	गोवा दमन और दीव	72.00 β	4800*	1440	150.29
29-	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	30.00 β	2000*	600	—
31.	पाण्डिचेरी	18.57	1600*	480	14.85
	योग :	15579.57	28,33,289	9,99,262	4,69,68.97

संकेत : β अनुमानित व्यय

* प्रति लाभभोगी 1500 रुपये की दर से उपदान प्राप्त करने वाले अनुमानित लाभभोगी।

† कुल लाभभोगियों के 30 प्रतिशत पर अनुमानित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगी जिनके बारे में राज्य सरकार द्वारा आंकड़े नहीं भेजे गए हैं।

\+ उपदानों पर व्यय का 150 प्रतिशत जुटाया गया अनुमानित ऋण।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में रिहायशी कालोनियों का विकास

2495. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में नई रिहायशी कालोनियों का विकास करने के लिए योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कालोनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे तभी दिए जा सकते हैं जब कि नई कालोनियों के नक्शे निष्पादनार्थ तैयार हों ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा स्टालों कियोस्क और दुकानों का आबंटन

2496. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका ने 27-2-80 से 31-5-82 तक की अवधि के दौरान कुल कितने स्टाल, कियोस्क और दुकानें आवंटित किए थे;

(ख) उन व्यक्तियों की सूची क्या है जिन्हें इस अवधि के दौरान दुकानें आवंटित की गई;

(ग) क्या ये स्टाल, कियोस्क और दुकानें अनधिकृत कब्जेदारों को आवंटित की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो ये आवंटन किस आधार पर किए गए हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में वर्षा और ओलों से हुई क्षति

2497. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अत्यधिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से कितनी क्षति हुई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कितनी क्षति होने का अनुमान लगाया गया है तथा उसकी क्षति की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि की मांग की है;

(ग) जान व माल और फसल के रूप में हुए नुकसान के सन्दर्भ में किस-किस जिले को सबसे अधिक हानि हुई है; और

(घ) क्षति पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान किसी बाढ़/ओलावृष्टि की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी । 1982-83 के दौरान राज्य सरकार ने फरवरी तथा मार्च, 1982 में ओला-वृष्टि की रिपोर्टें भेजी थी ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमानित नुकसान की मात्रा इस प्रकार थी :—

1. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	5.10 लाख हैक्टार
2. मारे गए पशु	828
3. क्षतिग्रस्त मकान	73572
4. फसलों, घरों तथा पशुओं को हुई अनुमानित क्षति	48.93 करोड़ रुपये
राज्य सरकार द्वारा मांगी गई रकम	132.00 करोड़ रुपये

(ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राहत सम्पत्ति को फिर से ठीक-ठाक करने के लिए 677.00 लाख रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है।

पश्चिम जर्मनी की फर्म द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण विकास में पूंजी निवेश की पेशकश

2499. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की एक फर्म ने भारत में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के विकास में 14.4 करोड़ रु० (360 लाख डी० एम०) का पूंजी निवेश करने की पेशकश की है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव जून, 1982 में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के सम्बन्ध में हाल ही में हुए तीन दिवसीय अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गत वर्ष औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग के लिए भारत-जर्मन आयोग के तृतीय सत्र में मत्स्यन उद्योग में सहयोग करने के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की गई। इस मामले पर सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हमबर्ग में "कन्सुलेट जनरल आफ इण्डिया" तथा कील, हमबर्ग और बेमरहावेन के वाणिज्य मण्डल तथा मत्स्यन उद्योग के बीच चर्चा हुई।

(ख) सरकार को आयोगों से सम्मेलन का कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

बम्बई और कांडला बन्दरगाहों के माध्यम से खाद्य तेलों का आयात

2500 **श्री सुनील मैत्रा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कांडला बन्दरगाहों से अपेक्षाकृत अधिक खाद्य तेलों का आयात किया जाता है जहां से यह परिष्करण हेतु दिल्ली कानपुर भेज दिया जाता है; और तत्पश्चात् परिष्कृत तेल को पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के खपत वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता बन्दरगाह खाद्य तेलों के आयात हेतु विशेष सुविधाएं देने का इच्छुक है और पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त परिष्करण क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से खाद्य तेलों का आयात क्यों नहीं कर रही है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) यह सच है कि अन्य बन्दरगाहों, जिसमें कलकत्ता भी शामिल है, के जरिये आयात की जाने वाली मात्रा की तुलना में बम्बई और कांडला बन्दरगाहों के जरिये खाद्य तेलों की अधिक मात्रा आयात की जाती है। किस बन्दरगाह पर कितना आयात किया जाए, इस बात का निर्णय करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे पृष्ठ प्रदेश (हिन्टरलैण्ड) में तेल की आवश्यकता, वहन शुल्क बन्दरगाह पर जहाज के लिए अपेक्षित जल की गहराई सम्बन्धी प्रतिबन्ध, सरकार के प्रबन्धाधीन परिष्करण क्षमता की उपलभ्यता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता बन्दरगाह के जरिये तेल की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्धारण और उसकी पुनरीक्षा समय-समय पर की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों में से केवल रेपसीड तेल कच्चे रूप में आयात किया जाता है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित करने से पहले इसे परिष्कृत तथा टीनों में बन्द किया जाता है। सरकार की वर्तमान परिष्करण नीति यह है कि सरकार के प्रबन्धाधीन एककों में उपलब्ध परिष्करण क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। ऐसी परिष्करण की क्षमता बम्बई, दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में उपलब्ध है। कलकत्ता बन्दरगाह के जरिये आयात किए जाने वाले कच्चे रेपसीड तेल का परिष्करण, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा परिष्करण क्षमता के स्थापित किए जाने तक के लिए एक अनन्तिम व्यवस्था के रूप में कलकत्ता स्थित तीन निजी शोधकों द्वारा किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन सिंचाई योजनायें

2501. **श्री सुभाष यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितनी और कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन हैं ; और

(ख) खरगोन जिले में कौन से गांव इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित होंगे ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मध्य प्रदेश में इस समय

41 बृहत् और 75 मध्यम सिंचाई स्कीमें निर्माणाधीन हैं। स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश के खरगांव जिले को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं हैं—नर्मदा सागर (बृहत् स्कीम) और देजला देवड़ा (मध्यम स्कीम)। तथापि, इस जिले में लाभान्वित होने वाले गांवों से सम्बन्धित सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है।

विवरण

I. बृहत् स्कीमें क छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें		II. मध्यम स्कीमें क. छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें	
1	2	3	4
1. चम्बल		1. मटियारी	
2. राजघाट		2. मटिया-मोती	
3. बाग सागर		3. चोरल	
4. बार्गी		4. घुंघुटा	
5. महानदी जलाशय परियोजना-सोपान-I		5. रामपुरा खुर्द	
6, महानदी जलाशय परियोजना-सोपान-II		6. चन्दोरा	
7. हसदेन बंगो		7. बुन्डाला	
8. कोलार		8. गोमुख	
9. तवा		9. कालिया सोत	
10. बरना		10. तिल्लार	
11, सुक्ता		11. बरगूर	
12. बरियारपुर बायां तट पर		12. बुढना नाला	
13. उर्मिल		13. पिपरियानाला	
14. रंगाबन उच्च स्तरीय नहर		14. चाल्डू	
15. हसदेवा दायां तट नहर		15. बन्जार	
16. अपर वैनगंगा		16. महगांव टोला	
17. सिंध सोपान-1		17. सकाल्डा	
18. घंडेर नहर		18. बिछिया	
19. हलाली		19. दूधी	

I. बृहत स्कीमें	II. मध्यम स्कीमें
(क) छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें	(क) छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें
1 2	3 4
20. पेयरी	20. दोराहा
21. कोडार	21. खमरपकुट
22. जोंक	22. घोलावाड़
23. थंवर	23. अरनिया बहादुर पुर
(ख) छठी योजना की नई स्कीमें	
24. महानदी जलाशय परियोजना सोपान-III	24. काझी खेड़ी
25. सिंघ सोपान-II	25. साहेब खेड़ी
26. नर्मदा सागर	26. थैंस खेड़ी
27. बवन्थड़ी	27. नरेन
28. अपर ताप्ती	28. केथन
29. अरपा	29. पारस
30. बार्गी व्यपवर्तन	30. चन्द्रकेशर
31. धोवातोरिया	31. काकेतो टिगरा सोपान-I
32. मान	32. केरवन
33. जोबट	33. मकरोडा
34. छोटा तवा	34. परोंच
35. अपर नर्मदा	35. शमशेरपुरा
36. माही	36. भानपुरा नहर
37 पंचमनगर	37. बलार
38. चम्बल लिफ्ट सिंचाई स्कीम (कनेरा)	38. उदन्ती
39. कुटपल्ली	39. शिवनाथ व्यवर्तन
40. मरवाही	40. रूसे
41. बमराहा	41. मंड
	42. पुटका
	43. किंकरी

1	2	3	4
		II. मध्यम स्कीमें	
		(क) छठी योजना की निर्माणाधीन स्कीमें	
		44. घोंघा	
		45. बिलासपुर व्यपवर्तन	
		46. बघिया नाला	
		47. बारुनदी सोपान-I	
		48. कालीसरार	
		49. जरमौरा	
		50. झुमका	
		51. बंकी	
		52. बिसन्दा	
		53. उमरार	
		54. मेहरोई	
		55. अमकोई	
		56. मकतारा	
		57. मंसूरवाड़ी	
		58. चोर बोरारी	
		59. मोदसागर	
		60. बरमंडल	
		(ख) छठी योजना की नई स्कीमें	
		61. चिरपानी	
		62. देजला देवड़ा	
		63. लखन्दर	
		64. महवार	
		65. बाह	
		66. सागर	
		67. बर्नी	
		68. गेज	
		69. बरचर	
		70. कसारटेड़ा	
		71. राजवियाखाल	
		72. कुंवारी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	
		73. कनहरगांव	
		74. बन्दिया	
		75. गनेशपुरा	

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में पट्टे पर दी गई भूमि

2502. **श्री सुभाष यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है और इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी आय अर्जित की ;

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में कुल कितनी भूमि पट्टे पर दी जायेगी ;

(ग) क्या पट्टे पर दी गई भूमि से देय पट्टा शुल्क (लीज फी) प्रति वर्ष मिलता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसकी बकाया राशि कितनी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि ऐसी सरकारी निर्माण समितियों जिन्हें पट्टे पर विशाल भूमि क्षेत्र दिया गया है, से पट्टा शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि उनसे पट्टा शुल्क वसूल करने में सख्ती नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई धनराशि

2503. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है जिससे विकास और ग्रामीण रोजगार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुदान का पूरा उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) 1980-81 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट में 92.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 82.58 करोड़ रुपये जो लगभग 90 प्रतिशत बनता है, विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को बंटित किए गए थे। 1981-82 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध 135.50 करोड़ रुपये के कुल केन्द्रीय बजट में से 128.45 करोड़ रुपये बंटित किए गए थे जो बजट का लगभग 95 प्रतिशत है। प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों के बराबर के अंश सहित वास्तविक व्यय 409.7 करोड़ रुपये था जो 422.06 करोड़ रुपये की उपलब्ध निर्धारित निधियों का 97 प्रतिशत बनता है ।

नई बस्तियों का निर्माण

2504. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए शहर बनाने के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति क्या है ; और

(ख) केरल में केन्द्रीय सहायता से बनाए जा रहे शहरों में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सामान्यतया, केन्द्र सरकार, अधिक संख्या में नये कस्बों तथा शहरों का विकास करने के पक्ष में नहीं है। तथापि जहां नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या उद्योग स्थापित किए जाते हैं और जिसके कारण वहां कामगारों के लिए रिहायशी वास की आवश्यकता होती है उन स्थानों पर तत्सम्बन्धी जनसंख्या की आवश्यकता तथा क्षेत्रीय विकास के अनुरूप नए कस्बों को सही ढंग से सुनियोजित डिजाइन तथा विकास करना होगा।

(ख) इस मंत्रालय को इसका पता नहीं है कि केन्द्र की सहायता से केरल में कोई नये कस्बे स्थापित किये जा रहे हैं।

कारखानों में लगे श्रमिकों के लिए आवासों का निर्माण

2505. **श्री एन० डेनिस** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले दो वर्षों में कारखानों में लगे श्रमिकों के लिए आवास निर्माण का कार्य बहुत धीरे चल रहा है ; और

(ख) पिछले दो केलेन्डर वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए देश में राज्यवार कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है। आवास क्षेत्र के लिए योजना नियतन के अन्तर्गत राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित अग्रताओं के अनुसार विभिन्न आवास योजनाओं के लिए निधियां उदिष्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि चूंकि छठी योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास पर बल देना है, इसलिए राज्य सरकारों से योजना में विनिदिष्ट अग्रताओं के अनुसार कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया है। अधिकांश औद्योगिक कर्मचारी इस वर्ग के अन्तर्गत नहीं आते। चूंकि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारों तथा नियोक्ताओं, दोनों के ही द्वारा मकान बनाये जाते हैं, इसलिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाये गए स्टाफ क्वार्टरों की संख्या इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। तथापि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आवास तथा नगर विकास निगम सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र उपक्रमों दोनों को ही स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए निधियां देता है जिसमें औद्योगिक उपक्रम भी शामिल हैं। हुडको द्वारा 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान स्वीकृत ऐसी योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हुडको द्वारा 1980-81 तथा 1981-82 (31-1-1982) तक स्वीकृत स्टाफ आवास योजनाओं का ब्यौरा

वर्ष 1980-81

राज्य/अभिकरण	योजनाओं की संख्या	ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या
1. गुजरात स्टेट इंडिस्ट्रियल डिवलपमेंट कार्पोरेशन	6	1.17	612
2. गुजरात स्टेट कंस्ट्रक्सन कार्पोरेशन	1	0.67	270
3. भारत स्टील ट्यूब्स गनौर	1	0.31	100
4. हरियाणा स्टेट माइनर ईरीगेशन ट्यूवेल कार्पोरेशन	1	0.10	16
5. हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	1	0.27	60
6. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज	1	0.62	208
7. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	1	0.25	60
8. महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कार्पोरेशन	3	2.24	684
9. उज्जैन डिवलपमेंट अथारिटी	1	0.13	96
10. पंजाब हाउसिंग एण्ड डिवलपमेंट बोर्ड	8	7.33	1918
11. राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	1	1.11	240
12. हाड़ा टैक्सटाइल विष्णुपुर पश्चिम बंगाल	1	0.06	12
	26	14.26	4276

वर्ष 1981-82 (31-1-1982 तक)

अभिकरण	योजनाओं की संख्या	ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या
1. हैदराबाद ऐंसबसटस	1	0.24	26
2. गुजरात स्टेट इंडिस्ट्रियल डिवलपमेंट कार्पोरेशन	1	1.12	426
3 हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	2	1.09	312
4. हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	9	1.30	262
5. कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड	4	2.28	5550
6. महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कार्पोरेशन	1	1.29	400
7. मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन	1	0.49	184
8. उड़ीसा स्टेट हाउसिंह बोर्ड	1	0.16	74
9. भवानी काटन मिल्स अबहोर	1	0.17	52
10. पंजाब हाउसिंग एण्ड डिवलपमेंट बोर्ड	5	1.93	366
11. जे० के० इंडस्ट्रीज राजस्थान	1	0.18	56
12. इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड कोटा	1	9.35	102
	28	10.60	7820

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने यहां पंजीकृत सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

2507. **श्री तारिक अनवर :**

श्री विलास मुत्तेमबार :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सोसाइटियों के क्या नाम हैं जिन्होंने भूमि के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण का आवेदन किया है और उसके लिए धनराशि भी जमा करा दी है लेकिन उन्हें अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है ;

(ख) उन्हें कब तक भूमि आवंटित की जाएगी ; और

(ग) इस भूमि को कब तक विकसित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इन समितियों को भूमि आवंटित हो जाने की संभावना है ।

(ग) सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आवंटित की जाने वाली भूमि अर्ध-विकसित है ।

विवरण

उन सहकारी ग्रुप आवास समितियों के नाम जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिए हैं और पैसा जमा कराया है परन्तु उन्हें अभी भूमि का आवंटन किया जाना है ।

क्र० सहकारी ग्रुप आवास सं० समितियों के नाम	क्र० सहकारी ग्रुप आवास सं० समितियों के नाम	क्र० सहकारी ग्रुप आवास सं० समितियों के नाम
1	2	3
1. लोक निर्माण	16. अमन	29. अमर ज्योति
2. मानव स्थली	17. सम्राट अशोक	30. एन० डी० एम० सी०
3. रोजउड एपार्टमेंटस	18. अनुसूचित जाति	इलैक्ट कर्मचारी
4. मानस बिहार	तथा अनुसूचित	31. राजा इन्कलेव
5. एस० बी० आई० दिल्ली	जन जाति सरकारी	32. आर्यानगर
शाखा	कर्मचारी	33. उपकार
6. सिविल लाइन्स	19. केअर	34. गुडविल
7. आकाश भारती	20. प्रसारण	35. द्रोणाचार्य
8. जागृति	21. यूनाइटेड इंडिया	36. भ्रम कुंज
9. घरौन्दा	22. ओ० सी० एस० फ्रैन्डस	37. खुखरैन सभा
10. न्यू सुप्रीम	23. परवाना	38. अरुणोदय
11. सीटी	24. दिल्ली पंजाबी	39. नील कमल
12. देना	25. आर० ए० एस०	40. एन० डी० एस०
13. प्रेम कुटीर	26. पंचदीप	41. अनेकान्त
14. डीलक्स	27. गुजरात सरगोदा	42. विद्या बिहार
15. सिद्धार्थ	28. नाइटिंगेल	43. न्यू प्रगतिशील

1	2	3
44. इंडियन नेवल एम्पलाईज	62. पर्वतीय विकास	80. नवीनसिटी
45. गोसाई केवल राम जी	63. इला	81. मंगल
46. ऋषि	64. सेल	82. बसुधा
47. आशियाना	65. अभिनव	83. महेश
48. बैशाली	66. पुलिस कम्यूटर	84. पवित्र
49. हाइलैण्ड	67. अनुपम	85. हनुमान मंगला
50. मेल सम्पदा	68. रक्षा कर्मचारी	86. ओ० एफ० जी
51. डिबलोमेटिक मिशन	69. मिनोचा बन्धु	87. नार्दन जोन फिजीकली
52. अनामिका	70. न्यू प्रोग्रेसिब	हैण्डिकैप्ट
53. एस० आर० एम०	71. एमओडी	88. निर्माण
54. अमर द्वीप	72. जनसेवक	89. अनुभव
55. विकास बिहार	73. इयर मैन एण्ड सेलर्स	90. न्यू इंडिया
56. मायापुरी	74. डाक्टर्स	91. नव भारत टाइम्स
57. विशाली	75. ब्रदर्श हुड	82. अहिंसा
58. स्टारलाइट	76. कैपिटल	93. एच० आई० एल०
59. जनहित	77. नव क्रान्ति	94. टेक्नोलाजी
60. जय सन्तोषी मां	68. बिजली	95. मिलन बिहार
61. मयूरध्वज	79. न्यू दिल्ली एपार्टमेंट	96. मानव

दिल्ली के गांवों में बिजली और पानी की व्यवस्था

2508. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास, प्राधिकरण ने दिल्ली के शहरीकृत गांवों में बिजली देने, वहां सफाई की और पारिस्थितिक व्यवस्था करने के कार्यक्रम के क्रियान्वयन को तेज करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले नगरीकृत ग्रामों में जल पूर्ति, मल निर्यास, सतही नालियां तथा सार्वजनिक शौचालय, विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्गों और लेनों/उप लेनों को चौड़ा करना, समाज सदन, पार्क तथा खुले स्थानों इत्यादि जैसी पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए है।

केसरी दाल की खेती किए जाने पर प्रतिबंध

2509. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केसरी दाल, जिसका उपभोक्ताओं पर विकलांग कर देने वाला प्रभाव होता है, पर प्रतिबंध लगाए जाने के प्रश्न पर अन्तर-मंत्रालय स्तर पर विचार विमर्श किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर-मंत्रालय बैठक के निर्णय क्या हैं ; और

(ग) केसरी दाल की खेती पर प्रतिबंध को सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) योजना आयोग में हुई बैठक में यह अनुभव किया गया कि विभिन्न पारिस्थितिक कृषि, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, सामाजिक ढ़ांचे, विषाक्तता, पोषण तथा रोग प्रकोप और उसके प्रादुर्भाव के अंतर्गत केसरी दाल की खेती के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले व्यापक तथा अद्यतन आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए और आगे विचार विमर्श किया जाना चाहिए ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके ।

योजना आयोग द्वारा संबंधित सरकारी विभागों, वैज्ञानिकों और सामाजिक संगठनों से आंकड़े एकत्र करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग

2510. **श्री ए० के० राय :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल के (30 अप्रैल) राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी सम्मेलन में वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वनों के विशेष उल्लेख सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के अन्धाधुन्ध दुरुपयोग पर व्यक्त की गई गहरी चिन्ता पर उन्होंने ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और उन पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार के पास, गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों की वजह से वनों के नष्ट होने के कोई आंकड़े हैं और क्या उनके विकास के लिए सरकार ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वनों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उसके उपयुक्त बचाव और देखभाल की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्णतः सचेत है । इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। पर्यावरण पर विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) 1951-52 से 1979-80 तक 1.5 हैक्टार की औसत वार्षिक दर से कुल 43-28

लाख हैक्टार वन भूमि विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लायी गयी। 25-10-1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया। 25-10-1980 और 30-6-1982 के बीच केन्द्रीय सरकार ने गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए केवल लगभग 5417 हैक्टार वन क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है।

(घ) वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर भी प्रभावी रोक लगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया जो 25-10-80 को लागू किया गया। अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्वअनुमति के, कोई भी ऐसा आदेश नहीं देगा—

(1) कि कोई भी आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा ;

(2) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाए।

वनों की कटाई की वार्षिक दर को लगभग 1.5 लाख हैक्टार से घटाकर 3300 हैक्टार पर ले आया गया है।

देश में वृक्षों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के पुनः स्थापन को छठी पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व दिया गया है। छठी योजना के लिए सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण योजनाओं के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय
		1980-85
	(दस लाख हैक्टार)	(करोड़ रुपयों में)
(1) राज्य क्षेत्र	1.888	402.19
(2) केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र	0.260	50.00

राज्यों द्वारा मकान-स्थल-व- निर्माण सहायता

2511. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में मकान स्थल-निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत 360 लाख परिवारों को स्थल देने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा ;

(ख) यदि हां; तो राज्यों द्वारा इस मामले में असन्तोषजनक कार्य निष्पादन के क्या कारण है और प्रत्येक राज्यों द्वारा अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी तंत्र को सुचारू बनाने और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग)

20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन के प्रश्न पर स्थानीय शासन तथा नगरीय विकास की केन्द्रीय परिषद् ने फरवरी, 1982 में हुई अपनी 19वीं बैठक में विचार किया था। इस बैठक में राज्यों के आवास मंत्री भी उपस्थित थे। इस बैठक में राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे छठी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करें। अधिकतर राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए पुनरीक्षण समितियां भी स्थापित की हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का दौरा, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श एवं बातचीत भी की जाती है। इस कार्यक्रम का ध्यानपूर्वक प्रवोधन किया जा रहा है और यह आशा है कि विभिन्न राज्य इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। राज्यवार प्रगति का विवरण संलग्न है।

विवरण

31-3-82 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना पर प्रगति रिपोर्ट

परिवारों की संख्या

राज्य	राज्य सरकार के अनुमानों के अनुसार पात्र परिवार	आवंटित आवास स्थल	बनाए गए मकान/ झोपड़ियों की संख्या
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	21,33,000	12,67,777 (1) 1,87,863 (1981-82)	3,24,626 1,21,000
2. असम	2,33,607	46,586	20,047
3. बिहार	19,58,000 (2)	38,998 (3) 7,30,000 (12/81)	40,777
4. गुजरात	5,60,848	5,19,855 (2/82)	1,95,654
5. हरियाणा	2,47,601	2,25,448	1,950
6. हिमाचल प्रदेश	5,304	5,248	3,314
7. जम्मू तथा काश्मीर	20,120	5,816 (9/81)	1,092
8. कर्नाटक	11,80,000	9,81,000	2,89,023
9. केरल	1,48,051	46,945	24,521
10. मध्य प्रदेश	9,13,037	7,62,000	94,205
11. महाराष्ट्र	5,46,097	4,70,625	4,70,625
			93

1	2	3	4
12. मणिपुर	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैण्ड	—	—	—
15. उड़ीसा	5,00,000	2,11,057	15,528
16. पंजाब	2,94,930	2,94,930	21,903
17. राजस्थान	10,50,000	9,49,409	36,473
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	14,97,000	13,04,832 (4)	98,145
20. त्रिपुरा	42,650	38,307	सूचित नहीं किया
21. उत्तर प्रदेश	16,10,000	14,59,587	41,902
22. पश्चिम बंगाल	3,16,893	2,67,331 (परिशोधित)	81,808
योग	1,32,61,138	98,52,000	18,70,691

(1) 12/80 तक

(2) राज्य सरकार ने केवल 2,75,000 परिवारों के आंकड़े बताए हैं।

(3) होम-टैंड ऐजन्सी एक्ट के तहत नियमितीकरण द्वारा

(4) अपूर्ण सूचना

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर भीड़

2512. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों पर सारे दिन लम्बी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सदैव बढ़ती हुई जनसंख्या अथवा उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में इन दुकानों की संख्या बढ़ने के बजाय घटी है और 1975 में जितनी दुकानें चल रहीं थी उनकी तुलना में 1982 में लगभग 200 दुकानें बन्द कर दी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उचित दर की कुछ नई दुकानें खोलने का है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) व (ग) दिल्ली में उचित दर की दुकानों की संख्या 1-6-75 की 2344 से बढ़कर 1-6-82 को 2865 हो गई।

(घ) वर्ष 1982 के दौरान, दिल्ली में 75 नई उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं। दिल्ली में, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में आवश्यकतानुसार और उचित दर की दुकानें खोली जायेंगी।

किसानों के फालतू पशुओं को बाघों द्वारा मार दिए जाने पर मुआवजा

2513. **श्री हरीश रावत :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न बाघ परियोजनाओं को निकट के गांवों के निवासियों के फालतू पशुओं को बाघ द्वारा मार दिए जाने पर कितना मुआवजा दिया जाता है;

(ख) क्या यह मुआवजा पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रालय मुआवजे की धनराशि में वृद्धि के लिए राज्यों से बातचीत करने पर विचार कर रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न बाघ आश्रयस्थलों में बाघों द्वारा मारे गए पशुओं के लिए ग्रामीणों को दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ख) स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक राज्य मे देय धनराशि का निर्धारण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया गया है।

(ग) किसी राज्य में इस धनराशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

1. **राजस्थान** (रणथम्भोर और सरिस्का बाघ आश्रय स्थल)—राजस्व/प्राधिकारियों द्वारा किये गये वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार।

2. **असम** (मानस बाघ आश्रय स्थल)—बाघ आश्रय स्थल के फील्ड निदेशक द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार

3. **पश्चिम बंगाल** (सुन्दरबन्स बाघ आश्रय स्थल)—

	मारे गये	घायल हुए
गाय/भैंस	250 रु०	100 रु०
बैल	125 रु०	50 रु०
बछड़ा/बछिया	25 रु०	10 रु०
बकरी/भेड़	25 रु०	10 रु०

4. कर्नाटक (बान्दीपुर बाघ आश्रय स्थल)—

गाय/बैल	250 से	500 रु०
भैंस	200 से	300 रु०
बकरी	75 से	100 रु०

5. महाराष्ट्र (मेलघाट बाग आश्रय स्थल)—बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम :

भैंस के लिए	1200 रु०
गाय/सांड के लिए	800 रु०
बकरी के लिए	75 रु० होगा

6. मध्य प्रदेश (कान्हा बाघ आश्रय स्थल)—चालू मूल्य के अनुसार जो कि अधिकतम 2000 रु० होगा।

7. उत्तर प्रदेश (कारबेट बाघ आश्रय स्थल)—कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

8. केरल (पेरयार बाघ आश्रय स्थल)—मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम 2000 रु० होगा।

9. बिहार (पलामाउ बाघ आश्रय स्थल)—आंके गये मूल्य का 50 प्रतिशत।

10. उड़ीसा (सिमलीपाल बाघ आश्रय स्थल)—बाघ आश्रय स्थल के फील्ड निदेशक द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार।

उड़ीसा में सुरक्षित पेयजल पूर्ति के अन्तर्गत किए गए प्रावधान

2514. **श्री अनादि चरण दास** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य योजना संसाधनों/केन्द्रीय सहायता में से उड़ीसा में 1982-83 के दौरान सुरक्षित पेयजल पूर्ति योजना के अन्तर्गत क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) उड़ीसा के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण जल पूर्ति का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ग) उड़ीसा राज्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना संसाधनों में से ग्रामीण जल पूर्ति के लिए 665 लाख रुपये का प्रावधान है तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत यह 544 लाख रुपये है।

(ख) उड़ीसा के तूफान पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण जलपूर्ति के नियमित कार्यक्रम के अलावा उच्च स्तरीय राहत समिति ने 16-7-82 को हुई अपनी 97वीं बैठक में 400 लाख रुपये के प्रावधान का अनुमोदन किया। जिसमें से निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 363.13 लाख रुपये का प्रावधान है :—

		(लाख रुपयों में)
1.	विद्यमान क्षतिग्रस्त नलकूपों की मरम्मत तथा उनको पुनः चलाना	2.65
2.	कटक, बालासोर तथा पुरी जिलों में ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं की मरम्मत तथा उन्हें चलाना	1.58
3.	कटक, बालासोर, पुरी, क्योंझार तथा धेंकनाल जिलों में नलकूपों की व्यवस्था।	358.90

साउथ एवेन्यू में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा केन्द्र का असंतोषजनक कार्यकरण

2515. **श्री राम अवध** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के निवास क्षेत्र, साउथ एवेन्यू में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सेवा केन्द्र उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और लम्बे समय तक शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता;

(ख) क्या फ्लैटों के निकट बड़ी संख्या में अनावश्यक झाड़ियां उग गई हैं तथा वहां कूड़ा-कर्कट इक्ट्ठा होता रहता है और नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देता, जिसके फलस्वरूप मच्छर बढ़ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अनुचित विलम्ब का कोई मामला नहीं है।

(ख) तथा (ग) निदेशक, उद्यान, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में ऐसी कोई झाड़ियां नहीं उगी हैं। कुछ स्थानों पर बरसातियों के निर्माण के कारण कुछ मलबा विद्यमान है जिसे हटाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में वन्य जन्तु संस्थान की स्थापना

2516. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**
श्री आर० पी० गायकवाड़ :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में भारतीय वन्य जन्तु संस्थान खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य तथा कृषि संगठन इस संस्थान के लिए आवश्यक धनराशि देने पर सहमत हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने संस्थान को जबलपुर में खोलने का निर्णय किया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस संस्थान में वन्य जन्तुओं के संरक्षण और प्रबन्ध तथा हर क्षेत्र में अध्ययन के बारे में किस प्रकार का पाठ्यक्रम और शोध किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देहरादून में पहले ही से विद्यमान वन्य प्राणि शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय का विलय करके अभी वहां भारतीय वन्य प्राणि संस्था शुरू की जा रही है। इस नई संस्था का अन्तिम स्थान अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) विशेषज्ञों, विशेषज्ञ संकाय तथा कुछ परिवहन सहित उपकरणों के रूप में 10 लाख अमरीकी डालर तक की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता मिलने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) संस्था के अन्तिम स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) यह संस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित चार प्रकार के कार्यकलाप करेगी :

(क) प्रशिक्षण,

(ख) अनुसंधान,

(ग) प्रकाशन, और

(घ) परामर्शदात्री सेवाएं।

प्रशिक्षण में, वन अधिकारियों तथा वन्य प्राणि प्रबंध में विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्नातकों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल होंगे। रेंज अधिकारियों के स्तर पर क्षेत्र अधिकारियों के लिए पृथक पाठ्यक्रम भी होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान करने वाले छात्रों को पी० एच० डी० की उपाधि देने के लिए अनुसंधान करने की सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। अल्पावधि पूर्वाभिमुखी तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। अनुसंधान प्राथमिक रूप से प्रबन्ध और योजना संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित व्यावहारिक अनुसंधान पर केन्द्रित होगा।

समर्थन मूल्य की तुलना में खाद्यान्नों की उत्पादन लागत

2517. **श्री जेवियर अराकल** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला वितरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, गन्ने आदि की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत कितनी थी ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को प्रति क्विंटल कितने मूल्य का भुगतान किया गया ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 वर्ष के लिए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के पक्के अनुमान राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि वर्तमान संकेतों के आधार पर 1981-82 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 1320 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 (जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के लिए गेहूं, चावल (धान) और गन्ने की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत को दर्शाने वाला एक विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) गेहूं, चावल और गन्ने के वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल मूल्य विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) बिक्री मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने और किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस पर राज-सहायता दे रही है। पिछले तीन वर्षों में आयातित और घरेलू दोनों तरह के उर्वरकों और आंतरिक किराये भाड़े पर दी गई कुल राज-सहायता निम्नलिखित है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1979-80	602.67
1980-81 (आर० ई०)	466.15
1981-82 (आर० ई०)	386.29

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बीजों, कीटनाशी दवाइयों और पौध संरक्षण उपस्करों जैसे आदानों पर राज-सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण-1

काश्त लागत योजना के तहत विभिन्न राज्यों में धान, गेहूं तथा गन्ने की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत

	फसल	राज्य	वर्ष	प्रति क्विंटल उत्पादन लागत (रुपये)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धान	1. आन्ध्र प्रदेश	1978-79	88.36
			1979-80	93.33
			1980-81	104.94

1	2	3	4
	2. तमिलनाडु	1977-78	81.57
		1978-79	81-74
		1979-80	92.24
	3. पश्चिम बंगाल	1077-78	81.79
		1978-79	96.36
2. गेहूं	1. पंजाब	1977-78	108.57
		1978-79	101.45
		1979-80	102.76
	2. हरियाणा	1977-78	104.01
		1978-79	114.00
		1979-80	×
	3. उत्तर प्रदेश	1977-78	97.28
		1978-79	95.10
		1979-80	112.31
3. गन्ना	1. महाराष्ट्र	1977-78	7.62
		1978-79	×
		1979-80	10.92
	2. उत्तर प्रदेश	1977-78	7.33
		1978-79	×
		1979-80	8.77 (10.25)
	3. आन्ध्र प्रदेश	1977-78	10.60
		1978-79	10.06
		1979-80	11.58 (13.60)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में परिवहन लागत भी शामिल है ।

× फसल का अध्ययन नहीं किया गया था क्योंकि उनका अध्ययन बारी-बारी से किया गया था ।

विवरण-2

खाद्यान्नों के वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	वर्ष (फसल वर्ष)	वर्ष (विपणन वर्ष)	सरकार द्वारा घोषित मूल्य
1	2	3	4	5
		1 वसूली मूल्य		
धान	मोटे अनाज	1979-80	1979-80	95.00 ×
		1980-81	1980-81	105.00 ×
		1981-82	1981-82	115.00 ×
रबी के धान्य				
गेहूं	सभी किस्में	1979-80	1980-81	117.00
		1980-81	1981-82	130.00
		1981-82	1982-83	142.00
		2 न्यूनतम समर्थन मूल्य		
गन्ना	—	1979-80	1997-80	12.50
		1980-81	1980-81	13.00
		1981-82	1981-82	13.00

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

2518. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के क्या लक्ष्य हैं;

(ख) 1980-81 के दौरान समितियों की कितनी बैठकें हुई और समितियों के निर्णयों पर क्या कार्यवाही की गई ;

× सामान्य किस्मों के लिए (मोटे दाने/छोटे दाने)

×× ये मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध हैं, जिसके साथ उस स्तर से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम भी है।

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के निर्णयों पर कार्यवाही में विलम्ब हुआ है और इनकी नियमित बैठकों को टाला गया है; और

(घ) समितियों की नियमित बैठकें बुलाने और इनके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने हेतु एक प्रभावी माध्यम के रूप में काम करने के लिए सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना की गई थी।

(ख) मंत्रालयों में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 1980 में तीन बैठकें तथा 1981 में तीन बैठकें हुई थीं। केन्द्रीय जल आयोग में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 1980 में चार बैठकें तथा 1981 में तीन बैठकें हुई थीं। इन समितियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और राजभाषा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की। समितियों द्वारा किए गए विभिन्न निर्णयों पर उचित कार्यवाही की गई, जिनकी इन समितियों की उत्तरवर्ती बैठकों में पुनरीक्षा भी की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा

2519. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलाबीबाग, अलीपुर, पूर्वी मोतीबाग के नजदीक, सीलमपुर और कोरोनेहान ग्राउन्ड क्षेत्रों में नगर निगम की कितनी एकड़ भूमि है;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ भूमि पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है और यदि हां, तो उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां इस प्रकार अनधिकृत कब्जा किया गया है और जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार अनधिकृत कब्जे हैं उनके क्या नाम हैं; और

(ग) अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनस्पति उद्योग का उत्पादन

2520. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के आयात को उत्पादन के 95 प्रतिशत से घटाकर वर्तमान 60 प्रतिशत कर देने से सरकार ने वनस्पति उद्योग के उत्पादन की गति धीमी कर दी है;

(ख) क्या यह सच है कि 2,00,000 टन से अधिक मात्रा में तेल वाली मूंगफली तथा सरसों की 30 लाख टन खली नहीं निकाली जा सकी; और सरकार वनस्पति उद्योग द्वारा इन संसाधनों के प्रयोग पर पाबन्दी लगा रही है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है कि उत्पादन मांग से कम न रह जाए और असामाजिक तत्वों को वनस्पति के मूल्य-नियन्त्रण का मजाक बनाने का मौका न मिल सके ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी नहीं। तेल वर्ष 1980-81 के दौरान वनस्पति घी का उत्पादन तेल वर्ष 1979-80 के 6.79 लाख मीटरी टन से बढ़कर 8.27 लाख मीटरी टन हो गया। चालू तेल वर्ष के पहले आठ महीनों अर्थात् जून, 1982 तक इसका 6.01 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ है।

(ख) नीतिगत मामले के रूप में, मूंगफली और सरसों जैसे प्रमुख तिलहनों से निकाले जाने वाले तेलों का प्रयोग वनस्पति के उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। वर्ष 1981 के दौरान लगभग 9 लाख मीटरी टन मूंगफली और सरसों की खली से विलायक निष्कर्षण द्वारा तेल निकाला गया। समुचित संसाधन के बाद इन तेलों का उपयोग सीधे मानव उपभोग के लिए किया जाता है । शेष मात्रा का उपयोग कुल मिलाकर, पशु तथा कुक्कट आहार के लिए किया जाता है।

(ग) वनस्पति घी का वार्षिक उत्पादन पर्याप्त रहा है और अन्तर मंत्रालय अध्ययन दल द्वारा आकलित अनुमानित मांग से अधिक रहा है। वनस्पति उद्योग को कच्चे प्रदार्थों तथा आदानों की सप्लाई करके वनस्पति घी का वांछित स्तर पर उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है। यह उद्योग स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण बनाए रखे हुए है जो कुल मिलाकर कारगर रूप से काम कर रहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वनस्पति के भंडारण तथा स्टाक सीमा से सम्बन्धित कानून के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें। कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ का कृषि फार्म

2521. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ का कृषि-फार्म कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है;

(ख) मुख्य फसलें उगाने के लिए कितने क्षेत्र की बुवाई की जाती है; और

(ग) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 से सम्बन्धित फार्म की आय और व्यय का विवरण क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के पास कुल 164 हैक्टर कृषि फार्म क्षेत्र है।

(ख) कृषिगत क्षेत्र एक सौ सत्तरह हैक्टर हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान फार्म के आय और व्यय इस प्रकार थे :—

वर्ष	आय	व्यय
1979-80	रु० 3,40,000/-	रु० 5,71,000/-
1980-81	रु० 7,18,000/-	रु० 6,35,000/-
1981-82	रु० 5,76,000/-	रु० 6,68,000/-

विन्डसर प्लेस में होटल की बोली बोलने वाली पार्टियां

2522. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** विन्डसर प्लेस में होटल साइट के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने होटल साइट के लिए बोली लगाई थी;

(ख) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिनमें निविदा आमन्त्रित करने हेतु और निविदा खोलने के लिए तारीख निश्चित करने सम्बन्धी विज्ञापन दिया गया था; और

(ग) निविदाएं किस तारीख को खोली गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) रायसीना रोड तथा जनपथ के चौराहे पर होटल स्थल सरकार ने पूर्ण-निर्धारित दरों पर नई दिल्ली नगर पालिका को आवंटित किया था और इसलिए सरकार द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 6 फरवरी 1981 को इण्डिया एक्सप्रेस, नेशनल हेरल्ड और मिलाप में तथा 7 फरवरी, 1981 को हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स और टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका ने इस स्थल पर होटल के निर्माण तथा उसे चलाने के लिए सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श के लिए उन प्रतिष्ठित फर्मों को आमन्त्रित किया जो भारत तथा विदेशों में पहले ही पांच तारा (फाइव स्टार) होटल चला रही थी। इसके उत्तर में 17 पार्टियों ने नई दिल्ली नगर पालिका से सम्पर्क स्थापित किया। अन्त में 14 पेशकशें प्राप्त हुई जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उन समितियों के नाम जिन्होंने अपनी पेशकश प्रस्तुत की है :

1. ईस्ट इण्डिया होटल्स लि०
2. मोहन होटल्स लि०

3. श्री राम प्रसाद (होटल एम्बेस्डर)

4. इण्डिया होटल्स कम्पनी लि०

5. एम्बेस्डर होटल्स बम्बई

6. मै० ताज होटल

7. मै० महिन्द्र इंजिन स्टील कम्पनी लि०

8. मै० श्री राम फाइबरस लि०

9. मै० वेलकम ग्रुप

10. मै० ग्लाक्सी इन्टरनेशनल होटल्स लि०

11. महाराजा सवाई भवानी सिंह आफ जयपुर

12. मै० पियोर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०

13. मै० सुदर्शन ग्रुप आफ होटल्स

14. श्री महेन्द्र सिंह

गुजरात आवास बोर्ड, "हुडको" तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के बीच विचार विमर्श

2523. **श्री उत्तमभाई एम० पटेल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात आवास बोर्ड के पदाधिकारियों, चेयरमैन तथा अधिकारियों ने गुजरात आवास बोर्ड की कुछ योजनाओं एवं अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में "हुडको" क्या केन्द्रीय सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ 1 फरवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तथा 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 के दौरान विचार विमर्श किया था;

(ख) क्या गुजरात आवास बोर्ड तथा गुजरात सरकार से उपरोक्त अवधि के दौरान "हुडको" तथा निर्माण और आवास मंत्रालय को इस बारे में कुछ प्रस्ताव ज्ञापन, अभ्यावेदन तथा योजनाएं भी प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) उनके क्या परिणाम निकले ;

(च) उक्त प्रस्तावों तथा योजनाओं पर और आयोजित हुई बातचीत के दौरान क्या-क्या आश्वासन दिये गए ; और

(छ) उक्त आश्वासनों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गुजरात

आवास बोर्ड के अधिकारियों ने आवास योजनाओं तथा सम्बन्धित मामलों पर हुडको के अधिकारियों से समय-समय पर विचार विमर्श किया था।

(ख) से (छ) तक :—हुडको को गुजरात आवास बोर्ड तथा गुजरात सरकार से योजनाएं तथा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हुडको की 21.70 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए गुजरात आवास बोर्ड से 39 आवास योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 18 आवास योजनाएं जो कि हुडको के मानदण्डों के अनुरूप पाई गई, 15.10 करोड़ रुपये की हुडको की ऋण सहायता हेतु स्वीकृत की गई हैं। शेष 21 योजनाओं की जांच की जा रही है। हुडको के धन देने की पद्धति के मानकों के संशोधन पर गुजरात आवास बोर्ड से प्राप्त प्रस्ताव को हुडको द्वारा वित्त सहायता देने के वर्तमान स्वरूप की जांच करने तथा आवश्यक समझे गए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल के विचारार्थ रखा गया था तथा भारत सरकार ने कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर धन देने की पद्धति को संशोधित करने का निर्णय लिया है। ग्राम वार, खसरा नम्बरवार लाभभोगियों के ब्यौरे सहित सूची देने से छूट देने के बारे में गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड द्वारा हुडको को प्रस्तुत ग्रामीण आवास योजनाओं में छूट के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाए गए क्योंकि ग्रामीण आवास योजनाओं को स्वीकृत करने की अनिवार्य आवश्यकताओं में से यह एक थी। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

"पेनपुत्त होम कमिंग एट तुर्कमानगेट" शीर्षक समाचार

2525. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान "पेन पुत्त होम कमिंग एट तुर्कमान गेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि यहां, तो क्या दरवाजे तथा खिड़कियां तथा फ्लैटों के आसपास सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि टेनामेन्टों के कुछ समय तक खाली रहने के कारण कुछ फिटिंगों की चोरी हुई तथा खिड़कियों के शीशे तथा खिड़कियां टूटीं। अब इन फिटिंगों को बदल दिया गया है, भीतरी मलजल नालियों को साफ कर दिया गया है और इन टेनामेन्टों में पानी तथा बिजली की भी व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए कुल मिलाकर यह समाचार सही नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि टेनामेन्टों के कब्जे देने से पूर्व छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर किया जा रहा है।

अण्डमान और निकोबार के पशु-पालन और पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी

2526. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के सरकारी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित समय से अधिक काम करने के लिए उन्हें समयोपरि भत्ता या प्राइवेट प्रेक्टिस करने का भत्ता दिया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकास देने का है ; और

(घ) सारे देश में इसी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की स्थिति क्या है अर्थात् इस सम्बन्ध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) से (घ) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सचेतकों का सम्मेलन

2527. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सचेतकों का सम्मेलन आयोजित करने का विचार छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और यदि नहीं तो कई वर्षों से इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ;

(ख) विभिन्न कारणों की वजह से आगामी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है ;

(ग) और (घ) जी हां, आगामी सम्मेलन बिना अधिक विलम्ब के आयोजित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विलायक साल-बीज निस्सारण संयंत्र

2528. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विलायक साल-बीज तेल निस्सारण संयंत्र चल रहे हैं ;

(ख) क्या देश में छठी योजना अवधि के दौरान और अधिक विलायक साल-बीज तेल निस्सारण संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, साल-वसा का उत्पादन उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में विलायक निस्सारण संयंत्रों में किया जा रहा है।

(ख) और (ग) आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, जिनमें साल के बीज भी शामिल हैं, के विकास के लिए छठी योजना के अन्तर्गत एक स्कीम तैयार की गयी है। इसके कार्यान्वयन के लिए तीन राज्यों अर्थात् उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश को चुना गया है। इस स्कीम का उद्देश्य भण्डारण गोदामों का निर्माण, परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था आदि जैसी आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना है, ताकि साल के बीजों, जिसमें उनसे वसा का विलायक निस्सारण भी शामिल है, के संभाव्यताओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके।

किसानों के लिए सस्ते और छोटे ट्रेक्टर

2529. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे किसानों को सस्ते और छोटे ट्रेक्टर सप्लाई करने के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति तय की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार छोटे किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सस्ते और छोटे ट्रेक्टर सप्लाई करने के बारे में विचार करेगी जैसा कि प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम में अपेक्षा की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सरकार देश में पावर टिलरों और छोटे ट्रैक्टरों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। देश में प्रति वर्ष 16,000 पावर टिलरों और प्रति वर्ष लगभग 12,150 छोटे ट्रैक्टरों के उत्पादन की क्षमता अधिष्ठापित की गई है। मूल्य को कम रखने तथा छोटे किसानों द्वारा ट्रैक्टरों की खरीद कर सकने के लिए 12 ड्रा बार वाले पूर्ण निर्मित तथा इससे कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। छोटे किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद करने के लिए 10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर पर ऋण सुलभ है।

भूतपूर्व संसद् सदस्यों द्वारा फ्लैटों और बंगलों का कब्जा

2530. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1982 तक दिल्ली में कितने सरकारी बंगलों और फ्लैटों पर भूतपूर्व संसद् सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी और अन्य उच्चपदस्थ अधिकारियों के कब्जे में थे ;

(ख) इस तरह के बंगलों / फ्लैटों का क्या ब्यौरा है और इन पर किन-किन लोगों का कब्जा था और उनमें से प्रत्येक का इन पर कब से कब्जा है और उनमें से प्रत्येक पर किराए की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) वर्तमान सांसदों को उनका आवंटन करने हेतु इस प्रकार के बंगलों, फ्लैटों को खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बेघर लोगों के लिए घरों का निर्माण

2531. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में वर्ष 1980 में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए जमीन और बेघर लोगों के लिए घरों का निर्माण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(ग) क्या वर्ष 1980 और 1981 में सारे देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में लक्ष्यों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया; और

(घ) उपलब्धि में कितनी कमी है और इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) 1985 तक सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 68 लाख अनुमानित पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास-स्थल देने का उद्देश्य है । राज्य सरकार के आंकलनों के अनुसार महाराष्ट्र में 31-3-1982 तक भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या 5,46,097 है । जिनमें से 31-3-82 तक 4,70,625 परिवारों को आवास-स्थल दे दिये गए हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुमोदन की प्रतीक्षा में महाराष्ट्र से प्राप्त सिंचाई योजनाएं

2532. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुई ऐसी कितनी छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जो पिछले दो वर्षों से केन्द्र की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं के फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) माननीय सदस्य सम्भवतः केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि लघु स्कीमों को राज्य सरकारों द्वारा स्वयं स्वीकृति दी जाती है ।

बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) इन स्कीमों पर आगे कार्रवाई सुझाए गए और आगे अन्वेषणों और अध्ययनों के कर लिए जाने के पश्चात् और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण / उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो जाने के पश्चात् की जा सकती है । बशर्ते कि उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और लागत प्रभावकारिता सिद्ध हो जाए ।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सिंचाई लाभ (हजार हैक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	स्वीकृति न दिए जाने के कारण
	बृहद			
1.	वर्णा	110.85	9-11-76	राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
2.	अरुणावती	30.87	17- 1-79	—तदेव—
3.	करवा	10.32	19- 2-79	—तदेव—
4.	लोवर वुन्ना	22.87	17- 1-79	—तदेव—
5.	दूधगंगा	78.14	30- 7-79	—तदेव—
6.	वेन	17.37	22- 7-80	—तदेव—
7.	वावनथाडी	36.677	1- 4-80	—तदेव—
8.	तिल्लारी	36.66	18- 2-77	—तदेव—
9.	लोअर तिरना	16.952	13-12-77	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 8-7-82 को इस परियोजना पर विचार किया गया था ।
	जोड़ (अतिरिक्त सिंचाई लाभ)	360.709 अथवा लगभग 3.61 लाख हैक्टेयर		
	मध्यम स्कीमें	शून्य		

सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

3533. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के दौरान कम से कम 48 मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के पूरे होने का समय निर्धारित समय से आगे बढ़ गया है जिससे कि उनकी लागत में वृद्धि हो गयी है ;

(ख) क्या सरकार ऐसी परियोजनाओं की सूची पेश करेगी, जिसमें उनकी मूल अनुमानित लागत, वर्तमान वृद्धि और उनमें से प्रत्येक में पूरा होने तक लगने वाली लागत का ब्यौरा हो ;

(ग) क्या लघु सिंचाई परियोजनाओं के मामले में भी यही रुख बना है ;

(घ) यदि हां, तो इससे महाराष्ट्र की लघु और मुख्य परियोजनाएं कितनी प्रभावित हुई है ; और

(ङ) इस प्रकार के विलम्ब को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। यह अनुमान लगाया गया है कि 48 बृहद् सिंचाई परियोजनाओं को, उनके पूरा होने के निर्धारित समय से 5 वर्ष और इससे अधिक समय लगा है। इन परियोजनाओं के नाम, उनकी मूल अनुमानित लागत और अद्यतन अनुमानित लागत संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लघु सिंचाई परियोजनाओं के मामले में भी ऐसी ही स्थिति विद्यमान है, परन्तु अपेक्षतया कम अवधि होने के कारण, यह काफी कम मात्रा में है।

(घ) महाराष्ट्र में दस बृहद् सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और प्रश्न के (क) और (ख) भागों के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण में इन परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बहुत अधिक संख्या में परियोजनाएं हाथ में न लें जिसके कारण नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध साधनों की कमी हो जाती है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप में पूरा करने के लिए अधिकतम उपलब्ध धन आवंटित करें। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण परियोजनाओं की राज्य और केन्द्र के स्तरों पर मानीटरिंग भी की गई है। निर्माण में विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए दुर्लभ निर्माण सामग्रियां उपलब्ध कराने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

विवरण

उन बृहद सिंचाई परियोजनाओं की सूची, जिनके पूरा होने में निर्धारित समय से 5 वर्ष और इससे अधिक समय लगा है

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	स्कीम/राज्य का नाम	अनुमानित लागत मूल रूप से यथा-अनुमोदित	अद्यतन
1.	2.	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	नागार्जुनसागर	91.12	537.00
2.	श्री रामसागर चरण—एक	40.10	368.00
	बिहार		
3.	गंडक	36.56	415.81
4.	कोसी बराज और पूर्वी नहर	24.81*	149.70*
5.	बागमती सिंचाई	5.78	75.51
6.	पश्चिमी कोसी नहर	13.49	161.80
7.	सोन उच्च स्तरीय नहर	8.84	47.63
8.	राजपुर नहर	4.67	25.17
	गुजरात		
9.	उकई	47.07*	132.07*
10.	माही (कडाना)	16.27	95.02
11.	माही बजाज सागर	17.66	39.49
	हरियाणा		
12.	गुड़गांव नहर परियोजना	5.27	15.00
	जम्मू और काश्मीर		
13.	रावी नहर	29.84	52.82
	कर्णाटक		
14.	घटाप्रभा चरण—तीन	90.54	125.00

1 2	4	6
15. मालाप्रभा	19.91	192.00
16. अपर कृष्णा चरण—एक	58.20	400.00
केरल		
17. पेपियार घाटी	3.48	39.71
18. पम्बा	3.83	43.00
19. कल्लाडा	13.28	176.00
20. कुट्टियाडी	4.96	39.70
21. चित्तरपुझा	0.99	12.80
22. कन्हीरपुझा	3.65	32.00
23. पझासी	4.42	42.00
मध्य प्रदेश		
24. तवा	20.24*	96.08*
25. बर्ना	5.56	15.27
महाराष्ट्र		
26. अपर गोदावरी	14.20	38.38 (इसमें लाइनिंग कार्य चरण-दो शामिल है)
27. अपर तापी	13.11	73.63
28. खडकवासला	11.61	111.20
29. वर्णा	31.09	201.84
30. कृष्णा	27.66	114.96
31. जायकवाडी चरण-एक	38.46	158.49
32. कुकाडी	17.90	240.60
33. भीमा	42.58	184,52
34. बाघ	5.79	13.97
35. मूला	15.01	29.98
उड़ीसा		
36. महानदी डेल्टा	14.92 (राज्य द्वारा)	69.50
37. चम्बल चरण—एक	12.54	22.13

1 2	3	4
38. राजस्थान नहर चरण—एक	66.47	208.20
39. राजस्थान नहर चरण—दो	89.12	286.00
40. जाखम	2.33	31.84
41. गुड़गांव नहर	2.38	9.48
तमिलनाडु		
42. परम्बीकुलम अलियार	24.87*	66.72*
	31.73	
43. चित्तर पत्तनमकडा	6.67	7.67
उत्तर प्रदेश		
44. राम गंगा	38.53*	98.93*
	39.83	133.00
45. टिहरी बांध (सिंचाई)	40.00*	346.00*
	197.92	827.30
46. गंडक नहर	15.47	85.58
47. शारदा सहायक	64.84	378.00
पश्चिम बंगाल		
48. कंगसावती जलाशय	25.26	84.00

*केवल सिंचाई घटक की लागत

भारतीय खाद्य निगम के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

2534. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में हजारों कर्मचारी आठ वर्ष से अधिक समय से एक विशेष ग्रेडों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो चतुर्थ/तृतीय/द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का जोनवार/वर्गवार/ग्रेडवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि चयन ग्रेड बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के साथ 2-12-71 को हुए समझौते को प्रबन्धक मण्डल ने कार्यान्वित नहीं किया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अब क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को सहायक प्रबन्धकों/ प्रबन्धकों की

तरह अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और यदि हां, तो तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि देकर भेदभाव को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के औद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की सेवा-निवृति की आयु

2535. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली के औद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है ; और

(ख) क्या नियमों में कोई छूट दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 58 वर्ष।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव बिल्डिंग सोसायटी की आम सभा

2536. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव बिल्डिंग सोसायटी के लगभग 149 सदस्यों ने रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज को दिल्ली कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट के प्रावधानों के अधीन सोसायटी की आम सभा आयोजित करवाने के लिए विधिवत् अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रार ने सोसायटी की आम बैठक आयोजित करवाई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक की तारीख क्या थी और सोसायटी ने क्या संकल्प पारित किए थे ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बठक आयोजित न करने के कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 32 को समाप्त अथवा निलम्बित कर दिया जो कोआपरेटिव सोसायटीज की एक विशेष आम बैठक बुलाने के लिए रजिस्ट्रार को विशेष अधिकार प्रदान करता है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सहकारी समितियों के पंजीयक ने बताया है कि 194 व्यक्तियों से आम सभा की एक विशेष बैठक बुलाने के लिए एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) सहकारी समितियों के पंजीयक ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय

का एक आदेश है कि प्लाटों के आवंटन के बाद इस समिति की आम सभा की एक बैठक बुलाई जायेगी जो नई प्रबन्ध समिति के चुनाव के विशेष प्रयोजनार्थ होगी और केवल उन्हीं सदस्यों को बैठक में बुलाया जायेगा जिन्हें प्लाट आवंटित किये जाते हैं तथा उन्हीं को उसमें भाग लेने की अनुमति होगी और बैठक इसी तरीके से तथा न्यायालय द्वारा दी गई तारीख को बुलाई जायेगी।

प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मांग पत्र की प्राप्ति पर सहकारी समितियों के पंजीयक ने उच्च न्यायालय को एक आवेदन पत्र दिया परन्तु यह आवेदन पत्र उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 32 को न तो हटाया गया है और ना ही आस्थगित किया गया है। यह धारा सहकारी समिति के पंजीयक को किसी सहकारी समिति की आम सभा की विशेष बैठक को बुलाने के अधिकार नहीं देती है।

डी० आई० जैड० क्षेत्र में ऊपरी टैंकों का निर्माण

2537. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आई० जैड० क्षेत्र, गोल मार्किट में नए क्वार्टरों को पानी की सप्लाई के लिए ऊपरी टैंकों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऊपरी टैंकों का निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक ऊपरी टैंक बनाने वाले ठेकेदार का नाम क्या है प्रत्येक टैंक की निर्माण लागत क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ठेकेदारों ने निर्माण कार्य बन्द कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या निर्माण कार्य बन्द करने के लिए ठेकेदारों पर दण्ड लगाया गया है ; जो काफी समय पहले पूरा हो जाना चाहिए था ; और

(ङ) क्या निर्माण कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। (ख) मैसर्स एस० वी० देशमुख कानट्रेक्टर्स द्वारा दो ऊपरी टंकियां बनायी जा रही हैं, एक हैवलाक स्कवेयर में तथा एक जाफरी स्कवेयर में। इनकी प्रत्येक की लागत 3,32,325 रुपये हैं। एक अन्य ऊपरी टैंक डी० आई० जैड क्षेत्र के सेक्टर-4 में श्री रमेश लालवानी कानट्रेक्टर द्वारा 6,83,153 रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।

(ग) मैसर्स एस० वी० देशमुख कानट्रेक्टर्स द्वारा बनाये जा रहे दो ऊपरी टंकियों का निर्माण कार्य कुछ समय रुका रहा क्योंकि इन ठेकेदारों के पास उचित संरचनात्मक डिजाइन तैयार नहीं हैं।

(घ) निर्माण कार्य के लिए ठेके की शर्तों के अधीन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(ङ) यह निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है और नवम्बर, 1982 तक उसके पूर्ण हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये केरल की आवंटित धनराशि

2538. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में केरल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें शुरू करने का विचार किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्री बालेश्वर राम) :(क) केरल को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 4.02 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आवंटन किया गया है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए यह आवंटन सम्पूर्ण 1982-83 वर्ष हेतु 5-76 करोड़ रुपये हैं । इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए अपने अंश के रूप में सुलभ किए जाने की आशा है । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम नाम का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय क्षेत्रों में सक्षम तथा बैंक ग्राह्य आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध है जिनसे चुने लाभभोगी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनके आय स्तरों में वृद्धि होने की संभावना है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्य जिनसे ग्रामीण आधारभूत ढांचे का मजबूत बनाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है और जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, शुरू किए जा सकते हैं तथा ऐसे निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं जिनसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा गांवों में लोगों के जीवनस्तर में सुधार होता है। इस प्रकार के निर्माण कार्यों जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है, का एक निदर्शी विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों की एक निदर्शी सूची

1. सरकारी तथा सामुदायिक भूमि जिसमें स्थानीय निकायों जैसे पंचायतें आदि की भूमि भी शामिल हैं, पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, नहरों के तटों तथा रेलवे लाइनों आदि के साथ बेकार पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना, निरावृत्त वन क्षेत्रों तथा कृषि के लिए अयोग्य अन्य भूमि पर पेड़ लगाना, ईन्धन व चारे के लिए और फलदार वृक्ष लगाना,

2. पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि विकास परियोजनाएं,

3. मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, सिंचाई या मत्स्यपालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना तथा उनका पुनरुद्धार करना,

4. लघु सिंचाई निर्माण कार्य जिसमें बाढ़ बचाव, नालियां तथा जल लग्नता निवारक कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में माध्यमिक तथा मुख्य नालियों तथा खेत की नालियों का निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि, जल वाहिकाओं आदि की सफाई करना तथा उनकी गाद निकालना आदि शामिल है,

5. भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार।

6. मानक विनिर्देशनों के अधीन ग्रामीण सड़कें जहां उन्हें पक्का करने, क्रास जल निकासी, रख-रखाव आदि के लिए विशिष्ट वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं।

7. विद्यालय तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेय जल कुएं, वन क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए पेय जल के स्रोत, पशुओं के लिए तालाब, पिंजरापोल, गोशालाएं, सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअरों के लिए घर, नहाने तथा कपड़े धोने के घाट, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक कूड़ेदान और सामुदायिक बायोगैस संयंत्र।

दिल्ली में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2539. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में तूफान से ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को दिल्ली के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

देश में पेय जल प्रदान करने के लिए धन का आवंटन

2540. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-82 के दौरान देश भर में पेय जल प्रदान करने के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान केरल के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ग) केरल में शुरू की गई विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1981-82 तथा 1982-83 वर्षों के दौरान जल पूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

1980-81	—	कुल राज्य योजनायें — 427.065 करोड़ रुपये
1981-82	—	कुल राज्य योजनायें — 534-81 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय निम्न प्रकार से है :—

1980-81	—	100 करोड़ रुपये
1981-82	—	110 करोड़ रुपये

(ख) केरल के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार थे :—

1980-81	—	कुल राज्य योजना — 14.49 करोड़ रुपये
1981-82	—	कुल राज्य योजना — 14.50 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के लिए निम्न अनुदानें रिलीज की गई।

1980-81	—	330.08 लाख रुपये (प्रबोधन तथा परीक्षण एककों सहित)
1981-82	—	529.53 लाख रुपये —वही—

(ग) चूंकि पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है इसलिए ब्यौरे केरल सरकार के पास उपलब्ध होंगे।

खिरोरी नदी का जलविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण

2541. **भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई मंत्री** खिरोरी नदी के जल-विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6931 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिरोरी नदी पर किए गए जलविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षणों के निष्कर्षों और मुरैठा में और हरिहासपुर और कालीगांव गांवों के बीच नदी के आर-पार जल कपाटों का निर्माण करने के प्रस्तावों को इस बीच पूरा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी लम्बी अवधि तक आश्वासन पूरा न करने के क्या कारण हैं और क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बिहार सरकार ने अब सूचित किया है कि हरिहरपुर तथा कालीगांव के बीच स्लूस गेट एवं पुल के लिए कोई स्कीम उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राज्य सरकार ने अब आश्वासन के परिशोधन के लिए सूचना दे दी है और आश्वासन को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री भेज दी गई है।

पश्चिम कोसी नहर का मार्ग निर्धारण

2542. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री पश्चिमी कोसी नहर के मार्ग निर्धारण के बारे में 8 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 और 2482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० पी० 139 और 249.70 के बीच पश्चिमी कोसी नहर के मार्ग-निर्धारण को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या कमला नदी पर साइफर जल ढ़ांचे का मार्ग निर्धारण आगे उत्तर की ओर ले जाया गया है और इसे उत्तर की ओर ले जाकर मार्ग निर्धारण को अधिक स्वाभाविक बनाकर कमला नदी के पश्चिम के प्रस्तावित मोड़ को समाप्त किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या कमला नदी के पश्चिम में प्रमुख नहर और शाखा नहरों के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अन्सारी) : (क) से (घ) कमला नदी के पार साइफन के लिए माडल अध्ययनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप, इस भाग में संरचना और नहर के संरेखन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) राज्य सरकार ने मुख्य और शाखा नहरों के विभिन्न भागों में भूमि के अधिग्रहण में हुई प्रगति की सूचना नहीं दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निम्न श्रेणी के लिपकों की नियुक्ति

2543. **श्री रामविलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1982 के 'नवभारत टाइम्स' और 2 जून, 1982 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण में निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितताओं और घपले का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रेस रिपोर्ट में मामले की वास्तविक स्थिति को बिल्कुल तोड़-मरोड़ कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में जल की निर्बाध सप्लाई के लिए उपाय क्रियान्वित करने हेतु कृतिक बल

2544. **श्री भीकूराम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को जल की निर्बाध सप्लाई पुनः चालू करने के अल्प तथा दीर्घावधि उपाय क्रियान्वित करने के लिए कृतिक बल गठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने हाल ही में किसी कार्य दल का गठन नहीं किया है। तथापि नगर के तीव्र विकास तथा इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की सुविधाओं की मांग में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन के लिए बृहत्त योजना बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के लिए 1974 में एक समिति का गठन किया था—

(क) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली की जल पूर्ति के संसाधनों को बढ़ाने के लिए सलाह देना ;

(ख) जल प्रदाय तथा मल व्ययन सेवाओं के लिए बृहत्त योजना को बनाने के लिए सामान्य मार्गनिर्देश निर्धारित करना । इसमें क्षेत्रीय जनसंख्या की वृद्धि के तथ्य और बागवानी, औद्योगिक प्रयोजनों आदि के लिए पानी की आवश्यकता तथा दिल्ली की बृहद योजना के अन्तर्गत अनुमोदित रिहायशी क्षेत्रों के लिए मल व्ययन सेवाओं के लिए पानी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाय ; और.

(ग) पानी के स्रोतों की उपलब्धता तथा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए राजधानी में प्रति व्यक्ति के लिए पर्याप्त जलपूर्ति निधारित करना ।

इस समिति की रिपोर्ट को 1975 में अन्तिम रूप दिया गया था ।

उर्वरक उद्योग पर उर्वरकों के आयात में हुई वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव

2545. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के आयात में भारी वृद्धि होने और घरेलू उत्पादन में कम वृद्धि होने से देश में उर्वरक उद्योग के लिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरक की खपत लक्ष्य से कम हुई है और आयातित उर्वरकों का भारी स्टाक जमा हो गया है ;

(ग) क्या उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं । 1980-81 की तुलना में 1981-82 में उर्वरकों के आयात में लगभग 20 प्रतिशत की कमी हुई और देशी उत्पादन में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) यद्यपि 1981-82 के दौरान खराब मौसम की स्थितियों आदि के कारण उर्वरकों की खपत का स्तर 66 लाख मीटरी टन के लक्ष्य से कम होकर पोषक तत्वों के रूप में 60-64 लाख मीटरी टन था, तथापि 1980-81 की खपत के स्तर की तुलना में यह 9.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट करता है । इसी वजह से आयातित उर्वरकों को उठाने पर भी असर पड़ा ।

(ग) तथा (घ) सरकार मूल्य-स्थिति की निरंतर समीक्षा करती है, ताकि समुचित कार्यवाही की जा सके ।

दिल्ली में डबलरोटी की कमी

2546. **श्री ई० बाला नन्दन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में डबलरोटी निर्माता बिजली की कटौती के कारण निर्धारित मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जिससे राजधानी में डबलरोटी की कमी हो गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बिजली उपलब्ध है और बिजली के अवरोध के कारण डबलरोटी के उत्पादन में हानि के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, हाल ही में रोहतक रोड़ पर ट्रांसफार्मर के फेल हो जाने के कारण अस्थायी बाधा पड़ी थी ।

(ख) महरोली में 100 मेगावाट 220/66 किलोवाट का एक ट्रांसफार्मर रिज वैली में 2 नं० 30 मेगावाट 66/33 किलोवाट ट्रांसफार्मर और पार्कस्ट्रीट में 30 मेगावाट का एक ट्रांसफार्मर चालू हो जाने से दिल्ली विद्युत प्रदाय प्रतिष्ठान रोहतक रोड़ के ट्रांसफार्मरों के खराब हो जाने के कारण प्रस्तावित क्षेत्रों में लोड शेडिंग बिल्कुल समाप्त करने की स्थिति में हो गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों में दैनिक मजूरी वाले श्रमिक

2547. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों में 30-6-1982 को कितने व्यक्ति दैनिक मजूरी वाले श्रमिकों की सूची में थे ;

(ख) दैनिक मजूरी वाले ऐसे कितने श्रमिक हैं जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजूरी पर काम करते करते 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और आयु सीमा पार कर जाने के कारण नियमित रोजगार के पात्र नहीं रहे हैं ; और

(ग) इन श्रमिकों को नियमित रिक्त पदों पर लेकर उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) वे मस्टर रोल कर्मचारी जो आरम्भ में मस्टर रोल पर रखते समय निर्धारित आयु-सीमा के भीतर थे, वे नियमित रिक्तियों पर नियमित करने के पात्र हैं चाहे उनकी आयु वास्तविक नियमितीकरण के समय निर्धारित आयुसीमा से भी ऊपर हो ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान

2548. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में दिनांक 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुई अवधि तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी-वार ऐसे कितने रिक्त पद थे, जो उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पड़े थे;

(ख) क्या कुछ रिक्त पदों को गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में ऐसे पदों की संख्या क्या है तथा इन रिक्त पदों को गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाने के क्या-क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आवश्यक वस्तुओं की कमी

2549. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल, दालों और वनस्पति घी की कमी है;

(ख) दिल्ली में जनवरी से जून, 1982 के दौरान इन वस्तुओं के उपलब्ध न होने और

सप्लाई न करने के लिए क्रमशः उपभोक्ताओं और दुकानदारों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में सरकार द्वारा भविष्य में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण कक्षों को वस्तुओं की सप्लाई न किए जाने और इनकी अनुपलभ्यता जैसे मामलों के बारे में 717 शिकायतें लिखित रूप में और 631 शिकायतें टेलीफोन पर मिली थीं।

(ग) विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गये और परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 117 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। 795 मामलों में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की स्थानीय कमियों की रिपोर्टों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है और तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने के प्रयास किए जाते हैं।

सरकारी नीति का मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और उनके संचलन और वितरण में सुधार लाने पर है। कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं के देशी उत्पादन की कमी आयात करके पूरी की जा रही है। दिल्ली प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित कानूनी उपायों को सख्ती से लागू कर रहा है।

देवनगर में सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

2550. **श्री अजीत कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने देवनगर, नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी क्वार्टरों की भारी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के प्रत्येक क्वार्टर के लिए ठेकेदारों को मरम्मत की कितनी लागत का भुगतान किया गया, ठेके में किस प्रकार की मरम्मत का उल्लेख था, ठेकेदार से मरम्मतोपरान्त क्वार्टर का कब्जा लेने से पहले तथा उसे भुगतान करने से पहले किस स्तर पर किस ढंग का निरीक्षण किया गया था ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहीदों की याद में स्मारक

2551. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन ने उन्हें इस आशय का एक पत्र लिखा है कि उन शहीदों की याद में दिल्ली में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाना चाहिए जिन्होंने स्वतन्त्रता संगठन में अपने प्राणों की आहुति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उसने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने 1857 से 1947 तक के स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया उनकी स्मृति में एक शहीद स्मारक पहले ही बिलिंग्डन क्रीसेन्ट, नई दिल्ली में स्थापित किया जा चुका है।

भूमि सीमा अधिनियम का क्रियान्वयन

2552. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि सीमा सम्बन्धी कानून और निर्णयों का क्रियान्वयन फालतू भूमि का वितरण तथा प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर करके भूमि सम्बन्धी रिकार्ड पूरा करना चाहती है;और

(ख) यदि, हां तो पश्चिम बंगाल में न प्रकट की गई भूमि पर कब्जा करने के बारे में पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में जो विधान सभा द्वारा पारित एक संशोधन केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिए महीनों से पड़ा हुआ है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1981 पर भारत सरकार की टीका-टिप्पणियां पश्चिम बंगाल सरकार को 1-4-82 को भेजी गई थी। इन टीका-टिप्पणियों पर राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इंगलैंड से मुंह तथा पैर की बीमारियों की वैक्सीन का आयात

2553. **श्री लहनासिंह तुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरी बोर्ड ने इंगलैंड से पैर तथा मुंह की बीमारियों की वैक्सीन का आयात किया है :

(ख) क्या यह भी सच है कि डेरी बोर्ड ने बिना स्वीकृति और परियोजना स्थल के, दक्षिणी राज्यों को वैक्सीन की निःशुल्क सप्लाई के लिए विश्व बैंक ऋण के 30 करोड़ रुपये को इसमें अंतर्ग्रस्त करते हुए रोग मुक्त जोन शुरू करने में निर्णय किया है बावजूद इस तथ्य के कि उत्तर में इस रोग से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह पैर तथा मुंह की बीमारियों की वैक्सीन परियोजना की

असफलता को छिपाने के लिए है क्योंकि इसकी प्रत्येक खुराक की लागत उससे ज्यादा लेने की सम्भावना है जो कि परियोजना आंकलनों में आंकी गई है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में जांच का आदेश देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत मार्गदर्शी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्रयोग के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने वैध कस्टम स्वीकृति परमिट के आधार पर ब्रिटेन से खुरपका और मुंहपका रोग के टीके आयात किए हैं।

(ख) सरकार का यह प्रयास है कि खुरपका मुंहपका रोग को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए, जिससे दुग्ध उत्पादन और भारवहन शक्ति के रूप में 400 करोड़ रुपए से ऊपर वार्षिक हानि होती है। तदनुसार, आपरेशन फलड-II के अन्तर्गत सरकार ने हैदराबाद के निकट खुरपका और मुंहपका रोग की वैक्सीन के प्लान्ट की स्थापना को और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में रोग मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए, खुरपका और मुंहपका रोग के लिए मार्गदर्शी वैक्सीन के कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। चूंकि खुरपका और मुंहपका रोग स्थानिक होता है, क्रमिक रोग समाप्ति के एक भाग के तौर पर खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए एक परियोजना क्षेत्र के चुनाव की आवश्यकता होती है, जहां संगरोध पट्टी के निर्माण द्वारा संगरोध संभव होता है। चूंकि भारत का सुदूर दक्षिणी हिस्सा समुद्र द्वारा तीन तरफ से घिरा हुआ है, अतः प्राकृतिक अवरोध केवल एक किनारे से होता है, जहां कि रोग मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रभावकारी संगरोध नियन्त्रण की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, चूंकि पशु, देशी साथ ही साथ संकर नस्ल के पशु खुरपका और मुंहपका रोग से अधिकतर प्रभावित होते हैं, इसलिए गाय बहुल क्षेत्रों को रोग मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए चुना गया है। तथापि इस योजना का अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जा सकता है, जो कि सम्बन्धित राज्यों में लगे हुए जिलों में रोग को नियंत्रण में लाने के लिए इच्छुक हैं और जहां कि सहकारिता अवसंरचना अच्छी प्रकार स्थापित है। रोग मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए इस परियोजना को आपरेशन फलड-II परियोजना के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त उपहार जिन्सों की बिक्री के जरिए भारतीय डेरी निगम द्वारा अर्जित निधि से वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है और न कि विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के द्वारा।

(ग) यह निष्कर्ष निकालना अभी सम्भव नहीं है कि खुरपका और मुंहपका रोग की वैक्सीन की प्रति खुराक लागत को परियोजना रिपोर्ट में दी गई लागत से बहुत अधिक होने की आशंका है। खुरपका और मुंहपका रोग के लिए वैक्सीन प्लान्ट की व्यवहार्यता रिपोर्ट को 1978 में तैयार किया गया था, और तब से सामान्य मुद्रास्फिति को ध्यान में रखते हुए लागत में मामूली वृद्धि होने की आशा है। व्यवहार्यता रिपोर्ट में दिखाई गई लागत अधिकतम उत्पादन के स्तर पर आधारित है और इस प्रकार उत्पादन लागत, जब तक कि वह अधिकतम क्षमता पर न पहुंच जाए, अधिक होने की आशा है।

(घ) जी, नहीं।

जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर बांध

2554. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर एक बांध का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारत और बंगला देश के बीच नवम्बर, 1977 में हुए करार के अन्तर्गत, भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा दोनों से किसी एक सरकार द्वारा प्रस्तावित शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए स्कीमों का अन्वेषण और अध्ययन किया जाना अपेक्षित था और उसे तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिशें देनी थीं ।

इस संदर्भ में, भारत सरकार ने जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बराज के निर्माण और 320 किलोमीटर लम्बी गंगा लिंक नहर के निर्माण का प्रस्ताव किया था, जिसका बीच का एक-तिहाई भाग बंगलादेश में होगा, जिसके साथ ब्रह्मपुत्र-बारक नदी प्रणाली पर तीन संचयन जलाशयों का निर्माण किया जाएगा ।

भारत में ब्रह्मपुत्र बराज और लिंक नहर के लिए अन्वेषण-कार्य इस समय किए जा रहे हैं।

वन-भूमि का गैर वन सम्बन्धी उपयोग के लिए राज्यों की ओर से प्रस्ताव

2555. **श्री राम जी भाई मावणि**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वन भूमि का गैर-वन सम्बन्धी उपयोग के लिए विभिन्न राज्यों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है तथा शेष प्रस्तावों को कब और कैसे स्वीकृति प्रदान की जाएगी ;

(ख) गुजरात तथा अन्य राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षों की अंधाधुन्ध कटाई से अनमोन वन भूमि का कितने लाख हैक्टर क्षेत्र नष्ट कर दिया गया है तथा उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) गुजरात तथा अन्य राज्यों में वन भूमि की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि वह गैर-वन भूमि क्षेत्र न बन जाए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद अर्थात 25-10-1980 और 30-6-1982 के बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से वन भूमि को गैर वन सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रयोग में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी 197 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 171 मामलों को पहले ही निपटाया जा चुका है । शेष 26 मामलों को भी शीघ्रता से निपटाने के लिए कार्यवाही चल रही है ।

(ख) और (ग) वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई का दायित्व राज्यों के वन विभागों का होता है जो इस प्रकार के कार्य नियमित कार्यकारी योजनाओं के अनुसार करते हैं। वन क्षेत्रों में अवैध कटाई के मामले में भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आते हैं, जिन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारें पूरी तहह से सक्षम हैं। गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध कटाई के 14843 मामले पकड़े गए हैं। अन्य राज्यों में भी अवैध कटाई को रोकने तथा वनों के संरक्षण के लिए इसी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, किसी आरक्षित वन को आरक्षण-मुक्त करने अथवा किसी वन भूमि को गैर वन सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रयोग में लाने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का ठेका

2556. **श्री जय नारायण रोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का ठेका प्रति वर्ष दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ठेके की शर्तें क्या होती हैं और इस वर्ष यह ठेका किसको दिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, चार्टर नीति के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए विदेशी जलयानों को चार्टर करने के लिए अनुमति दी जाती है।

(ख) जनवरी, 1981 में घोषित चार्टर नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रचालन क्षेत्र क्षेत्रीय जल सीमा से आगे होगा (12 समुद्री मील)

(2) चार्टर करने वाले को नियत समय में निर्धारित संस्था में जलयानों को खरीदना होगा।

(3) प्रारम्भ में चार्टर तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसका अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(4) किसी एक प्रकार के मत्स्यन के लिए किसी एक आवेदक के लिए जलयानों की अधिकतम संख्या पांच तक सीमित होगी।

(5) विदेशी कप्तान, अभियन्ता इत्यादि के तहत अध्ययनरत भारतीयों सहित, भारतीयों की संख्या चालक दल का कम से कम 20 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त, एक भारतीय वैज्ञानिक को जलयान पर नियुक्त किया जाएगा।

1982 में अभी तक निम्नलिखित तीन भारतीय कम्पनियों को चार्टर के लिए अनुमति पत्र जारी किए गए हैं :—

1. मैसर्स ट्रापिकल शिपिंग कम्पनी प्रा० लि०, विशाखापट्टनम।
2. मैसर्स वरुण मैरीन प्राडक्टस् प्रा० लि०, नई दिल्ली।
3. मैसर्स बॉटल ग्लास प्रा० लि०, नई दिल्ली।

स्वीकृति के लिए लम्बित उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

2557. **चिन्तामणि जेना** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेज रखी हैं ;

(ख) प्रस्ताव कब भेजे गए थे ;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनमें से कितनी और किस-किस परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है तथा उसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई स्कीमों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 तथा 2 में दी गई हैं ।

केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो जाने और अन्तर्राज्यिक पहलू का, जहां कहीं आवश्यक है, समाधान हो जाने के बाद तथा उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावकारिता सिद्ध हो जाने पर स्कीमों पर स्वीकृति के लिए आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

विवरण-1

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	जांच की वर्तमान अवस्था
1	2	3	4
1. लम्बित पड़ी स्कीमें			
	क. बृहत् स्कीमें		
1.	दारजंग, चरण-II	14-11-79	इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित पड़ी परियोजनाओं की सूची से निकाल दिया गया है, क्योंकि अनुपालन रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि तक ध्यान नहीं दिया गया था ।
2.	कानुपुर सिंचाई परियोजना	8-5-81	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1	2	3	4
3.	लोअर तिरना सिंचाई परियोजना	3-6-82	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
4.	ओंग बांध सिंचाई परियोजना	17-6-82	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
	ख. मध्यम स्कीमें		
5.	बचुआ (चरण-II)	10-10-80	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
6.	बाघलती सिंचाई परियोजना	7-7-81	स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी तथा विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां सितम्बर, 1981 में राज्य सरकार को भेज दी गई थीं।
7.	देव सिंचाई परियोजना	31-3-82	स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी तथा टिप्पणियाँ राज्य सरकार को जून, 1982 को भेज दी गई थीं।
8.	बोण्डापिपली सिंचाई परियोजना	19-9-79	इस स्कीम को केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित पड़ी स्कीमों की सूची में से निकाल दिया गया है क्योंकि संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को एक वर्ष से अधिक के समय तक नहीं भेजी गयी।
9.	बरसुआन सिंचाई परियोजना	17-12-80	यह एक अन्तर्राज्यिक परियोजना है। उड़ीसा राज्य सरकार ने बिहार सरकार की सहमति प्राप्त करनी है।

विवरण-2

II योजना आयोग द्वारा अनुमोदित स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
	मध्यम स्कीमें				
1.	बंकाबल सिंचाई परियोजना	2-11-79	13-6-80	571.975	7.560
2.	बड़ानाला सिंचाई परियोजना	19-3-80	7-1-81	1139.258	13.745
3.	कंसवहल सिंचाई परियोजना	7-10-80	29-9-81	539.380	7.640
4.	अपर जोंक सिंचाई परियोजना	2-1-81	29-9-81	1277.73	13.890

पंजाब में धान की फसल का खराब होना

2558. **श्री भीखा भाई :**
श्री सुशील भट्टाचार्य :
श्री जायनल अबेदिन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र द्वारा 1977, 1978, और 1979 के दौरान खरीदा गया धान का बहुत बड़ा भण्डार गोदामों में कुटाई के लिए पड़ा है और खराब हो गया है तथा लोगों के खाने लायक नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुटाई क्यों नहीं की गई और .0 करोड़ रुपये से अधिक के भण्डार को क्यों सड़ने दिया गया और, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब में 25 करोड़ रुपये का चावल/धान कुटाई के लिए पड़ा हुआ है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान पंजाब में खरीदी गई 41.65 लाख मी० टन धान में से 31-5-1982 तक 2.25 लाख मी० टन की मात्रा बिना कुटे पड़ी थी। स्टाक की स्थिति के बारे में निरीक्षण प्रगति पर है। पंजाब में निगम की स्वयं की मिलिंग क्षमता बहुत ही सीमित है और इस धान की कुटाई के लिए उन्हें प्राइवेट मिल मालिकों पर निर्भर करना पड़ता है। 2.25 लाख मी० टन धान की मात्रा में से 1.92 लाख मी० टन की मात्रा की मिलिंग करवाने के लिए ठेका किया गया था लेकिन इस मात्रा की मिलिंग नहीं हो पायी थी क्योंकि मिल मालिकों ने ठेके के अपने दायित्वों के अनुसार इस धान को नहीं उठाया था और इस कारण उन्हें जुर्माना और हानि की राशि आदि अदा करनी होगी।

(घ) जी, हां। तथापि, समाचार में पंजाब के चावल के मिल मालिकों के स्टाक का उल्लेख किया गया है और न कि भारतीय खाद्य निगम के स्टाक का।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को दिया गृह निर्माण अग्रिम

2559. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को दिये गए गृह निर्माण अग्रिम के बारे में 26 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का "सी० पी० एफ०" ट्रस्ट सिद्धांत रूप से इस बात पर सहमत हो गया है कि पांच वर्ष की सेवावधि पूरी करने वाले कर्मचारी फ्लैटों आदि का भुगतान करने के लिये अंशदायी भविष्य निधि से अन्तिम रूप से राशि निकाल सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं क्योंकि बहुत से कर्मचारी किस्तों को अदा करने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के सी० पी० एफ० ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के बारे में निगम के अंशदायी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन करना होगा । यह प्रस्ताव अभी भी निगम के विचाराधीन है ।

भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबन्धक के संवर्ग में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

2560. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबन्धक (सामान्य) (डिपो)/ (मंत्रालयी) के ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कुल कितने रिक्त पद आरक्षित हैं और गत तीन वर्षों के दौरान, जोनवार, ए० जी० आई० से उपरोक्त ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने अधिकारी पदोन्नत किये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि सहायक प्रबन्धक के ग्रेड में 40-सूत्री रोस्टर नहीं रखा गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या 40-सूत्री रोस्टर की प्रतियां सभापटल पर रखी जायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबन्धक का पद, ए० जी०-I, जो कि श्रेणी-III का पद है, के स्तर से उस पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए वार जोनों के सम्बन्धित जोनल प्रबन्धकों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अपेक्षित सूचना निगम के मुख्यालय के पास उपलब्ध नहीं है और वे इसे अपने जोनल कार्यालयों से इकट्ठी कर रहे हैं ।

फालतू जमीन और उसका वितरण

2561. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में जारी किए गए रास्ट्रीय मार्ग निर्देशों के आधार पर राज्यों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम का पुनरीक्षण करने के बाद देश में (राज्यवार) पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी जमीन फालतू घोषित की गई है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में (राज्यवार) फालतू जमीन की घोषणा और वितरण जैसे भूमि सुधारों को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक की उपलब्धियां क्या थीं ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने तथा कमी को पूरा करने हेतु क्या ठोस उपाय किये गये हैं और ऐसा कितने समय में होगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ग) ब्योरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे प्रशासनिक तथा कानूनी अड़चनों को दूर करके अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को कब्जे में लेने और उसका शीघ्र वितरण करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहीं हैं।

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्त तक संशोधित
अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत प्रगति

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	घोषित फालतू क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	9,09,327	4,34,780	3,10,223
असम	5,81,540	5,06,866	3,19,353
बिहार	2,37,347	1,47,109	1,41,484
गुजरात	1,39,063	51,865	7,509
हरियाणा	27,662	18,319	17,863
हिमाचल प्रदेश	94,187	93,371	3,344
जम्मू और कश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	2,72,759	99,542	59,873
केरल	1,20,731	80,687	52,859
मध्य प्रदेश	2,56,703	1,42,464	81,194
महाराष्ट्र	3,74,577	2,90,467	2,81,586
मणिपुर	1,029	36	—
उड़ीसा	1,37,179	1,20,893	1,02,214
पंजाब	46,352	15,967	12,353

1	2	3	4	
राजस्थान		2,64,939	2,33,496	1,29,009
तमिलनाडु		79,472	76,020	58,372
त्रिपुरा		1,828	1,601	1,205
उत्तर प्रदेश		2,82,884	2,61,164	2,33,463
पश्चिम बंगाल		1,60,821	1,03,326	58,632
दादरा तथा नगर हवेली		8,958	6,079	3,368
दिल्ली		722	374	374
पाण्डिचेरी		2,520	1,006	904
	योग :	40,00,600	26,85,432	18,75,182

विवरण-2

छठी पंचवर्षीय योजना में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण हेतु लक्ष्य

(000 एकड़)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र	छठी योजना लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	1015
2.	असम	582
3.	बिहार	300
4.	गुजरात	134
5.	हरियाणा	30
6.	हिमाचल प्रदेश	286
7.	जम्मू और काश्मीर	—
8.	कर्नाटक	400
9.	केरल	150
10.	मध्य प्रदेश	257
11.	महाराष्ट्र	375

1	2	3
12.	मणिपुर	2
13.	उड़ीसा	200
14.	पंजाब	46
15.	राजस्थान	794
16.	तमिलनाडु	204
17.	त्रिपुरा	4
18.	उत्तर प्रदेश	282
19.	पश्चिम बंगाल	172
20.	दादरा और नगर हवेली	9
21.	दिल्ली	2
22.	पांडिचेरी	3
	योग :	5247

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न राज्यों में मकानों का निर्माण

2562. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें गत 10 वर्षों से मकान आवास प्रदान नहीं किए गए हैं ; और

(ग) उन्हें शीघ्रता से आवासों का आवंटन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) एक बिवरण संलग्न है ।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अधिक मकानों का निर्माण ही एकमात्र विकल्प है जो संसाधनों के दबाव से सीमित है ।

• विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1.	दिल्ली
2.	महाराष्ट्र
3.	पश्चिम बंगाल
4.	तमिलनाडु
5.	कर्नाटक
6.	आन्ध्र प्रदेश
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	चण्डीगढ़
9.	उत्तर प्रदेश
10.	त्रिपुरा
11.	मणिपुर
12.	नागालैण्ड
13.	मेघालय

सेवों का उत्पादन और निर्यात

2563. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेवों का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) 1982 के दौरान कितनी मात्रा में सेव निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादकों को सेव का लाभकारी मूल्य मिले, क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में सेवों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य नीचे दिए गए हैं :

(1) जम्मू व काश्मीर

(2) हिमाचल प्रदेश

(3) उत्तर प्रदेश

(4) सिक्किम तथा

(5) मणिपुर

(ख) 1982 में अब तक सेवों का निर्यात नगण्य रहा है।

(ग) उत्पादकों को सेव का लाभकारी मूल्य देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

(1) देश में शीतागार क्षमता बढ़ाई जा रही है,

(2) शीघ्र नष्ट होने वाले फलों का उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों को रेल द्वारा शीघ्र भेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) चुने गए निम्न कोटि तथा पकने से पूर्व गिरे सेव, जो देश में सेवों के कुल उत्पादन का 10-12 प्रतिशत बैठता है, का उपयोग करने के लिए परिसंस्करण एककों की स्थापना की गई है। वेडिंग मशीनों के द्वारा सान्द्रित तथा गूदों से फलों के जूस का विपणन करना भी शुरू कर दिया गया है।

(4) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेकेड) जैसी सहकारी एजेंसियां सेव के व्यापार में लगी हुई हैं, जो सेब के उत्पादकों को बेहतरीन आय प्राप्त करने में सहायता करती हैं।

(ङ) सेवों के निर्यात पर 17.5 प्रतिशत की दर पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी जाती है और पैकिंग सामग्री आदि के लिए 10 प्रतिशत की दर पर आयात पुनः पूर्ति भी दी जाती है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वनरोपण के लिए हिमाचल प्रदेश में दी गई राशि

2564. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में वनरोपण के लिए राज्य सरकार को सरकार द्वारा कितनी राशि दी जा रही है और क्या तत्संबंधी ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) निम्नलिखित दो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वन रोपण को बढ़ाया जा रहा है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्धारित की गई राशि नीचे दी गई है :

(1) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी	150.35 लाख रुपये
(2) हिमालय क्षेत्र से पैदा जल और वृक्ष संरक्षण	390.00 लाख रुपये

(ख) सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे वन संरक्षण की ओर पूरा ध्यान दें। इसके अतिरिक्त, 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी राज्य सरकार या कोई भी अन्य प्राधिकरण, केन्द्र सरकार की पूर्व

अनुमति के बिना किसी आरक्षित वन को अनारक्षित वन में या किसी भी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के लिए नहीं बदल सकता है।

छठी योजना में हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रावधान

2565. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए छठी योजना में कितना प्रावधान किया गया है ;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) छठी पंच-वर्षीय योजना के लिए, राज्य सरकार की 34.45 करोड़ रुपये की मांग के प्रति हिमाचल प्रदेश के सिंचाई सेक्टर के लिए योजना आयोग द्वारा 31.45 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा संसाधनों की स्थिति, पिछले वर्षों के कार्य निष्पादन और प्रस्तावों की व्यवहारिकता, इत्यादि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर, योजनागत परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

लीलाजन जलाशय योजना, हजारीबाग का अनुमोदन

2566. **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला हजारीबाग में कोई लीलाजन जलाशय योजना है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने सी० डब्ल्यू सी० टी० ए० बी० निदेशालय के दिनांक 22-8-79 के पत्र संख्या 13/137/77-टी० ई०/3138 के तहत इस योजना को तकनीकी स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा भेजी लीलाजन जलाशय स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जा चुकी है और उनकी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा एक संशोधित स्कीम प्रस्तुत की जानी है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

इस स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एवं लागत प्रभावकारिता आदि के पूर्णतः सिद्ध हो जाने के पश्चात्, इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

मुहाने जलाशय-योजना

2567. **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में कोई मुहाने जलाशय योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने सी० डब्ल्यू० सी० टी० बी० निदेशालय के दिनांक 10 जून, 1977 के पत्र संख्या 13/39/75-टी० ई०/43 के तहत इस योजना को तकनीकी स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई मुहाने जलाशय स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जा चुकी है और उनकी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा एक संशोधित स्कीम प्रस्तुत की जानी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इस स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावकारिता आदि पूर्णतः सिद्ध हो जाने के पश्चात् इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास हेतु बिहार के लिए मंजूर की गई राशि

2568. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** ग्रामीण विकास हेतु बिहार के लिए मंजूर की गई राशि के बारे में 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बिहार में, जिलावार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित किये गए और प्राप्त किए गए लक्ष्यों के बारे में वर्ष 1981-82 सहित नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) विशेष रूप से मधुबनी और दरभंगा जिलों में स्व-नियोजन के लिए, जिलावार, कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए और जिन्होंने उत्पादक प्रयास शुरू किए हैं ; और

(ग) प्रशासनिक और संगठनात्मक बाधाओं की विशेष बातें क्या हैं और किए गए उपचारात्मक उपायों का परिणाम क्या रहा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के भू-सम्पदा सम्बन्धी सूत्रों की क्रियान्विति

2569. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि मंत्री** 20 सूत्री कार्यक्रम के भू-सम्पदा सम्बन्धी सूत्रों को क्रियान्विति के बारे में 16 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण राहत उपायों से लाभान्वित लोगों की संख्या और ऋण देने तथा ऋण राहत अधिनियमों का उल्लंघन करने के लिए दण्डित किए गए लोगों के सम्बन्ध में सारे देश की राज्यवार और बिहार की जिलावार स्थिति क्या है ; और

(ख) अवैध लेन देन को समाप्त करने हेतु इन उपायों की पूरी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ऋण और निवेश पर एक सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण के परिणामों से, जो कि कुछ वर्षों के पश्चात् ही उपलब्ध हो जायेंगे, समूचे देश की राज्यवार स्थिति का पता चलेगा। इसी प्रकार बिहार सरकार ने सामाजिक अध्ययन संस्थान के निदेशक श्री ए० एन० सिन्हा से अनुरोध किया है कि वे उस राज्य में ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की सीमा तथा राज्य में ऋण राहत अधिनियम के प्रभाव के बारे में अध्ययन सर्वेक्षण करें। अध्ययन सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् बिहार के बारे में पूरी स्थिति का पता चल जायेगा।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऋण राहत उपायों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय करें।

चेंगम, नार्थ अर्काट के सेन्ट्रल स्टेट फार्म में मजदूर नेताओं का उत्पीड़न

2570. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री चेंगम उत्तरी अर्काट स्थित सेन्ट्रल स्टेट फार्म में भ्रष्ट प्रशासन के बारे में 16 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3682 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्दोलन के बाद अनेक मजदूर नेताओं को उत्पीड़ित किया गया है और उन्हें दुबारा वापस नहीं लिया गया है ;

(ख) क्या जिस विवाद के कारण आन्दोलन हुआ था अभी भी उसको हल नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पीड़ित किए गए मजदूरों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने विवाद को हल करने तथा उत्पीड़ित कामगारों को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यूनियन के नेताओं को, उनके द्वारा जनवरी, 1981 में शुरू किए गये आन्दोलन की वजह से कार्य मे हटाने के जान-बूझकर प्रयास नहीं किए गए हैं। जिन कर्मचारियों ने जनवरी, 1981 में फार्म छोड़ दिया था, उन्हें फार्म में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में आवश्यकतानुसार लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग) किसी भी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है। सुलझाये न गये विवाद पहले ही समझौते के लिए तमिलनाडु सरकार के राज्य समाधान तंत्र के पास पड़े हैं।

चेंगम नार्थ अर्काट स्थित सेन्ट्रल स्टेट फार्म के कर्मचारियों को छुट्टियां

2571. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री चेंगम, उत्तरी अर्काट स्थित सेन्ट्रल स्टेट फार्म मे भ्रष्ट प्रशासन के बारे में 16 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3682 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेंगम स्थित सेन्ट्रल स्टेट फार्म निगम में काम करने वाले मजदूर न्यूनतम मजदूरी

अधिनियम, 1948 की धारा 13 (ख) और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम के नियम 23 के अन्तर्गत साप्ताहिक छुट्टी और छुट्टियां पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह छुट्टियां न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम में नियुक्त कर्मचारी न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकतम 1948 की धारा 13 (बी) के अन्तर्गत साप्ताहिक छुट्टी के हकदार हैं। तथापि, साप्ताहिक छुट्टी के पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के विनियमनों के अनुसार नियंत्रित होता है। तमिलनाडु सरकार के नियमों और आदेशों के अन्तर्गत कृषि श्रमिक साप्ताहिक छुट्टी के लिए पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उपलब्धियां

2572. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का लक्ष्य लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना, स्थायी सामुदायिक आस्तियां बनाना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक उत्पादन हो और जीवन-स्तर श्रेष्ठ बने या ;

(ख) उपरोक्त लक्ष्यों में से प्रत्येक लक्ष्य की ठोस उपलब्धियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि रोजगार के लिए पैदा किए गए अधिकतर अवसर अस्थायी स्वरूप के जन-दिवसों में थे, न कि स्थायी सामुदायिक अस्तियां बनाने में लाभप्रद थे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां।

(ख) 1977-78 से 1981-82 के वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण (1) संलग्न है। इन वर्षों के दौरान सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण (2) भी संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ग्रामीण मजदूरों को उस समय रोजगार के अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है, जब उन्हें किसी भी अन्य स्थान पर लाभप्रद रोजगार सुलभ नहीं होता है। इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार का सृजन हालांकि लाभप्रद है लेकिन यह पूर्णतया अस्थायी स्वरूप का होता है। सृजित किए गए रोजगार के लेखे निसन्देह ही श्रमदिनों में रखे जाते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य के फलस्वरूप टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है हालांकि कुछ मामलों में सृजित परिसम्पत्तियों को टिकाऊ बनाया जा रहा है।

विवरण-1

काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

(लाख श्रम दिनों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1977-78 में सृजित रोजगार	1978-79 में सृजित रोजगार	1979-80 में सृजित रोजगार	1980-81 में सृजित रोजगार	1981-82 में सृजित रोजगार	अवधि, जिससे कालम-6 के आंकड़े सम्बन्धित हैं
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	—	186.79	532.91	476.99	503.55	मार्च, 82
2. असम	6.11	4.06	115.86	14.85	53.20	यथोपरि
3. बिहार	14.76	641.41	753.39	343.96	58.32	दिसम्बर, 81
4. गुजरात	—	301.00	523.84	9.75	56.55	मार्च, 82
5. हरियाणा	—	30.03	124.19	257.17	24.35	दिसम्बर-81
6. हिमाचल प्रदेश	0.70	2.72	43.47	36.47	12.38	मार्च, 82
7. जम्मू और काश्मीर	—	10.99	29.83	34.77	11.00	यथोपरि
8. कर्नाटक	5.02	20.15	12.13	16.32	233.94	यथोपरि
9. केरल	21.43	46.83	149.18	130.97	128.32	यथोपरि
10. मध्य प्रदेश	44.00	450.00	456.02	661.31	357.68	यथोपरि
11. महाराष्ट्र	—	143.00	499.12	430.77	468.00	मार्च, 82

1	2	3	4	5	6	7
12. मणिपुर	—	—	—	असूचित	0.20	मार्च, 82
13. मेघालय	—	—	—	—	—	यथोपरि
14. नागालैंड	—	—	—	असूचित	1.36	यथोपरि
15. उड़ीसा	68.69	362.69	552.27	321.67	115.86	दिसम्बर,81
16. पंजाब	0.14	49.93	32.28	36.40	33.48	मार्च, 82
17. राजस्थान	6.87	500.74	400.35	259.52	95.48	यथोपरि
18. सिक्किम	—	—	—	0.47	1.00	यथोपरि
19. तमिलनाडु	—	—	222.54	147.53	746.80	यथोपरि
20. त्रिपुरा	—	29.65	99.97	77.45	14.90	दिसम्बर, 81
21. उत्तर प्रदेश	58.19	223.32	819.52	479.36	230.75	मार्च, 82
22. पश्चिम बंगाल	218.43	533.44	540.50	328.51	195.38	यथोपरि
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1.48	5.58	2.02	यथोपरि
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.33	0.18	0.07	सितम्बर, 81
25. मिजोरम	—	2.00	0.52	0.55	शून्य	यथोपरि
26. पाण्डिचेरी	—	—	1.50	1.26	0.24	मार्च, 82
27. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	यथोपरि
योग :	444.34	3538.46	5911.20	4071.81	3344.83	

(—) सूचित करता है कि सम्बन्धित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने इन वर्षों के दौरान कार्यक्रम में भाग नहीं लिया ।

विवरण-2

राज्य सरकारों से 20-7-82 तक प्राप्त सूचना के अनुसार पर आधारित 1977-78 से 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वनरोपण/ सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (है०)	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पेय जल कुएं (संख्या)	ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	सिंचाई बाढ़ बचाव कार्य आदि द्वारा लाभान्वित क्षेत्र (है०)	भूमि तथा जल संरक्षण कार्यों द्वारा लाभान्वित क्षेत्र (है०)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,339	72,482	202	35,417	38,872
2.	असम	86	79	123	1,885	2,200
3.	बिहार	48	100	101	3,34,447	8,520
4.	गुजरात	3,31,097	5,474	34	1,60,233	1,48,883
5.	हरियाणा	2,333	55	87	17,851	9,699
6.	हिमाचल प्रदेश	4,489	10	45	48,519	9,508
7.	जम्मू और काश्मीर	46	29	105	2,29,672	352
8.	कर्नाटक	8,647	346	3561	55,890	45,403
9.	केरल	457	276	91	63,152	48,572
10.	मध्य प्रदेश	17,200	—	—	3,715	11,612
11.	महाराष्ट्र	11,900	—	—	153,715	731,500
12.	मणिपुर	—	4	4	21	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	50	95	60	10	20
15.	उड़ीसा	94,679	641	630	485,543	51,216
16.	पंजाब	18,977	—	—	46,088	5,755
17.	राजस्थान	7,473	388	486	15,456	4,129
18.	सिक्किम	—	—	—	—	7

1 2	3	4		5	6
19. तमिलनाडु	2,804	1,870	1986	86,824	1,837
20. त्रिपुरा	37,025	225	200	39,052	30,520
21. उत्तर प्रदेश	19,473	355	—	—	141,193
22. पश्चिम बंगाल	1,259	7,854	316	343,609	21,292
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30	1	7	250	—
24. अरुणाचल प्रदेश	575	—	—	—	515
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
26. मिजोरम	850	—	—	—	—
27. पाण्डिचेरी	7	—	—	287	40
योग	5,68,442	90,284	8,038	21,21,636	13,17,645

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सड़क कार्य सुधारी गई/ मरम्मत की गई	निर्मित ग्रामीण सड़कें	स्कूल तथा बालवाड़ी भवन (संख्या)	अन्य निर्माण कार्य (संख्या)
1	2	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	24359	30,906	17,599	165,135
2.	असम	1803	846	471	101
3.	बिहार	37478	172	25	9,979
4.	गुजरात	5614	3,328	205	1,501
5.	हरियाणा	934	6,799	2,315	8,958
6.	हिमाचल प्रदेश	1185	342	274	512
7.	जम्मू और काश्मीर	2660	21,278	526	1,557
8.	कर्नाटक	2514	5,283	3,720	1,158
9.	केरल	14670	18,360	517	1,773

1	2	3	4	5
10. मध्य प्रदेश	100	223	26,032	58,752
11. महाराष्ट्र	—	15,973	—	4,168
12. मणिपुर	—	36	3	1
13. मेघालय	—	—	--	—
14. नागालैंड	—	1084	155	168
15. उड़ीसा	114221	17,427	25,857	5,644
16. पंजाब	4571	2,317	397	131,45
17. राजस्थान	43457	13,945	11,415	43,573
18. सिक्किम	—	2	1	—
19. तमिलनाडु	19451	10,109	5,336	3,011
20. त्रिपुरा	10421	13,770	3,476	3,943
21. उत्तर प्रदेश	110821	50,850	24	57,221
22. पश्चिम बंगाल	34464	67,551	8,426	4,038
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	55	2	2
24. अरुणाचल प्रदेश	40	165	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—
26. मिजोरम	—	304	196	162
27. पाण्डिचेरी	—	35	—	—
योग	428,763	281,160	106,972	384,502

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना

2573. **श्री सूरजभान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान और विकास के लिए "विशेष कम्पोनेन्ट योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए अलग-अलग कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) उपर्युक्त दो वर्षों में अलग-अलग उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में खर्च न करने/कम करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए "विशेष संघटक योजना" के अधीन सिंचाई के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तराई क्षेत्र को वृक्षहीन होने से बचाना

2574. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख वन-संरक्षक श्री सुन्दर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तराई क्षेत्र में पहाड़ वृक्ष-हीन हो गए हैं, भूमि कट गई है और पानी के स्रोत सूख रहे हैं;

(ख) क्या रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि प्राइवेट वन ठेकेदार उत्तरकाशी और नैनीताल में सक्रिय हैं; तथा क्षेत्र की पारिस्थिति की दशा पूर्णतः बदल गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के दोषपूर्ण संरक्षण की प्रक्रिया को बदलने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ख) जी, हां ।

(ग) राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई, वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नीति पर विचार करने हेतु 17-8-1981 को प्रो० के० एन० कौल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जिसमें विशेषज्ञ, वन संरक्षक और पारिस्थिति की विशेषज्ञ शामिल हैं । समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है । समिति की सिफारिश पर निर्णय लिए जाने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 मीटर से ऊपर हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है ।

तराई क्षेत्र में वृक्षहीनता, भूमि कटाव और जल स्रोतों के सूख जाने का मुख्य कारण विगत में बड़े वन क्षेत्रों को खेती के लिए इस्तेमाल करना है । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अस्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में यूक्लिप्टस वृक्षारोपण का इस पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि श्री सुन्दर लाल बहुगुणा की रिपोर्ट में उल्लिखित निजी ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की कटाई नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों की "नाप भूमि" में की जाती थी । यह स्थिति उत्तर प्रदेश पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के पारित किए जाने से पहले थी । अब नाप भूमि पर भी कोई भी वृक्ष बिना सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं काटा जा सकता है ।

अन्डमान मत्स्य पालन विभाग के इन्जिन ड्राईवर एवम् मास्टर फिशरमैन के वेतनमान का पुनरीक्षण

2575. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्डमान मत्स्य विभाग के इंजिन चालक एवं मास्टर फिशरमैन के वेतनमानों के पुनरीक्षण की स्वीकृति के बारे में ए० एस० एन० प्रशासन के 11-1-1982 के पत्र संख्या 5-2 (28)/80—एम० एच० एफ० (डेनी) की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौ-सैनिक विभाग में कार्य कर रहे इजिन ड्राइवर-व-मास्टर फिशरमैन के वेतन के बराबर इस प्रश्न पर निर्णय करने का है; और

(घ) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई थी । सरकार के लिए प्रस्ताए पर स्वीकृति देना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ) चूंकि अन्डमान और निकोबार प्रशासन के समुद्री विभाग में इंजिन ड्राइवर-कम-मास्टर नामक कोई पद नहीं है, अत: मुद्दे को उपर्युक्त पद के समान निपटाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

विश्व बैंक दल का सिंचाई परियोजनाओं का दौरा

2576. **श्री मोहन लाल पटेल** :
श्री नवीन रवाणी :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक के पर्यवेक्षण दल ने कुछ ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का दौरा किया है, जो विश्व बैंक द्वारा वित्त-घोषित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्रगति के बारे में क्या मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सिंचाई परियोजनाओं के काम की प्रगति अत्यधित धीमी है, यदि हां, तो उन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउरंहमान अंसारी) : (क) और (ख) ऐसी बहुत-सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिन्हें विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है । बैंक-पर्यवेक्षण मिशन बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं का समय-समय पर दौरा करते हैं जिन्हें विभिन्न राज्य

सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । मूल्यांकन, मूल्यांकन-पूर्व तथा पर्यवेक्षण मिशन, परियोजना-स्थलों का दौरा करने के अलावा, प्रायः परियोजना प्राधिकारियों, राज्यों सरकारों और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श करता है । बैंक के मिशनों के प्रेक्षणों और निकर्षों को अनुगामी कार्यवाही के लिए बैंक द्वारा परियोजना प्राधिकरण राज्य सरकार तथा भारत सरकार को भेजा जाता है ।

(ग) भारत में बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति सामान्यतः संतोषप्रद कही जा सकती है । तथापि, जहां-कहीं किसी विशिष्ट परियोजना की प्रगति धीमी होती है तो राज्य सरकारों तथा परियोजना प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही/उपाय करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों में असंतोष

2577. **श्री लहना सिंह तुर :**
डा० ए० यू० आजमी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है जैसा कि पोस्टर लगाकर और शिकायत समिति से कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से त्यागपत्र देकर, कर्मचारियों के विरोध से स्पष्ट हुआ है ;

(ख) क्या कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार किया गया है और कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों पर कार्यवाही की गई है ;

(ग) सरकारी अनुदेशों के अन्तर्गत स्थापित संयुक्त कर्मचारी परिषद के चुनावों को अनिश्चित काल तक और अचानक स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं और चुनाव कब कराए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कारगर रूप से सुधार करने और असंतोष दूर करने के हेतु तंत्र गठित करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कुछ हाथ से लिखे हुए इश्तहार जो सम्भवतः बाहर से लाए गए थे चोरी से कृषि भवन के दो तलों पर चिपकाये गए थे लेकिन इसके कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्टाफ में कोई बड़े पैमाने पर व्याप्त असंतोष नहीं है । यह काम स्पष्ट रूप से कुछ असंतुष्ट लोगों का था ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के संयुक्त कर्मचारी परिषद के कुछ स्टाफ प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से पद त्याग पत्र भेजा था । बाद में, इन स्टाफ प्रतिनिधियों ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया ।

(ख) संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 17 मदों पर

कार्यवाई की गई है। फिर भी उन मदों पर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के तहत नहीं हैं या केन्द्रीय सरकार की कार्यविधि और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं हैं; कार्यवाही करना मुश्किल है।

(ग) संयुक्त कर्मचारी परिषद के स्टाफ प्रतिनिधियों की अवधि (कार्यकाल) 18 जून, 1982 को समाप्त हो गई। नया चुनाव करने से सम्बन्धित एक कार्यक्रम मई, 1982 में तैयार किया गया और परिचालित किया गया था। यह चुनाव 29 जून, 1982 को किया जाना था। इसी बीच, परिषद की स्थायी वित्त समिति और शासी निकाय की बैठकों के लिए 28 और 29 जून, 1982 निर्धारित कर दिया गया। इसको ध्यान में रखते हुए, स्टाफ प्रतिनिधियों के चुनाव को स्थगित करना पड़ा। अब इस चुनाव के लिए 31 जुलाई, 1982 का दिन निश्चित किया गया है।

(घ) संयुक्त परिषद की एक योजना पहले से ही मौजूद है और संयुक्त कर्मचारी परिषदों की स्थापना परिषद के मुख्यालय और संस्थानों दोनों में की गई है। इन योजना में सेवा और कार्य की स्थितियों से सम्बन्धित सभी मामले, कर्मचारियों का कल्याण और कार्य के स्तर की क्षमता में सुधार सम्मिलित हैं। फिर, कार्यालय सम्बन्धी मामलों में कर्मचारियों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एक फोरम प्रदान करने और ऐसी शिकायतों पर विचार करने में कुछ हद तक वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता बरतने तथा शिकायतों पर शीघ्र विचार करने तथा फैसला लेने से सम्बन्धित कार्यवाई को सुनिश्चित करने हेतु, परिषद के मुख्यालय और संस्थानों में शिकायत कक्षों की स्थापना की गई है। इसलिए, इसके अलावा किसी अन्य यांत्रिकी की स्थापना जरूरी नहीं है। क्योंकि वर्तमान यांत्रिकी ही उपरोक्त कार्यों के लिए पर्याप्त है।

खरीफ की फसल के आधार

2578. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मानसून में परिवर्तन को देखते हुए खरीफ की फसल के आसार कैसे हैं; और

(ख) यदि मानसून जल्दी आ जाए तो क्या सरकार के पास जल्दी पकने वाले धान के बीजों का भण्डार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस अवस्था में खरीफ फसल की सम्भाव्यताओं का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। तथापि देश के कई भागों में हाल की सामान्य से भारी वर्षा का खरीफ की सफलों पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

(ख) जी, हां।

राज्यों को ग्रामीण विकास हेतु धनराशियों का आवंटन

2579. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में विभिन्न राज्यों को ग्रामीण विकास के लिए कितनी-कितनी धनराशियां आवंटित की गई थी ; और

(ख) राज्य-वार कितनी धनराशि व्ययगत हुई तथा इस सम्बन्ध में वर्ष 1980, 1981 और 1982 का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, और मरूभूमि विकास कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास के कुछेक मुख्य कार्यक्रमों के लिए राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को दिए गए केन्द्रीय बंटन विवरण 1 से 4 में दर्शाये गए हैं।

(ख) सामान्यतया, वित्तीय वर्ष के अंत में राज्यों के पास इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोग में न लाई गई निधियां अगले वर्ष के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध हैं और वर्ष के अन्त में समाप्त नहीं होती हैं।

विवरण-1

1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	427,890	715,39	1434,76
असम	79,000	26,60	148,50
बिहार	560,795	551,59	1249,06
गुजरात	252,490	466,87	508,79
हरियाणा	121,160	161,15	29?,93
हिमाचल प्रदेश	73,200	167,55	176,10
जम्मू और काश्मीर	45,465	59,05	180,07
कर्नाटक	215,550	376,86	360,30
केरल	195,360	351,66	371,54
मध्य प्रदेश	388,925	708,94	1374,00

1	2	3	4
महाराष्ट्र	355,785	713,7875	693,02
मणिपुर	29,700	32,50	13,50
मेघालय	12,700	13,28	16,50
नागालैंड	50,000	73,42	63,00
उड़ीसा	342,100	680,34	731,19
पंजाब	152,765	277,50	351,00
राजस्थान	233,200	580,00	676,09
सिक्किम	7,500	3,00	6,00
तमिलनाडु	479,600	655,74	1272,00
त्रिपुरा	14,550	41,26	50,00
उत्तर प्रदेश	987,930	1407,657	2513,00
पश्चिम बंगाल	249,825	42,08	39,84
केन्द्र शासित क्षेत्र			
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1,300	—	—
अरुणाचल प्रदेश	10,500	52,00	130,00
चण्डीगढ़	1,560	5,00	—
दादरा और नगर हवेली	—	—	—
दिल्ली	8,290	17,83	30,00
गोवा, दमन और दीव	16,875	52,73	72,00
लक्ष्यद्वीप	1,500	13,00	—
मिजोरम	9,250	15,00	60,00
पाण्डिचेरी	5,000	6,66	23,40

विवरण-2

1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बंटन दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित	1979-80 (बंटित खाद्यान्नों का मूल्य)	1980-81 (बंटित खाद्यान्नों का मूल्य तथा नकद निधियां)	1981-82 (बंटित खाद्यान्नों का मूल्य तथा बंटित नकद निधियां और पिछले वर्ष का उपयोग में न लाया गया अतिशेष)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3375.00	2945.00	1896.00
असम	75.00	344.70	400.00
बिहार	5190.00	3181.50	1210.00
गुजरात	707.00	715.70	560.00
हरियाणा	980.00	425.25	160.00
हिमाचल प्रदेश	413.00	370.45	120.00
जम्मू और काश्मीर	630.00	244.75	80.00
कर्नाटक	690.00	1073.40	828.00
केरल	490.00	1047.60	804.00
मध्य प्रदेश	4900.00	3855.50	1320.00
महाराष्ट्र	1900.00	1902.60	1420.00
मणिपुर	60.00	13.10	10.00
मेघालय	कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया	24.25	10.00
नागालैंड	105.00	54.00	20.00
उड़ीसा	3465.00	2093.50	820.00
पंजाब	377.00	260.00	252.00
राजस्थान	3978.00	2185.20	468.00
सिक्किम	—	12.05	8.00

1	2	3	4
तमिलनाडु	1095.00	1959.50	1480.00
त्रिपुरा	3 0.00	109.45	60.00
उत्तर प्रदेश	8106.00	6610.90	3340.00
पश्चिम बंगाल	3010.00	2155.60	1348.00
केन्द्र शासित क्षेत्र			
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.62	25.05	16.00
अरुणाचल प्रदेश	7.50	9.30	16.00
चण्डीगढ़	कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया	—	—
मिजोरम	15.00	9.30	32.00
पाण्डिचेरी	10.50	19.05	16.00

विवरण-3

1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय बंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	483.750	584.000	555.700
2.	बिहार	206.875	283.000	350.000
3.	गुजरात	191.875	186.900	224.105
4.	हरियाणा	85.375	97.500	68.310
5.	जम्मू और काश्मीर	94.375	45.000	97.500
6.	कर्नाटक	279.630	323.420	241.292
7.	मध्य प्रदेश	78.750	194.00	184.170

1	2	3	4
8. महाराष्ट्र	236.250	340.00	279.115
9. उड़ीसा	70.305	118.630	169.250
10. राजस्थान	535.375	570.000	535.090
11. उत्तर प्रदेश	300.000	343.580	342.962
12. तमिलनाडु	212.580	220.000	350.860
13. पश्चिम बंगाल	165.625	105.500	182.950

विवरण-4

1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान मरू भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
1. गुजरात	82.50	74.135	81.720
2. जम्मू और काश्मीर	22.50	47.360	24.275
3. हिमाचल प्रदेश	23.65	50.000	25.000
4. हरियाणा	48.75	129.895	152.500
5. राजस्थान	554.00	496.945	507.650

शीर्ष आवास वित्त पोषण समिति समाप्त करना

2580. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री डी० एम० पुत्त गौडा :
श्री गुफरान आजम :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के एक विशेष कार्यकारी दल ने शीर्ष आवास वित्त पोषण समिति को समाप्त करने और आवास एवं शहरी विकास निगम को सहकारी आवास क्षेत्र में प्राथमिक समितियों (सोसाइटीज) के साथ ऋण के मामले में सीधे कार्य करने की अनुमति देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष कार्यकारी दल की उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का पूरा ब्यौरा क्या है और वे आवास समितियों और आवास बोर्ड के लिए कहां तक लाभकारी रहेंगीं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) से (ग) हुडको की धन देने की पद्धति की जांच करने तथा उसमें परिवर्तन सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिश की :—

हुडको को सीधे ही प्रारम्भिक गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण देना चाहिये तथा ऐसी समितियों से वे ही दरें वसूल करनी चाहिये जो कि यह आवास बोर्डों जैसे अन्य ऋण गृहीताओं से आय वर्ग की निर्भरता पर वसूल करेगा । हुडको राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति को भी सहकारी आवास को वित्तीय सहायता देने के लिए ऋण दे । उनसे भी वही दरें वसूल की जानी चाहिये । सरकार द्वारा उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा 1-7-1982 से लागू कर दी गई है ।

इससे हुडको द्वारा प्राप्त योजनाओं को अपेक्षाकृत जल्दी निपटाने में सहायता मिलेगी ।

कृषि आदानों की खरीद के लिए राज्यों को छूट

2581. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने वर्ष 1982-83 के दौरान खरीफ की फसल के लिए उर्वरकों, बीज और कीट नाशकों जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकारों को किसी प्रकार की छूट दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र ने इसके तुरन्त पूर्व भुगतान हेतु क्या मार्ग निर्देशन जारी किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सम्भवत: कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए राज्यों को मंजूर किए गए अल्पावधि ऋण के बारे में जानकारी मांगी गयी है । चालू खरीफ 1982 के मौसम के दौरान अभी तक इस प्रयोजन के लिए संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 108.5 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण 6 प्रतिशत की ब्याज की दर से स्वीकृत किया गया है । यह ऋण, लेने की तारीख से 6 महीने के अन्दर अदा किया जाना है । ऋण की राशि की शीघ्र अदायगी करने पर ब्याज में $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की छूट है । तथापि, मूलधन/ब्याज की राशि के पुनर्भुगतान में चूक होने पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ऋण की देय राशि पर दंड ब्याज वसूल किया जाता है ।

विवरण

खरीफ 1982 के दौरान कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए राज्यों को स्वीकृत किया गया अल्पावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	खरीफ 1982 के दौरान स्वीकृत राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.00
2.	असम	2.00
3.	बिहार	7.00
4.	गुजरात	8.50
5.	हरियाणा	6.75
6.	हिमाचल प्रदेश	0.50
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1.00
8.	कर्नाटक	6.00
9.	केरल	1.50
10.	मध्य प्रदेश	8.00
11.	महाराष्ट्र	8.00
12.	मणिपुर	0.78
13.	मेघालय	0.67
14.	उड़ीसा	8.00
15.	पंजाब	15.00
16.	राजस्थान	7.00
17.	सिक्किम	0.30
18.	त्रिपुरा	0.50
19.	उत्तर प्रदेश	15.00
20.	पश्चिम बंगाल	7.00
	कुल	108.50

जलवायु परिवर्तन के बारे में भारतीय कृषि संस्थान का प्रतिवेदन

2582. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि संस्थान ने विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत में जलवायु परिवर्तन के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के अनुसार हो रहे प्रमुख परिस्थितिक परिवर्तन क्या हैं ; और

(ग) जनसंख्या और हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर इस वातावरण के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । यह सच नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत में जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में फसल बीमा योजना

2584. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी राज्य सरकारों ने फसल बीमा करने का निर्णय लिया है ;

(ख) कितने राज्य अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों पर इस योजना को यथाशीघ्र लागू करने हेतु जोर दिया है ;

(घ) उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जो राज्य सरकारों ने शुरू की हैं ; और

(ङ) इससे किसानों को किस सीमा तक लाभ होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार की 10 राज्य सरकारों ने अब तक सामान्य बीमा निगम की मार्गदर्शी फसल बीमा योजना को अपनाया है। अन्य राज्य सरकारें इसे अपनाने के बारे में विचार कर रही हैं।

(ग) जी, हां ।

(घ) मार्गदर्शी फसल बीमा योजना की प्रमुख बातें विवरण में दी गई हैं ।

(ङ) इस योजना में सभी जलवायु सम्बन्धी जोखिमों तथा दंगों और हड़तालों के कारण उत्पादन में होने वाली अपरिहार्य हानि से बचने के लिए अनेक प्रकार के जोखिम से सुरक्षा का प्रावधान है।

विवरण

वर्तमान फसल बीमा योजना की प्रमुख बातें

(1) **जोखिम से सुरक्षा** : इस योजना में अनेक प्रकार के जोखिम अर्थात (क) सूखे, बाढ़, कोहरा तथा चक्रवात जैसे जलवायु सम्बन्धी जोखिम (ख) कीटों के प्रकोप (ग) पौधों की बिमारियों, और (घ) दंगों और हड़तालों से उत्पादन को होने वाली अपरिहार्य हानि से सुरक्षा की व्यवस्था है।

(2) **योजना की पद्धति** : मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत, फसल बीमा योजना ऋण संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले लघु अवधि कृषि ऋणों से जुड़ी है, जिससे किश्तों और हर्जाने की रकम वसूल करने में सुविधा हो। फसल बीमा पालिसी जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन द्वारा फसल ऋण देने वाली संस्थाओं के द्वारा जारी की जाती है। जनरल इन्शोरेंस कार्पोरेशन का किसानों के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। वित्तीय संस्थाएं जनरल इन्शोरेंस कार्पोरेशन को प्रिमियम का भुगतान करने और दावों को निपटाने के लिए जिम्मेदार होती है। क्षति का एक भाग अर्थात क्षतिपूर्ति न की जा सकने वाली सीमा को किसान द्वारा स्वयं वहन करना होता है। जनरल इन्शोरेंस कार्पोरेशन ने मार्गदर्शी योजना के अन्तर्गत बीमे के लिए प्रति कृषक 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

(3) **क्षेत्रों का चयन** : जनरल इन्शोरेंश कार्पोरेशन द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके योजना चलाने के लिए क्षेत्रों का चयन किया जाता है। चुने गये क्षेत्र की प्रत्येक मूल इकाई के अन्तर्गत, चाहे वास्तविक उपज प्रति कर्ज लेने वाले व्यक्ति की कितनी भी हो, चुनींदा फसलों के लिए प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति की दर बीमा किए गए सभी किसानों के लिए एक समान होती है।

(4) **प्रीमियम और क्षतिपूर्ति का आधार** : (क) प्रत्येक चुनींदा क्षेत्र में प्रत्येक चुनींदा फसल और मौसम के लिए प्रिमियम और क्षतिपूर्ति की दरें पिछले 10 वर्षों के फसल कटाई अनुभवों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। बीमा योजना में फसल नष्ट होने पर शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है तथा किसानों को हानि के एक भाग का बोझ खुद उठाना होता है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल के बारे में फसल कटाई के आंकड़ों के आधार पर की गई गणना से यह पता चला है कि फसल का नुकसान होने पर पूर्ण क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रीमियम की दरें 30 प्रतिशत के आसपास होंगी और इस दर पर किसान प्रिमियम नहीं दे पाएंगे। अतः प्रिमियम और क्षतिपूर्ति की तालिकाएं इस आधार पर तैयार की गई हैं कि किसान नुकसान के एक भाग का बोझ स्वयं उठायेंगे, जिसे क्षतिपूर्ति न की जाने वाली सीमा कहते हैं, जो 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच होती है। इस आधार पर ऐसे अनेक क्षेत्र होंगे जहां प्रिमियम की दर 5 प्रतिशत के भीतर होती है और अनेक ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां प्रिमियम, बीमा की गई राशि के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच होता है। फसल बीमा योजना चलाने और एन० एस० एस० पर आधारित 10 वर्ष के फसल उपज के आंकड़ों के पिछले अनुभव से पता चलता है कि भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए 5 से 10 प्रतिशत प्रीमियम पर्याप्त रहेगा। किसी भी किसान को क्षतिपूर्ति का भुगतान केवल तब देय हो जाता है जब बीमा किए गए क्षेत्र में औसत उपज गारंटीशुदा उपज से कम हो जाती है।

(5) **राज्य और केन्द्रीय सरकार की भूमिका** : राज्य सरकारें जनरल इन्शोरेंस कार्पोरेशन के साथ मिलकर बीमा करती हैं तथा प्रिमियम और क्षतिपूर्ति में उनका 25 प्रतिशत तक का हिस्सा होता है। वे फसल कटाई अनुभव के माध्यम से फसल की उपज का अनुमान लगाने की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी हैं। भारत सरकार ने लघु और सीमान्त किसानों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास जैसे विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में भुगतान किए जाने वाले प्रिमियम के लिए 25 प्रतिशत तक की राज सहायता देने की स्वीकृति दी है तथा राज्य सरकारें भी 25 प्रतिशत की और राज सहायता देंगी।

गेहूं और चने का समर्थन मूल्य

2585. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं और चने के कितने समर्थन मूल्य की वर्ष-वार सिफारिश की है ?

(ख) क्या इस बारे में गत पांच वर्षों के दौरान समिति की सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो किस वर्ष; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (ग) 1977-78 (फसल वर्ष) से गेहूं और चने के अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1978-79, और 1979-80 और 1981-82 के लिये सरकार द्वारा गेहूं के निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य और 1978-79 और 1979-80 के लिये चने के निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य वही थे, जिनकी कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। सरकार द्वारा 1977-78 और 1980-81 की फसल के लिये गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य और 1977-78 के लिये चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्य स्तर से अधिक निर्धारित किये गये थे। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना था। वर्ष वर्ष 1980-81 और 1981-82 में सरकार ने बाजार मूल्य का विद्यमान स्तर ऊंचा होने के कारण चने का समर्थन मूल्य घोषित करना आवश्यक नहीं समझा।

विवरण

गेहूं और चने के अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य

(प्रति क्विंटल रुपयों में)

फसल वर्ष	अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य	
	जैसी कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई है	जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया है
	गेहूं	
1977-98	110.00	112.50
1978-79	115.00	115.00

1979-80	117.00	117.00
1980-81	127.00	130.00
1981-82	142.00	142.00
	चना	
1977-78	120.00	125.00
1978-79	140.00	140.00
1979-80	145.00	145.00
1980-81	165.00	एन० ए०
1081-82	227.00	एन० ए०

एन० ए० घोषित नहीं किये गये हैं।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी

2586. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी का सामना कर रहे लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्य सरकारें सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों, किराए के वाहनों और ठेलों द्वारा परिवहन करके पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें कुओं/सामुदायिक हौजों को खोदने, गहरा करने और उनकी सफाई करने और शहरी तथा ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को तेज करने के लिए भी कार्यक्रम चलाती है।

चालू वर्ष में राजस्थान पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिए निम्नलिखित आनुषंगिक कार्यक्रम तैयार किए हैं :—

1. सरकारी टैंकरों, किराए के वाहनों और किराए की बैलगाड़ियों और ऊंट गाड़ियों द्वारा परिवहन ;

2. प्याऊ व्यवस्था

3. रेल टैंकरों

4. ग्रामीण एवं शहरी जल सप्लाई योजना कार्यों को तेज करना ;

5. हैंड पम्पों का पुर्नस्थापन

राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की शिफारिशों पर भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को चालू वष के मानसून से पूर्व के सूखे के लिए सितम्बर, 1982 के अन्त तक स्वीकृत 3703.30

लाख रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है। इसमें पेयजल कार्यक्रम के लिए व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा शामिल थी:

	(लाख रुपये)
(1) जल परिवहन एवं सप्लाई	27.00
(2) प्याऊ प्रणाली	19.00
(3) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिए सार्वजनिक स्वाथ्य अभियान्त्रिकी योजनाएं	961.79
(4) शहरी क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी योजनाएं	260.00
(5) पशुओं के लिए पेयजल की सप्लाई	40.00

चुकन्दर से चीनी

2587. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चुकन्दर से चीनी बनाने वाली कुल कितनी चीनी मिल हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) चुकन्दर का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है और क्या वहां पर चुकन्दर से चीनी बनाने वाली चीनी मिलें हैं ;

(ग) लागत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए चुकन्दर से पैदा की गई चीनी और गन्ने से पैदा की गई चीनी के तुलनात्मक दाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केवल एक चीनी मिल अर्थात् दि गंगानगर शुगर मिल्स लि० श्री गंगानगर, राजस्थान ही चुकन्दर से चीनी तैयार कर रही है।

(ख) वाणिज्यिक पैमाने पर केवल राजस्थान के श्रीगंगानगर के क्षेत्र में ही चुकन्दर की पैदावार की जाती है और उस क्षेत्र में केवल एक ही फैक्ट्री है।

(ग) चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए माल की लागत कम थी लेकिन रूपान्तरण लागत अधिक थी, अतः चूकन्दर और गन्ने की चीनी की कुल उत्पादन लागत लगभग समान ही थी। इस समय गन्ने और चुकन्दर की चीनी के मूल्यों के बीच कोई अन्तर नहीं है।

केन्द्रीय पशु पालन फार्म

2588. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां भारतीय गायों और भैंसों के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित पशु विकास संबंधी वैज्ञानिकों की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय पशु पालन फार्म खोले गए हैं और ऐसे केन्द्र किन तारीखों को खोले गये थे ;

(ख) इन फार्मों में किन नस्लों के पशु रखे गए हैं ;

(ग) इन फार्मों में कितने पशु मरे हैं और कितने पशु जीवित हैं ;

(घ) इन फार्मों में फार्मों के खोलने से अब तक कितने नए मादा पशु रखे गए हैं ; और

(ङ) नए मादा पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) अपेक्षित ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) से (ङ) जानकारी सम्बन्धित केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	जिन स्थानों में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं, उनके नाम	फार्मों की स्थापना की तारीख	नस्लों की श्रेणी
1.	सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान	30-9-1967	थारपारकर पशु
2.	धामरोड, जिला सूरत, गुजरात,	17-11-1968	सूर्ती भैंसे
3.	चिपलिमा, जिला सम्भलपुर, उड़ीसा	15-1-1968	रेड सिंधी पशु
4.	सुनबेंदा, जिला कोरापुट, उड़ीसा	1-5-1972	जर्सी पशु
5.	आवादी (मद्रास), तमिलनाडु	1-4-1973	मुर्रा भैंसे
6.	अन्देशनगर, जिला लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश	20-5-1976	होल्स्टाईन फ्रेसियन पशु

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजूरी वाले श्रमिकों को नियमित करना

2589. **श्री रामलाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सभी दैनिक मजूरी वाले श्रमिकों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मस्टर-रोल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को कतिपय शर्तों पर नियमित किया जाता है और केवल उन्हीं कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाता है जो इन शर्तों को पूरा करते हैं ।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म के खाद्यान्न की सप्लाई

2590. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित दर दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म का खाद्यान्न सप्लाई किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्न की किस्म का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि गोदामों और उचित दर दुकानों के बीच में खाद्यान्न बदल दिया जाता है ; यदि हां, तो इस काम को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किए गए खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के अधीन निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं।

(ग) दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में स्थित खाद्य विभाग के गुण नियंत्रण कक्षों के अधिकारी स्वतन्त्र रूप से अथवा भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निरीक्षण करते हैं ताकि खाद्यान्नों की किस्म का पता लगाया जा सके।

(घ) स्टाक का एक संयुक्त रूप से मुहरबन्द किया गया नमूना अनिवार्य रूप से स्टोर पर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ताकि उपभोक्ता खाद्यान्न लेते समय उसकी तुलना कर सकें।

पानी की कमी अथवा दूषित पानी के उपयोग से हुई मौत

2591. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानी की कमी अथवा दूषित पानी के उपयोग से विश्व में प्रतिदिन 25,000 व्यक्ति मरते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पानी की कमी अथवा दूषित पानी के उपयोग से भारत में प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) इस मन्त्रालय के पास इस सम्बन्ध में सही सूचना नहीं है।

(ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। समस्या ग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल पूर्ति को नये 20-सूत्री कार्यक्रम में भी मद संख्या 8 के रूप में शामिल किया गया है। काफी लम्बे समय से पानी की कमी वाले ग्रामों या उन ग्रामों को जहां शुद्ध जल का स्रोत नहीं है, को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ

का सदस्य होने के नाते भारत अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के लक्ष्य को पूरा करने को वचनबद्ध है जो कि 1981 में आरम्भ हुआ और 1991 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान देश के अधिकतम लोगों को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने के प्रयास किए जाएंगे।

नार्थ और साउथ एवेन्यू के फ्लैटों पर बरसातियों का निर्माण

2592. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में नार्थ और साउथ एवेन्यू के फ्लैटों की पहली मंजिलों की छत पर बरसाती बनानी शुरू कर दी है ; और

(ख) यदि हां ; तो यह कार्य कब शुरू किया गया और ये बरसातियाँ कब तक पूरी हो जाएंगी और किसी ठेकेदार को सौंपे गए इस कार्य की संविदा शर्तें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्य अक्तूबर, 1981 में आरम्भ किया गया था और अक्तूबर, 1982 में इसके पूरा होने की सम्भावना है ; यह कार्य सामान्य शर्तों पर दिया गया था।

बाढ़ के पानी का सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग

2593. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में एक तरफ तो बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की फसल को क्षति पहुंचती है तथा दूसरी ओर सूखे के कारण हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है ; और

(ख) क्या सरकार कोई ऐसी योजनाएं बना रही रही हैं, जिससे बाढ़ अथवा वर्षा के फालतू पानी को सूखे से प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई के उपयोग में लाया जा सके ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार सहित देश के कई भाग वर्षापात के बहुत अधिक अनियमित होने के कारण, जो वर्ष में लगभग केवल तीन से चार महीनों में होता है, सूखा-बाढ़-सूखा के संलक्षणों से पीड़ित होते हैं।

(ख) जल एक राज्य-विषय होने के कारण, इस सेक्टर के अन्तर्गत स्कीमों के आयोजन और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, सूखे और बाढ़ की दोहरी समस्या पर काबू पाने के लिए बिहार के जल-संसाधनों का विकास करने के लिए छठी योजना के दौरान सिंचाई के निकास और बाढ़-नियंत्रण, दोनों के लिए काफी बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

एशियाई खेलों के दौरान पीने के पानी की सप्लाई

2594. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई खेलों के दौरान पीने के पानी की सप्लाई के पूरे प्रबन्ध कर लिए हैं ; और

(ख) क्या रामगंगा परियोजना जिसके अन्तर्गत दिल्ली को गंगा का पानी सप्लाई किया जायेगा, के पूरा होने में विलम्ब हो रहा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा में निर्माणाधीन 1000 लाख गैलन प्रतिदिन (एम० जी० डी०) की क्षमता वाला जल शोधन संयन्त्र सन् 1983 में चालू किया जाना है। तथापि, संयन्त्र के प्रथम चरण को इससे जल्दी चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बाराखम्भा रोड पर होटल के लिए भूमि का पट्टे पर दिया जाना

2595. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आटोमोबाइल्स प्रा० लि० को नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बाराखम्भा लैन में होटल के लिए किन-किन शर्तों पर भूमि पट्टे पर दी गई है ;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका की 31-5-82 तक देय लाइसेन्स शुल्क की राशि कितनी थी ;

(ग) अब तक कितना लाइसेन्स शुल्क प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि कोई लाइसेन्स शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने 6.485 एकड़ क्षेत्रफल का प्लाट 99 वर्ष की अवधि के लिए 1,45 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस के भुगतान पर बाराखम्भा लेन में होटल स्थल मैसर्स दिल्ली आटोमोबाइल्स प्रा० लि० (अब मैसर्स भारत होटल लि०) को प्रत्येक 33 वर्ष के बाद लाइसेंस फीस 100 प्र० श० की अधिकतम वृद्धि की शर्त पर अनुज्ञप्त किया है।

(ख) 1.45 करोड़ रुपये

(ग) तथा (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उपर्युक्त राशि में से 50 लाख रुपये देय थे तथा अनुज्ञप्ति धारी ने लाइसेन्स विलेख के निष्पादन के समय अदा कर दिए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि 95 लाख रुपये की शेष राशि उसी दिन देय बनती है जिस दिन कि अनुज्ञप्ति धारी को भूमि का पूर्ण कब्जा दे दिया जाता है। अभी तक, नई दिल्ली नगरपालिका ने अनुज्ञप्ति धारी को केवल 5.181 एकड़ की सीमा तक भूमि का कब्जा मंजूर किया है।

आंध्र प्रदेश में गरीब ग्रामीणों के उत्थान की योजनाएं

2596. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1980 में गरीब ग्रामीणों के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई ;

(ख) कौन-कौन सी योजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और कौन-सी पीछे हैं ;

(ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी योजनाएं हैं ; और

(घ) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत धन-राशि में प्रस्तावित वृद्धि को ध्यान रखते हुए आवंटन की धनराशि को बढ़ाया जा रहा है यदि हां, तो कितना ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शुरू किया गया था तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार 2-10-1980 से आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी खण्डों में किया गया था । ये दोनों योजनाएं आन्ध्र प्रदेश में संतोषप्रद रूप से चल रही हैं ।

(ग) समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी कोई भी आर्थिक रूप से सक्षम तथा बैंक-ग्राह्य परियोजना आरम्भ की जा सकती है जिससे लाभभोगी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में मदद मिल सके ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खण्ड प्रतिवर्ष आवंटन को 1981-82 में 6 लाख रुपये से वर्ष 1982-83 में 8 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है ।

आंध्र प्रदेश की अनुमोदन के लिए विचाराधीन लघु सिंचाई परियोजनाएं

2597. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी लघु सिंचाई परियोजनायें हैं जो केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए पड़ी हुई हैं ।

(ख) वे कब से विचाराधीन हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत भूतल जल की वे परियोजनाएं, प्रवाह और लिफ्ट दोनों, शामिल होती हैं, जिनका कृषिगत कमान क्षेत्र 2000 हैक्टेयर से कम होता है । भूमिगत जल के संबन्ध में, खुदाई कुओं, उथल, नलकूपों, वेधन कुओं, फिल्टर स्थलों तथा सरकारी नलकूपों आदि के निर्माण जैसी सभी स्कीमें लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आती हैं । लघु सिंचाई स्कीमों का अन्वेषण, आयोजन, अभिकल्पन तथा उनकी स्वीकृति और क्रियान्वित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की जाती है और वे जांच अथवा स्वीकृति के लिए केन्द्र के पास नहीं आती हैं । तदनुसार, आन्ध्र प्रदेश राज्य में लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में किसी परियोजना को केन्द्र द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, भूतल जल और भूमिगत जल, दोनों से लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता 42 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से, लगभग 21 लाख हैक्टेयर क्षमता 1981-82 के अन्त तक सृजित किए जाने की सम्भावना है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में राज्य वसूली एजेंसियों की भूमिका

2598. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय वसूली संगठन द्वारा गेहूं की वसूली में निभायी जा रही भूमिका का कोई मूल्यांकन किया है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें परेशान होकर बिक्री न करनी पड़े ;

(ख) समृद्ध संगठनों ने 1982 के दौरान किस प्रकार कार्य किया, की गई वसूली, दिए गए मूल्य का ब्यौरा क्या है और बचे हुए गेहूं का किस तरह निपटान किया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये सभी संगठन पूरी तरह किसानों का समर्थन करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और यदि नहीं, तो उनका कार्यकरण किस प्रकार बेहतर बनाया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम, जो कि खाद्यानों की वसूली के लिए केन्द्रीय एजेंसी है, समर्थन मूल्यों पर सरकार द्वारा निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुसार गेहूं की वसूली करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है और उन्हें मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ती है।

(ख) और (ग) 24 जुलाई, 1982 तक प्राप्त सूचनानुसार, भारतीय खाद्य निगम और इसकी ओर से गेहूं की वसूली करने वाली एजेंसियों ने कुल 76.19 लाख मीटरी टन की वसूली की है। निर्धारित निर्दिष्टियों के आधार पर दो ग्रेड के गेहूं की वसूली की गई है जिसमें ग्रेड-1 की कीमत 142/- रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड-2 की कीमत 140/- रुपये प्रति क्विंटल है। चालू वसूली मौसम के लिए उन किसानों, जिनका गेहूं बेमौसमी वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया है, की मदद करने के लिए और इसके साथ ही उपभोक्ताओं, जिन्हें यह गेहूं सप्लाई किया जाना है, के हितों की अवहेलना किए बिना इन्हें शिथिल कर दिया गया है। वसूली एजेंसियों ने उन्हें पेश किए गए उस सभी गेहूं को वसूल कर लिया है जो कि शिथिलित निर्दिष्टियों के अनुरूप था। एजेंसियों के नाम और प्रत्येक द्वारा वसूल की गई मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

एजेंसी	वसूल की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1. भारतीय खाद्य निगम	19.07
2. राज्य सरकारें	22.54
3. सहकारी समितियां	21.14
4. सिविल सप्लाई कारपोरेशन	13.44
जोड़	76.19

धार्मिक संगठनों द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया जाना

2599. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न धार्मिक दलों ने मन्दिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और बुद्ध विहारों आदि का निर्माण करने हेतु लगभग 300 स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की तथा लगभग 190 स्थानों पर दिल्ली नगर निगम की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उनका मुख्य प्रयोजन भूमि हथियाना है तथा दलों द्वारा विरोध किए जाने के कारण इन मामलों में कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों द्वारा ग्रामीण पेय जल वितरण योजना का तैयार किया जाना

2600. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को यह निदेश जारी किए गए हैं कि ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजनाओं को तैयार करते समय वे कमजोर वर्गों, विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दें ; और

(ख) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अभी तक दी गई सूचना में प्रगति निम्न प्रकार से बताई गई है :—

वर्ष	लाभान्वित जनसंख्या (1971 की जनगणना) (हजारों में)		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1980-81	15,531.929	1,424.322	1,374.035
1981-82	16,899.802	2,375.759	1,660.478

टिप्पणी : कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अभी पूरी सूचना प्राप्त की जानी है ।

चीनी का उत्पादन

2601. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू मौसम में चीनी का उत्पादन 79.52 लाख टन तक पहुंच गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इसी अवधि में कुल कितना उत्पादन हुआ था और "चीनी मिल एसोसिएशन" के पास इस समय चीनी का कितना भण्डार है, और

(ग) मई, 1982 में कितना उत्पादन हुआ है और यह जून, 1982 के उत्पादन से कितना अधिक है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) वर्तमान मौसम 1981-82 में 31 मई तक चीनी का उत्पादन 79.52 लाख मीटरी टन हुआ था जबकि 1980-81 मौसम में उसी तारीख तक 50.37 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था । 1981-82 मौसम में 7 जुलाई तक उत्पादन 83.03 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है जबकि 1980-81 मौसम में उसी तारीख तक 50.47 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था । फैक्ट्रियों के पास 7-7-1982 तक 50.13 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था ।

(ग) मई, 1982 में चीनी का कुल उत्पादन 8.15 लाख मीटरी टन हुआ था । जो कि जून, 1982 के 3.23 लाख मीटरी टन उत्पादन से 4.92 लाक मीटरी टन अधिक था ।

खाद्यान्न सुरक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव

2602. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जकार्ता में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) के क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खाद्यान्न सुरक्षा आयोग के गठन के सम्बन्ध में विकसित देशों का रुख बहुत कठोर था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन देशों ने आयोग गठन प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) इस सम्मेलन में भारत का रुख क्या था ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग) इस सम्मेलन में एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था । इस प्रस्ताव का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया था । तथापि, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निकटतम क्षेत्रीय सहकारी कार्रवाई को आवश्यकता पर पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए फिलिपाइन, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे कुछ देशों ने एतत्सम्बन्धी प्रयासों में सम्भावित दोहरापन तथा प्रस्तावित क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग के कार्यों, जो इस क्षेत्र में अन्य संगठनों द्वारा पहले ही किए जा रहे हैं, में भी पुनरावृत्ति की चेतातनी दी । इस संदर्भ में उन्होंने "एसकेप" प्रस्ताव का हवाला दिया जो क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति और वितरण के अध्ययन से सम्बन्धित था, और जिसके 1983 तक पूरा होने की संभावना थी, तथा यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन की प्रतीक्षा इस अध्ययन के परिणाम मिलने तक की जानी चाहिए ।

(ङ) भारत ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया ।

(च) सम्मेलन ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी ।

सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाना

2603. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है जो देश में सोयाबीन की खेती के प्रसार में बाधक हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों में सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) सोयाबीन की खेती में बहुत अच्छी प्रगति हुई है । सोयाबीन विकास से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत इसका फसलाधीन क्षेत्र 1971-72 के 32000 हैक्टार क्षेत्र की तुलना में 1981-82 में बढ़ कर 8.39 लाख हैक्टार हो गया ।

(ग) सोयाबीन विकास से सम्बन्धि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किसानों में सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं । इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(1) 1982-83 के दौरान सोयाबीन की खेती का 11.16 लाख हैक्टार क्षेत्र में विस्तार करना, जो 1981-82 में 8.39 लाख हैक्टार क्षेत्र था।

(2) उन्नत बीज एवं उन्नत पैकेज पद्धति का उपयोग करना।

(3) आधे हैक्टार के लिए पर्याप्त एवं नई किस्म के बीज वाले मिनिकिटों का निशुल्क वितरण; तथा

(4) किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना ताकि खेती की विज्ञानिक पद्धतियों अपनाने को लोकप्रिय बनाया जा सके।

मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन सम्बन्धी एक पंचवर्षीय परियोजना स्वीकार की गई है। इसका उद्देश्य 1980-81 में सोयाबीन के अन्तर्गत के 4.50 लाख हैक्टार क्षेत्र को 1985-86 के अन्त तक बढ़ाकर 18 लाख हैक्टार क्षेत्र करना है। जिससे 14.40 लाख मीटरी टन की उत्पादन होने की आशा है। परियाजना पर कुल 15 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसे भारत सरकार पूर्णतः वहन कर रही है।

सोयाबीन की विपणन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार इसकी खरीद करने वाली एजेंसी अर्थात नाफेड के साथ हर वर्ष समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

देवनगर में टाईप-डी के क्वार्टरों का आवंटन

2605. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवनगर में टाइप 'डी' के 54 पुराने क्वार्टरों में से गत तीन वर्षों के दौरान कितने खाली पड़े हैं और कितनी अवधि से पड़े हैं;

(ख) ये क्वार्टर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार आवंटित किए गए, किन-किन श्रेणियों के अधिकारियों को आवंटित किए गए और क्या उन्होंने आवंटन स्वीकार किया था और यदि अस्वीकार किया हो तो ये क्वार्टर कितनी अवधि तक बिना आवंटित किए पड़े रहें; और

(ग) इन क्वार्टरों का इस समय श्रेणीकरण क्या है और इन क्वार्टरों का दर्जा वर्तमान टाइप में कब से बढ़ाया गया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) नवम्बर, 1979 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 54 'डी' टाइप क्वार्टरों में से 29 क्वार्टर रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए गए थे तथा उन्हें नवीकरण और भारी मरम्मत के लिए खाली कराना पड़ा था। कब्जेदारों को उसी क्षेत्र में तथा अन्यत्र वैकल्पिक वास में स्थानान्तरित करके इन मकानों की तीन चरणों में खाली कराया गया था। नीचे दी गई सारणी उन अवधियों को प्रदर्शित करती है जिनके दौरान क्वार्टर खाली रहे।

वर्ष	अवधि जिसमें खाली रहे			
	3 महीने तक	3 से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर
1979-80	1	1	7	4
1980-81	—	5	2	—
1981-82	2	2	4	1
	3	8	13	5 = 29

अधिकांश क्वार्टर 2 से 4 बार तक उन अधिकारियों को आवंटित किए गए थे जिनका मूल वेतन 1500 रुपये प्रति माह अथवा अधिक था।

(ग) इन क्वार्टरों को टाइम 'ई' के रूप में वर्गीकृत किया गया था (पहले का वर्गीकरण टाइप v था)। इनका उन्नयन 1964 से पहले किया गया था।

देवनगर में सरकारी क्वार्टर

2606. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवनगर में किस-किस टाइप के सरकारी क्वार्टर उपलब्ध हैं ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कुल क्वार्टरों की संख्या क्या है तथा उनके आवंटन के लिए पात्र अधिकारियों की 'पे-रेंज' क्या-क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दो, जहां तक दिल्ली में सामान्य पूल का प्रबन्ध है

(ख)	टाइप	क्वार्टरों की संख्या	वेतन श्रेणी
	इ	64	1500 से 1999 रुपये प्रतिमाह
	सी	228	500 से 999 रुपये प्रतिमाह

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों का आवंटन

2607. **श्री चित्त बसु :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष 1982-83 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों का आवंटन कम करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में (राज्य-वार) कितना आवंटन किया गया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में खाद्यान्नों के उपयोग की (राज्य-वार) रिपोर्ट क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक मजदूर को उसकी दैनिक मजदूरी के भाग के रूप में एक किलो-ग्राम खाद्यान्न दिया जाना है। इस आशय के अनुदेश सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। 1980-81 और 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित उपलब्ध किए तथा उपयोग में लाए गए उनके संसाधनों की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण (I) संलग्न है।

जहां तक वर्ष 1982-83 का सम्बन्ध है, कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्रीय बजट में 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में से अंशदान के रूप में दी जानी है। केन्द्रीय बजट में 190 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले में चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को फिलहाल 90.62 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है। उनके आवंटनों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

1980-81 और 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध किए गए तथा उपयोग में लाए गए संसाधनों को दर्शाने वाला विवरण-1

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गत वर्ष के खर्च न किए अधिशेष सहित 1980-81 के दौरान उपलब्ध किए गए साधन	1980-81 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य सहित उपयोग में लाए गए संसाधन	गत वर्ष के खर्च न किए गए अधिशेष सहित 1081-82 के दौरान उपलब्ध किए गए संसाधन (केन्द्रीय अंश)	1981-82 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य सहित उपयोग में लाए गए संसाधन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4046.20	2080.70	5027.21	4743.49
2.	असम	672.00	69.23	1062.20	532.00
3.	बिहार	5452.33	1920.56	5100.07	1562.04
4.	गुजरात	777.90	652.88	1229.00	652.14
5.	हरियाणा	461.00	490.46	410.04	442.67

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	383.15	380.60	310.15	128.53
7.	जम्मू और काश्मीर	468.60	190.45	274.42	227.95
8.	कर्नाटक	1496.00	427.08	2263.86	1291.11
9.	केरल	1229.60	203.64	2194.14	1719.55
10.	मध्य प्रदेश	5189.90	2510.64	2856.62	2660.50
11.	महाराष्ट्र	1626.12	887.20	3855.40	3116.00
12.	मणिपुर	96.20	35.15	33.15	1.70
13.	मेघालय	43.00	—	33.00	—
14.	नागालैंड	153.90	60.50	49.00	60.00
15.	उड़ीसा	2826.15	1891.89	2370.81	1168.97
16.	पंजाब	430.55	222.45	554.34	702.84
17.	राजस्थान	3356.40	2804.89	1557.71	1156.35
18.	सिक्किम	15.80	10.63	20.55	9.42
19.	तमिलनाडु	2181.05	1341.54	3778.20	3018.70
20.	त्रिपुरा	110.33	65.28	173.12	182.08
21.	उत्तर प्रदेश	8375.51	3635.15	8958.16	4696.27
22.	पश्चिम बंगाल	3959.95	1248.75	3904.95	1475.07
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25.05	32.75	25.30	11.31
24.	अरुणाचल प्रदेश	20.85	1.40	25.30	1.28
25.	मिजोरम	45.30	1.20	41.30	8.00
26.	पांडिचेरी	21.30	8.87	25.30	3.24
27.	चण्डीगढ़	0.65	—	—	—
	योग	43464.79	21173.89	46133.25	29571.21

विवरण-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए दिए गए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	948.00
2.	असम	200.00
3.	बिहार	1210.00
4.	गुजरात	280.00
5.	हरियाणा	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00
7.	जम्मू और काश्मीर	80.00
8.	कर्नाटक	414.00
9.	केरल	402.00
10.	मध्य प्रदेश	660.00
11.	महाराष्ट्र	710.00
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	10.00
14.	नागालैंड	10.00
15.	उड़ीसा	410.00
16.	पंजाब	126.00
17.	सिक्किम	8.00
18.	राजस्थान	234.00
19.	तमिलनाडु	740.00
20.	त्रिपुरा	30.00
21.	उत्तर प्रदेश	1670.00

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	674.00
केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	16.00 (बराबर के
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00 अंशदान सहित)
25.	मिजोरम	16.00
26.	पांडिचेरी	16.00
27.	चण्डीगढ़	4.00
28.	गोवा, दमन और दीव	16.00
29.	दादरा और नगर हवेली	8.00
30.	लक्ष्यद्वीप	4.00
	योग	9062.00

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया गन्ने का मूल्य

2608. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने इस बीच वर्ष 1982-83 के सत्र के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अंतिम रूप से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने 8.5 प्रतिशत अथवा इससे कम मूल रिकवरी के लिए 15.50 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है लेकिन इसमें उस स्तर से रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर अनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था होनी चाहिए । इसमें गन्ना उत्पादक द्वारा अपने खेत से फैक्ट्री द्वार तक 16 किलोमीटर के घेरे के अन्दर गन्ने की ढुलाई पर किया गया खर्च भी शामिल है ।

(ग) जैसा कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के अधीन अपेक्षा की गई है, राज्य सरकारों और चीनी तथा गन्ना उत्पादकों की एसोसिएशनों के विचार भी आमंत्रित किए गए हैं । सरकार उनके विचार प्राप्त होने पर साथ में आयोग के विचारों और उपर्युक्त आदेश के संगत उपबन्धों पर विचार करने के बाद निर्णय लेगी ।

भारतीय खाद्य निगम को राजानुदान

2609. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान वर्ष-वार भारतीय खाद्य निगम को राजानुदान के रूप में कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या राजानुदान की सम्पूर्ण धन-राशि का उचित प्रयोग कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) निगम को दी गई राजसहायता की कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	रुपये/ करोड़
1979-80	600.00
1980-81	650.00
1981-82	700.00

(ख) निगम से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदे और उन्हें जारी करे। निर्गम मूल्यों में निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, उनके संचलन, भण्डारण और वितरण पर किए गए दूसरे खर्चे शामिल नहीं होते हैं और ये सरकार की सुविचारित सामाजिक नीति के एक उपाए के रूप में राजसहायता प्राप्त होते हैं। निगम सरकार की ओर से खाद्यान्नों का बफर स्टाक भी रखता है और बफर स्टाक को रखने के खर्चों की निगम को प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। क्योंकि राजसहायता देने का उद्देश्य निगम द्वारा वास्तव में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करना है, इनका पूर्णतया और उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेय जल की आपूर्ति के लिए केरल राज्य को धनराशि का आवंटन

2610. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 और 1981 में पेय जल की आपूर्ति के लिए केरल को कोई धनराशि आवंटित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और योजनाओं के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को रिलीज की गई अनुदान सहायता निम्न प्रकार से है :—

	(लाख रुपयों में)
1978-79	278.00
1979-80	282.35
1980-81	330.08
1981-82	529-53

(ख) चालू वर्ष अर्थात 1982-83 के दौरान वर्ष भर के लिए 615.50 लाख रुपये के कुल नियतन में से अब तक अनुदान सहायता की 300.00 लाख रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में रिलीज कर दी है। 1977-78 में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के आरम्भ होने से केरल में 243 पाइप जलपूर्ति योजनाएं अनुमोदित कर दी है। योजनाओं का ब्यौरा राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगा।

भूमि सुधार के लिए दी गई धनराशि

2611. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार हेतु वर्ष 1980-81 के लिए राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को बराबर-बराबर अंशदान के आधार पर निधियां बंटित की जाती हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्र का अंशदान निम्न प्रकार से था :—

राज्य	धनराशि (रुपये में)
केरल	2,18,152
महाराष्ट्र	46,10,338
उड़ीसा	6,05,799
योग	54,34,289

कोवालम और विम्भोज मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों को सहायता

2612. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कोवालम और विम्भोज मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों और निर्माण कार्य से लिए वित्तीय सहायता देने का है ; और

(ख) उक्त दोनों मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया ब्यौरा क्या है और उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति लेने के लिए राज्य सरकार को क्या करना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार को कोवालम में मत्स्यन बन्दरगाह के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केरल सरकार ने विम्भोज मत्स्यन बन्दरगाह पर और निर्माण कार्य करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है। इस परियोजना के सहायता के प्रतिमान वही होंगे जो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आनेवाली परियोजनाओं के लिए लागू होते हैं अर्थात केन्द्र और राज्य के बीच लागत बराबर-बराबर वहन की जाएगी।

(ख) विजिंजम मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण के प्रस्ताव में शामिल कुछ प्रमुख मदें ये हैं :

मौजूदा तरंग—रोध का विस्तार करना, "लीवार्ड ब्रेकवाटर" क्वेज, नीलाम घर, मरम्मत सम्बन्धी सुविधाएं, नौ संचालन सहायता, तत्कर्षण तथा अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण करना बन्दरगाह में 13.2 मीटर लम्बे 60 तथा 23.0 मीटर लम्बे 40 ट्रालरों के ठहराने की व्यवस्था होगी। मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार की ओर से कोई और कार्यवाही नहीं की जानी है।

केरल से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय जल विवाद

2613. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से संबंधित अन्तर्राज्यीय जल-विवाद को हल करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने देन विवादों के हल न होने के कारण संबंधित राज्यों को होने वाले उत्पादन के नुकसान के बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कावेरी के जल, जिसका इस समय लगभग पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है, के उपयोग तथा उसके और आगे विकास के सम्बन्ध में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच कुछ बड़े मतभेद हैं। विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1970 से किए जा रहे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1976 में एक समझौता हुआ था, जिसमें सहयोग और कावेरी के जल के सर्वाधिक कुशल ढंग से और आगे विकास के लिए एक आधार की व्यवस्था की गई थी। तथापि, सम्बन्धित राज्यों द्वारा इस समझौते की अभिपुष्टि नहीं की गई थी और इसलिए इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। उसके पश्चात्, केन्द्र द्वारा मुख्य मंत्रियों की छः अन्तर्राज्यिक बैठकें आयोजित की गई थीं। चूंकि विवादों को हल करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसलिए मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक और बैठक अगस्त, 1982 में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय कावेरी के लगभग सारे जल का उपयोग किया जाता है। अतः उत्पादन मे हानि होना कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिकता का मामला नहीं है और इसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता।

स्वदेशी मत्स्य नौकाएं

2614. **श्री एन०. डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मत्स्य प्रौद्योगिक-विदों को देश में मत्स्य नौकाओं का निर्माण और उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) देशी मत्स्यन नौकाओं का निर्माण करने के लिए मात्स्य की प्रौद्योगिकी विदों को वित्तीय सहायता देने की अलग से कोई योजना नहीं है, तथापि, सरकार देश में निर्माण की जा रही नौका

के मूल्य का 33 प्रतिशत तक राज सहायता मंजूर करती है। जहाजरानी विकास निधि-समिति देश में बनाई गई नौका के लिए लागत का 95 प्रतिशत तक आसान शर्तों पर ऋण देती है। मत्स्यन नौकाओं की कुछ श्रेणियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हाई-स्पीड डीजल आयल पर उत्पाद शुल्क की छूट की भी व्यवस्था है।

एम० आई० जी० योजना 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को आवास

2615. **श्री तारिक अनवर :**

श्री विलास मुत्तंकवार :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास प्राप्त करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन-पत्र मांग रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को आवास प्रदान करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1976 से लगभग 1853 व्यक्ति मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत हैं परन्तु उनको अभी तक आवास प्रदान नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनको आवास न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उनको प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण उन व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित कर रहा है जो उसके पास 1976 तक उसकी सामान्य पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लगभग 1853 व्यक्ति आवंटन की प्रतीक्षा में हैं और यदि वे उसके द्वारा रिलीज की गई सभी कालोनियों के लिए आवेदन करें तो उन्हें मकान आवंटित कर दिये जायेंगे।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत पंजियकों की वरिष्ठता के अनुसार आवंटन किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लगभग उन सभी व्यक्तियों को जिनको अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं हुए हैं, अब तक फ्लैट आवंटित कर दिए गए होते। यदि उन्होंने उन सभी क्षेत्रों के लिए अपनी अभिरुचि दी होती। जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले समय में समय-समय पर फ्लैट रिलीज किये थे। चूंकि उन्होंने अपनी अभिरुचि को सीमित क्षेत्रों के लिए ही सीमित रखा, इसलिए उन्हें आवंटन नहीं किया जा सका।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें निकट भविष्य में फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा जोकि उनकी अभिरुचि तथा उनकी वरिष्ठता पर निर्भर करेगा।

पशु विकास के लिए योजना

2616. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय गो-संवर्धन सलाहकार परिषद् की बैठक में पशु विकास के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त परिषद् की चार वर्षों में केवल एक ही बैठक हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बैठकें यदाकदा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पुनर्गठित गोसंवर्धन सलाहकार परिषद् की हाल ही की बैठक में भारवाही पशु शक्ति के सुधार और गौशाला विकास के विशेष संदर्भ में पशु विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी थी। कुछ सिफारिशें ये थीं:—गायों के अवैधानिक बध पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाना, पशुओं की देशी नस्लों के चयनात्मक प्रजनन को तेज करना, गौशालाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना, गौशालाओं के लिए वित्तीय सहायता पर आयकर की छूट देना तथा पशु आहार के तत्वों के निर्यात पर रोक लगाना।

(ग) और (घ) 1978 में गोसम्बर्धन सलाहकार परिषद् की बैठक के बाद, परिषद् का पुनर्गठन किया गया तथा 28-5-82 को इसकी बैठक हुई। मुख्य रूप से परिषद् के अध्यक्ष के बदलने तथा अध्यक्ष महोदय के काम में व्यस्त रहने के कारण परिषद् की बैठकें जल्दी-जल्दी नहीं की जा सकीं।

मदर डेरी द्वारा दूध के मूल्य में वृद्धि

2617. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी ने जून, 1982 से इसके द्वारा सप्लाई किए गए दूध के मूल्य में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या गुजरात सहकारी समिति भी मदर डेरी को दूध की सप्लाई करती है और वे दूध के मूल्य बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्यों में वृद्धि होने के कारण निम्नलिखित हैं :

(1) सहकारी समितियों तथा राज्य की एजेंसियों को अदा किए जाने वाले मूल्य में वृद्धि

करना, ताकि वे किसानों से कच्चा दूध खरीदने के लिए अधिक मूल्य निर्धारित कर सकें ; (2) भारतीय डेरी निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल तथा सफेद मक्खन जैसी उपहार जिन्सों के निर्गम मूल्य में वृद्धि होना, ताकि पुनः मिश्रण के लिए इन जिन्सों की सस्ते मूल्यों पर उपलब्धि होने से कच्चे दूध के मन्द उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ; और (3) रेल-भाड़े में वृद्धि ।

(ग) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ मदर डेरी, दिल्ली को दूध की सप्लाई कर रहा है । उन्होंने मूल्य बढ़ाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

दिल्ली में गंगा के पानी की उपलब्धि

2618. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एशियाई खेलों से पहिले गंगा का पानी मिलने लगेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और इससे दिल्ली में पानी की समस्या कहां तक हल हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली के लोगों को गंगा के पानी की सप्लाई कब तक होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा में निर्माणाधीन जल शोधन संयन्त्र को उत्तर प्रदेश में ऊपरि गंगा नदी से लिया जाने वाला कच्चा पानी दिया जायेगा । इस संयंत्र को 1983 में चालू होना है । तथापि, इस संयन्त्र के प्रथमचरण को इससे पहले आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

इस संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि कच्चे पानी की नाली लगभग तैयार है और शोधन एककों का निर्माण कार्य तथा पम्पिंग मेनों आदि के बिछाने का कार्य प्रगति पर है । यह संयन्त्र जब पूर्ण रूप से चालू हो जायेगा, यह जलपूर्ति में 100 एम० जी० डी० (मिलियन गैलन प्रतिदिन) वृद्धि करेगा ।

वन्य प्राणी संरक्षण

2619. **श्री भीकू राम जैन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिक आंकड़ों और पर्यावरण के संबंध में प्रशिक्षित प्रबंधकों के अभाव में वन्य प्राणी संरक्षण नहीं हो पा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारी आयोजना प्रक्रिया में वन्य प्राणी संरक्षण को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विनाश के बिना उनके विकास के लिए एक मार्ग निदेशक योजना बनाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हाल के वर्षों में, वन्य प्राणी संरक्षण पर विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान दिया गया है । छठी योजना के केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के परिव्यय में वृद्धि की गई है और देश में राष्ट्रीय पार्कों, आश्रयस्थलों और चिड़ियाघरों की प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारने के लिये नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें शुरू की गई हैं । इस क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये, राष्ट्रीय स्तर पर एक पृथक वन्य प्राणी संस्थान स्थापित किया जा रहा है । इस क्षेत्र में सरकार को सहायता व सलाह देने के लिये भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड नामक एक उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार निकाय है जिसकी अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हैं । सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देने के लिये सलाह दी गई है ।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की योजना

2620. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ विशेष योजनाएं बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और अनाज का कितना उत्पादन बढ़ने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) उत्पादकता वर्ष 1982 में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1982-83 के दौरान मिनीकिट कार्यक्रम और चावल की समुदायिक नर्सरियों की विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और दलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को तेज किया गया है । भारत सरकार ने भी इन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय आवंटनों में भी वृद्धि की है ।

खाद्यान्नों का उत्पादन विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है अतः इन योजनाओं के कारण उत्पादन में हुई वृद्धि का निर्धारण करना सम्भव नहीं है । तथापि, बड़े पैमाने पर उनके क्रियान्वयन से खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी ।

सूखे और ओला-वृष्टि से फसलों को हुई क्षति

2621. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ऐसे भागों का निश्चित रूप से पता लगाने के लिए सूचना एकत्र कर ली हैं, जिनमें फसलों को ओला-वृष्टि से नुकसान हुआ है तथा सूखे से नुकसान हुआ है ॥

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा वहां के लोगों को सरकार द्वारा अब तक दी गई राहत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई अनुमानित क्षति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अब तक मिली रिपोर्टों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा राज्य ओला-वृष्टि से तथा राजस्थान सूखे तथा ओला-वृष्टि दोनों से प्रभावित हुआ था।

(ख) राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की शिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों को सूखा/ओला-वृष्टि से राहत देने के लिए निम्नलिखित व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की हैं :—

राज्य का नाम	आपदा का स्वरूप	मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा
		(करोड़ रुपये)
1. मध्य प्रदेश	ओला-वृष्टि	6.77
2. हिमाचल प्रदेश	ओला-वृष्टि	3.27
3. राजस्थान	ओला-वृष्टि	0.32
	सूखा	37.03
4 [illegible]णा	ओला-वृष्टि	*
5. उत्तर प्रदेश	ओला-वृष्टि	*

(ग) राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार अनुमानित क्षति नीचे दी गई हैं :—

मध्य प्रदेश

कुल 5.10 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ था। 828 पशु मारे गए थे तथा 73572 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे।

हिमाचल प्रदेश

(1) फरवरी तथा मार्च, 1982 में ओला-वृष्टि/बर्फानी तूफान तथा भारी वर्षा से 1.80 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ था। फलो के दो लाख पौधे आंधी से उखड़ गए थे। फलों के लगभग 8 लाख वृक्षों को कुछ हानि पहुंची। मनुष्यों की जानें गई तथा 2469 पशु मारे गए। 750 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे।

(2) मई, 1982 के प्रथम पखवाड़े में ओला-वृष्टि से 0.53 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ था। 4 मनुष्यों की जाने गई और 7752 पशु मारे गए थे। 710 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे।

*केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी अनुरोध विचाराधीन हैं।

राजस्थान

ओला-वृष्टि :—2.90 लाख हैक्टार क्षेत्र में रबी की फसल प्रभावित हुई थी।

सूखा :—74 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ था। 200.11 लाख जन संख्या तथा 275.81 लाख पशु प्रभावित हुए थे।

हरियाणा

12 जिलों में से 11 जिलों में 2.26 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र ओला-वृष्टि से प्रभावित हुआ था।

उत्तर प्रदेश

28 फरवरी तथा 23 मार्च, 1982 के बीच ओला-वृष्टि तथा भारी वर्षा से हुई क्षति की मात्रा इस प्रकार है :—

1. प्रभावित सस्यग्रस्त क्षेत्र	26.39 लाख हैक्टार
2. मारे गए व्यक्ति	86
3. मारे गए पशु	4110
4. क्षतिग्रस्त मकान	50,214

ग्रामीण आवास योजना

2622. श्री राम प्यारे पनिका : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण आवास योजना को तेज करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले मकानों की संख्या क्या है और अब तक इस योजना के अन्तर्गत देश में कितने लोगों को मकान उपलब्ध करा दिए गए हैं ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण आवास के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास-स्थल व निर्माण सहायता के प्रावधान पर उच्च प्राथमिकता दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1985 तक 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने का उद्देश्य है। 31-3-82 तक लगभग 18.70 लाख परिवारों के लाभार्थ निर्माण सहायता दे दी गई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए कोई निधि मन्जूर नहीं करती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए छठी योजना में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

सरकारी क्वार्टरों का बिना बारी के आवंटन

2623. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मई, 1°82 तक की अवधि के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में कितने सरकारी क्वार्टर, टाईप-वार आवंटित किए गए हैं तथा उनमें से कितने क्वार्टर बिना बारी के, डाक्टरी आधार पर और सामान्य श्रेणी में आवंटित किए गए है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि सामान्य पूल में कुछ ऐसे कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टर आवंटित किए गए हैं; जिनका दिल्ली में अपना मकान है ;

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार बिना बारी के क्वार्टर आवंटित करने के चलन को बन्द करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)

आवंटित क्वार्टरों की संख्या

आवास का टाईम	प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी पर	चिकित्सा आधार सहित तदर्थ आधार पर	चिकित्सा आधार पर
ए	2735	156	60
बी	8552	943	238
सी	8263	172	11
डी	815	180	1
ई	497	139	शून्य
ई०-I, ई०-II तथा ई०-III	306	47	1

(ख) जी, हां ।

(ग) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

श्री एन० एम० आशुदानी	बी०-109 पण्डारा रोड
श्री सी० एस० खेरवाल	237, लक्ष्मी बाई नगर
श्री आर० एन० सिंह	11, सीमल बाग
श्री के० के० धवन	ए०-21/87, लोधी कालोनी

श्री बी० एम० मल्होत्रा	ए०-23/188, लोधी कालोनी
श्री बी० जी० गूजर	374, लक्ष्मी बाई नगर
श्री चन्द्रपाल	ए०-124, पण्डारा रोड
श्री चन्द्रभान	ए०-201 पण्डारा रोड
श्री सी० एम० वासुदेव	डी०-2/92 पण्डारा रोड
कुमारी मीरा मजुमदार	डी०-1/86, रवीन्द्र नगर
डा० के० सी० ग़र्ग	डी०-2/24, काका नगर
श्री वीरेन्द्र सिंह	डी०-2/6, पण्डारा रोड
श्री विनय कुमार	डी०-2/361, विनय मार्ग
श्री आर० के० खण्डेलवाल	48, लोधी एस्टेट
श्री एस० एस० सिद्धू	22, तुगलक क्रीसेन्ट
श्रीमती सरला ग्रेवाल	5, तुगलक लेन

(घ) तथा (ङ) आवंटन नियमों में लोकहित में छूट देकर अपवाद स्वरूप मामलों में अनुकम्पा के आधार पर बिना बारी के आवंटन किए जाते हैं। ये आवंटन प्रत्येक मामले की गुणावगुणों के आधार पर विस्तृत जांच करके किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वियन

2624. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम हाथ में लेने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह गाजीपुर जिले को भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) गाजीपुर जिले के सभी 16 खण्ड समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले गए हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान इस जिले में 76.86 लाख रुपये उपयोग में लाए गए। 173-01 लाख रुपये का आवधिक ऋण जुटाया गया तथा 4138 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया, जिसमें से 1298 परिवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित थे। यह कार्यक्रम पूरी छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में जारी रहेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार खण्डों/जिलों के लिए एक मुश्त परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इसका उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। यह कार्यक्रम भी पूरी छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में जारी रहेगा।

सरकारी आवास के आवंटन के लिए विभागीय पूल

2625. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ क्षेत्र दिल्ली में सरकारी आवास के आवंटन हेतु "जनरल पूल" के अतिरिक्त वर्तमान विभागीय पूलों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विभागों के अपने विभागीय वास है :

(i) डाक व तार विभाग
(ii) रेलवे
(iii) रक्षा मंत्रालय
(iv) आयकर, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय राजस्व विभाग
(v) नागर विमानन विभाग
(vi) विदेश संचार सेवा
(vii) दिल्ली प्रशासन
(viii) दिल्ली पुलिस
(ix) लोक सभा सचिवालय
(x) सफदरजंग, लोक नायक जयप्रकाश नारायण तथा डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल
(xi) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा

2626. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्नातकोत्तर शिक्षा के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाता है, तथा इसके शैक्षिक परिषद् को निर्णय लेने का अधिकार है, तथा इसके विधान के अनुसार इसके सदस्य विधिवत् रूप से भर्ती किए गए प्रोफेसर हो सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समय इसमें अधिकांश सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा प्रोफेसर की पदवी दे दी गई है तथा उनका चयन सक्षम प्राधिकरण द्वारा नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निकाय द्वारा निर्णय लिए जाने और डिग्री प्रदान किये जाने की वैधता क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) संस्थान के नियमों के अनुसार इसकी सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय प्रबन्ध मण्डल है । शैक्षणिक परिषद् शिक्षा और प्रशिक्षण के मामले में मुख्य सलाहकार, विचारक और कार्य संचालन करने वाली निकाय है । यह शैक्षणिक मामलों में विस्तृत नीतिगत विषयों के लिए उत्तरदायी है ; शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धित मामलों में इसका नियंत्रण है और सामान्य नियामक शक्तियां हैं ; यह निर्देशों के मानकों के अनुरक्षण हेतु, शिक्षा और परीक्षा तथा प्रवेश के लिये आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की डिग्रियों की समरूपता के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है ।

भा० कृ० अ० सं० के पी० जी० स्कूल कलेण्डर के अनुच्छेद 3.7 के अनुसार शैक्षणिक परिषद् में केवल प्राध्यापक ही नहीं होते । ऐकेडमिक परिषद में अध्यक्ष के रूप में भा० कृ० अ० सं० के निदेशक उपाध्यक्ष के रूप में पी० जी० स्कूल के डीन, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), संयुक्त निदेशक (विस्तार) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), भा० कृ० अ० सं० से बाहर के चार प्रमुख वैज्ञानिक/शिक्षाविद संस्थान के प्रत्येक विभाग से एक प्राध्यापक, निदेशक, भा० कृ० सां० अ० सं०, कृषि सांख्यिकी के प्राध्यापक, भा० कृ० सां० अ० सं०, मास्टर आफ हाल्स, स्नातकोत्तर विद्यालय संकाय से दो प्रतिनिधि, दो छात्र प्रतिनिधि सदस्य के रूप में और रजिस्ट्रार (ऐकेडमिक) सदस्य सचिव के रूप में होते हैं ।

(ख) कृषि अनुसंधान सेवा, 1975 के लागू होने से पूर्व विभागाध्यक्षों और प्राध्यापकों की नियुक्ति विधिवत रूप से गठित चयन समितियों द्वारा सीधे ही की जाती थी । लेकिन 1-10-1975 से कृषि अनुसंधान सेवा लागू होने के पश्चात् इस सेवा में सभी वैज्ञानिकों को शामिल, नियुक्त और पदोन्नत कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है, जोकि विधिवत रूप से गठित एक स्वतन्त्र निकाय है । इस प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व के विभागाध्यक्ष और प्राध्यापकों के पदों के समकक्ष सभी वरिष्ठ पदों को कृषि अनुसन्धान सेवा की श्रेणी एस-3 में सम्मिलित किया गया है । अब विभागाध्यक्षों और प्राध्यापकों की नियुक्ति अलग से न की जाकर, एस०-3 के उपयुक्त अधिकारियों को इनका उत्तरदायित्व सोंपा जा सकता है । फिर भी, केवल वे ही एस०-3 वैज्ञानिक जिनके पास 7 वर्ष का अनुसंधान/अध्यापन कार्य का अनुभव तौर डाक्टरेट की उपाधि अथवा 10 वर्ष का अनुसधान/अध्यापन अनुभव और मास्टर्स डिग्री होती है, प्राध्यापक बनाये जाते हैं ।

(ग) शैक्षणिक परिषद के गठन के नियमों के अनुसार शैक्षणिक परिषद के सदस्य के रूप में नामित प्राध्यापक वे हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति सीधे अथवा विशेष रूप से प्राध्यापक के रूप में हुई हो । इस प्रकार निदेशक, भा० कृ० अ० सं० द्वारा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त सदस्यों की सदस्यता वैध है और इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि शैक्षणिक परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अथवा दी गई उपाधियां अवैध हैं ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की क्षमता का समुचित उपयोग

2627. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रत्येक चीनी मिल ने अपनी पूरी निर्धारित क्षमता के बराबर गन्ने की पेराई की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उत्तर प्रदेश की 91 स्थापित चीनी फैक्ट्रियों में से, 1981-82 मौसम के दौरान 36 चीनी फैक्ट्रियों ने अपनी पूर्ण निर्धारित क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराई की है ।

(ख) एक सूची संलग्न है जिसमें उन चीनी मिलों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 1981-82 मौसम के दौरान अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4323/82]

उड़ीसा के लिये रेपसीड तेल/पाम तेल का कोटा

2628. **श्री अनादि चरण दास** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए रेपसीड तेल/पाम तेल का कोटा कितना है ;

(ख) उड़ीसा में उपयोग में लाने हेतु अब तक ये पदार्थ कितनी मात्रा में उठाये गये हैं ; और

(ग) बाजार में इस तेल की वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन का निर्णय प्रतिमाह किया जाता है, जो मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य में देशी तेलों की उपलभ्यता, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक की उपलभ्यता, पहले किये गये आवंटनों के प्रति उठाई गई तेल की मात्रा जैसी विभिन्न बातों पर आधारित होता है । उड़ीसा के मामले में चालू तेल वर्ष के दौरान उन्हें जुलाई, 1982 तक निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई :

(I) पामोलीन	—2923 मीटरी टन
(II) आर० बी० डी० ताड़ का तेल	— 27 मीटरी टन
(III) रेपसीड तेल (परिष्कृत)	—3304 मीटरी टन
योग :	6254 मीटरी टन

(ख) राज्य व्यापार निगम, से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा ने 21 जुलाई, 1982 तक निम्नलिखित मात्रा उठाई है :

(I) पामोलीन	—2223 मीटरी टन
(II) रेपसीड तेल (परिष्कृत)	—1676 मीटरी टन
योग :	3899 मीटरी टन

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि आयातित खाद्य तेल उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाते हैं, जिनकी संख्या 13 हजार से ऊपर सूचित की गई है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने में उपलब्धियां

2629. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के निगरानी एकक को मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार वर्तमान चालू वर्ष के प्रथम दो मास में समुचित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 12-15 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य की बजाय केवल 4.1 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो जब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 'निर्धनता-विरोधी" सबसे महत्व-पूर्ण कार्यक्रमों में से एक है तब इस खेदजनक परिस्थिति के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम के लिए यथानुपात मासिक लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। राज्य स्तरीय संस्वीकृत समिति द्वारा शुरू के कुछ महीने लाभभोगियों के चयन, कार्यवाही योजनाएं तैयार करने, योजनाओं के अनुमोदन आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य पर लगाए गए हैं। अत: शुरू के महीनों में भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि कम रही है। 1981-82 के दौरान 30 लाख लाभभोगियों के लक्ष्य के मुकाबले में 28 लाख लाभभोगियों को अन्तर्गत लाया गया था ।

विश्व बैंक की सहायता मिलने में विलम्ब होने के कारण नर्मदा परियोजना के निर्माण में प्रभाव

2630. **श्री अशोक गहलोत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक से सहायता मिलने में विलम्ब होने के कारण नर्मदा सिंचाई परियोजना का काम बन्द करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर पुन: काम कब से शुरू होने की सम्भावना है ;

(ग) इस योजना पर अनुमानित खर्च कितना होगा और यह काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना से कुल कितनी भूमि की सिंचाई होगी और उसमें प्रत्येक राज्य का शेयर कितना होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं, जिस पर निर्माण-कार्य प्रगति पर है और उसे बन्द नहीं किया गया है। इस समय, इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता नहीं मिल रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 2424 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के 1990-91 तक पूरा होने की आशा है बशर्ते कि धन उपलब्ध होता रहे।

(घ) सरदार सरोवर परियोजना से 16.73 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 15.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र गुजरात में और शेष 1.48 लाख हैक्टेयर क्षेत्र राजस्थान में होगा।

वन्य पशुओं के अनुरक्षण पर खर्च की गई धनराशि

2631. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिड़ियाघरों में वन्य पशुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में जोधपुर के चिड़ियाघर के लिए केसरी सिंह उपलब्ध कराने की कोई पेशकश हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार देश में स्थित चिड़िया-घरों के रख-रखाव पर होने वाले सारे खर्च को वहन नहीं करती है। वास्तव में, दिल्ली चिड़ियाघर, जिसका सीधा दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है, के अलावा, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा ऐसे खर्च को उठाया जाता है। दिल्ली चिड़ियाघर पर 1981-82 के दौरान किया गया कुल खर्च लगभग 48.32 लाख रुपये था।

राज्य सरकारों को अपने अधीनस्थ चिड़ियाघरों का विकास और बेहतर प्रबन्ध करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान निम्नलिखित चिड़ियाघरों को केन्द्रीय सहायता सुलभ कराई गई थी :

1. नेहरू चिड़ियाघर, हैदराबाद	1.00 लाख रुपये
2. इन्दिरा गांधी चिड़ियाघर, विशाखापत्तनम	2.00 लाख रुपये
3. राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर स्थित चिड़ियाघर	1.09 लाख रुपये

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जोधपुर के चिड़िया-घर के लिए बाघ का एक जोड़ा प्राप्त करने सम्बन्धी प्रश्न पर कार्यवाही की जा रही है।

अकाल संबंधी राहत कार्यों के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि

2632. **श्री अशोक गहलोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्यों को, राज्यवार अकाल सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या सरकार ने आवंटित धनराशि के उपयोग के बारे में राज्यों को रिपोर्टें भेजने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का राज्यवार उपयोग किया गया है तथा उससे राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक विपत्तियों से राहत दिलाने के लिए शुरू किए गए कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का आवधिक विवरण देना होता है।

(ग) किसी राज्य विशेष को दी गई केन्द्रीय सहायता उस राज्य द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के एक भाग को ही पूरा करती है, अतः राज्य सरकार को दी गई सहायता पूर्ण रूप से उपयोग की गई मान ली जाती है। राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

जहां तक लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का संबंध है, राहत में ये मदें शामिल हैं। पेय जल की आपूर्ति की व्यवस्था, अगली फसल की खेती के लिए किसानों को सहायता देना तथा सक्षम व्यक्तियों व कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा वृद्ध और अपंग लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम चलाना। इस स्तर पर लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की सही संख्या देना कठिन है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण-1

वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा राहत संबंधी कार्यों के लिए मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा

(करोड़ रुपये)

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	22.05	42.97	26.25
2. असम	8.40	—	—
3. बिहार	11.82	24.82	—

1	2	3	4
4. गुजरात	—	6.12	—
5. हरियाणा	4.50	4.02	8.25
6. हिमाचल प्रदेश	3.70	10.01	2.65
7. जम्मू और काश्मीर	2.79	—	—
8. कर्नाटक	—	6.65	13.81
9. मध्य प्रदेश	43.80	47.90	—
10. महाराष्ट्र	8.54	16.25	—
11. मणिपुर	2.72	—	—
12. मेघालय	0.77	—	—
13. नागालैन्ड	0.67	—	—
14. उड़ीसा	14.05	17.66	—
15. राजस्थान	18.75	40.30	87.83
16. तमिलनाडु	—	—	49.77
17. त्रिपुरा	1.33	—	—
18. उत्तर प्रदेश	34.91	47.52	—
19. पश्चिम बंगाल	27.67	—	—
योग	204.47	264.22	188.56

विवरण-2

वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान सूखा राहत के लिए राज्यों को दी गयी केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	20.29	39.24	14.94
2. असम	3.50	—	—
3. बिहार	5.46	15.03	—

1	2	3	4
4. गुजरात	—	2.68	—
5. हरियाणा	2.00	5.72(क)	6.94
6. हिमालच प्रदेश	3.00	6.79	2.25
7. जम्मू व काश्मीर	1.50	—	—
3. कर्नाटक	—	4.00	14.61 (ख)
9. मध्य प्रदेश	20.97	38.76	25.00(ग)
10. महाराष्ट्र	6.85	11.68	—
11. मणिपुर	2.60	—	—
12. मेघालय	0,58	—	—
13. नागालैंड	20.53	—	—
14. उड़ीसा	10.30	10.56	—
15. राजस्थान	16.20	24.41	64.04
16. तमिलनाडु	—	—	29.90
17. त्रिपुरा	1.00	—	—
18. उत्तर प्रदेश	31.21	26.42	—
19. पश्चिम बगाल	12.66	—	—
कुल	138.65	185.29	157.68

(क) इसमें वर्ष 1979-80 के सूखे के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

(ख) इसमे वर्ष 1980-81 के सूखे के लिए 1,98 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

(ग) इसमें वर्ष 1979-80 के सूखे के लिए 21 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1980-81 के सूखे के लिए 4.0 । करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

बोगस राशन-कार्ड

2633. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक की अवधि दौरान के उचित दर दुकानों पर कितने छापे मारे गए तथा उनके क्या परिणाम रहे ;

(ख) राशन कार्डों की जांच करने के परिणामस्वरूप खाद्यान्न का कुल कितने यूनिटों का खाद्यान्न बचा लिया गया है तथा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और अपराधियों के विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज किए गए ;

(ग) खाद्यान्नों के बोगस राशन यूनिटों पर, विशेष रूप से एशियाई खेल 1982 के दौरान नजर रखने के लिए क्या सावधानी बरती गई है तथा क्या तंत्र स्थापित किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार बोगस राशन कार्डों का पता लगाने के लिए छापे मारना जारी रखने हेतु, उड़न दस्ता शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) जनवरी से जून, 1982 की अवधि के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा 670 उचित दर की दुकानों की जांच की गई थी । 527 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और 44 मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की जा चुकी हैं । कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । राशन कार्डों की जांच किए जाने के परिणामस्वरूप, अब तक चीनी की 3,51,662 यूनिटें और अनाज की 6,63,811 यूनिटें निकाली/रद्द की जा चुकी हैं ।

(ग) नये खाद्य कार्ड जारी करने/यूनिटें बढ़ाने की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है । मंडल खाद्य तथा आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि वे पहले जांच कर के तथा क्षेत्रीय अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही नए राशन कार्ड जारी करें । क्षेत्रीय अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इन मामलों को पूरी सावधानी और छानबीन के साथ निपटायें ।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्राशसन के विचाराधीन नहीं है । तथापि, दिल्ली प्रशासन का प्रवर्तन खण्ड नामक एक केन्द्रीय नियंत्रित कक्ष है, जो लिखित अथवा मौखिक शिकायत मिलने पर छापे मारता है ।

राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन

2634. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को लागू करने के लिए कोई अध्ययन किया है जिसमें देश के वनों की कुल जमीन क 23 प्रतिशत स बढ़ाकर 33 प्रतिशत करन पर जार दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश की जमीन और वनों को पुनः सही-सही स्थिति पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी वर्ष 1976 में दी गई रिपार्ट में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के कार्यान्वयन का अध्ययन किया था । इस विषय पर रिपार्ट का सारांश नीचे दिया गया है :

क्योंकि वनों का प्रबन्ध पूर्ण रूप से राज्यों के हाथ में है, अतः वे नीति निर्णय का कार्यान्वित करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी हैं । उन्होंने कई कारणों की वजह से नीति मे दिए गए प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है । नीति विवरण मे प्रदत्त कार्यात्मक वर्गीकरणों

को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। वर्तमान वन भूमि का विस्तार करने तथा रक्षा, रेलवे, लोक निर्माण विभागों, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों आदि की भूमियों पर नए वृक्ष लगाने के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन भूमि को समाप्त करने का कार्य जारी रहा तथा यह धारणा भी बनी रही कि जिस शेष भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है, उस पर वानिकी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भूक्षरण वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सिफारिश किए गए 60 प्रतिशत क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अन्तर्गत लाने के लिए कोई गहन प्रयास नहीं किए गए। मुश्किल से वन चराई के किसी सिद्धान्त को कार्यान्वित किया गया। इस पर कार्यान्वयन तभी अधिक प्रभावकारी हो सकता था यदि इस नीति को राज्य विधान मण्डलों ने पास किया होता।

(ग) निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाए किए जा रहे हैं :

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को लागू किया गया है, ताकि वानिकी क्षेत्रों का अनारक्षण तथा गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन-भूमि का उपयोग करने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

(2) वानिकी क्षेत्र के लिए योजना परिव्ययों में काफी वृद्धि की गई है। वर्ष 1951-52 और वर्ष 1979-80 के बीच कुल परिव्यय 483.22 करोड़ रुपये था, जबकि छठी योजना (1980-85) के लिए स्वीकृत परिव्यय 692.49 करोड़ रुपये है।

(3) नये 20 सूत्री कार्यक्रम में 'वनरोपण' सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। इस क्षेत्र में वर्ष 1982-83 के लिए कार्यकारी कार्यक्रम में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं :

(1) विभिन्न वानिकी योजनाओं के तहत पौध का रोपण करना।	195,55 करोड़ पौधे
(2) फार्म वानिकी, किसानों को तथा "प्रत्येक शिशु के लिए एक वृक्ष" नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत पौध की आपूर्ति करना।	80,97 करोड़ पौद
(3) सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पौध लगाये जाने वाला क्षेत्र।	3,391 लाख हैक्टार

(4) अनेक राज्यों में सामाजिक वानिकी का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। छठी योजनावधि (1980-85) के दौरान 351,88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15,24 लाख हैक्टार क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(5) सरकार, मुख्य रूप से देश में विद्यमान वनों की अच्छी सुरक्षा प्रदान करने और वन-सम्पत्ति में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वन नीति तथा भारतीय वन अधिनियम को

संशोधित करने पर सक्रियरूप से विचार कर रही है, ताकि देश की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण में सुधार हो सके ।

सरोजनी नगर में पानी के मीटरों की चोरी

2635. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 नवम्बर, 1981 को सरोजनी नगर / नेताजी नगर नई दिल्ली में कुछ क्वार्टरों में पानी के मीटरों की चोरी हो जाने का पता चला था तथा इस सम्बन्ध में आवंटियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी ;

(ख) क्या आवंटियों ने प्रत्येक मामले में 125 रुपये / 150 रुपये नई दिल्ली नगर पालिका के पास जमा कराये थे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां और जमा की गई धनराशि की रसीदें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की थी कि क्वार्टरों के भीतर पानी के मीटरों के पैनल उपलब्ध करा दिए जायें ताकि नई दिल्ली नगर पालिका क्वार्टरों के भीतर ही मीटर लगा सकें ;

(ग) क्या पानी के मीटरों के अभाव में पानी बेकार बह रहा है तथा ऐसी स्थिति में आवंटियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जबकि पानी की पहले ही किल्लत है ;

(घ) यदि हां, तो पानी के मीटर लगाने के लिए आवश्यक "पैनल" क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा पानी के मीटर कब तक लगा दिए जायेंगे ; और

(ङ) इस जरा से काम में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अस्थाई सीधे कनेक्शन दिये गए हैं और इनमें पानी का रिसन नहीं है ।

(घ) पानी के मीटरों को क्वार्टरों के अन्दर लगाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पानी की पाइप लाइन बिछा दी गई है । मीटर नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा लगाये जाने हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय जल आयोग में अधिकारियों के स्थानान्तरण

2636. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिंचाई मंत्री केन्द्रीय जल आयोग में उप निदेशक /निदेशक के स्थानान्तरण के बारे में 21 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग में काम कर रहे ऐसे उपनिदेशकों/कार्यकारी अभियन्ताओं/निदेशकों/अधिशासी अभियन्ताओं के जिन्होंने गत पांच वर्ष के दौरान दिल्ली से बाहर कोई "फील्ड सर्विस" नहीं की है, दिल्ली के बाहर "फील्ड" अनुभव प्राप्त करने के लिये स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इन आदेशों के कब तक जारी हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) मामला अभी भी विचाराधीन है। कुछ वाद, जो उठ खड़े हुए हैं, स्थानान्तरणों से संबंधित आदेशों को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले हल किए जाने हैं।

हाउसिंग कालोनियों का निर्माण

2637. **श्री जेवीयर अराकल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नगरों में हाउसिंग कालोनियों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई और आवासों के आवंटियों से कितना मूल्य एकत्र किया गया ; और

(ख) क्या यह सच है कि विकास अधिकारी आवंटियों से काफी अधिक मूल्य एकत्र कर रहे हैं और जिसे अनेक लोग दे नहीं सकते हैं और जिसे केवल धनी और मध्यम वर्ग के कुछ लोग दे सकते हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है। योजना नियतनों के अन्तर्गत राज्य सरकारें विभिन्न आवास योजनाओं के लिए निधियां उद्दिष्ट करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसके लिए अग्रता का निर्णय वे स्वयं ही करती हैं इसलिए आवास परियोजनाओं को मन्जूर करना तथा मकानों की कीमत निर्धारित करना राज्य सरकारों का काम है।

(ख) जी, नहीं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी समस्याओं के बारे में बड़े गुटों की ओर से शिकायत

2640. **श्री जगदीश टाईटलर:**
श्री डी० पी० जदेजा:
श्री मोहन लाल पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संवर्धन में बाधा उत्पन्न करने संबंधी आधारभूत और/या संचालन की समस्याओं के बारे में बड़े गुटों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) पारम्परिक रूप से समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों और उनके परिवारों की आर्थिक बेहतरी के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या आधुनिक तरीकों से मछली पकड़ने के आविष्कार से समुद्र-तटीय क्षेत्रों के पारम्परिक मछुआरों को भारी धक्का पहुंचा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र मछली पकड़ने की नौकाओं, गीयर और अन्य मात्स्य की सामग्री प्राप्त करने के लिए पारंपरिक मछुआरों की राज-सहायता व राजसहायता और ऋण की योजनाओं के माध्यम से सहायता करती है । माल उतारने और जहाज खड़ा करने, पहुंच सड़के, जल सप्लाई, निलामी हाल, मछली उपचार यार्डों, मछली के परिरक्षण और भण्डारण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त समुद्र तटीय राज्यों के लिए सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खारा जल मछली / झींगा मछली पालन की स्वीकृति दी है ।

(ग) सरकार ने पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए समस्त समुद्र तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को पारंपरिक मछुआरों, मशीनीकृत तथा गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के लिए मत्स्यन क्षेत्रों का निर्धारण करने वाले आवश्यक कानून बनाने हेतु एक आदर्श विधेयक की सिफारिश की है ।

मध्य प्रदेश में "परियोजना आधारित" ग्रामीण कार्यों की संख्या

2641. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में "परियोजना आधारित" कितने ग्रामीण कार्य चल रहे हैं तथा उस राज्य में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा आवश्यकता पर आधारित खाद्यान्न की कितनी मात्रा की मांग की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी जिला/खंड-वार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वन्य पशु संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना

2642. **श्री भीकू राम जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशु संरक्षण के क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

वाटिकाओं की सिंचाई पर प्रतिबन्ध

2643. **श्री भीखू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी के नितान्त अभाव के कारण सरकार का विचार राजधानी में वाटिकाओं की सिंचाई पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) क्या नई दिल्ली की कालोनियों में सरकारी मकानों में रह रहे लोगों से यह अपील करने का भी विचार है कि वे पानी का प्रयोग केवल पीने और खाना बनाने के लिए करें ; और

(ग) राजधानी में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति पेय जल की उपलब्धता देश के अन्य महानगरों में उपलब्ध स्थिति की तुलना में बहुत अच्छी है। प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित जैसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि इसके नियन्त्रणाधीन कालोनियों में बागवानी में कच्चे पानी का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) इस संस्थान ने सूचित किया कि राजधानी में पानी की सप्लाई को और अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ शाहदरा में एक 100 एम० जी० डी० का जल शोधन संयंत्र एवं नए रैनी कुओं का निर्माण शामिल है। संस्थान का लक्ष्य 1985 तक 472 एम० जी० डी० जल सप्लाई बढ़ाने का है।

नई दिल्ली नगरपालिका ने भी सूचित किया है कि यह जहां कहीं सम्भव है, ट्यूबवैल लगा कर अपने क्षेत्र में जल सप्लाई बढ़ाने के प्रयास कर रही है।

राजस्थान को फलों की पैदावार के लिए ए० आर० टी० सी० से वित्तीय सहायता

2644. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुर्नवित और विकास निगम का विचार राजस्थान को अनार, चीकू, आम, अमरूद, अंगूर, बेर इत्यादि जैसे फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का है जिसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो फलों की विकास योजनाएं क्या हैं और राज्य को इस बारे में कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (जो पहले कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम था) राजस्थान में फल उत्पादन योजनाओं, जो कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम

हैं, के लिए पुनर्वित्त सहायता दे रहा है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (जो पहले कृषि पुनर्वित्त विकास निगम था) ने अब तक 30 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें निम्नलिखित फल उद्यान योजनाओं के लिए 168.326 लाख रुपये की राशि रखी गई है :

(लाख रुपयों में)

फल का नाम	योजनाओं की संख्या	पुनर्वित्त सहायता
संतरा/नींबू	9	62.031
आम/खट्टा अमरूद	16	86.776
अनार	2	6.575
अमरूद	1	2.880
बेर	2	10.064
जोड़ :	30	168.326

इसके अलावा, जयपुर जिले में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.12 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता से अलग से फल-उद्यान योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

राजस्थान को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त सहायता दी गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान, इस प्रकार के पुनर्वित्त की राशि 1021 लाख रुपये थी, जबकि वर्ष 1974-75 में यह राशि 280 लाख रुपये थी।

असाधारण मौसम के कारण फसलों को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिये विशेषज्ञों के एक दल का उत्तर प्रदेश का दौरा

2645. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असाधारण मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिये मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था और अपना प्रतिवेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। गेहूं की फसल को असायमिक वर्षा से पहुंची क्षति का जायजा लेने के लिए कई दलों ने उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा किया। इन दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) सरकार ने इन दलों की रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार को पावर थ्रेशरो के बिना रुकावट के कार्य करने के लिए बिजली और डीजल सुलभ कराने की सलाह दी ताकि कम से कम समय में गेहूं की गहाई को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने किसानों को अपने गेहूं को पहुंची क्षति से राहत दिलाने के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति के माप दण्डों में छूट देने की भी अनुमति

दी है और भारतीय खाद्य निगम को तदनुसार गेहूं की अधिप्राप्ति करने के निदेश जारी किये हैं इसके अलावा, सरकार ने कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए उत्तर प्रदेश को अल्पकालीन ऋण के रूप में 15 करोड़ रुपये की रकम दी है ताकि किसान खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर सकें।

मध्य प्रदेश में बाघों के लिये संरक्षित क्षेत्र

2646 **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बाघों के लिए अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। बाघ परियोजना की कर्णधार समिति ने मध्य प्रदेश में एक अतिरिक्त बाघ आश्रय-स्थल के सृजन की मंजूरी दे दी है।

(ख) प्रस्तावित आश्रय-स्थल का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) **नाम** :	इन्द्रावती बाघ आश्रय-स्थल
(2) **स्थान** :	बस्तर जिला
(3) **कुल क्षेत्र** :	2799 वर्ग किलोमीटर
(4) **आंतरिक क्षेत्र** :	1258 किलोमीटर

आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई धनराशि

2647. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को चालू वर्ष में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों ने, इस मद पर जिला-वार कितना खर्च किया है ; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में आन्ध्र अदेश सरकार को वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 7.48 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आवंटन किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पूरे वर्ष (1982-83) के लिए 12.96 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए अपने अंश के रूप में इतनी ही धनराशि सुलभ किए जाने की आशा है।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय क्षेत्रों में सक्षम तथा बैंक ग्राह्य आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध है जिनसे चुने लाभभोगी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनके आय स्तरों में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्य जिनसे ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती हो और जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, शुरू किए जा सकते हैं तथा ऐसे निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा गांवों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता हो। इस प्रकार के निर्माण कार्यों जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है, की एक निदर्शी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्यों की एक निदर्शी सूची

1. सरकारी तथा सामुदायिक भूमि, जिसमें स्थानीय निकायों जैसे पंचायतें आदि की भूमि भी शामिल है; पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, नहरों के तटों तथा रेलवे लाइनों आदि के साथ बेकार पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना, निरावृत्त बन क्षेत्रों तथा कृषि के लिए अयोग्य अन्य भूमि पर पेड़ लगाना, ईंधन व चारे के लिए और फलदार वृक्ष लगाना;

2. पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि विकास परियोजनाएं;

3. मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, सिंचाई या मत्स्यपालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना तथा उनका पुनरुद्धार करना ;

4. लघु सिंचाई निर्माण कार्य जिसमें बाढ़ बचाव कार्य भी शामिल है, नालियां तथा जल लग्नता निवारक कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में माध्यमिक तथा मुख्य नालियों तथा खेत की नालियों का निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि जल वाहिकाओं आदि की सफाई करना तथा उनकी गाद निकालना;

5. भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार;

6. मानक विनिर्देशनों के अधीन ग्रामीण सड़कें जहां उन्हें पक्का करने, क्रास जल निकासी, रख-रखाव आदि के लिए विशिष्ट वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं ;

7. विद्यालय तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेय जल कुएं वन क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए पेय जल के स्रोत, पशुओं के लिए तालाब, पिंजरापोल, गोशालाएं, सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअरों के लिए घर, नहाने तथा कपड़े धोने के घाट, सामुदायिक शौचालय, सामूदायिक कुड़ेदान और सामुदायिक बायोगैश संयंत्र।

ए० सी० उपकर तथा जिन्स समिति के अधिशेष से वित्त पोषित अनुसंधान एवं शिक्षा कार्यक्रम

2648. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए० सी० उपकर तथा जिन्स समिति के अधिशेष से संचयी निधियों में से पिछले 2 वर्षों में अनुसंधान तथा शिक्षा के किन-किन विभिन्न विशेष कार्यक्रमों का वित्त शोषण किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : निम्नलिखित विशिष्ट अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों को पिछले दो वर्षों से ए० सी० उपकर कोष से वित्तीय सहायता दी गयी है:—

1. फसल सुधार, पौध संरक्षण, मृदा विज्ञान, सस्य विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, बागबानी, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन मत्स्य पालन, कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के क्षेत्र में तत्काल ध्यान दी जाने वाली तदर्थ प्रकृति का विशिष्ट समस्याओं वाली अनुसंधान प्रायोजनायें।

इन प्रायोजनाओं में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा हाथ में ली गयी तथा अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जा रही प्रायोजनायें शामिल हैं।

2. कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कृषकों द्वारा नयी प्रौद्योगिकी अपनायी जाने हेतु उन्हें खेतों पर प्रशिक्षण देने के लिए की गयी थी।

3. प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रमों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों और संबंद्ध क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए कृषि परिवारों को जानकारी दी जाती है।

तदर्थ अनुसंधान योजनाएं

2649. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी तदर्थ अनुसंधान योजनायें मंजूर की गई और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मंजूर की गई इन योजनाओं में से कोई योजनायें समाप्त की गई थीं, बन्द की गईं थीं अथवा छोड़ दी गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं और बन्द की गई, समाप्त की गई और छोड़ दी गई योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न विषयों के अन्तर्गत 1980-81 एवं 1981-82 वर्ष के दौरान 153 तदर्थ अनुसंधान योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 153 योजनाओं में से किसी भी योजना को समाप्त नहीं किया गया है बल्कि तीन योजनाओं की स्वीकृति को, उनके कार्यान्वय से पहले ही, वापस ले लिया गया ;

(ग) निम्नलिखित योजनाओं की स्वीकृति वापस ले ली गयी :

	योजना का नाम	कारण	अगर कोई खर्च किया गया है
1.	गुजरात के कुछ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ताजा पानी में पाले जाने वाली मछलियों के माइक्रोविअल फ्लोर पर अध्ययन (मात्स्यिकी विज्ञान)	गुजरात पशु चिकित्सा कालेज, आनन्द के प्राचार्य की इच्छानुसार इस योजना को वापस ले लिया गया ।	इस पर कोई खर्च नहीं किया गया
2.	कीटनाशक दवाओं के अवशिष्ट के कारण उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण पर अध्ययन (पौध संरक्षण)	हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय, हिसार ने इस योजना के संचालन में अपनी असमर्थता दिखाई है।	शून्य
3.	फेमिली मिरिडे आफ टौक्सोनोमी (हेमीपतेरा) (पौध संरक्षण)	हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय, हिसार ने इस योजना के संचालन में अपनी असमर्थता दिखाई है ।	शून्य

विवरण

विभिन्न विषयों के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 के दौरान स्वीकृत तदर्थ अनुसंधान योजनाओं की संख्या की सूची

क्रम संख्या	विषय	योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	सस्य विज्ञान	8
2.	पौध शरीर क्रिया विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान	16
3.	पौध रोग विज्ञान	39
4.	कीट विज्ञान और सूत्र कृमि विज्ञान	18

1	2	3
5.	पौध प्रजनन	17
6.	बागवानी	6
7.	पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान	4
8.	डेरी और पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी	6
9.	कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और विपणन	12
10.	मत्स्य पालन	8
11.	सूक्ष्म जीव विज्ञान मृदा विज्ञान	15
12.	विस्तार शिक्षा	4
		153

भारत में फल पर आधारित उद्योग की संभावनाएं

2650. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 को हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी सोवियत भारतीय करार में उल्लिखित खाद्य उद्योग में सहयोग करने सम्बन्धी एक समझौते की जानकारी है ; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को भारत में ऐसे फलों पर आधारित उद्योग की प्रबल संभावनाओं की जानकारी है, जिनकी विदेशों में भारी मांग है और यदि हां, तो इससे सम्बन्धित करार का आम, काजू, सेव, संतरे और अमरूद का विशेष सन्दर्भ देते हुए ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वर्ष 1980 और 1981 में भारत से फलों का निर्यात किया गया था जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [प्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4324/82]

छुट्टी यात्रा रियायत के लिए फर्जी दावे

2951. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रेणी दो और तीन के कर्मचारी लम्बे समय से छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) के लिए फर्जी दावे ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा इन फर्जी बिलों को समुचित जांच किए बिना स्वीकृत करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार के बिलों की छानबीन करने के लिए पहले क्या उपाय किये गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले फर्जी पाए गए?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) बिलों की छानबीन, इस विषय पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, की जाती है।

(घ) कोई नहीं।

राष्ट्रीय बीज परियोजनाएं

2652. **श्री गुलाम मुहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता और अनुदान से कौन सी राष्ट्रीय बीज परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ग) बीज परियोजनाएं कहां चलायी जा रही है और उनके कब तक पूरे होने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना, विश्व बैंक से ऋण लेकर क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) भारत सरकार ने 55.40 करोड़ रुपये की कुल लागत से राष्ट्रीय बीज परियोजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी है।

(ग) बीज परियोजनायें हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में स्थित हैं। परियोजना को दिसम्बर, 1984 तक पूरा करने की योजना है।

(घ) भारत सरकार परियोजना-क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का हल निकालने के लिए इसमें भाग लेने वाले राज्यों तथा संगठनों की परियोजना प्रबंध तथा प्रबोधन समिति की तिमाही बैठक करती है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य परियोजना प्रबंध और प्रबोधन समितियों द्वारा भी परियोजना की आवधिक समीक्षा की जा रही है। उपर्युक्त के अलावा, कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा भी परियोजना-क्रियान्वयन की गति की हर माह समीक्षा की जा रही है।

राजस्थान को पर्यावरण सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए सहायता

2653. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के विभिन्न कस्बों और नगरों में पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र की योजना है और इसके निष्पादन के लिए निधियां राज्य योजना परिव्ययों में शामिल की जाती हैं। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने का केन्द्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने के लिए छठी योजना में राज्य सरकार ने 2.50 करोड़ रुपये का परिव्यय की व्यवस्था की है। योजना अवधि के दौरान 150 रुपये के वर्तमान प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा लागत के अन्तर्गत, अनुमानित 1.67 लाख मलिन बस्ती की जनसंख्या को मूलभूत सुविधायें देने की सम्भावना है।

———

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रो० तिवारी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० तिवारी को अनुमति दी है। आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैने प्रो० दंडवते और श्री हरिकेष बहादुर के विरुद्ध नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार की सूचना दी है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे टिप्पणी के लिए भेज दिया है। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी····· सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट और सदस्यों में उसके परिचालन के लिए, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे टिप्पणी के लिए भेज दिया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं उन दो मामलों की व्यवस्था पर, जो मैंने उठाये थे और जो अभी भी लम्बित पड़े हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक मामला सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के अध्यक्ष के बारे में है और दूसरा रखे जाने वाके पत्रों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : कल हो सकता है अथवा परसों। श्रीमती कृष्णा साही। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? मैंने इस भद्र महिला को अनुमति दी है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इनके बाद मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। किन्तु पारी मत तोड़िये। आप शिक्षक होने के नाते उसी व्यवस्था का पालन करें।

श्रीमती कृष्णा साही (वेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, नार्थ ऐवेन्यु और साउथ ऐवेन्यु मे कहीं भी पानी नहीं है। हम लोगों के घरों में दो सप्ताह से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। नीचे पानी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी, क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकेंगे ? मैंने उस दिन भी आपको कहा था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी की बात कर रहा हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर को जवाब देने दीजिए : (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को कुछ कहने के लिए कहा है । आप व्यर्थ में दखल दे रहे हैं । जब आपकी बारी आयेगी, मैं आपको बुलाऊंगा ।

श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त (बसीरहाट) : क्या आपके घर में टेलीफोन ठीक है ?

एक माननीय सदस्य : ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं । पहले एक बात निपट जाए, फिर दूसरी बात को लेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पानी की बात हो रही है—कोई करने दे तो ! (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है । मैंने केवल मंत्री जी को अनुमति दी है । (व्यवधान)*

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : खेद है कि नार्थ एवेन्यु और साउथ एवेन्यु और अन्य भागों के फ्लेटों में पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में वास्तव में कुछ कमियां रही हैं.....

एक माननीय सदस्य : मीना बाग ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मीना बाग में भी । (व्यवधान) । हमने 24 और 25 को शीघ्रता से सर्वेक्षण कराया था और कुछ कमियों का पता चला । बिजली की रुकावट और लो प्रेशर के कारण यह सब हुआ । किन्तु मैंने सम्बन्धित प्राधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि टैंकरों के जरिए पानी तुरंत भेजा जाए । जब तक कमियां दूर नहीं हो जाती और पानी की सप्लाई नहीं की जाती है, तब तक टैंकर इन सभी इलाकों में उपलब्ध रहेंगे । (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, पानी नहीं मिलता है, न सवेरे, न शाम, न दोपहर ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : अब मैंने इन संसद सदस्यों के क्वार्टरों को टैंकर भेजने तथा अबाध पानी सप्लाई करने के निश्चित अनुदेश दे दिए हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए । (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं आपसे कहूंगा । आज प्रातःकाल नल में पानी नहीं आया । पानी आता ही नहीं है । सारी छतें टपक रही हैं ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मैम्बर्स, एक मिनट जरा मुझे कह तो लेने दें, मैं अपनी बात कह रहा हूं ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : वे लोग अपनी ही बात कर रहे हैं । क्या इन लोगों ने राजस्थान के बारे में भी कुछ किया है । (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं, मैं आपकी समस्या के बारे मे कह रहा हूं। आप यह नहीं चाहते। आप शोर मचाना चाहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम पानी चाहते हैं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ऐसा करने से फायदा क्या है ? जब कि मैं मंत्री जी को स्वयं इस मामले को देखने के लिए कह रहा हूं, उन्होंने देखा है।

मंत्री जी, आप कृपया इस बात को स्वयं देखें कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, आदेशों का पालन किया जाए। वे सभी संसद सदस्य हैं, चाहे वे मंत्री हैं अथवा और कुछ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैंने पहले भी अनुदेश जारी कर दिए हैं, अनुदेश दिए जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने क्या इंस्ट्रशंस दिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब कल देखेंगे, नहीं होगा तो। मिस्टर राम विलास पासवान, अब कल फिर लेंगे। हम लोग यही हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इस मामले को वृहस्पतिवार को उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्यों यह करते हैं ? अब कल फिर लेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जिद करते हैं आप। मैंने एक बात कह दी। आप सदन का समय व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अगर सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती तो हाउस ऐडजर्न कर दीजिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : टेलीफोन के बारे में क्या कहना है ? टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन दीजिए टेलीफोन का। आप दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : पिछले 24 घटे से टेलीफोन खराब पड़े हैं। शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं। आज सुबह, मैंने मंडल इंजीनियर और विशेष नम्बर जो 178 है, से सम्पर्क करने की चेष्टा की, परन्तु वहां कोई उपलब्ध नहीं है। मंडल प्रबन्धक भी उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र प्रबन्धक, जो श्री बहल है, भी उपलब्ध नहीं हैं।

हम क्या करें ? आप हमारी स्थिति से परिचित हैं। मुझे बताया गया कि आपका नम्बर ठीक नहीं है। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे दीजिए ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने लिखित शिकायत दी है ।

अध्यक महोदय : और कोई नोटिस दे दीजिये उसको रेज करने के लिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन तीन दिन से खराब पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं हैं । जगह-जगह टेलीफोन कट गए हैं । इनके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करिए ।

अध्यक्ष महोदय : और कोई नई बात है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : बस यही है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, आपको मालूम है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह भेद भाव है ? शायद हो सकता है, कि उनके लिए सभी कुछ ठीक हो । हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है । अन्यथा वे लोग हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं ? हम लोगों के लिए पानी नहीं है । टेलीफोन खराब हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर यादव खड़े थे, आपकी वजह से ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यदि आप नार्थ ऐवेन्यु का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि छतें टपक रही हैं । वे हम लोगों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री नारायण चौबे : महोदय, क्या सरकार दिवालिया है ? (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसद का सत्र चल रहा है और प्रधान मंत्री अमरीका जा रही हैं । समाचार पत्रों में प्रतिदिन नई नीति से सम्बन्धित प्रश्न उठते हैं, क्या हर लोग अमरीका से हथियार खरीद रहे हैं अथवा नहीं ? मेरे विचार से, सरकार को वक्तव्य देना चाहिए । (**व्यवधान**) संसद को विश्वास में लेना चाहिए अन्य को नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई होगा तो बताएंगे । कोई चीज होगी तो अपने आप बताएगें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उनको कहिए बताने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा करते हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो अभी बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन्स दिए हैं, मैं यह कह सकता हूं कि एन० डी० एम० सी० को कई बार लिखाने और नोट कराने के बाद भी पानी नहीं आता है ।

अध्यक्ष महोदय : कल देखेंगे । आज की बात कर ली है, कल फिर इसको देखेंगे ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष जी, दिल्ली से जो अच्छा चलता है वह तो दिल्ली में ही रह जाता है लेकिन दिल्ली से जो बुरा चलता है वह सारे देश में फैल जाता है । कल जामा मस्जिद में जो घटना हुई है···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, बिजली पानी का जो मामला है···

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अन्दर जो टेलीफोन है जिसका नम्बर 377848 है, जो लोक दल पार्लियामेंटरी पार्टी का है···

अध्यक्ष महोदय : वह तो सारे लोगों का हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : क्या हो गया है?

अध्यक्ष महोदय : खराब हो गया है।

मैंने कहा है कि आप कोई मोशन लिखकर दीजिए।

प्रो० मधुदण्डवते : आप हमारा प्रस्ताव रद्द कर सकते हैं किन्तु हमें टेलीफोन चाहिये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा एक काम रोको प्रस्ताव है। श्री दरबारा सिंह ने बयान दिया कि अमन चैन है और सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन उनके मकान पर बम का हमला हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आज आप बीच में क्यों बोलते हैं? यह नयी हैबिट कहां से डवलप कर ली है। आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं।

बागड़ी जी, मैंने आपका नोटिस पढ़ लिया है। मैंने उससे इन्कार किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं फैक्ट्स मंगवा रहा हूं। आप कालिंग अटेंशन की नोटिस दीजिए। इसके बाद मैं उस पर विचार करूंगा। मैं यही कह रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे आपकी बात सही लगी है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जिससे राष्ट्र का हित होगा और लोकसभा को भी कुछ न कुछ बल मिलेगा। साथ ही मैं यादव साहब से भी कहता हूं कि वे बगैर सोचे मत बोला करें, इससे कोई फायदा नहीं है। कभी विपक्ष के लोग भी अच्छी बात कहते हैं और पक्ष के लोग भी अच्छी बात कहते हैं। इसलिए व्हूटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। मैं यह कहना चाहता था कि अमन-चैन और व्यवस्था न होने से सभी लोगों की जिन्दगी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती ऊषा वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पानी और बिजली की जो समस्या है उसके अलावा आजकल जो बारिश हो रही है उसका पानी जो छतों पर भर जाता है और लीक करता है उसके सहारे बिजली का करेन्ट भी आ जाने की सम्भावना रहती है। इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, साम्प्रदायिक दंगे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। मेरे क्षेत्र, फुलवारी शरीफ में···

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके सामने यह मसला है, वह इसको देखेगी।

———

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वार्षिक योजना 1982-83

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं "वार्षिक योजना 1982-83" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4312/82]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनायें

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सा० का० नि० 358 (अ), जो 27 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए और जो अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उर्वरकों को बोरियों में और बड़ी मात्रा में खुले में बेचने के मूल्य निर्धारित करने के बारे में हैं।

(2) सा० का० नि० 420 (अ), जो दिनांक 23 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 358 (अ) में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि अधिसूचना की अनुसूची में "सुपर-फास्फेट" को जोड़ा जा सके।

(3) सा० का० नि० 487(अ), जो दिनांक 7 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 1959 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1885 में कतिपय संशोधन किया गया है और उर्वरक नियन्त्रण आदेश, 1957 के खंड 4 और 21 के अन्तर्गत शक्तियां केरल सरकार के कृषि विभाग के सचिव से वापस लेकर केरल सरकार के निदेशक (कृषि) को सौंपी गई है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4313/82]

उड़ीसा कृषि उद्योग निगम, लिमिटेड, कटक के वर्ष 1974-75 के कार्य की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों संबंधी विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक, के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक, का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 4314/82]

राज्य सभा से संदेश

नौसेना (संशोधन) विधेयक

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 20 जुलाई, 1982 को अपनी बैठक में पारित नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

नौसेना संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1982 को सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लिंग निर्धारण परीक्षणों का समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० एम० लारेंस अनुपस्थित।

श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्रीमती सुशीला गोपालन : (अलप्पी) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"देश में प्राइवेट डाक्टरों द्वारा किये जा रहे लिंग-निर्धारण परीक्षणों, जिसके परिणामस्वरूप गर्भ में कन्या होने पर भ्रूणों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण पुरुषों की तुलना में पहले ही घटता जा रहा स्त्रियों का अनुपात और भी कम हो जायेगा, माताओं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी और

विकृत सन्तानें पैदा होंगी, के समाचार की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान दिलायेंगे ।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए कुछेक प्राइवेट डाक्टरों द्वारा किये गए परीक्षणों के परिणामस्वरूप होने वाले मादा भ्रूण के कथित गर्भपात के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ-साथ सरकार भी चिन्तित है ।

कभी-कभार ऐसे परीक्षण जन्मगत विकृतियों और लिंग के प्रश्न से जुड़े हुए जननिक विकारों का पता लगाने तथा भ्रूण के समुचित विकास और उसे स्वस्थ रखने के लिए भी किए जाते हैं। लिंग सम्बन्धी जननिक विकारों से सम्बन्धित परीक्षणों से भ्रूण के लिंग का पता लग जाता है। ऐसे परीक्षण विश्व के उन विभिन्न देशों में किये जाते हैं जहां इसकी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। सामान्यतया यह परीक्षण गर्भाधान के 14 सप्ताहों के बाद किये जाते हैं और ये परीक्षण उन अनुभवी और समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किये जाते हैं जिनके पास इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सुविधायें होती हैं ।

भारत में सामान्यता गर्भस्थ शिशु-लिंग निर्धारण के परीक्षण केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए ही किए जाते हैं । जो संस्थाएं इन परीक्षणों को कर सकती हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है । चूंकि डाक्टरों को प्रशिक्षित करने, विशेषकर गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के परीक्षण करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ही कम प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हैं । अतः यह कहना सही नहीं होगा कि ये परीक्षण बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं ।

यदि विशेषज्ञों द्वारा इन परीक्षणों को ठीक ढंग से किया जाए तो सामान्यतया इनसे माता के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और गर्भस्थ शिशु में कोई विकृति नहीं आती है । केवल ऐसे परीक्षणों से लड़कियों के अनुपात में भी कोई कमी नहीं आयेगी। वस्तुतः 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में 1971 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 930 थी, जो 1981 में बढ़कर 935 हो गई ।

जैसा कि मैंने बताया है कि देश में लिंग निर्धारण के परीक्षणों की सुविधाएं बहुत ही कम हैं । कुछ प्राइवेट डाक्टर लड़कियों के प्रति जो सामाजिक पूर्वाग्रह बने हुए हैं उनका अनुचित लाभ उठाकर मादा गर्भ गिराने के लिए महिलाओं को उकसाकर ऐसे परीक्षणों के अविश्वसनीय कार्यों में लगे हुए बताए जाते हैं । स्पष्टतः यह अनैतिक कार्य है ।

भ्रष्ट चिकित्सकों द्वारा लिंग निर्धारण सम्बन्धी परीक्षणों के सम्भावित दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार ने राज्य और संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को बहुत पहले 1977 में लिंग संबंधी जननिक विकारों का पता लगाने और अनुसन्धान करने के अलावा ऐसे परीक्षणों के प्रति सावधान कर दिया था । हम सभी सम्बन्धित सरकारों को इस मामले में सतर्क रहने के लिए फिर से कह रहे हैं ।

केवल लिंग के आधार पर मादा भ्रूण के गिराने की निन्दा की जानी चाहिए। ऐसे गर्भपात वर्तमान कानून अथवा वैज्ञानिक मानदण्डों में किसी खास त्रुटि के होने के कारण नहीं किए जाते हैं बल्कि वस्तुत: लड़की के पैदा होने से जुड़े सामाजिक पूर्वाग्रह की वजह से किए जाते हैं। अत: इस क्षेत्र में सम्पूर्ण राष्ट्र में लोगों के बीच जाग्रति उत्पन्न करनी होगी। आखिरकार इस सामाजिक अपराध के दोषी कौन हैं? केवल डाक्टर ही नहीं बल्कि वे लोग भी दोषी हैं जो ऐसे कार्यों के प्रचार विज्ञापनों में लगे हुए हैं और जो गर्भवती महिलाओं पर ऐसा करने के लिए दबाव डालते हैं और उन्हें फुसलाते हैं। वस्तुत: इसके लिए समूचा समाज उत्तरदायी है जो ऐसी कुप्रथा को पनपने दे रहा है। हम सबके लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि शिक्षा और सामाजिक जागरुकता के जरिए महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए हम समाज और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लायें। केवल तभी हम इस कुरीति को पूर्णतया समाप्त करने में सफल हो सकेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बिजली गुल हो गई है। लेकिन जो जेनरेटर सभा को बिजली की पूर्ति करता है उसे कभी भी खराब नहीं होना चाहिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) इससे यही पता चलता है कि आगे क्या स्थिति आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आपने यह मुद्दा अभी-अभी उठाया है। बिजली फिर आ गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इससे केवल यह सिद्ध होता है कि विपक्ष सरकार को चालू हालत में रखता है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : (अलप्पी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने इस विषय को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया है। क्योंकि उनका उत्तर क्या है ? वह कहते हैं :

> "भारत में सामान्यतया गर्भस्थ शिशु-लिंग निर्धारण के परीक्षण केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए ही किए जाते हैं। जो संस्थाएं इन परीक्षणों को कर सकती हैं उनकी संख्या बहुत कम है। चूंकि डाक्टरों को प्रशिक्षित करने, विशेष कर गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के परीक्षण करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ही कम प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हैं। अत: यह कहना सही नहीं होगा कि ये परीक्षण बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं।"

इन परीक्षणों पर रोक लगाने संबंधी अन्य बातों के संबंध में वह कहते हैं :

> "भ्रष्ट चिकित्सकों द्वारा लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षणों के संभावित दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बहुत पहले 1977 में लिंग संबंधी जननिक विकारों का पता लगाने और अनुसंधान करने के अलावा ऐसे परीक्षण के प्रति सावधान कर दिया था। हम सभी संबंधित सरकारों को इस मामले में सतर्क रहने के लिए फिर कह रहे हैं।"

फिर इन अपराधों का समाधान क्या है ? वह कहते हैं :

"वस्तुतः इसके लिए समूचा समाज उत्तरदायी है जो ऐसी कुप्रथा को पनपने दे रहा है। हम सबके लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि शिक्षा और सामा -जिक जागरुकता के जरिए महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए हम समाज और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। केवल तभी हम इस कुरीति को पूर्णतया समाप्त करने में सफल हो सकेंगे।"

यह समाधान है जो उन्होंने सुझाया है। वास्तव में वह समस्या क्या है जिसे सामने लाया गया है? समस्या यह है कि देश के विभिन्न भागों में गर्भस्थ शिशु लिंग निर्धारण के परीक्षण किए जा रहे हैं; बम्बई, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में ये परीक्षण किए जा रहे हैं। जहां ऐसी सुविधाएं, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, उपलब्ध नहीं हैं। वे समाचार पत्रों में विज्ञापन दे रहे हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, हम सभी लिंग पक्षपाती समाज में रह रहे हैं। स्वाभाविकतः, महिलाएं भी कहेंगी कि "ठीक है" क्योंकि जब उन्हें अपनी पुत्रियों का विवाह करना पड़ेगा तो उनको दहेज तथा अन्य वस्तुएं देनी होगी, लड़की वास्तव में इस समय भी एक बोझ है; अतः महिलाएं भी यह कह सकती हैं कि मादा भ्रूण को नष्ट किया जा सकता है।

1974-76 में यह परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किया जाता था और उस समय इसके विरुद्ध आवाज उठी थी और लोगों ने यही आपत्ति की थी कि मादा भ्रूण बड़ी संख्या में नष्ट किए जा रहे हैं। अतः चिकित्सा परिषद को एक परिपत्र जारी करना पड़ा था जिसमें आयुर्विज्ञान संस्थान को कहा गया था कि वह इन परीक्षणों को बन्द करें।

मंत्री कहते है कि सुविधाओं की कमी के कारण यह बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता। बम्बई में यह किया जाता है। भारत के विभिन्न भागों से गर्भवती महिलाओं का तरल द्रव्य विमान द्वारा बम्बई भेजा जाता है और वहां वे इसका परीक्षण करते हैं। इस कार्य में अनेक कुरीतियां हैं। दिल्ली से भी 50 स्त्री रोग चिकित्सक इन मामलों को बम्बई भेज रहे हैं; वे गर्भवती महिला का तरल द्रव्य बम्बई भेजकर उसका परीक्षण करवा रहे हैं। अमृतसर में बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। सिनेमाघरों में यह स्लाइडों में दिखाया जाता है। जब हमारे लोग रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे तो उन्हें इसका विज्ञापन मिला; इसे गाड़ी में वितरित किया गया था। बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है। यह विज्ञापनों से ही प्रमाणित हो जाता है कि यह परीक्षण लिंग के प्रश्न से जुड़े हुए जननिक विकारों अथवा ऐसी किसी अन्य बात का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि यह परीक्षण मादा भ्रूण को समाप्त करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन क्या कहता है?

"जैसा कि भारत में सामाजिक ढ़ांचे की मांग है, अधिकांश योग्य दम्पति पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक पुत्रियों को जन्म दिए जाते हैं जो एक तरह से न केवल जनसंख्या में वृद्धि करता है बल्कि इन परिवारों के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समस्याएं पैदा कर देता है।"

"एम्नीओं सेन्टोंसिस और "जन्म पूर्व लिंग" निर्धारण से हमें सहायता प्राप्त हुई है और इससे जनसंख्या वृद्धि दर कुछ नियन्त्रण करने एवं लड़के की इच्छा रखने वाले दम्पतियों को राहत देने में भी सहायता मिल सकती है।"

अतः यह स्पष्ट है कि यह अन्य कुछ न होकर लड़कियों की हत्या है तथा मंत्री महोदय ने विज्ञापन में तथा समाचार पत्रों में भी देखा है तथा अनेक महिला संगठनों ने इसका विरोध किया है। इन सब बातों के साथ वह कहते हैं कि यह केवल समाज को बदलने का प्रश्न है। यह विधान जिसका आपने उल्लेख किया है, पत्र से है परन्तु इस देश में परीक्षण बड़े आधार पर होते हैं। यह हमारी शिकायत है। हम भ्रूण में असाधारणताओं का पता लगाने के लिए एम्नीओं सेन्टोसिस परीक्षण के विरूद्ध नहीं परन्तु इसका उपयोग उस प्रयोजन से नहीं किया जाता और डाक्टरों के अनुसार यह साधारण परीक्षण नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि इससे बच्चे अथवा माता को नुकसान नहीं पहुचा। परन्तु ब्रिटेन अथवा अन्य देशों में की गई जांचों से पता चला है कि यह हानिकारक है तथा इससे बच्चे अथवा माता को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रेट ब्रिटेन की "मेडिकल वर्ल्ड न्यूज" पत्रिका में मेडिकल रिसर्च कौंसिल के अध्ययनों के बारे में निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है ;

> "ब्रिटिश अनुसंधान कर्ताओं का निष्कर्ष है कि दक्ष तथा उपस्तरों से सुसज्जित विशेषज्ञों के हाथों में भी इस प्रक्रिया के कारण 1-5 प्रतिशत बच्चों की जन्म से पूर्व मृत्यु हो जाती है। एक छोटे तथा पुराने अमरीकी अध्ययन के अनुसार क्रमशः 3-5 प्रतिशत और 3-2 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में सुई के साथ होने वाली मौतों की प्रतिशतता 2.6 प्रतिशत है और नियंत्रणों के कारण 1-1 प्रतिशत है। दूसरी ओर एटलांटिक के दोनों ओर जन्म पूर्व होने वाली मौतों के आंकड़ों की प्रतिशतता एम्नीओं सेन्टोसिस के साथ 0.8 तथा इसके बिना 0-5 थी। परन्तु एम० सी० ग्रुप ने एम्नीओं सेन्टोसिस के साथ अमरीकियों से भिन्न अर्थों में मेटर्नल आर० एन्टेपारटम हेमार्ज तथा नियोनटाल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैस तथा प्रमुख आर्थिक असंगतियों की बढ़ी हुई दर पाई।"

यह डाक्टरी विचार है परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि इससे बच्चे तथा माता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार भ्रूण में असंगतियों का पता लगाने के लिए भी इसे उपस्करों से पूर्णतया सुसज्जित संस्था में करना जरूरी है। जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों तथा जहां सक्षम डाक्टर हों, परन्तु यह ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं।

"दी स्टेट्समेन" में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह भी सन्तोषजनक नहीं है और बहुत ही अपरिष्कृत है। वास्तक में वे अपेक्षित परीक्षण भी नहीं अपना रहे और यही नहीं अनेक मामलों में यह सिद्ध हो चुका है कि ये परीक्षण दोषहीन नहीं हैं। कानपुर में ऐसे दो मामलों का पता चला है जिनमें कहा गया था कि लड़की का भ्रूण है परन्तु बाद में पाया गया कि भ्रूण लड़के का था और मां वास्तव में पागल हो गई क्योंकि वह पहले सोच रही थी कि लड़की थी जबकि वास्तव में वह बच्चा लड़का था। इसी प्रकार अमृतसर में भी अनेक निष्कर्ष गलत सिद्ध हुए। यह सब पिछले वर्ष से हो रहा है और लगभग 500 मामले अमृतसर के भंडारी क्लीनिक में ही निपटाए गए। मंत्री महोदय कहते हैं कि केवल मात्र सैक्स का निर्धारण करने के लिए इन परीक्षणों को आगे से अनुमति नहीं दी जा रही। तब यह सब वे किस प्रकार कर रहें हैं। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन इस पर चुप्पी साधे है। मंत्री महोदय भी चुप हैं। यदि एम्नीओ-सेन्टो-

सिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है तो इसका लाभ सैक्स निर्धारण के लिए न उठाया जाकर शारीरिक दोषों का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हमारे देश में इनका लाभ केवल लड़की के भ्रूण को नष्ट करने के लिए उठाया जा रहा है।

मंत्री महोदय कहते हैं कि वर्ष 1981 में अनुपात में वृद्धि केवल 5 प्रतिशत हुई है। वर्ष 1901 में क्या अनुपात था। वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 972 थी। प्रत्येक जनसंख्या के आंड़कों से पता चलता है कि इसमें कमी हुई है। इस समय बहुत मामूली से वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय इस नाम मात्र ही वृद्धि से बहुत सन्तुष्ट हैं। इससे पता चलता है कि समाज इस समस्या को कितनी सामान्य मान रहा है। उसी प्रकार हमारे मंत्री भी बोल रहे हैं। इस देश में जो परीक्षण चल रहे हैं। मंत्री महोदय उनको किस प्रकार नियंत्रित करेंगे ? क्या आप जिन क्लीनिकों में सुविधाएं नहीं हैं उनमें किए जा रहे परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगायेंगे ? यदि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस प्रकार के परीक्षण किए जाएं तो मेरे समझ में आने की बात है क्योंकि वहां पर सब पूर्वोपाय किए जाते हैं। आपने इसको नियन्त्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाया। मुझे नहीं पता कि आपके पास इस बात का पता लगाने के लिए कोई तन्त्र है कि यह परीक्षण कहां-कहां पर किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ऐसे प्राइवेट क्लीनिकों में परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने को तैयार हैं जिनमें समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। एम्नीओ-सेन्टेसिस परीक्षणों को अनुमति, शारीरिक दोषों का पता लगाने के उद्देश्य से ही दी जाए तथा सैक्स का निर्धारण करने मात्र के लिए नहीं। क्योंकि इस समय इसका समाज में महिलाओं की संख्या पर कुप्रभाव पड़ेगा। क्या आप इस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे और इसका पता लगाएंगे कि ये परीक्षण कहां-कहां पर किए जा रहे हैं तथा इन परीक्षण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को ध्यान से नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि मेरा कहना है कि इन परीक्षणों से माता पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा नहीं कहा।

वास्तव में जो कुछ कहा गया था मैं उसे फिर से दोहराता हूं। मैंने कहा :

> "सैक्स से सम्बद्ध अनुवंशिकी दोषों से संबंधित परीक्षणों से भ्रूण के लिंग का पता चलता है ; ऐसे परीक्षण विश्व के अनेक देशों में जहां पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, किए जाते हैं। ये प्रायः गर्भ धारण करने के 14 सप्ताह पश्चात् किए जाते हैं और अनुभवी एवं समुचित रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किए जाने चाहिए। जिनके पास इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।"

मैंने यह नहीं कहा कि कोई भी तथा हर कोई ये परीक्षण कर सकता है।

सरकार इन बातों के प्रति चिन्ता व्यक्त करने में किसी से पीछे नहीं है। माननीय सदस्या ने भी स्वंय इस सदन में तथा कुछ समय पूर्व अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में यह बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा, हमारा समाज पुरुष प्रधान है और महिलाओं को अनेक दिक्कतों का

सामना करना पड़ता है। यह बात कौन नहीं जानता ? हम सब यह जानते हैं कि यदि किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है तो बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। हर कोई प्रसन्नता अनुभव करता है। माता तथा पिता को सब लोगों से बधाई के पत्र प्राप्त होते हैं। परन्तु यदि लड़की का जन्म हो जाए तो आप घर के वातावरण को देखें। माता का आदर नहीं किया जाता। उसके प्रति उदासीनता दिखाई जाती है। (व्यवधान)। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं यह बता रहा हूं कि मैं इसके विरुद्ध हूं। यह आज का समाज है। यह बात सामाजिक जीवन के साथ जुड़ी है। इसी कारण मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। समाज को बदलने में हमें सहायता दें जिससे आप महिला के प्रति सम्मान दिखा सकें। हमारे घर में लड़की के जन्म से लेकर उसका पालन ऐसे वातावरण में होता है जिससे उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। उसे दायित्व के रूप में माना जाता है और माता पिता भी यह समझते हैं कि उनको उसकी शादी पर इतना व्यय करना है। यह सामाजिक प्रणाली है। मैं इसको ठीक नहीं मानता और मैं समाज को बदलने के लिए इस सदन का समर्थन चाहता हूं। जो भी इसके विरुद्ध है वह आगे और जागरुकता पैदा करें। मैं यह चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं इस प्रथा का समर्थन करता हूं परन्तु दुर्भाग्य से यह सामाजिक प्रथा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रतिबन्ध लगाने की बात की थी।

श्री बी० शंकारानन्द : महोदय, जिस बैठक में उन्होंने भाग लिया। समाचार पत्रों के अनुसार उस बैठक में डाक्टरों ने मत व्यक्त किया था कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अनुसन्धान की जरूरत है। विज्ञान को प्रगति करनी है। अनुवंशिक दोष जानने के लिए माता के दुःख को रोकने लिए तथा वीकृत बालक के जन्म को रोकने के लिए इन परीक्षणों का किया जाना जरूरी है। इस प्रकार के अनुसन्धान पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

श्रीमती सुशीला गोपालन : एम्नीओं-सेन्टेसिस परीक्षण किए जा सकते हैं परन्तु सैक्स निर्धारण परीक्षणों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जिनका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण हम मांग कर रहे हैं कि इस प्रयोजन के लिए परीक्षण को रोका जाना चाहिए। दूसरे यह परीक्षण अच्छे और पूर्णतया सुसज्जित संस्थानों में ही किए जाने चाहिए। प्राइवेट क्लीनिकों में इस प्रकार के परीक्षण किस प्रकार से किए जा सकते हैं ? और आप इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से यह नहीं कह रहे कि इस प्रयोजन से किए जाने वाले परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इन बातों पर मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार ने वर्ष 1977 में सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जो पत्र भेजा उसमें कहा गया था कि ये परीक्षण केवल अनुसन्धान तथा चिकित्सा प्रयोजनों के लिये किए जा सकते हैं और सैक्स का निर्धारण करने के लिए नहीं।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं इस समस्या पर आन्दोलित हैं और हमने देखा है कि श्रीमती दण्डवते की महिला दक्षता समिति अनेक महिला संगठनों में सरकार और माननीय मंत्री जी के पास याचिकाएं भेजी हैं।

महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य, जो उन्होंने पढ़ा है। अत्यन्त सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। मैं यह बात इस प्रयोजन से कह रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें जब वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें; यह कहने का अवसर नहीं देना चाहता कि मैंने उनके वक्तव्य को पढ़ा नहीं है। श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं और मैं उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को, जो उन्होंने पूछे थे लेकिन जो अनुत्तरित रह गए, दोहराने की अनुमति चाहता हूं।

पहले मुद्दे पर बात करते हुए जिसका माननीय मंत्री महोदय ने पैरा-3 में उल्लेख किया है —उन संस्थानों की संख्या जो इन परीक्षणों को पूरा कर सकती है थोड़ी हैं—मैं कह सकता हूं कि संभवतः उन्होंने उस वक्तव्य को नहीं पढ़ा है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक डाक्टर ने दिया है। श्रीमान, निम्न समाचार दिया गया है :

> "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टर के० वुचेरिया ने बैठक में बताया कि इस प्रकार के परीक्षण बम्बई और उत्तर प्रदेश में, मेरठ में तथा राजस्थान में अन्य स्थानों के सरकारी अस्पतालों में किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगभग 50 गैर सरकारी स्त्री-रोग विशेषज्ञ इस प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं क्योंकि यह पैसा बनाने का बहुत बड़ा गिरोह बनाया था।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या आपने एक डाक्टर द्वारा व्यक्त की गई इस राय पर विचार किया है ? क्या आपने यह पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि यह राय सही है अथवा नहीं। इसके बाद मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या गैर सरकारी चिकित्सकों के पास, उनके वक्तव्य में पैरा 2 में उल्लिखित 'पर्याप्त सुविधाएं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके लिए वे समुचित रूप से योग्य हैं ? आपने कहा है कि विदेशों में, जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। महोदय, हमें वास्तव में प्रसन्नता हुई होती यदि उन्होंने पर्याप्त सुविधाओं को बताया होता और क्या किसी सरकारी अस्पताल में अथवा गैर सरकारी चिकित्सकों के पास इस प्रकार की 'पर्याप्त सुविधाएं' उपलब्ध हैं ? केवल यह कहना कि "पर्याप्त सुविधाओं से ही ऐसा किया जा सकता है, मैं समझता हूं। श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा उठाया गया प्रश्न अनुत्तरित रहता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न पर और रोशनी डालने हेतु अनुरोध करूंगा।

दूसरा मुद्दा, जिसका श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा उल्लेख किया गया, यह है कि इस प्रकार के परीक्षणों के 'हानिकारक परिणाम' होते हैं। मुझे माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ है जिसमें उन्होंने कहा, संभवतः उन्होंने उनके द्वारा दिया गया विवरण नहीं पढ़ा है। क्या मैं आपका ध्यान पैरा 4 की ओर आकर्षित कर सकता हूं जिसमें आपने निश्चय ही उस आशय का वक्तव्य दिया है ? लेकिन, उसके बावजूद आपके उनके समक्ष अपने वक्तव्य के पैरा 2 का यह कहते हुए उल्लेख कर रहे हैं। 'मैंने ऐसा नहीं कहा है।' अब मैं आपके वक्तव्य के पैरा 4 का उल्लेख करूंगा जिसमें आपने कहा है।

> "परीक्षण करने की कार्य विधि का, यदि परीक्षण किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, मां पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और भ्रूण में कोई विकृति नहीं पैदा होती।"

अब मैं आपका ध्यान अमृतसर के विक्टोरिया जुबली अस्पताल की एक महिला डाक्टर, डाक्टर कौर द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। डाक्टर कौर ने कहा है :

> "मुझे ऐसे अनेक मामलों की जानकारी है जिनमें ये परीक्षण गलत सिद्ध हुए, जिनसे अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा और अनेक माताओं को, क्लीनिक द्वारा उनके गर्भ में स्त्रीलिंग होने की घोषणा किए जाने के बाद, गर्भपात कराने पर 'पुल्लिग' भ्रूण निकला। परीक्षण में महत्वपूर्ण त्रुटि है पराश्रव्य की तकनीक का अभाव, जो कि बीजाण्डासन के स्थान का पता लगाने के लिए आवश्यक है। इसमें गर्भ से तरल पदार्थ निकालते समय बीजाण्डासन में सुई लग जाने का डर था। इससे स्वतः ही गर्भपात हो जाएगा।"

उन्होंने (डाक्टर कौर ने) अपने भाषण में अपने वक्तव्य में इस बात को बार-बार दोहराया है। इसलिए मुझे मंत्री महोदय के इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ है कि इसमें मां और बच्चे को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जहां आपरेशन के दौरान गर्भपात करके पुल्लिग भ्रूण निकाला गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह वक्तव्य दिए जाने के बाद से इस बीच सरकार ने क्या कदम उठाए। दूसरे, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है? महोदय, मुझे इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि इन चीजों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कुछ परीक्षण भ्रूण की असामान्यता का पता लगाने के लिए उपयोगी हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मंत्री महोदय के ध्यान में वह अपील आयी है जोकि अमृतसर के गैर सरकारी डाक्टरों द्वारा की गई है। मैं डा० (श्रीमती) कानन पी० भण्डारी द्वारा हस्ताक्षर की गई, न्यू भण्डारी अस्पताल, चौक मोनी, अमृतसर द्वारा प्रकाशित अपील की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि पंजाब में, खास-तौर पर अमृतसर में, इन परीक्षणों को कर रहे डाक्टरों में अधिकांश महिला डाक्टर हैं। मैं उस अपील के पहले पैरा का उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए इसे मैं उद्धृत करूंगा। इसमें कहा गया है :

> "जैसी की भारत के सामाजिक ढांचे की मान है, अधिकांश प्रत्याशित दम्पति एक लड़के की चाह में अनेक लड़कियां पैदा करते जाते हैं जिससे न केवल महिलाओं की जनसंख्या बढ़ती जाती है·····अपितु इससे इन परिवारों पर अनेक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दबावों की शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भ सम्बन्धी और गर्भपूर्व लिंग निर्धारण हमारे लिए बचाव का एक रास्ता और यह जनसंख्या वृद्धि पर कुछ नियन्त्रण पाने में और साथ ही लड़का चाहने वाले दम्पत्तियों को राहत प्रदान करने में सहायता मिल सकती है।"

मंत्री महोदय, क्या आप इस बात में सहमत हैं? यह अपील बहुत पहले प्रकाशित हुई थी। क्या आपने इस पर कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो इस बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? यह कहना बहुत आसान है कि ऐसे मामले थोड़े हैं और यह कि ऐसे परीक्षण केवल सरकारी अस्पतालों में किए जा रहे हैं। इसलिए, मैं आदर पूर्वक आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी बातें न केवल पंजाब और अमृतसर में प्रकाशित की जा रही हैं और जारी की

जा रही हैं अपितु देश भर में ऐसा किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि वे यह कहते हैं कि इस कार्य में बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, श्रीमती सुशीला गोपालन ने इंग्लैंड के मेडीकल डाक्टरों की रिपोर्ट का केवल उल्लेख किया। वे उसे उद्धृत नहीं कर सकी। लेकिन उसे उद्धृत करना मेरे लिए आवश्यक है जिससे कि उसे माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाया जा सके। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में बिल्कुल भी जोखिम नहीं है। यह केवल असत्य ही नहीं अपितु बिल्कुल गलत है। इस बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं है और मंत्रालय द्वारा माननीय मंत्री महोदय को दी गयी सूचना गलत है। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है :—

> "इसी विषय पर ब्रिटिश रायल कालेज की चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दी गई रिपोर्ट में यही निषकर्ष निकाला गया है कि इसमें गर्भ सम्बन्धी खतरा बहुत ज्यादा है।"
>
> "संक्षेप में, रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि इस गर्भ सम्बन्धी परीक्षण को (एमनिओंसेंटिसिस) पूरी तरह सुरक्षित न माना जाये और यह केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां कि असामान्यता का खतरा कार्यविधि के खतरे से कहीं ज्यादा हो।"

क्या इंगलैंड के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निदेश का पालन किया गया है। अब, आप इस स्थिति में भी क्या कोई कदम नहीं उठा रहे हैं ? इसके अतिरिक्त आप कहते हैं कि 1977 में आपने सभी राज्यों को ऐसे कदम उठाने के निदेश दिए थे। क्या आप इस सम्मानीय सदन को यह बताने की स्थिति में हैं कि कौन से राज्य ने कोई कदम उठाए हैं ? उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं ? और ये कदम उठाए जाने के बावजूद, इस प्रकार के उदाहरणों की संख्या बढ़ रही है। आप किस तरह इस कार्य को रोकने जा रहे हैं ? आपने पहले ही इस देश की जनता से और इस सदन के सदस्यों से एक अपील की थी। इस सम्बन्ध में आप क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ? क्या यह आवश्यक नहीं है कि भ्रूणों में असामान्यतता का पता लगाने के लिए यदि इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं तो वह परीक्षण किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए और वह भी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ? आपने कोई कदम नहीं उठाए हैं। आपने केवल इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा किए गए भाषणों का उल्लेख किया जिनमें उन्हें उस प्रकार के परीक्षणों को स्वीकार न करने के लिए समझाया गया है। इस सम्बन्ध में, यदि समूचे परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना आपके लिए संभव नहीं है, तो जो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा वह यह है :

क्या सरकार केवल बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए गर्भ सम्बन्धी परीक्षण के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाएगी और स्त्रीलिंग वाले बच्चे को गर्भ से गिराने के लिए नहीं ? केवल उसी सीमा तक इसका प्रयोग हो, क्या आप उत्तर देंगे ? क्या वास्तव में आप अनुभव करते हैं कि इस प्रश्न को हल किया जा सकता है और कोई कानून बनाकर हम किसी समुचित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ?

आपने न केवल डाक्टरों का अपितु समाचारपत्र विज्ञापनों और लोगों, जो माताओं

सहित जनता पर इसके लिये दबाव डालते हैं, का भी उल्लेख किया है। मैं माननीय महिला सांसदों और इस देश की सभी महिलाओं से अपील करूंगा कि यदि वे यह परीक्षण न कराने का निर्णय कर लें तो प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब, मंत्री महोदय क्या कदम उठाएंगे ? अब, क्या हम यह कह सकते हैं कि जो महिलाएं इस प्रकार के परीक्षण कराएंगी उन्हें इसके लिए दण्डित किया जाना चाहिए ? यदि आप गर्भस्थ भ्रूण के हित में, पैदा होने वाले बच्चों के हित में—ये बच्चे असामान्यता लिए पैदा न हों—इस परीक्षण को बन्द करना चाहते हैं तो कुछ गम्भीर कदम उठाए जाने चाहिए। न तो मैं और न मेरे समझदार साथी इस बात से सहमत होंगे कि वर्ष 1971 अथवा 1977 में हमें अवगत कराए बिना इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय से आदरपूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे गम्भीरतापूर्वक इस पर ध्यान दें और अपने मंत्रालय द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर न करे। लेकिन आप उन रिपोर्टों को, जो प्रकाशित हुई हैं, और आपके अपने मंत्रालय के अन्तर्गत के डाक्टरों महत्वपूर्ण और योग्य डाक्टरों, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्य कर रहे हैं, की रिपोर्टों का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं।

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य महोदय ने, इस समय की इसकी वैद्यता और तकनीकी रूप में निरूपण किया है लेकिन वह उस मुद्दे को, जिस पर मैंने बल दिया, भूल गए हैं, और वह है इस समस्या का मानवीय पहलू। यह केवल एक तकनीकी समस्या अथवा एक चिकित्सा सम्बन्धी समस्या अथवा एक कानूनी समस्या नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, यह मूलतः एक मानवीय समस्या है, एक सामाजिक समस्या है।

माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता कुछ इस प्रकार व्यक्त की, मानो यह कार्य इस देश में बड़े पैमाने पर हो रहा था। इस सम्बन्ध में, मैं 1901 से 1981 तक के लिंग अनुपात के आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा···(व्यवधान)। चूंकि आपने इस प्रश्न के तकनीकी पहलू की चर्चा की है। मैं आपको इसका तकनीकी उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा कि देश में बहुत से गैर-सरकारी लोग हैं जो दिल्ली, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर यह परीक्षण कार्य करते हैं। मैं इस बात का औचित्य सिद्ध नहीं कर रहा कि ऐसे कोई व्यक्ति हैं अथवा नहीं। यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि वे यह कार्य सहायता से नहीं कर रहे हैं अपितु वे यह कार्य गर्भस्थ लड़कियों को मारने के इरादे से, बदनीयत के साथ यह कार्य कर रहे हैं। इसी से मैं कहता हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

1901 में लिंग अनुपात इस प्रकार था : एक हजार लड़कों की तुलना में 972 लड़कियां थीं। 1911 में लड़कियों की संख्या कम होकर 964 हो गई, 1921 में यह 955 हो गई; 1931 में 950 हो गई; 1941 में 945 हो गई। 1951 में यह संख्या थोड़ी सी बढ़कर 946 हो गई। 1961 में यह फिर कम होकर 941 हो गई और 1971 में यह फिर कम होकर 930 हो गई। इन दिनों में कोई परीक्षण नहीं किए गए और अब की तरह गर्भपात भी नहीं कराये गए परन्तु फिर भी लड़कियों की संख्या कम हो गई। परन्तु 1971-81 के दशक में यह संख्या बढ़ गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में लड़कियों और लड़कों के अनुपात में बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव

नहीं पड़ा है। (व्यवधान) सभा यह धारणा न बना ले कि मैं गर्भ में लड़की शिशु की हत्या को उचित ठहरा रहा हूं; मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं परन्तु हम यह न भूलें कि उन बेईमान लोगों द्वारा किया जा रहा है जो ऐसा करके पैसा बनाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यह कार्य बुरा नहीं है।

इसके अलावा माननीय सदस्य इस बात पर चिन्तित थे कि 50 ऐसे गैर-सरकारी व्यक्ति हैं जो इस शहर में यह काम कर रहे हैं। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई उदाहरण हो तो वह इसे हमारे ध्यान में लायें और हम इस पर अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या हम यह समझें कि दिल्ली में ऐसे लोग कोई नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : जब तक मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी न हो, मैं कैसे मान लूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं ·····(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : बहुत-से डाक्टरों ने ऐसा कहा है। आप प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : हमें केवल अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की सचिव से अभ्यावेदन मिला है; उसने भी मुझे किसी विशेष घटना के कोई तथ्य या आंकड़े नहीं दिए हैं जहां ये घटानाएं घटी हैं···(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परूलेकर : आप इसकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों से पुष्टि करा सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने इस बारे में डा० कौर तथा उनके अनुभव का उल्लेख किया है। उन्होंने अपना प्रश्न करते समय स्वयं ही यह कह कर उत्तर दे दिया है कि लिंग का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित यह विशेष उपकरण वहां नहीं था। और जब यह वहां है ही नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने स्वयं ही कहा है।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि गर्भ में ही शिशु के लिंग तथा उसमें खराबियों का निर्धारण करने में कोई जोखिम नहीं है। इसमें जोखिम हैं तथा यदि इस परीक्षण के लिए अपेक्षित सभी उपकरणों सहित उचित रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति न हो तो इसमें जोखिम है और इससे मां और बच्चा दोनों को ही नुकसान हो सकता है। परन्तु इसके बाद भी सौ प्रतिशत सफलता नहीं मिलती हैं। अफसलताएं केवल इसी प्रशिक्षण में नहीं मिलती हैं अपितु बहुत-से चिकित्सीय उपचारों और आपरेशनों में भी मिलती हैं। इसमें आप शत प्रतिशत सफलता की गारन्टी नहीं दे सकते। इसमें थोड़ा जोखिम रहता है। परन्तु परीक्षण पर रोक इसलिए नहीं लगाई जा सकती कि हमें अभी भी यह पता लगाना है कि गर्भ में शिशु के लिंग से सम्बन्धित कोई आनुवंशिक खराबियां तो नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु सरकार दुरुपयोग को रोक सकती है।

श्री बी० शंकरानन्द : जी, हां। दुरुपयोग को रोका जा सकता है और इसे रोका जाना चाहिए। महोदय, मेरा यही कहना है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : महोदय, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संतोष मेरा संतोष है। क्या आप संतुष्ट है ?

श्री बापू साहिब परूलेकर : जी, नहीं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय मंत्री पहले ही अनेक प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं।

महोदय, इस विषय पर कुछ प्रकाशन भी निकल चुके हैं। अत: समाचार-पत्रों में इस परीक्षण के विज्ञापन के बाद मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्वयं सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? वस्तुत: हम देखते हैं कि जब समाचार-पत्रों में कोई समाचार आता है तो उसके आधार पर सभा इस विषय पर चर्चा करती है और उसके बाद सरकार उस पर कार्यवाही करती है। अत: सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी ओर से क्या कार्यवाही की है।

राज्य विधान सभा में इस प्रकार के परीक्षण के बारे में चर्चा किए जाने के बाद सरकारी अधिकारियों ने अमृतसर में कुछ कार्यवाही आरम्भ की है।

कुछ चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार के परीक्षणों के लिए गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम पर्याप्त नहीं है। परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विशेष अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले से ही सब कुछ आ गया है परन्तु मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि गैर-सरकारी चिकित्सक ऐसे परीक्षण कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार भी गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम में इसके लिये प्रावधान नहीं है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस अधिनियम में संशोधन नहीं करते हैं तो वह महिलाओं के सम्मान को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करेंगे जिसका इस विषय के साथ सम्बन्ध है ? हम सब किसी न किसी मां से ही तो उत्पन्न हुए हैं। अत: यह महिला के सम्मान का प्रश्न है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार इस विषय के बारे में व्यापक कार्यवाही कर रही है। यह परीक्षण अनुसंधान अवस्था में हैं परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि सरकार गैर-सरकारी चिकित्सकों को इस प्रकार के अनुसंधान कार्य की अनुमति कैसे दे रही है। अनुसंधान सदैव सरकारी अस्पतालों या अनुसंधान अस्पतालों में होता है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गैर-सरकारी अस्पतालों पर गैर-सरकारी चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे इन सभी परीक्षणों पर रोक लगायें ताकि ऐसे परीक्षणों का दुरुपयोग कम किया जा सके।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे परीक्षणों के माध्यम से गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारित करने के लिए, कि क्या यह लड़का है अथवा लड़की। सरकारी अस्पतालों या मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में कोई पंजीकरण होता है ? यदि ऐसे मामले हों तो युवा मां को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए तथा उसकी राय ली जानी चाहिये। बहुत-सी गृहणियां और युवा

लड़कियां इस बात से सहमत नहीं हो सकती हैं और जैसा कि हम दहेज के कारण होने वाली मृत्यु या आत्म-हत्या के बारे में सुनते हैं, हम इसके कारण भी उनको ऐसी कार्यवाही करने के लिए बाध्य करेंगे ।

मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि समाज इस बारे में सहयोग दे सके ।

इन परीक्षणों के माध्यम से गर्भ में शिशु के लिंग का पता लगाने के अतिरिक्त आदमी में भी यौन सम्बन्धी कुछ कमी हो सकती है। हम हर बार यह नहीं कह सकते कि औरत में ही कमी है । अत: क्या सरकार अथवा अनुसंधान संगठनों ने ऐसे मामलों में, जिनमें सदैव लड़की पैदा होती है, इस बात का पता लगाने के लिए कोई तरीका निकाला है कि क्या उस विशेष आदमी में कोई ऐसी कमी है जिससे लड़की ही ऐसी पैदा होती है ? यदि इस प्रकार का कोई अनुसंधान है तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें । मैंने जो चार-पांच प्रश्न किये हैं उनका मंत्री महोदय सीधा उत्तर दें क्योंकि मैं इस प्रश्न पर जोर नहीं दे रहा हूं कि क्या आप इस पर रोक लगायेंगे या नहीं । यदि मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर दें तो मैं उनका बहुत आभारी हूंगा । क्योंकि हमारी हिन्दू संस्कृति और हमारा भारतीय समाज इस प्रकार की बातों को कभी स्वीकार नहीं करता है । मेरे विचार में यह एक अत्यधिक दु:खद स्थिति है ।

श्री बी ०शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। अमृतसर में यह हुआ है, जैसा कि श्री परूलेकर ने कहा है ; और हाल में जालन्धर का मामला नोटिस में आया है । मैंने पंजाब सरकार से पूछा है कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है और उन्होंने इस सम्बन्ध में हमें अपना जवाब भेजा है । (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि यह 'न्यू भंडारी अस्पताल' है और इसे पति और पत्नी दोनों चला रहे हैं ; पत्नी पंजाब की निवासी नहीं है तथा वह किसी अन्य राज्य की रहने वाली है, लेकिन वह वहां प्रैक्टिस कर रही है। पंजाब सरकार ने कार्यवाही की है । उन्होंने बताया है 'यद्यपि अमृतसर के इस क्लिनिक/अस्पताल में गर्भस्थ शिशु लिंग निर्धारण परीक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन इन परीक्षणों के आधार पर कोई भ्रूण-हत्या की गई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है । उन्होंने यह कहा है कि क्लिनिक या अस्पताल केवल परीक्षण करता है; तथा वे उस अस्तपाल में गर्भपात नहीं कराते हैं । पंजाब सरकार ने यही जवाब दिया है । वे मामले की आगे जांच कर रहे हैं तथा इसकी निगरानी रख रहे हैं। वे इस मामले में आगे कार्यवाही करना चाहते हैं ।

यद्यपि दिनांक 14 जुलाई, 1982 को प्रशासनिक जांच कर ली गई थी, लेकिन कोई दांडिक जांच पड़ताल शुरू नहीं की गई है । हमने पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि कानून के अन्तर्गत उन लोगों के खिलाफ हर सम्भव कार्यवाही की जाए । उस क्लिनिक को, जो गर्भस्थ शिशु लिंग निर्धारण सम्बन्धी परीक्षण करता है, एम० टी० पी० की अनुमति नहीं है । यह भंडारी अस्पताल डाक्टरी तरीके से गर्भपात कराने के लिए मंजूरशुदा नहीं है । (व्यवधान)

पंजाब सरकार कहती है कि उसका इस क्लिनिक को एम० टी० पी० करने की अनुमति देने का विचार नहीं है । इस क्लिनिक की 'लेडी-डाक्टर' पंजाब सरकार से पंजीकृत नहीं है, जैसा

कि मैंने आपको बताया है। उससे पंजाब में प्राईवेट प्रैक्टिस न करने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में 'पंजाब मेडिकल काउन्सल' के रजिस्ट्रार को लिखा है और उनसे यह अनुरोध किया है कि वह मामले की आगे जांच करें और नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करें।

हाल में भारतीय चिकित्सा परिषद् को डा० एस० जी० खादरा, जो अजमेर मेडिकल कालेज ने 'एमेटॉमी' में 'रीडर' हैं, की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई है; और उन्होंने शपथ-पत्र दाखिल करते हुए यह कहा है, कि ये पति-पत्नी विज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि डॉ० (श्रीमति) भंडारी ने यह विज्ञापित किया है कि वह गर्भधारण के प्रारम्भिक दिनों में ही गर्भस्थ शिशु का लिंग बताने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार के विज्ञापन की एक प्रति भारतीय चिकित्सा परिषद् को भी भेजी गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कुछ और सूचनाएं मांगी हैं; और जो भी सम्भव होगा, वह इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

माननीय सदस्य ने हमारी संस्कृति का जिक्र किया है तथा एम० टी० पी० एक्ट के संशोधन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक मुझे याद है, इस वर्ष या एक वर्ष पहले, जब इस एम० टी० पी० एक्ट पर विचार-विमर्श किया गया था, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं, यदि गलत होऊं, तो आप मुझे सही कर दें इस सभा में, या राज्य सभा में—संसद-सदस्यों ने एम० टी० पी० उपबन्धों को और अधिक उदार बनाने की तथा माताओं को आजादी देने की इच्छा व्यक्त की थी। वे एम० टी० पी० एक्ट के उपबन्धों को और अधिक उदार बनवाना चाहते थे। यह उनकी मांग थी। अब वे इस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है, जिस बारे में और अधिक ब्यौरे की आवश्यकता है ; और मैं यह कह सकता हूं कि इन मामलों में जो भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, वह सरकार द्वारा की जाएगी।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुंदपुरम) : मंत्री महोदय ने अभी-अभी अपना वक्तव्य दिया, लेकिन वे असल बात टाल गए। हम संसद-सदस्य वैज्ञानिक परिक्षणों के विरुद्ध नहीं हैं। हम विज्ञान का समर्थन करते हैं; लेकिन हम उस विज्ञान का विरोध भी करते हैं, जिसका प्रयोग मादा-भ्रूण को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा यहां हो रहा है। यहां इस विषय पर विचार हो रहा है और आपको इस बात का जवाब देना है कि आप इन तथा-कथित डाक्टरों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाए करने वाले हैं। मैं जानबूझ कर तथा-कथित डाक्टर कर रहा हूं, जिनसे मेरा तात्पर्य उन धूर्त लोगों से हैं, जो अपने आपको डाक्टर कहते हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं; उन्हें भारत में डाक्टर भी कहा जा सकता है। हमारे विचारार्थ मुद्दा क्या है ? भारत में कन्या का जन्म मां के लिए अत्याधिक शोचनीय होता है। क्यों ? जब कन्या जन्म लेती है, तो भारत में उसके सम्बन्ध में दहेज के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में तथा ऐसी अन्य कई बातों के बारे में सोचा जाता है। महिलाओं को समान दर्जा नहीं दिया जाता है। अतः क्या विज्ञापन दिया गया है ? विज्ञापन के अन्तिम भाग में लिखा है, "ऐसे पति-पत्नी, जो लड़के के इच्छुक हैं।" शिशु के रूप में यह लड़का और लड़की क्या हैं ? हमारे समाज में, आज के सन्दर्भ में कन्या एक भार-स्वरूप है।

प्रो० मधु दण्डवते : भविष्य की प्रधान मंत्री ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : ज्ञात नहीं कितनी प्रधानमंत्री हो सकती हैं।

श्री ई० बालानन्दन : यद्यपि इस समय हमारी प्रधान मंत्री महिला है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे भारत में हमारी महिलाएं, हमारी माताएं कन्या को जन्म नहीं दे सकती हैं, और इसी बात का पंजाब के ये महान डाक्टर फायदा उठा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने कितने हल्के फुल्के ढंग से हमें पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करा दिया है? इसका विज्ञापन देश के सभी समाचार पत्रों में दिया गया है। "यदि कोई आता है, तो वह उसकी जांच करेगा और गर्भस्थ शिशु, यदि कन्या हुई तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा" इस बात को विज्ञापित किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि इस अपराध के लिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत दंडित किया जाए, क्योंकि मेरे वकील दोस्त कह सकते हैं कि यदि आप ऐसा कहेंगे, तो इसका सम्बन्ध अन्य कई बातों से भी जोड़ा जाएगा। मैं मंत्री जी से दो या तीन छोटी-छोटी बातें पढ़ने का अनुरोध करता हूं। (एक) जुलाई, 1982 का 'स्टेट्समेंन,' जिसमें इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है, तथा दिनांक 14 जुलाई, 1982 का 'इण्डियन एक्सप्रैस', "आपने हमें यह ध्यान दिलाने का अनुरोध किया है कि क्या दिल्ली में कुछ किया गया है।" आपकी अनुमति से क्या मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछ सकता हूं? क्या यह सदस्यों का काम है कि वे डाक्टरों का नाम ढूंढ़े तथा उस सम्बन्ध में कोई जांच करने के लिए सरकार को याचिका भेजें? साक्ष्य द्वारा यह पाया गया है कि पांच डाक्टरों ने संयुक्त रूप से यह प्रचारित करने के लिए विज्ञापन दिया, कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको सन्तान के रूप में पुत्र प्राप्त करने में समर्थ बना देंगे तथा यदि गर्भस्थ शिशु कन्या हुई, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ किया है, उन्होंने इस बारे से पंजाब सरकार से पूछा है और पंजाब सरकार ने यह बताया है "इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, कुछ दाण्डिकी कार्यवाही वे कर सकते हैं।" वे इसे कितने हल्के-फुल्के ढंग से ले रहे हैं? मन्त्री जी ने अन्त में यह कहा है, "कुल मिलाकर समाज में परिवर्तन लाना है। बिना सामाजिक परिवर्तन के हम क्या कर सकते हैं?" बहुत अच्छी बात है यह। मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन जब तक हम समाज में परिवर्तन करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कहा है, "हम ये परीक्षण नहीं कर रहे हैं।" फिर इस विशाल संस्थान से बढ़कर और किस बड़े प्राधिकार की जरूरत है? वे डाक्टर कहते हैं, "इस प्रकार के परीक्षण करना सुरक्षित नहीं है।" क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के उन योग्य डाक्टरों की सलाह के अनुसार कार्यवाही करे, जिन्होंने कहा है, "ऐसा इस देश में नहीं किया जाना चाहिए।" हम, इस सभा के सदस्य यह मांग करते हैं कि क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या दिल्ली अथवा इसके उप-नगरों में कोई डाक्टर ऐसे भ्रूण परीक्षण कर रहा है और इस परीक्षण में भ्रूण-हत्यायें कर रहा है। क्या सरकार सार्वजनिक रूप से इस सभा में घोषणा करेगी कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? हम विज्ञान के विकास के विरोधी नहीं हैं; हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम ऐसे गर्भस्थ कन्या-शिशुओं की हत्या के मामले में वैज्ञानिक विकास की ओट नहीं दे सकते। इसलिए क्या सरकार यह सार्वजनिक घोषणा करेगी कि वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चित कानूनी कदम उठाएगी जो ऐसी गर्भस्थ कन्या शिशुओं को समाप्त करते हैं?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या हम दिल्ली में और देश में कहीं भी इस प्रकार की प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों का पता लगाएंगे और उनके बारे में यह जांच करेंगे कि क्या वे ऐसे परीक्षण कर रहे हैं—तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध हम क्या कार्यवाही, क्या कानूनी कार्यवाही करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं माननीय सदस्य से असहमत नहीं हूं। लेकिन सरकार केवल तब ही कार्यवाही कर सकती है, जबकि हमारे पास अपेक्षित सूचनाएं हों। मैं नहीं कहता कि माननीय सदस्य अपेक्षित सूचना हमें दें। लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि वे ऐसी सूचना, जो उनके पास हो, हमें भेजने में कोई हिचकिचाहट दिखाएं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक एम० सी० आई० का सम्बन्ध है, वह भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। (**व्यवधान**) पंजाब सरकार कार्यवाही कर रही है तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् भी कार्यवाही कर रही है। वे और सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं तथा कानून के अन्तर्गत जो भी कुछ सम्भव होगा, वे करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति एक महान् संस्कृति है। क्यों ? हमने बताया है कि हम नारी का कितना आदर करते हैं।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'

यह हमारी मूल संस्कृति है तथा यह संस्कृति भुला दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे देश में अन्य देशों से ज्यादा ही नारे हैं।

श्री ई० बालानन्दन : उनमें एक यह भी है।

'न स्त्री स्वातन्त्र्य अर्हति'

श्री बी० शंकरानन्द : हमें ऐसी हठधर्मियता का विरोध करना है तथा हमें उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपकी सूचना के लिए बता रहा हूं कि केवल हमारे ही देश—किसी अन्य देश में नहीं, भगवान ने 10 अवतार लिए हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : 'हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि हमारे देश में नारी का देवी के रूप में सम्मान किया जाता है। लेकिन सामाजिक रीति-रिवाजों में, सम्पत्ति कानूनों में, उत्तराधिकार अधिनियम में, जिनमें नारी को सम्पत्ति में बराबर का हक नहीं दिया गया है, नारी को देश में दूसरी श्रेणी का नागरिक बना दिया है, क्योंकि हमने अनुचित रीति-रिवाज और दस्तूर अपना रखे हैं। और अब स्वतन्त्रता के बाद, नया संविधान लागू हो जाने के बाद से, पुरुषों और महिलाओं में, उनके स्त्री, पुरुष होने के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। कुल मिलाकर हम यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर इन कानूनों का पालन करें, न कि सरकार के विरुद्ध खोज-खोज कर कोई मुद्दा लाएं। क्या मैं सभी सदस्यों से समाज में परिवर्तन लाने के लिए सहायता देने की अपील कर सकता हूं ? अन्यथा हम सभी आडम्बरी व्यक्ति कहलाएंगे, जो यहां कुछ बात करते हैं और यहां से बाहर अपने घरों में करते कुछ और हैं।

———

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 21 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक

नौ वहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सीताराम केसरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पेश करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वर्तमान मकान किराया अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री कमल नाथ : (छिन्दवाड़ा) मैं विभिन्न राज्यों में लागू किराया अधिनियमों की वर्तमान अस्त व्यस्तता का उल्लेख नियम 377 के अन्तर्गत करने के लिए और इसके फलस्वरूप छोटे मकान मालिकों और छोटे किराएदारों को हो रही कठिनाइयों के बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी महानगरों में वर्तमान किराया अधिनियम एक या दूसरे की पक्ष में हैं और बड़े मकान मालिकों और छोटे मकान मालिकों के बीच कोई अन्तर नहीं है। लेकिन यह सच है कि मध्यम वर्ग के लिए केवल मकान और सम्पत्ति जोड़ना ही पूंजी निवेश हेतु एक मात्र विश्वसनीय क्षेत्र रह गया है और पर्याप्त संख्या में ईमानदार व्यावसायिक लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई मकान बनाने में लगाई हो और वे उनके किराए पर जी रहे हैं। इन अधिकांश मध्यम वर्गीय मकान मालिकों को अक्सर किराएदार अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करते हैं और वर्तमान कानून वास्तव में उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता।

मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि वर्तमान किराया अधिनियम के अनुसार अधिक सम्पत्ति वाले लोगों और साधारण लोगों में कोई अन्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में एक समस्या युद्ध विधवाओं का है। महोदय, कुछ दिन पहले युद्ध विधवाओं ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दे के

कई बार वे अपने अल्प साधनों से बनाए गए मकान का किराया भी वसूल नहीं कर पाते। ऐसे भी उदाहरण हैं कि किराएदार उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं और उनका आर्थिक ब्लेक मेल करते हैं। क्योंकि वे देर तक इन धमकियों के आगे नहीं टिक सकते। उन्हें प्रायः बाजार भाव से बहुत कम दामों में अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़ती है और किराएदार ऐसी स्थिति का पूरा लाभ उठाता है।

यही बात जिन लोगों के जीवनयापन के साधन शहर के किसी छोर पर एक छोटा मकान है ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों पर भी लागू होती है, उनमें से कई लोग सेवा से उस समय सेवा निवृत हो जाते हैं जबकि उनके मकान बनाने का ऋण भी पूरा नहीं चुकाया गया होता है। स्वभावतः वे किराए पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं और एक माह की भी अनियमितता भी उनके परिवार के बजट को तहस-नहस कर देती है।

महोदय, मेरा यह पक्का दृष्टिकोण है कि इस सदन द्वारा बनाए जाने वाले कानून से इस स्थिति का हल निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए छोटे मकान मालिकों, जिनको ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिनकी वार्षिक कर योग्य आमदनी 50,000 से अधिक कभी नहीं होती, के लिए बिल्कुल अलग कानून लागू किए जाने चाहिए। इससे अध्यापकों, अधिकारियों, अन्य सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध-विधवाओं सहित व्यावसायिक लोगों का सारा तंत्र इसके अन्तर्गत अपने आप आ जाता है। उनके पास देश में कहीं दूसरी जगह अपनी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि वे अभी भी नौकरी पर हो तो उन्हें न्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि उनके पास नौकरी और मकान के अतिरिक्त आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है।

ऐसे मामले में उन्हें किराया कानून में कुछ छूट अवश्य मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए न्यायालय उन्हें मकान खाली कराने की जटिल प्रक्रिया से छूट दे सकता है और यदि कोई किराएदार बिना किसी उचित कारण के किराया देने से इन्कार करता है तो किराएदार से मकान को खाली कराने का अधिकार दे सकता है। इस समय जबकि किराएदारी के बारे में कोई विवाद नहीं है। यदि किराएदार मकान मालिक को किराया देने में अभी भी अनियमितता करता है तो मकान मालिक को मकान खाली करने का नोटिस देने में कम से कम एक वर्ष लग जाता है। एक मध्यम वर्गीय मकान मालिक के लिए यह एक बहुत खर्चीली प्रक्रिया है और अविलम्ब इसका हल निकाला जाना चाहिए।

मैंने प्रायः यह बात देखी है कि मध्यम वर्गीय पेन्शन पाने वाले व्यक्ति या नौकरी करने वाले लोगों को सम्भावित किराया विवाद मकान बनाने के लिए हतोत्साहित करते हैं, प्रस्तावित नए कानून को, इस डर को दूर करना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि नए बीस सूत्री कार्यक्रम में मूल सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। इसलिए, एक औसत आदमी मकान बना सके और उसकी आमदनी से सुरक्षित ढंग से रह सके यह सुनिश्चित करना समाज का एक पवित्र कर्तव्य है। किराया कानून का इस ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कि इससे एक साधारण आदमी अपनी जिन्दगी भर की बचाई गई कमाई को इस सम्पत्ति में खर्च करके उसे दण्ड मिले। यदि वर्तमान रुख कुछ और समय तक जारी रहा तो मुझे भय है

कि बहुत कम लोग मकान बनाने के लिए आगे आयेंगे और सरकार के पास गैर सरकारी भवन निर्माण क्षेत्र में इतनी कमी हो जायेगी कि उसका कोई विकल्प नहीं रहेगा।

फिर भी मैं इमानदार किराएदारों के दमन के लिए कोई कानून बनाने का तर्क नहीं दे रहा हूं। यद्यपि वर्तमान कानून किराएदारों के पक्ष में है फिर भी अवांछित मकान मालिक इनकी कमियों से अभी भी फायदा उठाते हैं। किराएदारों को प्रायः एक सप्ताह के बाद 48 घंटे के भीतर अपील करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। यह प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त की जानी चाहिए। और न्यायालय में खाली कराने का 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। किराएदार को हर हालत में अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

जिस प्रकार मकान मालिक के मामले में उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाता है ऐसे ही प्रत्येक किराएदार की आर्थिक स्थिति की भी न्यायालय में जांच की जानी चाहिए। इस समय इस बात की आवश्यकता है कि किराए के बारे में कानून को लचीला होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए जो बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। सभी किराएदार एक समान नहीं होते, जिस प्रकार सभी मकान मालिक एक समान नहीं होते। कुछ किराएदार अवश्य अपने मकान मालिकों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं इसी प्रकार कुछ मकान मालिकों के पास किराएदारों की अपेक्षा अधिक शक्ति और प्रभाव होता है। प्रत्येक मामले में कमजोर पक्ष का पता लगाना जरूरी है और कानून को दोनों में जो अधिक कमजोर है उसका पक्ष लेना चाहिए। बम्बई जैसे शहर में हमने देखा है कि बम्बई किराया अधिनियम को मशीनीकरण के ढंग से लागू करने से सभी मध्यम वर्गीय पूंजी निवेशकों को सम्पत्ति के बाजार से दूर कर दिया है। दिल्ली में भी ऐसा ही होने जा रहा है। किराएदार-मकान मालिक सम्बन्धों को एक समझौतावादी धुरी पर रखने के लिए इस सदन में तुरन्त सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

(दो) नारियल जटा चटाइयों के निर्माण के सम्बन्ध में यंत्रीकरण करने के कथित निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :

केरल में अभी भी परम्परागत नारियल-जटा उद्योग लाखों कामगारों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है और किसी उद्योग का मशीनीकरण पूरी सावधानी, और रोजगार क्षमता पर इससे पड़ने वाले प्रभाव का पूरी तौर पर आंकलन करने के बाद किया जाना चाहिए। मालूम हुआ है कि भारत सरकार नारियल-जटा-चटाई क्षेत्र का मशीनीकरण करने के बारे में निर्णय ले चुकी है। हथ करघों के स्थान पर बिजली करघों को शुरू करने के किसी प्रस्ताव से हथ करघों में काम करने वाले अनेक लोग बेरोजगार और गरीब हो जायेंगे। यदि नारियल-जटा चटाइयों को बनाने में कोई बिजली का करघा लगाया गया है तो उसे नारियल-जटा चटाई बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि वर्तमान चटाई करघों को नारियल-जटा चटाई करघों की सलाह दी जानी चाहिए और इस काम के लिए यदि आवश्यक हो तो आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहिए। नारियल-जटा बोर्ड / सरकार द्वारा चटाई क्षेत्र के मशीनीकरण करने के बारे में नीति निर्धारित की गई है और वर्तमान चटाई करघों को बिजली करघों में बदलने के लिए अतिरिक्त आवश्यक पुर्जों और

उपकरणों का आघात करने की सिफारिश बोर्ड ने की है।

इसलिए, मैं सरकार से नारियल-जटा चटाइयों को बिजली के करघों में बदलने के लिए, लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) खीरी-लखीमपुर के आस-पास के क्षेत्रों में शारदा परियोजना के कारण पानी भर जाने का समाचार

श्रीमती ऊषा वर्मा (खीरी) : मान्यवर, मैं इस सभा का ध्यान उत्तर प्रदेश के शारदा सहायक परियोजना की ओर दिलाना चाहती हूं। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका प्रारम्भ जनपद लखीमपुर-खीरी उत्तर प्रदेश की घाघरा तथा शारदा नदियों की योजक नहर द्वारा जोड़कर किया गया है और इससे लगभग 45 लाख एकड़ भूमि सींचने का प्रावधान है और जो सन् 1976 से सिंचाई शुरू करके अब पूर्ण रूप से सिंचाई क्षमता प्राप्त कर ली है।

परन्तु खेद है कि इस परियोजना से जहां लाखों लोगों को सिंचाई उपलब्ध हुई है वहीं हजारों लोगों को इस परियोजना के रिसन से अपार कष्ट है। फिर भी सरकार उनसे लगान वसूल करती जाती है जब कि अतिवृष्टि या बाढ़ से फसल नष्ट होने पर सभी को अहेतुक सहायता दी जाती है और उनका लगान भी माफ किया जाता है। यही नहीं हमारे जनपद खीरी की योजक और पोषक नहर के रिसन से बहुत से ग्रामों में हर समय पानी भरा रहता है जिससे हजारों लोगों के मकान ध्वस्त हो गये हैं और होते जा रहे है। इस सीपेज के पानी से क्षेत्र के प्राकृतिक नालों एवं खलोज में पानी भर जाने से तमाम रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं और इनको जाड़ों में पार करते-करते हजारों लोग अपंग हो गये हैं तथा जानवार भी अपंग होकर बेकार हो गये तथा इस पानी में कई प्रकार की जहरीली घास पैदा हो गई है जिसको खाकर मरते जा रहे हैं।

श्रीमान जी, जो कच्ची नालियां बनाई जाती हैं, उनसे पानी निकलता ही नहीं क्योंकि एक तरफ वह खोदी जाती हैं दूसरी तरफ उनमें मिट्टी भर जाने से पानी का बहाव रुक जाता है तथा इन नालियों में घास उग आने से भी पानी का बहाव रुक जाता है।

अतः मेरा जनहित में निम्न सुझाव है कि इस परियोजना से 45 लाख एकड़ भूमि सिंचित का जो लक्ष्य था वह एक तिहाई पानी सीपेज में चले जाने से लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः इस परियोजना की योजक नहर घाघरा से शारदा तक, जो केवल 29 किलोमीटर है, को अन्दर से पक्की करा दिया जाय। इसके पश्चात् पोषक नहर भी धीरे-धीरे पक्की करा दी जाए। इसमें जितना खर्च आवेगा उससे लगभग 15 लाख एकड़ सिंचन क्षमता की अन्य परियोजना पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। इससे एक तरफ सीपेज की समस्या हल होगी और अतिरिक्त 15 लाख एकड़ की क्षमता बढ़ेगी। अभी तक जितने कृषकों की भूमि सीपेज से प्रभावित हुई है उनका पूरा लगान तथा फसल का मुआवजा दिलाया जाए।

अतः उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी नाले, नदी और बांधों पर जहां-जहां सीपेज से मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, पुल तथा पुलिया सिंचाई विभाग द्वारा बनवाये जायें।

मैं इस लोक महत्व का प्रश्न करके अवगत कराना चाहती हूं कि भारत सरकार तथा

उत्तर प्रदेश सरकार उपरोक्त कार्य शीघ्र कराकर प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का सही अर्थों में क्रियान्वयन होगा।

(चार) क्षेत्रीय रक्षा कालेज खोलना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ) : मान्यवर, देश के 18 सैनिक स्कूलों में शिक्षा देकर हम देश के भावी सीमा प्रहरियों को तैयार करते हैं। रक्षा मंत्रालय के अतरिक्त राज्य सरकारों को प्रति बच्चे पर लगभग 30 हजार रुपये शुरू से आखिर तक व्यय करने पड़ते हैं। पर इस व्यय का पूरा उपयोग नहीं होता क्योंकि सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त 70 प्रतिशत विद्यार्थी एन० डी० ए० में पास नहीं हो पाते। अत: वह सभी बच्चे सामान्य स्कूलों के बच्चों के समान दूसरे कालेजों में भटकते हैं और इन पर किया गया सारा खर्चा व्यर्थ हो जाता है। अत: मैं रक्षा मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि देश में नये 5 रीजनल सैनिक कालेज बनें। उनमें से एक राजस्थान में भी हो क्योंकि यह वीरों की भूमि रही है।

इस सैनिक कालेजों को बनाने में सरकार का बहुत अधिक खर्चा भी नहीं होगा क्योंकि सैनिक स्कूलों के पास पर्याप्त भूमि है जहां इन्हें बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तथा रहने का खर्चा करने के बाद यू० जी० सी० द्वारा प्रदत्त राशि से इन सैनिक कालेजों को चलाया जा सकता है। ऐसे रीजनल सैनिक कालेजों के बनने से सरकार सैनिक स्कूल से निकले विद्यार्थियों पर किये गये व्यय का सदुपयोग कर सकेगी। विद्यार्थी स्नातक स्तर तक सैनिक शिक्षा लेने के बाद किसी भी जल, थल और नभ रक्षा सेवा के लिए तैयार हो जायेंगे। एन० डी० ए० के अतरिक्त अन्य ओ० टी० एस०, आई० एम० ए० या अन्य रक्षा सेवा में जा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा और श्री गिरधारी लाल व्यास इसका समर्थन करते हैं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : यहां से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति रक्षा सेवा में नहीं जा सके, वह सैनिक स्कूलों के लिए अच्छे व्याख्याता भी बन सकेंगे। अत: रीजनल सैनिक कालेज की योजना पर सरकार ध्यान दे।

(पांच) पाकिस्तान की जेलों से हाल में रिहा किये गये कैदियों को वित्तीय सहायता

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालन) उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी भारी राहत और संतुष्टि का विषय है कि दस कैदियों को जो गत कुछ वर्षों से पाकिस्तान जेल में थे, को अब छोड़ दिया गया है।

मैंने डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मनोरोग चिकित्सा वार्ड का दौरा किया था, जहां उन्हें रखा गया था।

उनमें से कुछ अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें मनोरोग चिकित्सा की जरूरत है। लेकिन उनमें से पांच बिल्कुल सामान्य हैं और उन्हें मनोरोग चिकित्सा वार्ड में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पहले ही घोषित किया गया है। इनमें से तीन

व्यक्ति केरल के हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र और उसके निकट के क्षेत्र के हैं। वे हैं विलायूर के श्री नीहिक्कातियल हाइडर, ईरूमबीलासेरी (ओट्टापालन) के श्री पुन्थीरूथी सिवारमन और इडाक्कारा, निलाम्बुर के श्री मोहम्द चेम्बाकसेरी। मैंने उनके साथ विस्तार में बात की थी और उन्होंने बताया कि वे अपनी बृद्ध माताओं तथा सम्बन्धियों से मिलने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें वे कई वर्षों से नहीं मिले हैं। वे बहुत गरीब परिवार के हैं और इसलिए उनके सम्बन्धी दिल्ली आकर उन्हें ले जाने की स्थिति में नहीं हैं।

महोदय, मुझ आपके माध्यम से सरकार से सभी व्यवस्था करने और खर्च करने के लिए अनुरोध करने का मौका मिला है ताकि वे बिना विलम्ब के केरल पहुंच सकें और उनकी अपने सम्बन्धियों को मिलने की लम्बे समय से इच्छा पूरी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को रेल मंत्री को भेजने की भी सिफारिश करता हूं। वे इसकी व्यवस्था करेंगे।

(छः) राजस्थान में सवाई माधोपुर में केन्द्रीय सैक्टर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : महोदय, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में एक उर्वरक काम्पलेक्स की स्थापना करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। सवाई माधोपुर राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले की आबादी बहुत अधिक है और वहां बेरोजगार शिक्षित युवकों की संख्या भी बहुत अधिक है। वहां पर बड़े पैमाने के उद्योग संयंत्र न होने के कारण उस जिले की जनसंख्या निर्धन और बेरोजगार हैं। सवाईमाधोपुर एक ऐसा अभीष्ट स्थान है जहां भूमि, जल, विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा शांत वातावरण है। उस क्षेत्र के लोग साधारण हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और मेहनती हैं।

राजस्थान में पिछले लम्बे समय से केन्द्रीय पूंजी निवेश नहीं हुआ है इसलिए सवाईमाधोपुर में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र से वहां के पिछड़े क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा और उससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय दल ने कई स्थानों का दौरा किया है और जल्दी ही एक निर्णय लिया जाने वाला है।

राजस्थान में विस्तृत औद्योगिक क्षमता है जिसका अब तक पता नहीं लगाया गया है और जिनका लाभ नहीं उठाया गया है। तेल शोधक कारखाने हेतु राजस्थान के दावे की उपेक्षा कर उसे मथुरा में लगाया गया है। सवाईमाधोपुर में वे सारी वस्तुएं मौजूद हैं जो किसी बड़े पैमाने के उर्वरक संयंत्र के लिए जरूरी होती हैं। सवाईमाधोपुर पश्चिमी रेलवे की बड़ी रेल लाइन पर है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सवाईमाधोपुर में केन्द्रीय क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए अपना पक्का निर्णय शीघ्र घोषित करे।

(सात) सूखे से पीड़ित किसानों को राहत देने हेतु कदम उठाना

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में भयंकर सूखे

की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अवर्षण के कारण किसान खरीफ की फसल की बुआई करने में असमर्थ हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में वर्षा न होने के कारण कृषि कार्य एकदम ठप्प पड़ गये हैं। यदि यह स्थिति बनी रही तो देश के सामने भयंकर दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को पहले से पूरी तरह तैयार रहना चाहिए तथा वर्तमान समय में किसानों को राहत देने के लिए सभी प्रकार की सरकारी वसूली बन्द कर दी जानी चाहिए और बेरोजगार कृषि मजदूरों को जीविका प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तेजी से आरम्भ किया जाना चाहिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

(आठ) तमिलनाडु में हथकरघा निर्मित कपड़ों पर दीपावली और पोंगल के दिनों में विशेष छूट देने की आवश्यकता

श्री एम० कन्डास्वामी (तिरूचेगोडे) : प्रत्येक वर्ष दीपावली और पोंगल के दिनों में अर्थात् लगभग 20 दिनों में तमिलनाडु में हथकरघा वस्त्रों पर 20% छूट दी जाती है। यह 20% छूट केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है जिसे केन्द्र व राज्यों द्वारा 50% शेयर किया जाता है। हथकरघा प्रदर्शनी के दौरान अर्थात् अप्रैल-मई में भी हथकरघा वस्त्रों में 10% से 20% तक की छूट दी जायेगी। इसके परिणाम स्वरूप निर्मित हथकरघा वस्त्रों की सारे वर्ष में अच्छी बिक्री हुई। उसके बावजूद यह पता चला है कि 70 करोड़ रुपये का हथकरघा वस्त्रों —प्राइमरी सोसाइटियों में 20 करोड़ रुपये और को-आपटेक्स में 50 करोड़ रु०—का तमिलनाडु में संचित हुआ है। इसके कारण बुनकर समुदाय के निर्धन वर्गों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, यदि सरकार एक महीने के लिए 10% से 20% तक की विशेष छूट देने पर विचार करती है जैसे की 1978 में किया गया था, तो तमिलनाडु में संचित हथकरघा वस्त्र की निकासी करने की पूरी संभावना होगी। अन्यथा यह डर रहेगा कि हथकरघा वस्त्रों का संचित भण्डार बढ़ता जाएगा और सारा का सारा काम ठप्प हो जाएगा तथा अन्त में उद्योग को भारी नुकसान होगा।

इसलिए मैं सरकार तथा उद्योग व वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह हथकरघा वस्त्रों पर 'विशेष छूट' देने के लिए तत्काल कदम उठायें और इस कार्य में लगे हुए हथकरघा बुनकरों को नुकसान होने से बचायें।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हम खाद्य निगम अधिनियम की धारा 12 (क) का संशोधन कर रहे हैं जिसमें उन कर्मचारियों को दूसरा अवसर देने का प्रावधान है जिन्हें भारत सरकार के खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित किया गया था। अधिनियम में यह धारा 1968 में अन्तःस्थापित की गई थी क्योंकि संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को यह दूसरा अवसर दिया जाना था। अब हम इन कर्मचारियों, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम के अन्य कर्मचारियों के समान खाद्य निगम से स्थानान्तरित किया गया है, के लिए उपबन्ध और शर्तें बना रहे हैं, वस्तुतः 1976 के संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम के बाद इस दूसरे अवसर को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को देना आवश्यक नहीं है।

हम अधिनियम की धारा 44 का भी संशोधन करना चाहते हैं। यह संसद के समक्ष नियमों को रखने से सम्बन्धित है। अधिनियम की धारा 45 का भी संशोधन करने की अनुमति मांगी गई है। ऐसा भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने के संबंध में किया गया है और साथ ही यह सुरक्षात्मक उपबंध भी किया गया है कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाले ये विनियम लोगों के हितों को किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होंगे और प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

एक और नई धारा जोड़ी जानी है जो धारा 45 का एक बहुत मामूली संशोधन है।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को अपना समर्थन देंगे और इसे पारित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को एक घंटे का समय दिया गया है। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती चर्चा का आरम्भ करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, इस विधेयक का आपात काल के दिनों से सम्बन्ध है क्योंकि आपातकाल के दौरान हमारे संविधान में लोगों को समर्थन देने के लिए नहीं अपितु लोगों को दबाने के लिए संशोधन किया गया था और आपातकाल की अवधि के दौरान सभी उपबंधों को.....

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या वह संविधान पर बोल रहे हैं या भारतीय खाद्य निगम अधिनियम पर ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दोनों पर, क्योंकि आपने कहा था कि बयालीसवां संशोधन 1976 में किया गया था...

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उस समय क्या वह विधान सभा या संसद में थे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका दल तो अवश्य था। सम्भवतः इसीलिए अब उन्हें आपातकाल पर बोलने का कोई अवसर देना ही चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भारत के लोगों ने आपात काल के विरुद्ध अपना स्पष्ट निर्णय दिया जिससे आपातकाल की प्रमुख संरचनाकार श्रीमती इंदिरा गांधी की पराजय हुई। **(व्यवधान)** अब मैं देखता हूं कि अब सरकार इस संशोधन के रूप में आपातकाल के उस भूत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है क्यों कि उन दिनों सरकारी कर्मचारियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को कम कर दिया गया था—उन्हें कम नहीं किया गया था अपितु वास्तव में कर्मचारियों को वे अधिकार देने से इंकार कर दिया गया था। अब वे वही काम भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। वे अधिकार क्या हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर नेता के रूप में आप एक कर्मचारी के अधिकार के विषय में मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। उसे आरोप-पत्र देने या दंडित करने से पूर्व उसकी बात सुननी होती है। एक उपबंध था कि उसकी बात एक बार उस समय सुनी जाएगी जब उसे आरोप-पत्र दिया जाएगा और दूसरी बार तब सुनी जाएगी जब उसे किसी प्रकार का दंड दिया जाएगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्यों ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप श्रमिक विरोधी हैं। एक नियोक्ता होने के कारण आप इसे नहीं समझेंगे। केवल पहनने वाले को पता होता है कि जूता कहां पर काटता है।

ये वे अधिकार थे जिन्हें सरकारी कर्मचारियों ने अपने लम्बे संघर्ष से प्राप्त किया था। वे किसी सरकार का उपहार नहीं थे। वे उनके संघर्ष के परिणाम थे। संघर्ष से उन्होंने ये अधिकार प्राप्त किए थे। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के काले दिनों में, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने सभी अधिकार छीनने की कोशिश की थी। अब मैं देखता हूं कि इस संशोधन द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित होने जा रहे हैं। क्या अब मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं ? माननीय मन्त्री ने यह तर्क दिया था कि जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपनी बात दोबारा कहने का अधिकार नहीं है तो इसे भारतीय खाद्य निगम पर क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। बुद्धिमानी की बात और प्रजातांत्रिक बात तो यह होती कि आपात काल के दिनों में आपने जो अधिकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से छीने थे वे उन्हें वापस कर देते क्योंकि लोगों ने आपातकाल के विरुद्ध मतदान किया, क्योंकि लोगों ने आपको दंडित किया और आपने यह कह कर उस दंड को स्वीकार किया कि आपने कुछ गलतियां की थीं। अब आप वही गलती फिर क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं ?

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में माननीय मंत्री ने कहा है :

> "·····केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित कर दी गई थीं, अनुशासनिक कार्यवाहियों में, जहां समबद्ध कर्मचारियों पर पदच्युति, पद से हटाए जाने या पदावनत किए जाने की शक्ति अधिरोपित की जाने की प्रस्थापना है, अभ्यावेदन करने के द्वितीय अवसर के हकदार हैं।"

विशेषकर, मैं कहूंगा, भारतीय खाद्य निगम में साधारण कर्मचारियों को संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री मुझसे सहमत होंगे या नहीं, परन्तु तथ्य तो तथ्य हैं—तथ्य यह है कि भारतीय खाद्य निगम अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण कुख्यात हो गया है।

पिछले वर्ष आपको मालूम है कि पंजाब में लाखों रुपये के घोटाले का एक समाचार आया था और जिसमें बोरियों का मालगाड़ी के डिब्बों में लदान नहीं किया गया था और लाखों रुपये का गबन किया गया था। किसके द्वारा ? मेरे पास पुलिस उपायुक्त, अपराध शाखा, श्री के० के० पाल की एक रिपोर्ट है। वह क्या कहते हैं ? यह 14 फरवरी, 1981 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था :—

> "बोरियों का मालगाड़ी के डिब्बों में लदान बिलकुल नहीं किया गया। रिकार्ड तैयार कर दिए गए थे और अनाज वसूली एजेंटों द्वारा तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया था। प्रति खाद्य विशेष मालगाड़ी में 300 और इससे अधिक बोरियां नही लादी गई थीं।"

अक्षमता और भ्रष्टाचार-यही भारतीय खाद्य निगम है। कभी-कभी भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी, जो इस बात को जानते हैं, अधिकारियों और उच्च पदाधिकारियों के ध्यान में ये बातें लाते हैं परन्तु अधिकारी बदला लेने का प्रयास करते हैं। संरक्षण कहां है ? काल्पनिक आधारों पर उन्हें आरोप-पत्र दिए जाते हैं। उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के साधारण कर्मचारियों द्वारा मामले अधिकारियों के ध्यान में लाए गए हैं और जिन लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है उन्हें उससे इन्कार किया जा रहा है। उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करना सरकार के लिए अधिक आसान होगा। केवल यही नहीं दंडात्मक कार्यवाही करने से पहले न्याय की मांग होती है कि आपको दो बार सोचना चाहिए। जैसे हमारे पास संसद की दो सभाएं हैं और वे कहते हैं कि वहां दो सभाएं होनी चाहिए—यदि एक सभा गलती करती है तो दूसरी उसे ठीक करेगी। ऐसा ही निम्नतम निकाय में भी होना चाहिए। आप यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि एक कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की दो बार जांच नहीं की जानी चाहिए ? दो बार क्यों ? इसकी कई बार जांच की जानी चाहिए क्योंकि रोजगार खोने का अर्थ है एक परिवार की रोटी खोना·····

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको मुझे और समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य का समय ले लेंगे सम्भवतः श्री परूलेकर का समय।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अतः मैं विधेयक के इस उपबन्ध का पूरी तरह से विरोध करता हूं यह अप्रजातान्त्रिक है। यह कर्मचारी विरोधी है और इससे भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ईमानदार कर्मचारी को इससे दंडित किया जाएगा।

अब मैं भारतीय खाद्य निगम पर आता हूं। इसकी स्थापना की गई—किस लिए? उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। परन्तु अब भारतीय खाद्य निगम क्या कर रहा है? भारतीय खाद्य निगम का पहला उद्देश्य बिचौलिये को हटाना था परन्तु अब निगम स्वयं एक एजेंट बन गया है बिचौलिये काम कर रहे हैं। आप चावल, गेहूं और मोटे अनाज के 12% भाग की वसूली करते हैं और शेष भाग पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। केवल यही नहीं, आप जो खाद्यान्न वसूल करते हैं उसकी किस्म भी प्रश्न का विषय है। मैं एक समाचार-पत्र से उद्धरण दे सकता हूं। यह 1 मई, 1981 का "पेट्रियट' है :

> "भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों के नमूनों के प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण से यह भी पता चला कि कई मामलों में किस्म निरीक्षकों ने उन खाद्यान्नों को स्वीकार किया जिन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए था। 1980 में धान की वसूली के सम्बन्ध में ऐसे लगभग 141 मामले थे और गेंहू की वसूली के सम्बन्ध में 128 मामले थे।"

इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम गरीब उपभोक्ताओं को धोखा दे रहा है। आप जानते हैं कि धनी उपभोक्ता खुले बाजार से खरीद सकते हैं।

आप बेचारे उपभोक्ताओं को, जिनके लिये आप उद्घोषणा करते हैं कि आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, घटिया किस्म के चावल लेने के लिये विवश करते हैं। आप उन्हें घटिया किस्म के चावल और गेहूं लेने के लिये मजबूर करते हैं जिसे मानव उपयोग के अयोग्य रद्द कर देना चाहिये था। उस दिन मैं वह चावल लाया था जो उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। ऐसा इसलिये है कि आपके अधिकारी, जिनका उसमें हाथ है, भ्रष्ट हैं। इसी प्रकार आप जनता के धन का अपव्यय कर रहे हैं आप भारतीय खाद्य निगम को किस प्रकार चला रहे हैं? आप इसे प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के जरिये चला रहे हैं। आप अपने रिक्त पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं? आप बेरोजगारी की बात करते हैं। 1980 के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वायदा किया था कि "मुझे सत्ता में आने दो, मैं प्रत्येक परिवार को रोजगार दूंगी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप रिक्त पदों को भरते नहीं हैं। आप प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय खाद्य निगम चला रहे हैं। इस सदन में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप घोषणा कुछ करते हैं और करते कुछ और हैं। इस सदन में वे कहते हैं कि वे ओवरटाइम के विरोधी हैं। वे कौन लोग हैं जो ओवर-टाइम दे रहे हैं? आप ही लोग वे व्यक्ति हैं। आपकी ही सरकार है—जो रिक्त पदों को न भर-कर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को ओवरटाइम दे रही है! आप प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर आश्रित हैं चाहे वे आपकी अपनी सरकार के हों अथवा राज्य सरकार के। इतना ही नहीं आपने पदोन्नति के अवसर बन्द कर दिये हैं। आप वरिष्ठ पद पदोन्नति से नहीं भर रहे हैं। आपकी क्या नीति है? आप पदों को रिक्त रखते हैं और काम प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से चला रहे हैं। मंत्री महोदय को भारतीय खाद्य निगम के समूचे परिचालन यथा (1) इसकी पारिचालन लागत; (2) इसकी प्रशासनिक लागत (3) अपने कर्मचारियों के प्रति उसकी नीति; (4) भ्रष्टाचार और अकुशलता पर पुन: ध्यान देना होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सरकारों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार कर रही है। यह इस बात से सिद्ध है कि आपको ज्ञात है कि इन दोनों राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और खाद्यान्नों को सप्लाई के मामले में ये दोनों राज्य केन्द्रीय सरकार के आश्रित हैं। स्थिति क्या है? बहुत संक्षेप में, और आपका बहुत अधिक समय न लेते हुए, मुख्य बात यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसे पहले लेना चाहिये था।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, यहां की न्यूनतम मासिक आवश्यकता चावल की 1.75 लाख मीट्रिक चावल और 1.55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की है। कुल न्यूनतम आवश्यकता 3.30 लाख मीट्रिक टन की है। हमने इन सबका हिसाब लगा लिया है कि पश्चिम बंगाल में कितना उत्पादन होता है, कितनी हानि आदि होती है और केन्द्रीय सरकार कितनी सप्लाई करती है। आपका चावल का मासिक नियतन 1.30 लाख मी० टन से लेकर 1.40 लाख मी० टन तक का है किन्तु गेहूं का नियतन 95 लाख मी० टन है। आपकी कुल मासिक सप्लाई कितनी है? कुल सप्लाई 2.25 लाख मी० टन से लेकर 2.35 लाख मी० टन है। आप जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिये आप उत्तरदायी हैं। आप जितने का नियतन कर रहे हैं, उतना भी नहीं पहुंचता है! ऐसा क्यों है? आप जितना नियतन करते हैं; वह न्यूनतम आवश्यकता से भी कम है। इसके बाद भी वैगनों की कमी तथा रेलवे विभाग की अकुशलता के कारण उतना खाद्यान्न भी पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंच रहा है।

तीसरी बात यह है कि जो चीज वहां पहुंचनी चाहिये वह समुचित योजना और वितरण की कमी के कारण वहां नहीं पहुंच पाती!

हमने अनेक बार इस मामले को उठाया है। नियतन का आंकड़े वे हैं जो मैंने आपको दिये हैं। आप, इसकी जांच कर लें क्योंकि कमी वाले राज्यों की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। आपको त्रिपुरा से एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है। ये दोनों राज्य आप पर आश्रित हैं। मैं आपके समक्ष केवल पंश्चिम बंगाल के लोगों की न्यायोचित मांग रख रहा हूं न कि इसे विवाद का मुद्दा बना रहा हूं।

महोदय, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कितने आश्रित हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखे गये अपने एक पत्र में उन्होंने कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का भी एक मुद्दा है; तब तो आपको खाद्यान्न की सप्लाई जारी रखनी चाहिये। इस प्रकार मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि वह वहां कब तक रहेंगे किन्तु मुझे विश्वास है कि वह दोनों राज्यों—पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की कठिनाइयों पर ध्यान देंगे। मैं उनसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के जनतांत्रिक अधिकारों में कटौती न करें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुरूप लाया गया है तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य लाने के लिये लाया गया है।

वास्तविकता यह है कि भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न चूहों द्वारा कम तथा कर्मचारियों द्वारा अधिक खाया जाता है ! इसलिये इस विभाग में अनुशासनात्मक कार्यवाही की बहुत आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम सहित विभिन्न विभागों में कर्मचारी संघ बनाने का समर्थन करने वाले विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य और अधिक अनुशासनहीनता और अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं।

महोदय, इतना कहने के बाद, भारतीय खाद्य निगम की गतिविधि के अन्य पहलू पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सप्लाई के सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री सत्य साधन चक्रवर्ती का समर्थन करता हूं ! मैं माननीय मंत्री जी का पूर्ण आदर और सम्मान करता हूं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे जब भी मिले उन्होंने हमारी समस्या सुलझाने की चेष्टा की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्न की मौलिक कठिनाई रेल द्वारा ले जाने की है और इसके कारण समस्या गम्भीर होती जा रही है। हमें मालूम है कि हाल ही में संवाददाताओं का एक दल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ले जाया गया था और उन्होंने दूर-दर्शन पर तथा समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें दी हैं। महोदय, मैं यह मानता हूं, कि भारतीय खाद्य निगम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक विषय स्थितियों में दूरस्थ इलाकों में काम करना पड़ता है अब, कछार जिले जिसकी 22 लाख की आबादी है, की तुलना में, पास के क्षेत्र अर्थात् मिजोरम की 5 लाख की आबादी को खाद्यान्न प्राप्त होता है। मिजोरम के लोगों की ओर पहले ध्यान दिया जाता है। मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि उन्हें खाद्यान्न मिलता है किन्तु 5 लाख की आबादी को जितना खाद्यान्न मिलता है उसकी तुलना में 22 लाख की आबादी वाले हमारे जिले को जितना खाद्यान्न मिलता है वह उसका 20% है। डिबरूगढ़ और जोरहाट जिले की भी यही स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर पहले भी दिला चुका हूं। इसके बाद उन्होंने दखल दिया और समस्या सुलझाई। किन्तु हम लोग रोज-रोज मंत्री जी के पास क्यों जायें और ऐसी स्थिति पैदा करें जो हमारे और उनके लिये खराब हो ? इसीलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बफर स्टाक बनायें क्योंकि प्राकृतिक आपदायें और बाढ़ प्रति वर्ष आती हैं। अपने जिले के बारे में तथ्य और आंकड़े मैं बता चुका हूं। महोदय, अखिल भारतीय मानदण्ड के अनुसार हमें प्रति माह 8 कि० ग्रा० चावल मिलना चाहिये। किन्तु, दुर्भाग्यवश, जनवरी 1982 से लेकर आज की तारीख तक हमें, विशेषकर असम में, एक माह में केवल 2 कि० ग्रा० चावल मिलता रहा है। इसका नतीजा यह है कि खुले बाजार में इसका मूल्य आकाश को छूने लगा है और हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूर स्थित होने के कारण चोरी और उठाई गिरी के मामले सबसे अधिक होते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे जिले में एक दल है, जो ये सब कठिनाइयां पैदा कर रहा है और जो गोदाम से भी उठाई गिरी करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य गण !

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह साम्यवाद विरोधी है, जो रक्त में मिला हुआ है और जो वर्ग की मूल प्रकृति के कारण होता है ! (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : और, महोदय, यदि किसी विशेष कर्मचारी अथवा किसी सघ के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो चाहे कोई भी कर्मचारी संघ क्यों न हो, वह सभी प्रकार की कार्य-वाही करते हुए, वितरण प्रणाली को पंगु बना देने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार रेलवे वैगनों से

निकासी तथा खाद्यान्नों का परिचालन का कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है और विभिन्न भागों को सप्लाई नहीं भेजी जा सकती। सरकार को इन सामाजिक तत्वों से और अधिक सख्ती से निपटना चाहिये। इन अनुशासनहीन व्यक्तियों से निपटने के लिये बहुत कठोर कदम उठाने चाहिये। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिये, चाहे वे इंटक या सीटू अथवा किसी अन्य संघ से सम्बद्ध क्यों न हों ?

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम एक आवश्यक सेवा है और अनुशासनहीनता के मामलों में पहली सुनवाई के समय ही सरकार को अधिक सख्ती से पेश आना चाहिये। भारतीय खाद्य निगम की सेवा आवश्यक सेवा है। अतः कठोरतम कार्यवाही की जाये; और जैसा मैं महसूस करता हूं कि इन कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुख-सुविधायें प्रदान की जायें, क्योंकि वे आवश्यक सेवा के अधीन काफी रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं।

इन शब्दों में साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

* श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरूनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम संशोधन विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह विधेयक बहुत ही संक्षिप्त है, जिसमें केवल उन कर्मचारियों, जिन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, को अपने विचार रखने के अधिकार सम्बन्धी नियमों में संशोधन की व्यवस्था है। इस विधेयक के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। भारतीय खाद्य निगम देश में उत्पादित अधिकतम खाद्यान्न की खरीद करता है। इसके अतिरिक्त खाद्य निगम लगभग 220 लाख टन खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार रखता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में भारतीय खाद्य निगम ने 10 लाख टन खाद्यान्न वितरण के लिए विभिन्न राज्यों को दिया। यदि आप भारतीय खाद्य निगम की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा की भारतीय खाद्य निगम एक वर्ष में 3000 करोड़ रुपये का लेन देन करता है। भारतीय खाद्य निगम प्रतिवर्ष किसानों से 200 लाख टन खाद्यान्न की खरीद करता है।

अभी हाल ही में, रूस तथा अन्य देशों को बढ़िया किस्म के चावल का निर्यात नहीं किया जा सका क्योंकि भारतीय खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश से चावल खरीदने में असफल रहा। अगले दिन यह समाचार सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। क्या यह कर्मचारियों की अकुशलता या किसानों में कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से व्याप्त रोष के कारण हुआ है। यदि कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करने में असफल होता है तो इस विधेयक में इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

संसदीय समिति ने बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि भारतीय खाद्य निगम की निरीक्षण पद्धति बहुत कमजोर है। बढ़िया किस्म का चावल खरीदने पर कर्मचारी किसानों को घटिया किस्म के चावलों का मूल्य देते हैं। किसानों ने ऐसे आरोप कई बार लगाए हैं। मंत्री महोदय, कृपया बताएं कि इन आरोपों को किस प्रकार निपटाया गया है।

* तमिल में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम 65 लाख टन से अधिक खाद्यान्न को खुले में रखत भण्डार के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। मैंने पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर अन्य राज्यों में देखा है कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर खाद्यान्न खुले में पड़ा रहता है भारतीत खाद्य निगम बड़े गोदाम बना रहा है परन्तु ये गोदाम अब भी पर्याप्त नहीं हैं। सूर्य की गर्मी और बौछारों में उग जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारि में रखे खाद्यान्न की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है उन्हें क्या सुविधाएं दी जाती हैं।

मैंने इस सदन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे विभाग को दिए जाने वाले विलम्ब-शुल्क के बारे में प्रश्न उठाया था। निसंदेह मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का संतोष दिया था। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी ऐसा किया जा रहा है अ तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे विभाग को विलम्ब शुल्क देने के क्या कारण हैं?

मैं 2 महीने पहले माल द्विव द्वीप गणतंत्र में था। यह गणतंत्र त्रिवेन्द्रम के सम् है। यह गरीब देश है। फिर भी, इसे बहुत अधिक भाड़ा देकर बर्मा से चावल म है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हम इस गणतंत्र को चावल नहीं देते हैं। लोगों ने मुझसे अनुरोध किया था कि भारत सरकार से चावल की सप्लाई पुनः चालू कहें क्योंकि वे बर्मा से मंगाए जाने वाले चावल का इतना अधिक भाड़ा नहीं दे सकते से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया इस ओर ध्यान दें मालद्वीप को चावल की सप्लाई क करें। मंत्री महोदय को चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम को ऐसा करने के निदेश दें

इन शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण कर

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड कार्पोरेशन देश की बनाया गया है। अभी यही एक माध्यम है, जिससे हम बिचौलियों से बचते हैं। इ लाया गया है और जिस पर चर्चा हो रही है, उसके पक्ष में मैं अपने विचार प्रक निवेदन करना चाहता हूं कि इसे अन्य रूप में न देखा जाए। जैसे ट्रेड यूनियन व वर्ग के हितों की रक्षा करने का है, मगर जो राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम हैं; इस यूनियन का रूप भी बदल जाना चाहिए। ट्रेड यूनियनों में मजदूरों के संरक्षक रखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर केवल उसी दृष्टिकोण से अपने प्रांत के अन्दर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहां पर खाद्यान्न की पूर्ति क साथ जो उत्पादक हैं, उन्हें उचित मूल्य देना इसका यह एक संतुलित दृष्टिकोण होगा। वहां मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी या ट्रेड यूनियन के नेता की जि है कि उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें। केवल एक पक्षीय दृष्टि से न देखें। यह संशोधन लाया गया है।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वर्ग का ह रहे हैं, जो खाद्य विभाग से परिवर्तित होकर खाद्य निगम में पहुंचे हैं, उनकी से आप रख रहे हैं। यह ठीक है, लेकिन वहां के जो निम्न वर्ग के कर्मचारी विशेष ध्यान दें। ये आज ठेकेदारों के बीच पिस रहे हैं। जो मजदूर वहां ल काम कर रहे हैं, बहनें भराई का काम करती हैं और जो कर्मचारी पी

करते हैं, ये सब ठेकेदारों के बीच पिस रहे हैं। उनके लिए किसी भी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैं जहां पर रहता हूं वहां भी खाद्य निगम का भंडार है। बहुत से मजदूर वहां पर ठेकेदारों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। किसी की नौकरी की सुरक्षा नहीं रह गई है। इस पद्धति को खाद्य निगम से समाप्त किया जाना चाहिए।

दो तरह की नीति आप चला रहे हैं। एक तरफ खाद्य निगम के कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, जिनको पूरी सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, सेवा की सुविधा है और दूसरी तरफ ठेकेदारों के अन्तर्गत काम करने वाले लोग हैं जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है और आज वे अगर काम कर रहे होते हैं तो कलको सड़क पर चले जाते हैं। उनको भी पूरी सुविधा दी जाए। कर्मचारी बीच में अपनी सोसाइटी बना कर जो काम करते हैं अभी की जो स्थिति है उसमें उनकी भी कोई विशेष सुविधा नहीं रहती है और ठेकेदार ही ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। जब आप कर्मचारियों की सुरक्षा की तरफ देखते हैं तो सबसे नीचे का जो वर्ग है और जो सबसे अधिक तकलीफ में हैं उसकी तरफ ही आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये।

आपका जो उद्देश्य उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का है वह लाभ भी उसको कुछ अंशों में मिलना चाहिए। व्यापारी कम्पीटीटर के रूप में बीच में आता है जो उत्पादक का अनाज खरीदता है। आप जो खरीद करते हैं उपभोक्ताओं के लिए उसकी आपने एक कीमत निश्चित कर रखी है और उस आधार पर आप उनको देते हैं। लेकिन जो उत्पादक हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए ; आप खरीद की परिधि को बढ़ाएं, आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों में और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में। वे जो पैदा करते हैं—उसकी ओर आप ध्यान दें। बस्तर में ताड़ बीज काफी बड़ी मात्रा में आदिवासी एकत्र करते हैं। उसका उपयोग हम धीरे-धीरे खाद्यान्न के रूप में करते जारहे हैं। आदिवासी लोग जो उसको बीन कर लाते हैं उनको मुश्किल से पचास पैसे किलो ही मिलता हैं जबकि उसका मूल्य बाजार में जाकर तीन रुपये से भी अधिक होता है। जो प्लांट बना कर रखते हैं उनको पूरी असुविधा हो रही है। आदिवासियों का जीवन इस पर बहुत ज्यादा आधारित रहता है और उनका बड़ा भारी शोषण हो रहा है। जिन खाद्यान्नों से आदिवासियों का जीवन प्रभावित होता है उनको भी आप अपनी परिधि में ले, अपने हाथ में ले।

किसानों से आप जो माल लेते हैं और उसको बेच कर जो आपको लाभ होता है वह पूरा का पूरा खाद्य निगम को ही जाता है। उससे किसान लाभान्वित नहीं होता है। जिन किसानों से आप धान आदि खाद्यान्न लेते हैं उस पर आपका जो मार्जिन होता है और जो लाभ आपको होता है, उसका कुछ हिस्सा किसान को भी मिलना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के खण्ड 2 का विरोध करता हूं और जहां तक संवैधानिक पहलुओं का सम्बन्ध है। मैं अपने मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती का समर्थन करता हूं।

उद्देश्य तथा कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को आपातकाल में संविधान के अनुच्छेद 311 (दो) में किए गए संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं यह दोहराना नहीं चाहता, वह संविधान संशोधन विधेयक कितनी

जल्दी में और किस प्रकार पारित किया गया था। यदि आपको याद हो और आप 42 वें संशोधन के वाद-विवादों को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जब यह विधेयक लाया गया था···

श्री मूलचन्द डागा : जब 42 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, तब इस विधेयक में संधोधन क्यों नहीं किया गया।

श्री बापू साहिब परुलेकर : कृपया आप चुप रहिए। कृपया धैर्य रखें।

जब यह विधेयक लाया गया था, विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए लाया गया, यद्यपि यह 40 वें संशोधन के रूप में 42 वां संशोधन था और मंत्री महोदय ने इस जल्दबाजी के लिए सदन से माफी मांगी थी। इसके अतिरिक्त उस समय इसका विरोध करने के लिए हमारे में से कोई भी उपस्थित नहीं था।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप कहां थे ?

श्री बापू साहिब परुलेकर : प्रधान मंत्री की मर्जी से हमें बन्द कर दिया गया था और इसलिए इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। यद्यपि अब भी यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक को संविधान संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए लाया गया है, पता नहीं सरकार को सात वर्ष पश्चात् इसका ध्यान कैसे आ गया। इस उपाय से राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में सिविल पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। दोहरे अवसर के सिद्धान्त, जिसे संविधान लागू करने के समय से ही स्वीकार किया गया है, पर संविधान सभा में अच्छी तरह बहस हो चुकी है।

महोदय, जब श्री चक्रवर्ती बोल रहे थे, मंत्री महोदय ने एक प्रश्न किया था कि दोहरा अवसर क्यों अनिवार्य है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि दोहरा अवसर प्राप्त करना क्यों नहीं अनिवार्य है ? इसमें क्या आपत्ति है ? इसमें क्या रुकावट है ? इसमें क्या अड़चन है ? यदि आप इसका उत्तर चाहते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि दोषी व्यक्ति यह कहेंगे कि मेरे रैंक में कमी करने का दण्ड देने के बजाय मुझे निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? निलम्बन आपके लिए कुछ नहीं है—नियोक्ता या सरकार—परन्तु दोषी व्यक्ति या कर्मचारी दण्ड से चिंतित होता है। यदि और तर्क देना आवश्यक है, तो मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि ये संविधान सभा के वाद-विवादों का अध्ययन करें। इस विषय पर तीन दिन तक वाद-विवाद हुआ था। और मेरा उनसे अनुरोध है कि वे विशेषकर डॉ० अम्बेडकर और श्री एच०वी० कामथ के वक्तव्यों का अध्ययन करें जिन्होंने इस उपाय पर बहुत गहराई से विचार किया था और इस चर्चा के पश्चात् अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत दोहरे अवसर के उपाय को शामिल किया गया था। महोदय, अनुछेद 310 में 'इच्छा का सिद्धान्त' दिया गया है। यह कहकर कि इसे 1976 में संविधान संशोधन के यह संशोधन किया जा रहा है, आप 'इच्छा के सिद्धान्त' को समाविष्ट कर रहे हैं। अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि कोई भी केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी तब तक सेवा कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहते हैं और राज्य सरकार का कर्मचारी तब तक सेवा कर सकता है जब तक कि राज्यपाल चाहते हैं। और उन्हें केवल इतना ही कहना पड़ता है "कि तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं रहा है और आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं"। हमारे सामने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री गांगुली का मामला है जिसमें उन्होंने विश्वास खो दिया था।

खण्ड दो के जरिए आप न केवल भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के खण्ड (ख) की वर्तमान व्यवस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं बल्कि सुरक्षा के लिए आपने आगे कहा है कि—सकारात्मक और नकारात्मक, जहां तक दण्ड का सम्बन्ध है उसकी बात सुनना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि यदि विशेष हस्तक्षेप के लिए खण्ड (ख) के कुछ अंश का लोप पर्याप्त नहीं था। इससे सरकारी कर्मचारियों के प्रति आपके रुख का पता चलता है। अब सरकारी कर्मचारियों के सिर पर भय की तलवार लटकाना चाहते हैं। कृपया बतायें कि वे इस व्यवस्था से किस प्रकार सेवा करेंगे और क्या वे अपने कर्त्तव्य को पूरा करेंगे।

इसके साथ ही सरकार को परन्तुकों में भी कुछ संशोधन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता कि आपने 12 (क) के खण्ड (ख) के परन्तुकों का अध्ययन किया है कि नहीं, जो इस प्रकार हैं:

> "बशर्ते कि यह खण्ड उन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें ऐसे आचरण के कारण निलम्बित, मुअत्तल कर दिया गया है या उनका रैंक घटा दिया गया है, जिस पर अपराध मुकदमा चलाया जा सकता है।"

कैसे अपराध का आरोप? यदि किसी सरकारी कर्मचारी को भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 304 (क) के अन्तर्गत, तीव्र गति से गाड़ी चलाने का दोषी पाया जाता है तो क्या उसे निलम्बित कर दिया जाएगा? यदि वह कर नियमों के अन्तर्गत, नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत कर अपवंचन करता है तो क्या दण्ड की प्रणाली के सम्बन्ध उसकी बात सुने बिना ही उसे निलम्बित कर दिया जाएगा? जब आप यह उपाय करना ही चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए कम से कम चरित्रहीनता का आरोप तो होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत से दोष सिद्ध होते हैं, जिन्हें हम कानून की दृष्टि से महापराध कहते हैं। वास्तव में सिविल में ये गलतियां होती हैं? परन्तु इन्हें दण्डनीय अपराध बना दिया जाता है जोकि एक महापराध है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बात पर विचार करें कि सरकार और नियोक्ता को बिना मुकदमा चलाए ऐसा अधिकार देना ठीक है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इससे दण्ड देने की ही शक्ति नहीं बल्कि बिना मुकदमें निलम्बित या नौकरी से निकालने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह बिल्कुल अनुच्छेद 310 के अन्तर्गत 'इच्छा के सिद्धान्त' के अनुरूप है। और मुझे आशा है—जब आप यह कहते हैं कि आपको भी कर्मचारियों के अधिकारों की चिन्ता है—आपको ऐसा करना चाहिए?

खण्ड 2 पुनः सरकार अथवा नियोक्ता को अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे किन्हीं कारणों की, जो नियोक्ता के लिए संतोषजनक हैं, कोई जांच न कराए। मैं नहीं जानता, असल में आप चाहते क्या हैं? कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं दिए गए हैं। इसलिए, आदरपूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि असैनिक पदों पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के, चाहे वे केन्द्र के हों। राज्यों के हों अथवा संघ शासित क्षेत्र के, अधिकारों को बहाल किया जाए और इस बात पर विचार किया जाए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन आवश्यक है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इस स्थिति पर,

संविधान के निर्माताओं, खास तौर पर इस विषय पर डा० अम्बेडकर द्वारा व्यक्त विचारों की पृष्ठ भूमि के संदर्भ में इस स्थिति पर पुनर्विचार करे और संविधान में संशोधन करके अधिकारों को बहाल करे। और तब तक कृपया इस विधेयक को वापस ले लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल की तरफ से जब कोई बिल आता है, तो हमेशा उसका विरोध ही नहीं करना चाहिए। बिल में जो अच्छी क्लाजिज हों, उनका एप्रिशिएशन भी करना चाहिए। कांस्टीट्यूशन के आर्किकल 311(2) में 1976 में जो एमेंडमेंट किया गया था, जब इन लोगों की सरकार थी, तो इन्हें उस प्राविजन को एमेंड करने का अवसर दिया गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब कांस्टीट्यूशन का एमेंडमेंट किया गया, उस समय भी किसी सदस्य ने इसको ओपोज नहीं किया। आप प्रोसीडिंग्ज को देख सकते हैं। मैं भी सदन में मौजूद था।

क्लास 12 ए में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर एतराज किया जा सके। इसमें कहा गया है।

> "जहां, आचरण, जिससे फौजधारी आरोप के सम्बन्ध में दोष सिद्ध हुआ है, के आधार पर किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को बर्खास्त किया गया हो अथवा हटाया गया हो अथवा उसका पद (रैंक) कम किया गया हो;..."

माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें मारल टर्पीट्यूड का आधार होना चाहिए। इसमें कहा गया है "आन दि ग्राउंड आफ कन्डक्ट", जिसमें सब कुछ आ जाता है।

फूड कार्पोरेशन एक्ट, 1964 की जो भावना थी, क्या उसकी अनुपालना हुई है या नहीं ? कृषि मंत्री का महकमा बहुत बड़ा और लम्बा-चौड़ा है। कानून तो पास किए जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार सदन में रिपोर्ट नहीं रखी जाती हैं। सैक्शन 35 इस प्रकार है :

> "(1) खाद्य निगम, जहां तक संभव होगा उतनी शीघ्र प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, निगम के कार्यकरण और कार्यों के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देगा।
>
> (2) केन्द्र सरकार, इस प्रकार की रिपोर्ट धारा 34 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के बाद यथाशीघ्र...संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए।"

कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज (1980-81), सेवन्थ लोक सभा, 22वीं रिपोर्ट में कहा गया है :

> "निगम की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। अभी तक जनवरी 1981 तक इसकी 1978-79 और 1979-80 की के वर्षों की रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई हैं।"

राव बीरेन्द्र सिंह : ये किसने नहीं रखीं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह उन लोगों की गलती है। मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि आपकी गलती है। यह मेन्डेटरी प्राविजन है। इसके मुताबिक एनुअल रिपोर्टस यहां पर रखनी चाहिए थीं।

सैक्शन 6 में बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की बात कही गई है। स्टेट बोर्डज़ सिर्फ आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में बनाए गए थे। वे भी खत्म कर दिए गए। लेकिन इसकी हालत क्या हुई? इस क्लाज को आप देखें। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि फूड कारपोरेशन ऐक्ट की इस क्लाज को देखने का काम तो सबका पड़ता ही है? यह इस प्रकार है :

धारा 6 : (2) निदेशक मंडल, अपने कृत्यों के निर्वहन में, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा नीति के सम्बन्ध में उसे दिये गये अनुदेशों से उनका मार्गदर्शन होगा।

अब यह सारी रिपोर्ट बताती है कि 30 परसेंट डायरेक्ट परचेज प्रोड्यूसर से होता है। रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा और पंजाब में 70 प्रतिशत खरीद 'कच्चे आढ़तियों' द्वारा की जाती है।'

और उन्होंने यह बताया है कि इसकी हालत क्या है, अगर कोई इसको 1 मार्च, 1980 के अन्त में बैंक ओवरड्राफ्ट 2033.58 करोड़ रुपये था। समिति ने इससे पूर्व ही साधनों की स्थिति सुधारने और नकद ऋण में कमी करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की ओर इंगित किया था। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि निगम पर बकाया ऋण 452.57 करोड़ रुपये के थे जिनमें से 183.73 करोड़ रुपये छः महीने से भी अधिक पुराने थे। इस पर सख्त ऋण नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

अब जो आपका कारपोरेशन है उसकी हालत क्या हो रही है, कि कहीं भी रूल्स फ्रेम नहीं हो रहे हैं। नियम नहीं बनाये गए। अधिनियम को 1964 में पारित किया गया था। 1964 का ऐक्ट होने के बाद भी ऐडवाइजरी कमेटीज जो बनीं उसमें कहीं भी फार्मर्स का इंटरेस्ट देखने वाला कोई उसमें नहीं है। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट देखने वाले सब हैं और एक साल में केवल एक सटिंग उसकी होती है। तो यह फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया है, जिसकी हम तारीफ करना चाहते हैं और काम वह यह कर रहा है! मेहरबानी करके कभी-कभीइसको भी आप देखें कि यह फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया काम क्या कर रहा है? मुझे आज इस बात का दुख होता है कि इसकी हालत यह है—आपरेशन कास्ट इसका 24, पिल्फरेज अलग और बाकी और भी इसके काम करने का तरीका इसी तरह का—तो बिल तो आप लाए हैं अमेंडमेंट का, मेहरबानी करके रूल्स भी आप सदन की टेबल पर रख दीजिएगा। इसके लिए मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि रूल्स जल्द से जल्द रखे जाने चाहिए। कई बार 'कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन' ने कहा है :

...कि जैसे ही अधिनियम पारित कर दिया जाता है, छः महीने के अन्तर्गत नियम सदन के पटल पर अवश्य रख दिये जाने चाहिए। लेकिन वर्षों गुजर जाते हैं, कोई भी रिपोर्ट की परवाह नहीं करता है। कोई भी रिपोर्ट को नहीं पढ़ता है। कोई भी व्यक्ति समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यान देता है? यह भयंकर स्थिति है। स्वयं रिपोर्ट में इस पर कटु शब्दों में टिप्पणी की गई है। इस समिति की चिन्ता कौन करता है?

तो यह बड़े दुख की बात है। रेगुलेशंस को देखें। अगर आपको रेगुलेशंस लागू करने हैं तो आपको उन्हें सदन की मेज पर रखना चाहिए।

इस प्रकार से इसकी जो सारी कास्ट प्राइस है और इसकी आर्थिक हालत है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर को इससे लाभ होना चाहिए। वह नहीं हो रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि अभी भी अकाल के समय में राजस्थान के अन्दर जो गांवों के रहने वाले आदमी हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के चलते हुए भी उन ग्रामीण लोगों को अनाज नहीं पहुंचता है जबकि शहर के अन्दर रहने वाले जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उन लोगों को अनाज मिल जाता है। गांव के रहने वालों को वह नहीं मिलता है। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का जो परपज है वह परपज आज भी अचीव नहीं हो पा रहा है। मेहरबानी करके इस को देखिए। आपके पास इतना बड़ा मुहकमा है और इतने उसके अन्दर विभाग हैं, कभी तो आप जंगल की तरफ घूमते हैं, फारेस्ट की तरफ आपको जाना पड़ता है, कभी कृषि के अन्दर जाना पड़ता है, फूड कारपोरेशन में आप घुस गए हैं लेकिन यह इतना बड़ा जंगल है जिसमें से आपका बाहर निकलना मुश्किल है। फूड कार्पोरेशन में घाटा ही घाटा है। जैसा कि संतोष मोहन जी ने कहा, इसका अनाज आम चूहे नहीं खाते, वह कोई दूसरे ही चूहे हैं जो खा जाते हैं।

मन्त्री जी यहां पर जो बिल लाए हैं यह अच्छा है लेकिन फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया ऐक्ट के अन्दर काफी चेंजेज करने की आवश्यकता है और साथ-साथ उसके अन्तर्गत बनने वाले रूल्स ऐंड रेग्युलेशन्स को जल्दी यहां की टेबल पर रखा जाना चाहिए।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं। विरोध करने का कारण यह है कि आपने देखा होगा जब ये कोई अच्छा बिल लाते है तब उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन यह बिल तो पाप की सन्तान है। जिसे ये अपने कंधों पर ढो रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस पाप की सन्तान को अपने कन्धों पर मत ढोइये। यह पाप है इमरजेन्सी का। इमरजेंसी में पास किए गए बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मजदूरों के अधिकार छीन लिए गए थे, मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। उसके विपरीत सरकार को तो ऐसा बिल लाना चाहिए था कि हम मजदूरों के अधिकार बढ़ा रहे हैं। यह फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जो है, इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें तथा उपभोक्ताओं को कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें। लेकिन जो हो रहा है वह बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया कि इसमें कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज बिहार में सुखाड़ है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी सुखाड़ है। लेकिन बिहार का खाद्य कोटा काट दिया गया है। वहां के मुख्य मंत्री ने लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने कोटा काट दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर सुखाड़ की स्थिति है।

यह फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया जो है इसको जिस प्रकार की खाद्य प्रोक्योमेंट एजेन्सी होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। बिचौलिए और इसके आफिसर घात कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार एक कांप्रिहेन्सिव बिल यहां पर लाए जिससे कि जो इसके पीछे लक्ष्य था,

उसकी पूर्ति हो सके—किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें और उपभोक्ताओं को मुनासिब कीमत पर अनाज मोहैया किया जा सके। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कहा है कि यह पाप की सन्तान है और इसके ढ़ोने के लिए आपके कन्धे मजबूत नहीं हैं। यह मजदूर विरोधी बिल आप यहां पर लाए है। हमने आपको अपोजीशन में बैठते हुए भी देखा है, अब आपकी कुर्सी बदल गई है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह पाप आपने ही नहीं किया है, यहां पर जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी तब दण्डवते जी की सरकार को भी यह पाप नहीं दिखाई दिया था कि यह मजदूर विरोधी संशोधन किया गया है। अतः चाहे कांग्रेस (आई) की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो, जो भी मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करता है वह पाप का भागीदार है। ऐसा लगता है कि जितने भी मजदूर संगठन हैं, सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन्स है, उनके हकों पर लगातार इन्दिरा सरकार के जरिए हमले किए जा रहे हैं जिनमें से एक कदम यह भी है। मालूम होता है मजदूर वर्ग के अधिकारों को एक एक करके विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा छीन लिया जायेगा। उसके बाद जो मजदूरों को कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को खत्म कर दिया जाए। सरकार कितने ही मजदूर विरोधी बिल पास कर ले, लेकिन मजदूरों में एकता पैदा हो रही है, आन्दोलन की भावना जाग रही है, सरकार मजदूर एकता/संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकती है। मेरे विचार में आपको यह बिल नहीं लाना चाहिए था। 42 वें संशोधन में जो मजदूरों के हक छीन लिए गए थे, वे हक उनको वापिस देने चाहिए थे। संशोधन में शास्त्री जी ने भी पटना की कुछ गड़बड़ियों की चर्चा की है। आपको पत्र भी भेजा है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्यकुशलता को सुधारे बगैर इस बिल से आपका काम चलने वाला नहीं है। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में कोई नया काम्प्रिहैसिव बिल लाइए, ताकि उसमें कुछ सुधार किया जाए। जनता की निगाह में यह सफेद हाथियों की जमात है, इसका काम पैसा बनाना है। मुझे इसमें ऐसे मैनेजरों की जानकारी है, मैं उनका नाम नही लूंगा, जो कि उच्च अधिकारियों को घूस देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कहां उनको ज्यादा फायदा है और बाद में उनकी पदोन्नति हो जाती है। इस प्रकार की जहां पर स्थिति हो और ऐसा भ्रष्टाचार हो, सारा सदन और देश इस बात को जानता है कि उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अकार्यकुशलता है। मेरी आपसे अपील है कि उसको पहले दूर किया जाए।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह मजदूर विरोधी बिल है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं और कहा है कि भारतीय खाद्य निगम में दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और इस भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो रही है। एफ० सी० आई० में भ्रष्टाचार है, यह इस बात से साबित हो जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले एफ० सी० आई० में एक उच्च अधिकार प्राप्त उड़न दस्ते की स्थापना की गई है। इसका काम यह होगा कि एफ० सी० आई० के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जगह-जगह छापा मारकर कार्यवाही की जाएगी।

एफ० सी० आई की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि काश्तकारों को, किसानों को, उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता तक, वह खाद्य सामग्री सही समय पर पहुंचे, लेकिन इन दोनों बातों में इसका उल्टा हो रहा है। जितना शोषण एफ० सी० आई० कर रही है किसानों का, उतना शोषण तो मेरे ख्याल से आढ़तिये भी नहीं करते थे। अभी पिछले दिनों अप्रैल और मई में बारिश होने की वजह से गेहूं खराब हो गया। हमारी सरकार ने एलान किया कि जो किसान का गेहूं खराब हो चुका है, उसको उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिस सूबे से मैं आता हूं, वहां पी० सी० एफ०, मार्केटिंग विभाग और एग्रो आदि एजेंसियों ने किसानों से गेहूं खरीदा और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह सारा गेहूं आकाश के नीचे पड़ा हुआ है, उसको एफ० सी० आई० नहीं उठा रही है। सेन्ट्रल पूल के लिए राज्य सरकारों को एजेंसियों से एफ० सी० आई० गेहूं खरीदती है, लेकिन एफ० सी० आई० ने इसलिए उस गेहूं को नहीं खरीदा क्योंकि उसमें 40-50 प्रतिशत गेहूं खराब है। और वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का नियम यह है कि अगर गेहूं में या किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में 15 परसेन्ट भी खराबी है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको नहीं लिया जाना चाहिए और यह दलील एफ० सी० आई० देता है और एफ० सी० आई० का काम यह है कि जगह-जगह पर जो केन्द्र बने हुए हैं और कांटे लगे हुए हैं, वहां से किसानों का गल्ला खरीदे। लेकिन किसान अपना गल्ला लेकर जब आता है, तो वह दो-दो और चार-चार दिन पड़ा रहता है और एफ० सी० आई० के लोग उसका गल्ला नहीं खरीदते हैं। वे किससे गल्ला, किससे गेहूं खरीदते हैं? वे गेहूं खरीदते हैं दलालों से, आढ़तियों से। होता यह है और मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि भारत का किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही पलता है। किसान को शादी करनी है, अपने बच्चों का विवाह करना है और उसके दुनियां भर के खर्चे हैं और जब उसकी फसल आती है, तो वह उसी पर डिपेन्ड करता है लेकिन होता क्या है कि दो-दो चार-चार दिन किसान अपना गेहूं लिये पड़ा रहता है और एफ० सी० आई० के लोग उसको पूछते नहीं और उसी गेहूं को बहुत कम कीमत पर दलाल और आढ़तिये खरीद लेते हैं और उनकी मिलीभगत से एफ० सी० आई० उनसे गेहूं खरीद लेता है। उन्होंने कमीशन तय किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संशोधन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। इसमें कोई सार नहीं है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : उन्होंने कमीशन तय किया हुआ है और 200, 250 और 300 रुपये प्रति ट्रक जैसा भी पड़ जाए, रिश्वत देकर, वह अनाज बेच लिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस चीज को देखें। वे भी एक किसान के बेटे हैं और उनके दिल में भी किसानों के लिए दर्द है जैसा कि हम सबके दिल में दर्द है। इस तरह की जो चीज हो रही है, उसको वे हटाएं। पेमेंट वगैरह भी जाली चैकों के द्वारा होती है और इसमें भी आढ़तिये लगे हुए हैं। एक दूसरी बात मैं चीनी के बारे में कहना चाहता हूं। चीनी दो प्रकार की होती है। अच्छे किस्म की जो चीनी होती है, वह कन्ट्रोल में बिकती है और उसको एफ० सी० आई० खरीदता है और दूसरी चीनी जो फ्री सेल में मिलती है, वह कुछ घटिया किस्म की होती है। इसमें जो अन्धेरगर्दी है, उसको अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको ताज्जुब होगा। अच्छी चीनी एफ० सी० आई० खरीदता है और वह सरकारी दूकानों के जरिये जनता तक पहुंचती

है। जो फ्री सेल की घटिया किस्म की चीनी होती है, उसमें होता यह है कि एफ० सी० आई० के कर्मचारी उनसे मिले होते हैं और जो फ्री सेल की चीनी होती है, वह वहां पर आ जाती है और अच्छी चीनी दलालों के पास चली जाती है। इस चीज को भी रोका जाना चाहिए।

एक और बात मैं गोदामों के बारे में कहना चाहता हूं। एफ० सी० आई० गोदाम बनवाती है और प्राइवेट सेक्टर में इनको बनवाने के लिए फाइनेन्स कराती है। आपको जान कर ताज्जुब होगा कि एफ० सी० आई० के अपने गोदाम तो खाली पड़े हुए हैं और वे गोदाम जिनको एफ० सी० आई० ने फाइनेन्स कर के प्राइवेट सेक्टर में बनवाया, वे भरे रहते हैं और उन गोदामों को भरने के लिए उनसे ये लोग कमीशन लेते हैं। आप इसकी जांच करवाइए कि एफ० सी० आई० के गोदाम खाली क्यों पड़े हैं।

एक आखिरी बात यह निवेदन कर दूं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव कुछ और है और महाराष्ट्र में कुछ और है और राजस्थान में अलग भाव है और पंजाब में दूसरा भाव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो रोक लगी हुई है गेहूं के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, इसको हटाया जाय और उत्तर प्रदेश का गेहूं महाराष्ट्र में जाए। पंजाब का गेहूं महाराष्ट्र में जाए और बंगाल में जाए। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी और यह जो एक जगह एक कीमत है और दूसरी जगह दूसरी कीमत है, यह जो कीमतों में असमानता है, फर्क है, यह समाप्त होगा।

मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि इस वक्त करोड़ों रुपये के गेहूं का नुकसान होने का जो खतरा है, जो गेहूं आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, इस देश की हालत को देखते हुए कि कहीं हमें फिर से विदेशों से गल्ला न मंगाना पड़े, माननीय मंत्री महोदय एफ० सी० आई० को यह हिदायत दें कि वह सेन्ट्रल पूल के लिए गेहूं खरीदे। इससे जहां धन की बचत होगी, वहां किसानों को भी राहत मिलेगी जिन्होंने इतनी मेहनत करके यह गेहूं पैदा किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा साही भाषण कर सकती हैं।

एक ही दिन ऐसा होगा जब श्री व्यास नहीं बोले। मैं इस बात को कार्यवाही वृतांन्त में रखना चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह तो बड़ा अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आज मैंने निर्णय कर लिया है।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 मंत्री जी ने प्रतुस्त किया है, मैं इस का समर्थन करती हूं।

इस विधेयक की सीमा बहुत सीमित है और यह जो विधेयक है, यह एफ० सी० आई० में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बारे में कुछ विशेष उपबन्ध करता है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी खाद्य निगम में हैं, उनकी सेवा तो हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं हैं लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी संस्था है, वह किस की सेवा कर रहा है और कितनी हद तक सेवा कर रहा है और किस के लिए सेवा कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम की स्थापना जब हुई थी तो इसके पीछे यह उद्देश्य था कि किसानों को इससे सुविधा मिले, गरीब आम जनता को, उपभोक्ताओं को इससे राहत मिले। कांट्रेक्टर्स गल्ले का व्यापार करने वाले आढ़तियों, जो किसानों के साथ वंगलिंग करते थे, उनके साथ अत्याचार करते। उनसे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अभी की परिस्थिति में ऐसा लगता है कि खाद्य निगम एक सफेद हाथी है। वह किसानों के लिए नहीं है, बल्कि वह किसानों को ही खा रहा है।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं और मैंने मंत्री महोदय का कई बार ध्यान भी आकर्षित किया था कि आपके खाद्य निगम के पदाधिकारी जब भी जिला स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है तो उसमें भाग लेने के लिए, उसमें शामिल नहीं होते हैं। वे यह कहते हैं कि यह स्थानीय और राज्य सरकारों से सम्बधित है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती किसानों के लिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि वे इसको देखें।

मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि खाद्य निगम का परिचालन खर्च बढ़ गया है। इसलिए केन्द्र सरकार ने इसको दी जाने वाली सब्सीडी की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। 1981-82 में केन्द्र ने इसे 7 अरब रुपये, 1980-81 में 6 अरब 50 करोड़ और 1979-80 में 6 अरब रुपये की राशि दी है। इन निगम को दी जाने वाली सब्सीडी में दिनों दिन बढ़ोतरी की जा रही है लेकिन निगम की कार्यक्षमता में घटोतरी हो रही है।

आप जब किसी को सुविधा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते तो उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी कर्मचारी, अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। फिर भी उनके लिए सुविधा की बात होती है, जो कि सर्वथा अनुचित जान पड़ती हैं।

आये दिन हम देखते हैं कि खाद्य निगम के गोदामों में आग लगती है। स्टेशनों पर रखा हुआ अनाज सड़ जाता है जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है इसमें खाद्य निगम की गलती है या स्टेशन के कर्मचारियों की गलती है। इससे किसान को कोई लेना देना नहीं है। वह तो यही चाहता है कि जब सूखा पड़ रहा हो, बाढ़ आई हो, तब ऐसे समय में खाद्य निगम की कार्य-पद्धति में सक्रियता और सहयोग हो।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि अक्सर यह सुनने को मिलता है कि अमुक खाद्य निगम गोदाम में कम तोला गया है, बहुत-सी अनियमितताएं पायी गयीं। यह सब किसके कारण हो रहा है ? दिल्ली के शक्तिनगर खाद्य निगम के गोदाम में भयंकर अनियमितता बरती गई थी। कई सौ क्विन्टल अनाज कम तौलकर काला बाजार में बेचा गया। इस तरह की कई कम्पलेंट्स आयी हैं। और आती रहती है। इनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। क्योंकि खाद्य निगम की कार्य-क्षमता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

आये दिन हमारे खाद्य निगम के अध्यक्ष बयान दे देते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा और अखबारों में भी यह निकला कि भारतीय खाद्य निगम के दो हजार भण्डार गोदामों के अनाज

को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले-जाने के समय जो अनाज की बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए एक उड़न दस्ता स्थापित किया गया है ताकि यह अनाज एक जगह से दूसरी जगह बिना बर्बादी के पहुंचाया जा सके। इसके लिए आपने उड़न दस्ता कायम किया है। लेकिन वहां जो भ्रष्टाचार है उसको भी रोकना चाहिए। कर्मचारी जो अनियमितताएं बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन यह देखा गया है कि किसी भी बड़े अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निगम के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य में यह बताया भी था कि इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए पदाधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए जायेंगे। अगर सचमुच में विजिलेंस रखते हुए अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वे बहुत कुछ उत्तरदायित्व का वहन कर सकते हैं और सतर्क भी रहेंगे। उनको आदेश दिया जाए कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी बड़ी जरूरत है क्योंकि अनाज के साथ-साथ चीनी और उर्वरक के वितरण की व्यवस्था भी इन्हें सौंप दी गई है। अगर इसमें एक सिस्टम, एक पद्धति, कड़ाई नहीं रहेगी तो आम जनता को इससे लाभ नहीं होगा। इस वास्ते इस मामले में बड़ी बदनामी से बचने के लिए खाद्य निगम के अधिकारियों को अपने को दुरूस्त करना होगा।

इस बिल को जब हम पास कर रहे हैं तो इसके पास होने से कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहां इसके साथ-साथ उन्हें शक्ति भी प्रदत्त होंगी। वे अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ इन सुविधाओं और शक्ति का उपयोग करें और नियंत्रण में रहकर वे किसानों की, आम जनता की सेवा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत जो उसकी धारा 12, 44, 45 में संशोधन किया जा रहा है, उसका विरोध करता हूं, क्योंकि यह आप संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार लाए हैं और यह संविधान संशोधन उस समय किया गया था जबकि अमरजेंसी थी और केवल एक दल का राज्य था। इसलिए अच्छी तरह से विचार करके संशोधन नहीं किया गया था। (व्यवधान)

(श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए)

माननीय सदस्य श्री डागा जी ने कहा कि जनता सरकार के समय आपने उस संशोधन को मान लिया और कुछ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस समय कुछ इस तरह की परिस्थिति थी, जिसमें देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ करना सम्भव नहीं था और सबकी राय से उसको माना गया। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि जनता सरकार ने कोई अंधानुकरण किया है।

यह संशोधन मजदूर विरोधी है। छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है और बड़े अधिकारियों को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की जा रही है। बड़े अधिकारियों को कानून बनाने का नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, ताकि छोटे कर्मचारियों को पदच्युत किया जा सके। सुनवाई भी जो पहले दो बार हो सकती थी, उसको घटाकर एक बार कर दिया है। इससे हजारों लोग प्रभावित होंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे बताएं कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से बिना संशोधन किए निगम का काम नहीं चल रहा है। उन कर्मचारियों की संख्या बताएं जिनके अपराधों के ऊपर संशोधन के बिना कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ? वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

जो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। उन्हीं के लिए सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण सामने आए हैं। कई माननीय सदस्यों ने इन पर प्रकाश डाला है। कहीं अनाज सड़ रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं प्राईवेट लोगों से भण्डार लिए जा रहे हैं और बड़े-बड़े अधिकारी दो-दो हजार रुपया माहवारी उन मठाधीशों से अनुचित रूप से ले रहे हैं। मैं बिहार के छोटा नागपुर से आता हूं। वहां पर मैं 4-6 ऐसे गोदामों को जानता हूं जो सरकारी गोदाम खाली होने के बावजूद किराए पर लिए गए हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी प्रकार से पंजाब में अभी पता चला है कि 60 हजार टन धान खाद्य निगम का गोदाम में सड़ रहा है और जालंधर के मिल मालिकों ने सड़े हुए धान से चावल निकालने के लिए मना कर दिया है और कहा है कि इससे चावल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन राजस्थान के कुछ मिल मालिकों ने, जैसा कि मैंने पढ़ा है, कहा है कि मजदूरी पर दें तो चावल बनाया जा सकता है, लेकिन ये अधिकारी चाहते हैं कि वह सड़ जाए, उसके बाद अच्छा चावल निकाल करके भ्रष्टाचार किया जाए। अभी लोग—चारों तरफ भूख से मर रहे हैं, भयंकर अकाल की स्थिति कई भागों में पैदा हो गई है, दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन इसके बावजूद गेहूं को जलाया जा रहा है, इसको बरबाद किया जा रहा है। बिहार को गेहूं तो ओपन वैगंज में भेजा जाता है लेकिन जो कोयला है और जो ओपन वैगंज में भेजा जा सकता है और जिसके गीला होने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, उसको वन्द डिब्बों में भेजा जाता है। रांची में हजारों टन गेहूं सड़ गया है, बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। मैंने सदन में प्रश्न उठाया था इसके बारे में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलीगढ़ में सूता मिल वाले जो एफ० सी० आई० के गोदाम हैं वहां से हजारों टन गेहूं चोरी करते हुए कई अफसर पकड़े गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गया में दस करोड़ का गेहूं जला दिया गया है क्योंकि गेहूं चोरी करके उन लोगों ने बाजार में बेचा था और उसको छिपाने के लिए यह गेहूं जला दिया गया है। यह पचानपुर की बात है। किन-किन अधिकारियों को सजा हुई है क्या आप यह बताएंगे ? आप बड़े अधिकारियों को और भी अधिक पावर्ज नियम बनाने को दे रहे हैं लेकिन किन कारणों से ? इस तरह की घटनाएं होती हैं क्या आप यह बताएंगे ? छोटे कर्मचारियों की वजह से नहीं बल्कि बड़े कर्मचारियों की वजह से इस तरह की बातें होती हैं।

एफ० सी० आई० में भयंकर भ्रष्टाचार है। इस उपक्रम में अरबों रुपया आपका लगा हुआ है। बड़े अफसरों का ही ज्यादातर भ्रष्टाचार में हाथ होता है। उनकी वजह से ही गेहूं सड़ता भी है। गेहूं को ठीक तरह से रखा नहीं जाता है। इनमें बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी हैं। नीचे का गेहूं गोदामों में कई बरस तक पड़ा रह जाता है और ऊपर का निकालते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जो नीचे का गेहूं होता है वह सड़ जाता है। इसको बचाने के लिए आपको उपाय करने

चाहिए। नीचे का गेहूं पहले निकाला जाए इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। गेहूं के सड़ने की खबरें बराबर छपती रहती हैं जिसमें करोड़ों का घाटा होता है। लोग दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं, भूखों मर रहे हैं लेकिन यहां गेहूं सड़ रहा है। छोटा नागपुर में दो साल से लगातार अकाल है। इस बार भी भदई की फसल बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। खरीफ की फसल दस प्रतिशत भी होने की सम्भावना नहीं है। हम बिहार सरकार से कहते हैं तो कह दिया जाता है, हमारा कोटा बन्द कर दिया गया है इस कारण हम कुछ नहीं दे सकते हैं। आप लोग यहां हल्ला करें। अखबारों में लगातार यह छप रहा है कि आदिवासी पत्तियां खाकर जी रहे हैं, पेट भर रहे हैं, मालूम नहीं यहां मंत्री जी को पता है या नहीं। एन० आर० पी० तथा दूसरे जितने कार्यक्रम हैं इनको जमीन पर नहीं चलाया जा रहा है। सभी काम सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ दिए गए हैं। गांव का मुखिया या जन प्रतिनिधि उसको देखे इसकी जरूरत ही नहीं समझी जाती है। केवल भ्रष्टाचार का ही व्यापार चल रहा है। इस दिशा में सचेष्ट होने की जरूरत है। बिहार सरकार से कहते हैं तो जवाब मिल जाता है कि केन्द्र से बात करो, केन्द्र से कहते हैं तो कह दिया जाता है कि हमने काफी एलाटमेंट किया है। इस तरह से एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंका फेंकी करने से काम नहीं चल सकता है। इसका नतीजा यह होने वाला है कि छोटा नागपुर की आधी से ज्यादा जनसंख्या भूख से मर जाएगी। उसकी रक्षा करने की आप व्यवस्था करें।

कानून में छोटा सा परिवर्तन करके अगर आप समझते हैं कि एफ० सी० आई० की जो प्रशासन व्यवस्था है यह सुधर जाएगी तो यह आपकी भूल है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी ऐसा मालूम नहीं देता है। छोटे कर्मचारियों का जो थोड़ा सा विचार किया गया है उतना ही उपादेय नहीं है। हजारों की संख्या में कैजुअल लेबर एफ० सी० आई० में पड़ी हुई है, जो दस-दस बरस से काम कर रही है और जिसको अभी तक रेग्युलराइज नहीं किया गया है। बड़े अधिकारी अपने-अपने लोगों को मजदूरों को मस्टर रोल्ज पर रख लेते हैं, पुराने लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और उनको निकाल बाहर कर देते हैं। हजारों का वे अनुचित लाभ उठाते हैं। इस तरह की बातें सभी जगह चल रही हैं। इस दिशा में भी सरकार को एक स्पष्ट आदेश का प्रावधान करना चाहिए था कि इसमें भी अगर कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो गेहूं सड़ेगा और उसको इधर-से उधर निकालने में भी अन्यमस्कता आयेगी। इस प्रकार से गोदामों में भयंकर गड़बड़ियां होती हैं। इसलिए इसमें व्यापक संशोधन लाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में यह कहा जाए कि मच्छर पर पिस्तौल चलाने जैसा बिल है और इससे अपराधियों को कोई सजा नहीं मिलने वाली है तो ठीक है। इससे ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक यहां लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं ऐसा समझता हूं कि 42 वां अमेंडमेंट एक्ट उस वक्त के हालात के मुताबिक, जब देश में अनाज की पैदावार हो रही थी, और देश में गड़बड़ पैदा करने के मनसूबे किये जा रहे थे, उस

वक्त लाया गया था। आज कर्मचारियों को अनुशासन में लाने के लिये जो अमेंडमेंट आई है, इस पर हमारे विपक्ष के लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए।

मैं समझता हू कि यह निगम किसानों के लिए बनाया गया है ताकि किसानों से उनका माल खरीदे और जरूरतमन्दों को अनाज का वितरण करे, लेकिन हो क्या रहा है, वह मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश और जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां का कोई कर्मचारी उस निगम में नहीं है। आज इसमें दुकानदारों के लड़के लगे हुए हैं, जिनका काम करने का तरीका यह है कि वह ट्रकों पर कमीशन लेते हैं और जो माल सप्लाई करता है प्रदेशों में, जैसे श्रीमती कृष्णा साही और डागा साहब ने कहा, आज यह निगम घाटे में चल रहा है। कार्पोरेशन की जितनी धान की मिलें हैं, सब घाटे में चल रही हैं। हमारे कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं और वह किसानों की प्राबलम को समझ सकते हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां का जितना सेव यहां आजादपुर में जाता है, उसे सारे आढ़ती अपनी मर्जी से बेचते हैं, उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। जब तक आप बिचौलियों को खत्म नहीं करते हैं, तब तक हमारे देश में यह निगम उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमें किसानों को उठाना है, उन्हें बेहतर बनाना है, तो उनका रिप्रैजन्टेशन उसमें होना चाहिए। ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें किसान लोग अपनी राय दे सकें और उनकी बात सुनकर निगम में काम चले, तब ही काम ठीक हो सकता है। मेरे देखने में ऐसा आया है कि जितने कार्पोरेशन हैं, उसमें सब कोई डायरेक्टर हैं, हमारे यहां भी फोरेस्ट कार्पोरेशन है, स्टेट्स में जितने कार्पोरेशन हैं, उनके कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। आप कर्मचारियों को यहां पर 2 बात समायत करने का अख्त्यार दे रहे हैं, यह अच्छी बात है, उनको हक होना चाहिए कि अपनी बात कहें, लेकिन जो कर्मचारी वाकई में सेवा नहीं करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

हमारे यहां सी० पी० एम० के जो लोग हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि बंगाल और त्रिपुरा में अनाज का बड़ा घाटा पड़ गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब फूड फार वर्क में आपको अनाज मिला, उसका यूटिलाइजेशन भी आपकी सरकार ने वहां पर नहीं किया। आप जैसा चाहें, वैसा कर लेते हैं। अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आपकी सरकार काम करती है। ऐसा हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है, जैसा इन राज्यों में होता है। जब यहां पर चर्चा होती है तो आप सारे के सारे यहां पर एकमत होकर चोट करना शुरू कर देते हैं।

अभी हमारे सी० पी० एम० के भाई ने कहा कि पिछली जो सरकार थी, उसका भी कसूर है। जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई और 1980 में चली गई, लेकिन उसने भी कोई अमैंडमैंट नहीं की। हमारे एक भाई ने कहा कि उसको समय नहीं मिला। एक अमैंडमैंट तो उन्होंने कर ली, उन्होंने अपने जो संसद्-सदस्य थे, उनकी मियाद घटाने का संशोधन तो कर लिया लेकिन जो ब्लैक मार्केटियर्स थे, उनका नहीं करने दिया। यह सारा कसूर किसका है ?

हम कहते हैं कि हमने तो संशोधन कर दिया। अब प्रापर टाइम पर हमारे मंत्री जी हाउस में यह लाये हैं कि इसमें यह संशोधन कर दिया जाए। जहां यह संशोधन होगा, वहां अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो निगम के कर्मचारियों को निगम की ऐसी रूपरेखा तैयार करनी होगी, कि सारे देश में अनाज का वितरण ठीक ढंग से हो जाए।

किसानों का माल ठीक ढंग से लेना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार का घाटा न हो। गढ़वाल, मिजोराम, नागालैंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर वगैरह पहाड़ी इलाकों में वहां के मुलाजिम नहीं होते हैं। नीचे के लोग वहां जाते हैं, जो काम में दिलचस्पी नहीं लेते। हमारे यहां कार्पोरेशन के कर्मचारी परवानू से लेकर शिमला तक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। उन्हें फील्ड का पता ही नहीं चलता है। अगर निगम के काम को सुचारू रूप से चलाना है, तो वहां के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि हमें फायदा हो सके।

इस सिलसिले में मेरिट की बात कही जाती है, कहा जाता है कि ये लोग गांव के पढ़े हुए हैं। हमारे यहां पहाड़ों में स्कूल कालेजों की संख्या बहुत कम है। इसलिए वहां के लोग काम्पीटीशन में रह जाते हैं। वहां पर सिलेक्शन वहां के हालात के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि निगम का काम अच्छी तरह से चले और लोगों को अनाज नियमित रूप से मिल सके।

भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विरोधी दलों मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। वे सब इन्दिरा जी का विरोध करते हैं, लेकिन वे आपस में बंटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ बात करने में वे युनाइटिड हो जाते हैं। वे मुल्क को दिखाना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष एक है। लेकिन वह एक नहीं है, उसकी कई बोलियां हैं और लोग इस बात को जानते हैं। सी० पी० एम० के सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसका खंडन करता हूं। वहां की सरकार ने सिर्फ अपने कामरेडों में अनाज का वितरण किया है और बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया है। ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि जिन राज्य सरकारों ने अनाज का मिसयूज किया है, उनकी जांच पड़ताल हो सके।

हमने राव साहब को पत्र लिखे हैं कि निगम के कुछ कर्मचारियों ने क्या किया है। परवानू में फूड कार्पोरेशन का एक गोदाम है। वहां पर एक बोरी अनाज के लिए पांच दस रुपये का कमीशन लिया जाता है। सारे हिमाचल प्रदेश में अनाज का वितरण वहां से होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जो आदमी बेईमान है, उसे करप्शन के अपराध में सजा देनी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि निगम के कर्मचारियों को जिले के डिप्टी कमिश्नर के अंडर होना चाहिए। ऐसा करने से काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं उस माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस सदन के समक्ष यह संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता की सराहना की है। मैं उनका इस बात के लिए भी आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। लेकिन इसके साथ ही, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस साधारण उपाय का विरोध किए जाने को समझ पाने में असमर्थ हूं। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने, हमेशा की तरह, सरकार की आलोचना की है और खाद्यान्नों की सप्लाई के मामले में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। सदन में इस मामले पर कई बार चर्चा की जा चुकी है और मैंने हमेशा यही सिद्ध किया है कि उनके आरोप पूर्णतः खोखले और निराधार हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : विशेष रूप से उनका पक्ष लिया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं अब भी उनके आरोपों का जोरदार शब्दों में खण्डन करता हूं। पश्चिम बंगाल को देश के किसी भी राज्य के खाद्यान्न के आवंटन में सर्वाधिक आवंटन किया जाता रहा है। उनके (पश्चिम बंगाल) पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भण्डार है और उसको खाद्यान्न की नियमित सप्लाई होती है और नियमित सप्लाई को बरकरार रखा जा रहा है। हर बार पश्चिम बंगाल के मंत्रियों अथवा माननीय सदस्यों ने मेरे साथ विचार विमर्श किया है, मैंने हमेशा यही अनुभव किया कि वे सन्तुष्ट हो गए हैं। लेकिन जब सदन में मैं उनकी बातें सुनता हूं, इसमें हमेशा वही गाथा होती है···

प्रो० एन० जी० रंगा : वे बहुत अच्छे व्यापारी हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वैगन तो पहुंचते ही नहीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वैगन तो पहुंचते हैं लेकिन आप निष्क्रिय रहते हैं। आपने एक रास्ता अख्तियार कर लिया है और आप उसी पर चलना चाहते हैं···केवल पश्चिम बंगाल के लोगों की खपत की पूर्ति के लिए।

मैं नहीं समझ सकता कि एक ओर श्री चक्रवर्ती और कुछ अन्य सदस्यों ने किस प्रकार अकुशलता और भ्रष्टाचार के लिए भारतीय खाद्य निगम की आलोचना की है। कोई भी संगठन अपने कर्मचारियों से चलता है। इसका कार्य निरापदन कर्मचारियों की निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता तथा अनुशासन पर, जो हम उनमें बनाए रह सकते हैं, निर्भर करता है। जब हम कर्मचारियों में बेहतर अनुशासन लागू करना चाहते हैं तो तब हमारा विरोध किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों को इसका अवसर देने का उपबन्ध केवल उनके लिये था जो केन्द्र सरकार के खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरित किये गये थे। भारतीय, खाद्य निगम में कुल 72,500 के लगभग कर्मचारी हैं। उनमें से लगभग 15,500 ऐसे स्थानान्तरित कर्मचारी हैं। 72,500 में से शेष लगभग 57,000 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को भारतीय खाद्य अधिनियम के अन्तर्गत इसका अवसर नहीं मिल रहा था। यह सरकारी कर्मचारियों के प्रति तरजीही का व्यवहार था क्योंकि उस समय के संविधान के अन्तर्गत ऐसा उपबन्ध किया जाना था। अब संविधान के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं कि सरकारी कर्मचारियों को इसका अवसर दिया जाये। हम इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों को एक स्तर पर लाना चाहते हैं और उनको एक समान अवसर मिलेगा। आप जानते हैं कि अनुशासन के मामले कितने वर्षों तक खिंचते रहते हैं। पहले जांच होती है, फिर आरोप पत्र, तब जांच के बाद फिर से आरोप पत्र दिया जाता है, एक अन्य अवसर प्रदान किया जाता है और एक अथवा दूसरे बहाने पर कर्मचारी मामले में निर्णय लिये जाने में विलम्ब कर सकता है। यह नितान्त आवश्यक है कि अनुशासन सम्बन्धी मामलों का निपटान यथा संभव शीघ्रता से किया जाए। उनको अधिनियम अथवा नियमों में किसी ऐसे उपबन्ध का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाती जिससे उन्हें अनिश्चित काल के लिए दण्ड से बचे रहने का अवसर मिले। इसी कारण मैं यह विधेयक सभा के सामने लाया हूं।

श्री चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा को घटिया किस्म के खाद्यान्न सप्लाई किये जाने जैसे अन्य मामले उठाये हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : सभी राज्यों को।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने केवल त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल का ही उल्लेख किया था। आपका शेष राज्यों से सम्बन्ध नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उड़ीसा भी।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपको उड़ीसा से भी सहानुभूति है।

सभापति महोदय : अब उनकी आंखें उड़ीसा पर हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार को सावधान रहना चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे भाग्यशाली हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह कहना बिल्कुल गलत है कि इन राज्यों के लोगों के लिए घटिया चावल भेजा जा रहा है।

हमने नियम निर्धारित कर रखे हैं। श्री चित्त बसु, आपने अनेक अवसरों पर इसकी चर्चा की है। मैं नहीं मानता कि जब आप इस सभा में आते हैं तो आपको क्या हो जाता है। जब आपको बाहर अवसर मिलता है, तो आप युक्ति संगत होते हैं।

भारतीय खाद्य विभाग के गोदामों से जहां कहीं भी घटिया खाद्यान्न दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा हमेशा अपने अधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की संयुक्त जांच की मांग की जाती है। यदि इसे घटिया पाया जाये तो इसे जारी नहीं किया जाता। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जहां कहीं भी इस नियम का पालन नहीं किया जाता मैं उस बारे में शिकायत को सुनना चाहूंगा। ऐसा कहीं नहीं हो रहा। फिर भी, विपक्ष के कुछ सदस्य हमेशा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार की आलोचना का अवसर ढूंढ़ते हैं।

एक अन्य माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे मामले उठाये हैं जो मेरे विचार से इस समय, जब हम विधेयक में कर्मचारियों के एक वर्ग की सेवा शर्तों के बारे में एक छोटे से संशोधन पर विचार कर रहे हैं, प्रासंगिक नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने, मेरे विचार से श्री शिवप्रकाशम ने जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश से चावल नहीं खरीदा। इस वर्ष की वसूली अभूतपूर्व है। इस वर्ष चावल तथा गेहूं दोनों मिलाकर 147 लाख टन तक पहुंच चुके हैं। यह अब तक के स्तर से यह सबसे अधिक है। चावल की अधिकतम खरीद की गई है। आंध्र प्रदेश में, समस्या खुली बिक्री के चावल की है जो मिलों तथा कुछ स्टाकिस्टों द्वारा खरीदा जा रहा है। मिलों पर लेवी लागू है, लेवी का अंश भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्र किया जाता है। चावल खुली बिक्री के लिये है। यदि स्टाक की सीमा नियत कर दी जाये तो मिलें तथा स्टाकिस्ट चावल की पर्याप्त मात्रा नहीं रख सकेंगे परन्तु चूंकि आन्ध्र प्रदेश में सीमा नियत नहीं की गई है इसलिये चावल जमा किया जा रहा है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : बिहार में कितना हुआ है प्रोक्योमेन्ट ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिहार में प्रोक्योमेन्ट कभी हुआ हो तो बताऊं ;

श्री कमला मिश्र मधुकर : आपने अभी कहा है कि आल टाइम रिकार्ड प्रोक्योमेन्ट हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हरियाणा और पंजाब का जिक्र कर दूं, अगर आप चाहें तो। बिहार मेरे बस की बात नहीं है।

आशा की जाती है कि स्टाकिस्ट तथा मिलों वाले इस चावल का निर्यात करेंगे और लाभ कमाएंगे। पहिले ही से एक लाबी है। आन्ध्र प्रदेश में, जो कि चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है, चावल की कीमत बढ़ रही है और स्टाकिस्टों, मिल मालिकों तथा अन्यों के पास भारी मात्रा में चावल जमा है। मैं आन्ध्र प्रदेश / सरकार को सहमत कराने का प्रयास कर रहा हूं कि स्टाक की सीमा नियत की जाये ताकि यह सारा जमा चावल बाहर आ सके और अन्य राज्यों को आसानी से भेजा जा सके। हम इस बारे में विचार कर सकते हैं और कीमतें भी नीचे लाई जा सकती हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे चावल का निर्यात करना चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वे निर्यात करना चाहते हैं। एक लाबी समाचारपत्रों में ऐसी खबरें प्रकाशित करा करके कि भारी भंडार जमा है और उनको बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, दबाव डालने का प्रयास कर रही है। यह सारा चावल बाजार में आने के लिये है जिससे कि उपभोक्ताओं को भरपूर उपज का लाभ मिल सके। हमने भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त किसी को फाईन तथा सुपर-फाईन किस्मों के चावल के निर्यात की अनुमति नहीं दी है। इनका निर्यात भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है। यह सरकार का सरकार के साथ व्यापार है।

एक माननीय सदस्य ने पड़ौसी द्वीपीय देशों को खाद्यान्नों की सप्लाई का प्रश्न उठाया है। उन देशों को खाद्यान्न की सप्लाई करना भारतीय खाद्य निगम का काम नहीं है। यदि वे भारत से कुछ खरीदना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम अपने पड़ौसी देशों की सहायता करना चाहते हैं। परन्तु यह कीमत का फैसला करने की बात है। हम अपनी लागत से कम कीमत पर सप्लाई नहीं कर सकते। यदि उनको कहीं से सस्ता मिल सकता है तो वह निश्चित रूप से हमसे नहीं खरीदेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या भारतीय खाद्य निगम चावल के जमा भंडार को खरीदने को तैयार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : भारतीय खाद्य निगम ने कुछ मात्रा खरीदी है और यदि भारतीय खाद्य निगम अपनी वचन आबद्धता को पूरा नहीं कर पायेगा। परन्तु तो भी और मात्रा की खरीद करेगा हम चाहते हैं कि यदि चावल का फालतू भंडार है तो वह बाजार में आए ताकि लोगों को लाभ हो सके।

एक अन्य माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर खुले में रखे गये गेहूं का उल्लेख किया है। जहां तक मुझे पता है गेहूं की अधिकतर खरीद राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं। किसानों के लाभ के लिये हमने इस बार गेहूं की खरीद के लिये छूट दी थी। हमने 20 प्रतिशत तक खराब हो चुके गेहूं को भी खरीद करने की अनुमति दी थी परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गेहूं भी खरीदा है और भारतीय खाद्य निगम को उस स्टाक को अपने नियंत्रण में लेने से पहले दो बार सोचना पड़ता है क्योंकि इसका वितरण नहीं कर सकेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : किस राज्य ने ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश का नाम लिया। राज्यों द्वारा खरीदा गया सारा गेहूं, जो हमारे द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप है, हम अपने नियन्त्रण में लेना चाहते हैं परन्तु यदि वह खपत के लिये उपयुक्त नहीं है तो हम अपने ऊपर दोष नहीं ले सकते। उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को लेना होगा।

एक आशंका व्यक्त की गयी है कि न्युनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दण्ड दिया जायेगा और अधिकारी बच निकलेंगे और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों के विनियमन के लिये अलग नियम है तथा शेष कर्मचारियों के लिये अलग हैं। हम उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता के प्रति जागरुक हैं क्योंकि यदि उनके साथ समुचित ढंग से निपटा जाये और यदि वे अपने काम को ठीक प्रकार से करें तो वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखने और कार्य कुशलता बनाये रखने का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करेंगे। कम से कम मेरी यह नीति है। जहां कहीं पर मैंने पाया कि अधीनस्थ कर्मचारी ने गलती की है, तो उसके ऊपर के अधिकारी को दोषी ठहराया जाना चाहिये क्योंकि अनुशासन, दक्षता तथा ईमानदारी बनाए रखने के लिये निम्नतम स्तर के कर्मचारियों तक जाना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। हमें पहले देखना है कि हमारे अधिकारी ईमानदार हों।

श्री डागा ने किन्हीं ऐसे प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है जो संसद में पेश नहीं किये गये हैं और सरकारी उपक्रम समिति ने उन पर अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं ! यह अवधि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले की थी। वह 1978-79 और 1979-80 से संबंधित है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का वर्ष 1981-82 का यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हमने कार्यवाही की थी। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना 29-3-1982 को संसद को दी गई थी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्या स्थिति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप आश्वस्त रहें, इसकी बहुत अच्छी देख-भाल की जा रही है। वर्ष 1979-80 के दौरान भी (जबकि अत्यधिक सूखा पड़ा था) हमने किसी को भी भूखा नहीं मरने दिया। खाद्यान्न की पूर्ति तुरन्त की गई, चाहे हमें विमान से ही खाद्यान्न क्यों न गिराना पड़ा हो। अब हम इन पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है कि परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं, विशेषकर मौनसून के दौरान। इस सम्बन्ध में कुछ समस्याएं हैं। रेलों द्वारा परिवहन संबंधी कुछ अड़चनें हैं; इन भागों में खाद्यान्न की सप्लाई ले जाने में कठिनाइयां हैं वह सप्लाई मीटर-गेज लाईन से करनी पड़ती है। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम वहां जितना भंडार रखना चाहते थे उतना नहीं रख सके हैं। निश्चय ही, रेलों ने पूरा प्रयास किया है, वे पिछले कुछ महीनों में खाद्यान्न सप्लाई के पूरे रेक इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भेज रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे, जिनमें प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती भी शामिल थे। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि सप्लाई स्थिति सुधर गई है और रेलें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वह इस सम्बन्ध में क्यों चुप बैठे हैं। भारतीय खाद्य निगम कोई लाभ नहीं कमाता। वस्तुतः भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न का वितरण करता है जिसमें राज-सहायता शामिल है जिसका वहन भारत सरकार करती है। इस समय हम उपभोक्ता के लिए प्रति क्विंटल 40

रुपये राज-सहायता देते हैं। इन अर्थों में, भारतीय खाद्य निगम कोई वाणिज्यिक संगठन नहीं है; यह केवल खाद्यान्नों की खरीद करता है और उन्हें भारत सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार वितरित करता है। यहां तक कि किसानों को जो मूल्य दिया जाता है वह भी सरकार के आदेशानुसार होता है और इस मामले में उन्हें कोई विकल्प नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि भारतीय खाद्य निगम पर यह दोष लगाना गलत है कि वह किसानों को कम कीमत देता है।

मैं समझता हूं कि श्री शैलानी ने भारतीय खाद्य निगम की ढुलाई लागत पर चिन्ता व्यक्त की है। भारतीय खाद्य निगम वर्षों तक भारी भंडार रखता है। इसमें ब्याज, गोदाम-प्रभार तथा हैंडलिंग-प्रभार देना होता है। निश्चय ही, गोदामों में तथा रास्ते में क्षति होती है। लेकिन मुझे यह कहना होगा कि रास्ते में क्षति तथा गोदामों में क्षति को न्यूनतम रखा जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गोदामों में खाद्यान्नों की क्षति लगभग एक प्रतिशत तक ही सीमित रहे। इस समय यह क्षति 1.5 प्रतिशत है। रास्ते में क्षति की प्रतिशतता की भी यही स्थिति है और यहां भी हम इसे कम करके अधिकतम 1 प्रतिशत तक लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि भारतीय खाद्य निगम यह कर सके तो मैं समझता हूं कि वह स्थिति काफी संतोषजनक होगी।

श्री सुलतानपुरी ने पर्वतीय लोगों के रोजगार के बारे में कहा है। भारती खाद्य निगम के कुछेक विनियम हैं। कर्मचारियों की भरती करने की उनकी एक प्रणाली है। (व्यवधान) पर्वतीय लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। वे बहुत परिश्रमी हैं; मुझे श्री सुलतान पुरी तथा उनके क्षेत्र से पूरी सहानुभूति है। हम निश्चय ही देखेंगे कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। लेकिन हम इस मामले में राज्यवार या जनजाति वार या जाति-वार कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं कर सकते। उन्हें भी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में अपना पूरा हिस्सा मिलेगा। मैंने आदेश जारी किए हैं कि स्थानीय रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए। भरती रीजनल अथवा जोनल स्तर पर नहीं की जानी है जहां कुछेक चालाक लोग अपने नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। अन्दरूनी क्षेत्रों, जिलों तथा छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को यह पता नहीं चलता कि भारतीय खाद्य निगम को रोजगार के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम के अधीन रोजगार में सभी लोगों को समुचित हिस्सा मिले। मैं समझता हूं कि मैं इन्ही सब मुद्दों के बारे में बता सकता हूं। मैं उन सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकता जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। लेकिन मुझे आशा है कि वे सभी संतुष्ट हैं और मैं सभा को इस विधेयक की सिफारिश करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने खाद्यान्नों की खरीद का उल्लेख किया है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि भारतीय खाद्य निगम केवल 12 प्रतिशत गेहूं, मोटे अनाज और चावल की खरीद करता है जिसका अभिप्राय यह हुआ कि खाद्यान्नों की बड़ी प्रतिशतता भारतीय खाद्य निगम की खरीद से बाहर रह जाती है। यदि ऐसा है तो आप खरीद प्रणाली को कैसे नियंत्रित करेंगे ? यदि आप कुल खाद्यान्न में से केवल 12 प्रतिशत की खरीद करते हैं तो इसका मतलब है कि बिचौलिए सक्रिय हैं और आप उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अतः आपका खाद्यान्नों की खरीद की प्रतिशतता को बढ़ाने के बारे में क्या विचार है ?

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : जितना भी फालतू अनाज—गेहूं, चावल और धान—बाजार में आता है हम उसे खरीदने का वचन देते हैं लेकिन हम खाद्यान्न व्यापार के राष्ट्रीयकरण की नीति के अधीन कार्य नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हर वस्तु को खरीदा जाए। हम गैर-सरकारी व्यापार को समाप्त नहीं करना चाहते। साथ ही, हम किसान को बाध्य नहीं करना चाहते, और न ही कर सकते हैं, कि वह अपना अनाज केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे। हम किसान को लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं ताकि उसे उत्पादन में कोई हानि न हो, और जब वह स्वतन्त्र रूप से खाद्यान्न सरकारी एजेंसियों को बेचता है तो वही हमें स्वीकार्य है और उसी से हम अपने भण्डार खड़े करते हैं। किसान को भी अधिकार है कि यदि वह चाहता है तो अपने अनाज को अधिक मूल्य पर बेच सकता है। यही कारण है कि समूचे देश को एक जोन माना गया है और अनाज लाने और ले जाने की अनुमति है। भारतीय खाद्य निगम अथवा किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी के लिए व्यवहारत यह संभव नहीं। वह समूचे देश में उत्पादित खाद्यान्न की 132 मिलियन टन अथवा 134 मिलिटन टन की सम्पूर्ण मात्रा को खरीद सके और फिर देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी सप्लाई करने की जिम्मेदारी ले।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे।
प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रो० एन० जी रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मैं इस विधेयक तथा भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों के संबंध में अपने माननीय मित्रों से सामान्यतया सहमत हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि काफी संख्या में मेरे माननीय मित्र और सहयोगी यह कहते जा रहे हैं कि वे विधेयक के पक्ष में हैं और साथ ही वे इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या तर्क है। इसके अतिरिक्त, मैं अपने माननीय मित्र, खाद्य मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। खाद्यान्नों के भण्डार तथा भण्डारण में होने वाली क्षति को 1.5 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत तक लाया जा सकता है। लेकिन फिर 1.5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के बीच अन्तर, कुल मात्रा का लगभग $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अथवा इससे अधिक बैठता है। अतः जब इसे

कुल मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो यह अन्तर बहुत बड़ा है। इसी से लोगों को दुख हो रहा है।

दूसरे, अनेक स्थानों पर पर्याप्त गोदाम नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि योजना आयोग भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य मंत्रालय को पर्याप्त मात्रा में तथा ठीक समय पर धनराशि उपलब्ध कराए ताकि भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों, विशेषकर धान तथा गेहूं को प्रतिकूल मौसम में खुला छोड़ने की मजबूरी न हो। अनेक स्थानों में खाद्यान्नों को खुले में रखा जाता है ; उन पर धूप और वर्षा पड़ती रहती है और कितनी ही क्षति हो रही है। साधारण लोग यह नहीं जानते कि कितनी हानि हो रही है, लेकिन तब इन्हें पता चलता है। कि कितना अनाज बरबाद होता है तो उन्हें अत्यधिक दुख होता है। वे सोचते हैं कि बाकी अनाज भी इसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो रहा होगा। अतः यह एक गलत धारणा को जन्म देता है। मैं चाहता हूं कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध करने के लिए मंत्री योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय, और जो भी अन्य प्राधिकारी इसमें रुचि रखते हो, से सम्पर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि भारतीय खाद्य निगम के लिए जरूरी यथा संभव अधिकाधिक भण्डारण क्षमता यथा संभव शीघ्रतिशीघ्र निर्मित की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि ये वेस्ट बंगाल के लोग पैदा तो कुछ नहीं करते और खाने के सिवाय कोई काम नहीं है। जबसे वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, वहां का उत्पादन 5 मिलियन टन से घटकर 2.3 मिलियन टन रह गया है। जितनी पैदावार वहां कम हुई है, उतनी कहीं कम नहीं हुई।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राजस्थान के बारे में बोलिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजस्थान में तो उत्पादन बढ़ा है, लेकिन बंगाल में घटा है। मंत्री महोदय जितना ज्यादा से ज्यादा इनको देते हैं, उतना ही···।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : उतना ही ये काटने को आते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जी हां, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी मैं चुनाव के समय कलकत्ता गया था। वहां के खाद्य विभाग के लोगों को फूड कारपोरेशन में लिया गया था, उनको अभी तक आब्जर्व नहीं किया गया है। ये इंटक यूनियन के लोग हैं, जिनको अभी तक आब्जर्व नहीं किया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अब बात खुल चुकी है। सभी कर्मचारी संघ उनसे संबंधित हैं और वे हमें दोष दे रहे हैं···(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारी शिकायत तो इनके खिलाफ भी है कि इनकी सरकार ने उन कर्मचारियों की देखभाल नहीं की। उनको अभी तक पे स्केल्स नहीं मिल रहे हैं। जब भारत सरकार ग्रेड नहीं दे रही है तो इनकी सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको संरक्षण दिया जाए।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : केवल आप ही नहीं, वह भी कर्मचारियों के हितों की हिमायत कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का व्यवहार इनकी सरकार ने किया है, उस तरह का व्यवहार केन्द्र सरकार की ओर से न किया जाए और उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए।

एक मेरा निवेदन यह है कि जो कानून आप लाए हैं, मैं तो इससे भी सख्त कानून लाने की बात कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि यदि सरकारी कर्मचारी अपराध करता है तो ये तो कहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार फैलाने वाले को सेकण्ड चांस दिया जाए, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहले ही चांस में गोली से मार दिया जाना चाहिए। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक करप्शन नहीं मिट सकता।

सरकारी कर्मचारियों को जो आपने 311 की सहूलियत दे रखी है उसकी वजह से वे डरते नहीं हैं, इस धारा से उनको प्रोटेकशन मिलती है, इसकी वजह से वे कितना ही करप्शन करें, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगी। सरकार को चाहिए कि इस प्रोटेकशन के बारे में वह कुछ करे। अगर देश से आपको भ्रष्टाचार को मिटाना है, अन्याय मिटाना है तो निश्चय ही आपको 311 के बारे में कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। तभी भ्रष्टाचार और बेईमानी मिट सकती है और न्यायपूर्ण व्यवस्था आप देश को दे सकते हैं। वर्ना सरकारी कर्मचारियों की जो लूट है वह जारी रहेगी। एफ० सी० आई० 500 करोड़ से ज्यादा का घाटा दिखाता है। किसान के फर्टिलाइजर, हरिगेशन, बिजली के दाम आप बढ़ा देते हैं। एफ० सी आई० में 72000 कर्मचारी काम करते हैं। इनको आप दिन-ब-दिन ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। देश के किसान को आप फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। किसान को आप रियायती दरों पर खाद, पानी, बिजली आदि दें ताकि वह ज्यादा पैदा करके आपको सही दामों पर अधिक अनाज उपलब्ध करा सके। ऐसा आपने किया तब तो फायदा होगा वर्ना हजारों करोड़ों रुपया इन सरकारी कर्मचारियों को आप देते जाएंगे। तो हम तो बरबाद हो ही रहे हैं और होते जाएंगे और वे और भी ज्यादा खुशहाल होते चले जाएंगे। जो देश के मालिक हैं वे तो एक टाइम भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है लेकिन ये लोग कारों में, हवाई जहाजों में घूमते हैं और सब प्रकार के ऐशो आराम में रहते हैं। इस व्यवस्था को आप ठीक करें ताकि गरीब किसान अपने पांव पर खड़ा हो सके और आर्थिक उन्नति देश की हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तीन बातें, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

भ्रष्टाचार की चर्चा सब जगह है, सर्वत्र है। कहां नहीं है, यह सवाल पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार खाद्य निगम के रोम-रोम में समा गया है। जो लोग गल्ला, एक गोदाम से दूसरे गोदाम या ट्रेन से गोदाम में ढो कर ले जाते हैं, ऐसे लोगों का हजारों रुपये का बकाया पड़ा हुआ है और आपके अधिकारी उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं। बिहार के ऐसे बहुत से उदाहरण है। दो उदाहरण मैंने आपके पास भेजे हैं। इसको छः महीने से अधिक का समय हो गया है। फूड कारपोरेशन चेयरमैन की चिट्ठी भी मेरे पास आई है कि इसकी जांच करवा रहे हैं लेकिन वह अभी तक

चल ही रही है। वहां का रिजनल मैनेजर भी बदल गया है लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको अपना कारोबार करने में इस वजह से कठिनाई हो रही है।

गोदामों से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न लोग चोरी करके ले जाते हैं, इसकी आप रोकथाम नहीं कर पाते। कोशिश जरूर करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। इसमें कारपोशन के ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जिन का बकाया सालों साल से पड़ा हुआ है, वह उनको दिलवाया जाना चाहिए ताकि वे आपकी सेवा और भी अधिक दिलचस्पी के साथ कर सकें।

राव बीरेंद्र सिंह : कितना पड़ा हुआ है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पत्र भी लिखा है और कहें तो नाम भी बता हूं ?

राव बीरेंद्र सिंह : फार्मर्ज का ?

श्री रामावतार शास्त्री : उनका जो गोदामों में ट्रकों से गल्ला ले जाते है या पहुंचाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : ठेकेदारों का ?

श्री रामावतार शास्त्री : ठेकेदार कहिये, मैं घबराता नहीं हूं। उनकी कोई उचित बात होगी तो कहनी ही होगी। आम तौर से मैं ठेकेदारी प्रथा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आप उनके समर्थक हैं। उनका पैसा अगर बकाया है तो दीजिये या कानून बनाइये कि ठेकेदारों···(इंटरप्शंज) दो आदमियों की बात मैं कर रहा हूं, जान पहचान वाले हैं। आमतौर से मैं ठेकेदारों की बात नहीं करता।

लेकिन एक बात मैं कह दूं कि छुईमुई में नहीं हूं कि आपके ठेकेदार न कह दिया तो मैं चुप हो गया। अगर किसी ठेकेदार या विजनेसमैन के साथ कोई अन्याय हो तो क्या यह कहा नहीं जा सकेगा ? मैंने इसी अर्थ में कहा है, इसका दूसका अर्थ मत लगाइये।

श्री गिरिधारी लाल व्यास : यह कम्युनिस्ट की जबान से बात आ रही है।

श्री रामावतार शास्त्री : कम्युनिस्ट की जबान से ही बात हो रही है, आपको तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आप मजदूर नेता होकर जब मजदूरों के खिलाफ बोल गये ? कैसे मजदूर नेता हैं आप, यह आप जानिये ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : बाहर जाकर दूसरी बात कहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : कर्मचारियों के सवाल के बारे में मैं यह कहता हूं कि अखबारों में रोज निकलता है कि आज वहां हड़ताल हो रही है, आज वहां नोटिस दिया जा रहा है। उनकी कठिनाइयों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। इनके कहने से मत मान लीजिए कि उनके कर्मचारी फोरथ ग्रेड से लेकर सब खुशहाल है, उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

आप स्वयं कहते हैं कि आपके गोदामों में गल्ले की कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें चिल्ला रही हैं कि गल्ला नहीं मिल रहा है। उनका कोटा भी आप काट रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे बंगाल के साथी कामरेट चक्रवर्ती ने कहा था।

राव बीरेन्द्र सिंह : इनका तो बढ़ाया है।

श्री रामावतार शास्त्री : कि आज ही या कल कामरेड ज्योति बसु, मुख्यमंत्री का अखबार में निकला है। आप जवाब भी उनको नहीं देते, यह भी लिखा था। तो उनकी जितनी आवश्यकता है, (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : कामरेड पार्लियामेंटरी होता है ?

श्री रामावतार शास्त्री : कामरेड अन-पार्लियामेंटरी हो तो कटवाइये, लेकिन वह है नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : "कामरेड" मित्र है।

सभापति महोदय : शास्त्री जी आप अपनी बात कहें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि अकाल की स्थिति 7, 8 राज्यों में है, वारिश समय पर नहीं हुई, अभी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है, तो "क्या वर्षा जब कृषि सुखानी" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। तमाम जगह खाद्यान्न की कमी है, सुखाड़ और अकाल है, ऐसी स्थिति में आपको राज्यों की थोड़ा मुक्त हस्त से मदद करनी चाहिए।

वंगाल की खाद्यान्न की मांग है। आज अखबारों ने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उनको 1 लाख 50 हजार टन माहवार की जरूरत है। आप दे क्या रहे हैं—50 हजार टन चावल के बदले 20 हजार टन चावल और 20 हजार टन गेहूं, कुल 40 हजार टन।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि उनको फौरन 1 लाख 50 हजार टन चावल हर माह चाहिये तभी वह सुखाड़ का मुकाबला कर सकते हैं, और उनके सामने और कोई मुकाबले का रास्ता नहीं है, भले ही भाषण कर दें, अखबारों में बयान दे लें कि हम यह शुरू कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मान रहे हैं कि विहार में बिल्कुल प्रोक्योर नहीं किया।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा निवेदन है कि सुखाड़ की स्थिति में उन्होंने कोई पुरानी गलती की है तो उसके लिए उनको सजा दीजिये, उनको बर्खास्त कर दीजिए, हम भी मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त कीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : अभी तो फसल होकर चुकी है, अभी कैसे यह हो सकता हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : राव साहब, मैं कह रहा हूं कि उनको बर्खास्त कर दीजिये, लेकिन जनता को मत सताइये, उसे भूखा मत मारिए, राशन की दुकानों पर गल्ला न रहे, ऐसी स्थिति न होने दीजिए। बिहार की 10 करोड़ जनता की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे राज्यों में गल्ला देना चाहिए। जितने अकाल और सुखाड़ पीड़ित राज्य हैं, उनकी जरूरत की तरफ विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, तब लोग समझेंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया है :

श्री एन० के० शेजवलकर : सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। यह रिकार्ड पर बड़ी गलत बात आ रही है। 311 के सम्बन्ध में जो हमारे माननीय सदस्य ने बात कहीं, मैं केवल उसी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वह आपके बारे में एसपर्शन नहीं किया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : लेकिन हाउस में यह बात अन-प्रोटैस्टेड चली जाये कि अन्याय करने वाले हैं, उनको चांस भी अपनी बात करने का न मिले, यह गलत बात है।

सभापति महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, माननीय प्रो० रंगा ने कहा है कि स्टोरेज का इंतजाम ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे पास गोडाउन का इन्तजाम इतना होना चाहिए कि हमारा अनाज बाहर न रहने पाए। एफ० सी० आई० की स्टोरेज की कैपेसिटी काफी है—अगर मुझे ठीक याद है, तो कुल कैपेसिटी 270 लाख टन के करीब है। वर्ल्ड बैंक प्राजेक्ट के अधीन अगले चन्द सालों में उसे शायद और 305 मिलियन टन के करीब आगे बढ़ाना है।

सभापति महोदय : अभी कितनी है?

राव बीरेन्द्र सिंह : 18 मिलियन टन के करीब—एफ० सी० आई० की अपनी। इसके अलावा सैंट्रल वैयरहाउसिंग कारपोरेशन के गोडाउन हैं, स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन्ज के गोडाउन हैं। अगर फिर भी कहीं कमी पड़ती है, तो लोगों के प्राईवेट गोडाउन किराए पर ले लिए जाते हैं। दिक्कत उस वक्त पड़ती है, जब कुछ जगहों पर ज्यादा अनाज प्रोक्युर होता है। पंजाब और हरियाणा में सारे का सारा अनाज कुछ अरसे के लिए जमा करना पड़ता है, क्योंकि रेल से उसे क्लीयर करने में देर लगती है। रेल पर स्टेट की नार्मल सप्लाई का अनाज, फर्टीलाइजर, कोयले और दूसरी चीजों का— बोझा होता है। प्रोक्युरमेंट सीजन में सरप्लस स्टेट्स सारा अनाज एक-दम नहीं ले जा सकते, इस लिए कुछ अरसे के लिए उसे खुला रखना पड़ता है। अगर सारे देश में देखा जाए, तो कैपेसिटी काफी है। लेकिन कहीं-कही अनाज का ज्यादा ढेर जमा हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां से अनाज इकट्ठा होता हो वहां ज्यादा गोदाम बनाए जाएं। उसकी तरफ सरकार का ध्यान है।

शास्त्री जी ने बिहार के लिए ज्यादा अनाज की मांग की है। आपने खुद ही फरमा दिया। बिहार अनाज पैदा करने वाली स्टेट है और उसमें प्रोडेशक्न बहुत ज्यादा है। वहां काफी अनाज पैदा हो सकता है अभी तो बिहार में गेहूं की फसल कट चुकी है। अगर प्रोक्युरमेंट नहीं हुआ, तो वह सारा गेहूं कहा गया? वह लोगों के खाने के लिए है। वह घरों में भी है और मंडियों में भी है। थोड़ा इन्तजार करना चहिए। अगर बिहार का गेहूं बाहर नहीं गया है, अगर उसे एफ० सी० आई० ने नहीं खरीदा है और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा है, तो उस गेहूं से काम चल सकता है। इस लिए हम अभी नहीं बढ़ा रहे हैं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी इलाके में अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। अभी तो बारिश का मौसम है, अभी बरसात का मौसम है। बाज दफा बाद में जो बरसात होती है, वह ज्यादा फायदामंद होती है। अगर पानी पहले बरस चुके और बाद में फसल सूख जाए, तो ज्यादा नुकसान होता है। बारिश लेट जुलाई में शुरू हुई है। अगर वह अगस्त में चलती रही और इसका डिस्ट्रिब्यूशन ठीक हुआ, तो खरीफ का बम्पर क्राप भी हो सकता है। इसमें परेशानी या घबराने की बात नहीं है। बारिश को जितनी देर होगी, उसकी नमी अगली रबी की फसल को मदद दे सकती है, चने और सरसों की बिजाई अच्छी हो सकती है। अगर बिहार में भगवान ज्यादा नाराज

रहे और वहां यह फसल पैदा न हो, तो हम अनाज की सप्लाई करेंगे और वहां की सारी दिक्कतों को दूर करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस छोटे और संक्षिप्त विधेयक का उद्देश्य मुख्यतया सम्पदा शुल्क को उदार बनाने की दृष्टि से सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करना है जिसकी घोषणा वर्ष 1981-82 के बजट भाषण के दौरान की गई थी।

एक संशोधन का उद्देश्य सम्पदा शुल्क की छूट सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये तक करने का है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक का उद्देश्य सम्पदा शुल्क की दर अनुसूची को पुनः तैयार करने का है।

वर्तमान दर अनुसूची के अन्तर्गत शून्य दर का स्तर (स्लैब) 50,000 रुपये तक सीमित है। 50,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के स्तर में सम्पदा के मूल्य पर सम्पदा शुल्क 4 प्रतिशत है और 1,00,001 रुपये से 2,00,000 रुपये तक के स्तर में सम्पदा के मूल्य दर पर यह दर 10 प्रतिशत है।

इस विधेयक के अन्तर्गत शून्य दर स्तर को बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने का विचार है। 1,50,001 रुपये से 2,00,000 रुपये तक के अगले स्तर में सम्पदा के मूल्य पर सम्पदा शुल्क की दर 10 प्रतिशत होगी, अर्थात् यही दर इस समय 1,00,001 रुपये में 2,00,000 रुपये तक के स्तर पर लागू है। शेष स्तरों में सम्पदा शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दर अनुसूची में प्रस्तावित संशोधनों का प्रभाव दो-आयामी होगा। पहले सम्पदा शुल्क के लिए छूट सीमा 1,50,000 रुपये तक बढ़ाई जायेगी जो उतनी ही है जितनी कि धन कर से छूट वाले वर्तमान सकल धन की राशि होती है। दूसरे, ऐसे मामलों में जहां सम्पदा का मूल्य 1,50,000 रुपये से अधिक होता है, देय सम्पदा शुल्क समान रूप से 7000 रुपये तक कम किया जायेगा।

किसी ऐसे मकान का मूल्य, जिसका पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रिहायशी प्रयोजनों के लिए धन-कर नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किराया-पूंजीकरण के आधार पर किया जाता

है। तथापि, किसी एक निजी कब्जे वाले मकान की सम्पत्ति, जिनका मालिक कर-दाता हो, का मूल्य उस स्थिति में निकाला जाता है। यदि कर-दाता उसके उस मूल्य पर ऐसा करने का विकल्प दे, जो मूल्य-निर्धारण करने की उस तारीख के दिन हो जिस दिन वह मकान का मालिक बना था या उस मूल्य-निर्धारण तारीख पर हो जो निर्धारण वर्ष 1971-72 से संगत हो और इनमें से जो भी बाद की तारीख हो।

विधेयक के खंड 5 में प्रावधान है कि सम्पदा शुल्क के प्रयोजनों के लिए मृतक के स्वामित्व वाले किसी रिटायरी मकान का मूल्य उसी मूल्य पर निकाला जायेगा जो उस व्यक्ति की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद आई मूल्य-निर्धारण तारीख के दिन मृतक के सरल धन के निर्धारण प्रयोजनों के लिए माना गया था।

ऐसे मामलों में जहां, मृतक पर धनकर नहीं लगाया जाता था अथवा मृतक के सकल के धन में उक्त मूल्य निर्धारण तारीख को मकान का मूल्य शामिल नहीं किया गया था, इसका मूल्य सम्पदा शुल्क नियन्त्रक द्वारा धन कर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। तथापि ऐसे मामलों में जहां मकान उक्त मूल्य निर्धारण तारीख के बाद मृतक द्वारा बनाया गया था। अर्जित किया गया वहां इसका मूल्य मृतक की मृत्यु की तारीख से निर्धारित किया जाएगा।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि जहां कोई भवन अथवा उसका भाग सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्य के रूप में मृतक को आवंटित किया गया या पट्टे पर दिया गया हो तो वह ऐसे भवन या उसके भाग का मालिक समझा जायेगा। प्रस्तावित प्रावधान का प्रभाव यह होगा कि सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान रियायतें भी ऐसे मामलों में मकान सम्पत्ति के मालिकों को उपलब्ध होंगी, जहां मकान अथवा उसका भाग मृतक को ऐसी सहकारी गृह-निर्माण समिति द्वारा आवंटित किया गया था। पट्टे पर दिया गया था या जिसका वह सदस्य था। एक आवासीय मकान के मूल्य निर्धारण के लिए प्रस्तावित नए उपलब्ध ऐसे मामलों में भी लागू होंगे।

किसी मकान के आवंटी या पट्टेधारी को उस मकान का मालिक समझने वाले प्रावधान के फलस्वरूप यह भी व्यवस्था करने का विचार है कि मृतक द्वारा सहकारी गृह-निर्माण समिति को उस मकान की लागत के रूप में देय कोई भी बकाया किस्त उसके द्वारा लिया गया ऋण समझी जायेगी। मृतक की सम्पदा के मूल मूल्य की गणना करते समय उसके द्वारा मकान के आवंटन या पट्टे हेतु सहकारी गृह-निर्माण समिति को दी गई कोई भी जमा राशि उसमें शामिल नहीं की जायेगी।

जैसा कि विधेयक के अन्तर्गत दो प्रमुख रियायतों की 28 फरवरी, 1981 को घोषणा की गई थी, इस विधेयक के प्रावधानों को 1 मार्च, 1981 भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का विचार है। तदनुसार, ये प्रावधान उन व्यक्तियों की सम्पदा पर भी लागू होंगे जिनकी मृत्यु 28 फरवरी, 1981 के बाद अर्थात्, संसद में इन रियायतों की घोषणा के बाद हुई थी।

महोदय, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों के विधान मंडलों ने संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अन्तर्गत संकल्प

पारित किए हैं जिनके द्वारा विधेयक के अन्तर्गत संशोधनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकार किया है। अतः, इन राज्यों के सीमा क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों पर सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में विधेयक के प्रावधान 1 मार्च, 1981 से लागू होंगे। अन्य राज्यों के सीमा क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों पर सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में विधेयक के प्रावधान भी इसी तारीख से लागू होंगे यदि इन राज्यों के विधान मंडल संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अन्तर्गत उपयुक्त संकल्प पारित करके इनको स्वीकार करें।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा का सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं आरम्भ में ही मंत्री महोदय को यह कह कर निराश करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं इसका विरोध करता हूं।

सरकार की कराधान नीति क्या है ? मंत्री महोदय ने बजट-भाषण में कहा है कि सम्पदा शुल्क से की जाने वाली वसूली ज्यादा थी। अब छूट सीमा 1.5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखा जाये तो मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इसे 1.5 लाख रुपये तक क्यों बढ़ाया जाये। आज के विश्व में—मैं समाजवादी देश की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक कि पूंजीवादी देशों, जो कल्याणकारी देश समझे जाते हैं, में भी कर लगाने के दो प्रयोजन होते हैं—संसाधन जुटाना तथा आय और सम्पत्ति में असमानता कम करना। लोक वित्त का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि सबसे अधिक भारी वजन उन पर ही डाला जाये जो इसे सहन कर सकते हो। धनी लोगों के पास धन का कोई महत्व नहीं है, जिन लोगों के पास बहुत सम्पत्ति और आय है उनको चाहिए कि वे अधिक कर अदा करें।

कराधान नीति का एक सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि सरकार को प्रत्यक्षकरों पर अधिकाधिक निर्भर होना चाहिये क्योंकि प्रत्यक्षकरों के मामले में करों का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिन पर कर लगाये हैं। ऐसी स्थिति में करों के प्रभाव से बचना या अलग हो जाना संभव नहीं है। इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि धनी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष कर अदा किये जाते हैं, मुख्यतया वस्तुओं पर लगने वाले कर गरीबों द्वारा अदा किये जाते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं पर करों का प्रभाव डाल दिया जाता है।

सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस (इ) यह जोरदार घोषणा करता है कि वह समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिये कटिबद्ध है। आखिर कांग्रेस में उन्होंने समाजवादी ढंग के समाज की बात की थी। भारत के संविधान के प्राक्कथन में यहा गया है कि भारत समाजवादी देश है। जब श्रीमती गांधी से समाजवाद का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा : "इसका अर्थ सही-सही तो मालूम नहीं है।" वस्तुतः यह काफी पुरानी विचारधारा हो गई है और अब इसका स्वरूप बदल गया है।

अब आपकी अपनी परिभाषा है समाजवाद के लिये । मैं इस समय समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूं । कल्याणकारी राज्य में भी गरीबों से यह नहीं कहा जाता कि वे इतना ज्यादा कर अदा करें। परन्तु भारतीय गरीब से कहा जाता है कि वह कर अदा करें । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच के सम्बन्ध देखिए, यहां तक कि ब्रिटिश काल में भी अधिकतम राजस्व प्रत्यक्ष करों से आता था, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ और अब अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करों से आता है उसमें भी अधिक से अधिक उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क और अन्य करों से आता है और प्रत्यक्ष करों से राजस्व आना कम हो रहा है ।

क्या यह कदम समाजवाद की बात न करके आमदनी और सम्पत्ति के बीच की असमानता कम करने के लिए है ? वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं ? प्रथम योजना अवधि में आपने कहा था कि आप आमदनी के स्रोतों को जुटाएंगे । परन्तु दूसरी योजना अवधि से दिशा-बदल गयी, और अब आप अपने सभी स्वीकृत सिद्धान्तों को तिलांजलि दे रहे हैं । पहले आप कहते थे कि असमानता धीरे-धीरे समाप्त की जायेगी, धनी लोग अधिक कर देंगे और गरीब लोगों पर कोई कर भार नहीं पड़ेगा ।

आखिर आप उन 60 प्रतिशत गरीब भारतीय लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है । परन्तु आज यही लोग सभी प्रकार के करों का भुगतान कर रहे हैं । धनी लोगों के प्रति आप अधिक से अधिक उदार हो रहे हैं । उनकी आमदनी और संसाधनों में जितनी अधिक वृद्धि होती है उतनी ही अधिक आप उन्हें छूट दे रहे हैं । फिर भी हर समय आप यही दावा कर रहे हैं कि आप समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, क्या यह पाखण्ड नहीं है ? क्या यह आपकी कथनी और करनी के बीच अन्तर नहीं है ? आप सम्पत्तिशाली वर्ग को यह छूट क्यों देते हैं ? आप छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपया क्यों करते हैं । ऐसा करते समय गरीबों को कोई छूट क्यों नही देते ?

यदि बहस करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सारा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि कर भार सभी लोगों के बीच समान रूप से यह बांटा जाय ? लेकिन क्या यह कर भार सभी में बराबर बांटा गया है । आप समाजवाद की बात कर रहे हैं । गरीबी, निरक्षरता और बीमार लोगों के इस देश में आपको क्या दिखाई देता है ? आपको केवल कुछ सम्पन्न लोग और उनकी सफलता तथा ऐसा ही कुछ और दिखाई देता है।

आप इन्हीं सम्पन्न लोगों को सभी प्रकार की छूट दे रहे हैं। आप उन्हें फाइव स्टार होटल खोलने के लिए छूट दे रहे हैं आप कहते हैं विदेशियों के लिए ऐसा करना जरूरी है, लेकिन यदि आप दिल्ली या किसी अन्य शहर के फाइव-स्टार होटल में जाएं, तो आप वहां देखेंगे कि इन फाइव-स्टार होटलों में विदेशी लोग नहीं रहते हैं बल्कि वे भारतीय यहां अपने पैसे बहा रहे हैं जिन्होंने अवैध तरीकों से धन कमाया है, धनी लोग आलीशान भवन खड़े कर रहे हैं और अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं।

इस सदन के सभी सदस्य कहते हैं कि वे जन सेवक है; आप गरीब लोगों के बारे में बात करते हैं और उनके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं । लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने

मालिकों—वैभवशाली वर्ग और धनाढ्य लोगों की सेवा करते हैं, अन्यथा आप उन्हें और अधिक छूट क्यों देते ?

आप गरीबों पर अधिक से अधिक बोझ डाल रहे हैं, आप उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाने देते, वास्तविक मजदूरी घट रही है, भाव बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हजारों लोगों को भोजन नहीं मिलता है और उनके पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है और आप टेक्नोलॉजी के नाम पर विलासिता के सामान का आयात करने की बातें बड़े मजे से करते हैं, हजारों बैल गाड़ियों की टेक्नोलोजी के बारे में आपका क्या खयाल है ? क्या आप उन्हें ट्रैक्टरों में नहीं बदलना चाहते ? परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

आपकी ही गणना के अनुसार भारत के 80 प्रतिशत लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपकी सभी नीतियां 20 प्रतिशत लोगों को धनी बनाने की दिशा में काम करती है। आपका अधिकांश औद्योगिक उत्पादन, अधिकांश आयात और अन्य वस्तुएं भारत के इन्हीं 20 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं, 80 प्रतिशत लोगों के लिए आपके पास सिर्फ कार्यक्रम और उपदेश हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

कर सीमा बढ़ाकर आप धनाढ्य वर्ग को किस तरह छूट दे रहे हैं यह इसका एक और उदाहरण है।

सभापति महोदय, सारे बजट में आप देखेंगे कि जब से सत्ताधारी पार्टी शासन में आयी है सभी बजटों में धनाढ्य वर्ग को छूट दी गयी है, ऐसा किस लिए किया गया है ? क्या उत्पादन के नाम पर आपको लगता है कि कारखानों के मालिक उत्पादन करते हैं ? क्या तथ्य यह नहीं है कि उत्पादन मजदूर करते हैं ? क्या यह आपका दायित्व नहीं है कि देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए आप मजदूरों को छूट दें ? आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। वर्ष 1980, 1981 और 1982 के सभी बजटों में आपने गरीब लोगों पर बोझ बढ़ा दिया है, और आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनाढ्य वर्ग के बोझ को कम कर दिया है, क्यों ? इसका सामान्य कारण यह है कि आपकी रुचि समाजवाद की ओर नहीं है, यहां तक कि आपकी रुचि कल्याणकारी राज्य की ओर भी नहीं है, आपकी रुचि पूंजीवादी राज्य में हैं, जहां आप जमीदारों पूंजीपतियों और विदेशी एकाधिकारवादियों को छूट दे रहे हैं।

महोदय, मुझे मालूम है कि आपसे कहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आप वर्गहितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने आपको यहां पर भेजा है इसीलिए चुनाव के समय उन्होंने आपको धन दिया है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि भारत की जनता आपके पाखण्ड और आपके मिथ्या प्रचार दोनों के बारे में परिचित हो रही है। आपके इन सभी कारनामों की कलई अब लोगों के सामने खुल रहे हैं वे अब आपका असली रूप पहिचान रहे हैं इसीलिए मैं आपसे इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। यह जरूरी नहीं है। गरीब किसानों को छूट देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे हमारे देश के वास्तविक आधार स्तम्भ है। मध्यवर्गीय किसानों को छूट देने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोगों को छूट क्यों दे रहे हैं जिनके पास अथाह सम्पत्ति है और जो धन

को विलासिता पर बहायेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से उनकी नीति को समझाने के बारे में यह अनुरोध करता हूं कि क्या यह विधेयक या यह नीति समाजवादी समाज के लिए उनकी प्रतिबद्ध घोषित नीति के अनुरूप है ? उन्हें इस सदन को बताने दीजिए कि समाजवाद पर उनका विश्वास नहीं है ताकि लोग उन्हें समझ सकें, ताकि लोगों को किसी प्रकार का धोखा न रहे, ताकि प्रचारतंत्र के धुंधले आवरण के पीछे उनके वास्तविक इरादे छिपे न रह सकें। इसीलिए मैं इस विधेयक का जोरदार ढंग से विरोध करता हूं। यह विधेयक धनाढ्य वर्ग को और छूट देने वाला है। यह उनके बोझ को कम करने का प्रयास है और मैं अपनी सारी शक्ति से इसका विरोध करता हूं और मैं सत्ताधारी दल से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : आप सत्ताधारी दल को सम्बोधित कर रहे हैं या मंत्री जी को ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं वास्तव में मंत्री जी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी को सम्बोधित कर रहा हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि योग्य भूमि को सम्पदा शुल्क में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अभी तक तो नहीं।

श्री जेवियर अराकल : अभी तक नहीं, तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है : (व्यवधान)। सभापति महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल 50,000 रुपये तक की सम्पत्ति पर छूट दी है। परन्तु 1,50,000 रु० की सम्पत्ति पर छूट देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री जेवियर अराकल : जम्मू और काश्मीर सरकार ने भी कृषि योग्य भूमि को सम्पदा शुल्क में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास नहीं किया है और आप पश्चिम बंगाल में काफी समय से सत्ता में हैं और इसे शामिल नहीं किया है और फिर भी आप इस मामले में आस लगाए बैठे हैं। आप क्या कह रहे हैं ? इसके बावजूद आप समाजवाद के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जहां तक छूट का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल में हमने सीमान्त किसानों और मध्यम वर्ग के किसानों को छूट दी है लेकिन हमने धनी और बहुत अधिक धनी किसानों को छूट नहीं दी है। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह जान लें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृहमंत्री दिल्ली में घटी उन हिंसक घटनाओं के बारे में वक्तव्य देंगे जिनमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इनमें अब तक तीन लोग मारे गए हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर (करीम गंज) : वे आज नहीं, कल वक्तव्य देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे पास राज्य विधान सभा नहीं है, संसद ही केवल एक-मात्र मंच है, मैं नहीं चाहता कि अफवाहें फैलें।

गृहमंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकेट सुब्बैया) : उप-

राज्यपाल ने न्यायिक जांच के आदेश कर दिए हैं। उस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। स्थिति अब नियंत्रण में है। लेकिन तनाव अभी बना हुआ है। पुलिस ने आगे कोई घटना घटित न होने देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की है। दुर्भाग्यवश एक आदमी घटना स्थल पर मारा गया और एक आदमी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने हर प्रकार की सावधानी बरती है। यद्यपि तनाव बना हुआ है फिर भी स्थिति नियंत्रण में है।

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) : सभापति जी, इस्टेट ड्यूटी में आपने जो संशोधन पेश किये हैं इनमें से कुछ का मैं भी स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस इस्टेट ड्यूटी, डेथ ड्यूटी का पूरा ओवर-हालिंग होना चाहिए, पूरा चेंज होना चाहिए। आप अधूरे मन से जो काम करते हैं उससे लाभ क्या होता है। यह जो आपके कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की 1980-81 की रिपोर्ट है, जब मैंने उसको पढ़ा तो मालूम हुआ कि कितनी संख्या में असेसमेंट्स पेंडिंग रहते हैं। ऐसे लोगों के केसिज पेंडिंग रहते हैं जो इस्टेट ड्यूटी देना चाहते हैं।

मूल्यांकन के लिए लम्बित मामलों के बारे में भारत के कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की नवीनतम रिपोर्ट इस प्रकार है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1976-77	27256
1977-78	28257 मामले बढ़े हैं
1978-79	28278 मामले बढ़े हैं
1979-80	34891 —„—
1980-81	35862 —„—

इस्टेट ड्यूटी का एक काम

सभापति महोदय : श्री डागा, आप अपना वक्तव्य जारी रखेंगे। कृषि मंत्री राव बीरेन्द्रसिंह को एक वक्तव्य देना है। सदस्यों को वक्तव्य की प्रतिलिपि पहले ही सर्कुलेट की जा चुकी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आटा मिलों को दिए जाने वाले गेहूं की कीमत में वृद्धि के बारे में वक्तव्य

कृषि, ग्रामीण और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्यों को विदित ही है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने की दृष्टि से 1981-82 की फसल के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 1-4-1982 से बढ़ाकर 142/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था।

वसूली मूल्य में 12/-रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के फलस्वरूप सरकार पर राज-सहायता का भारी भार पड़ा है। सदन को सरकार की खाद्य राजसहायता में धीरे-धीरे कमी करने की नीति के बारे में जानकरी है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सरकार की नीति यह नहीं रही है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद अब सरकार ने 1-8-1982 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का निर्गम मूल्य 160/- रुपये प्रति क्विंटल और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 185/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का फैसला किया है।

यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि करने से वसूली मूल्य में वृद्धि करने और उसके फलस्वरूप अन्य प्रासंगिक खर्चों में हुई वृद्धि के कारण लागत में हुई वृद्धि को केवल पूरा किया जा सकेगा लेकिन रोलर फ्लोर मिलों के मामले में की गई वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होगी। यह सर्वविदित है कि क्योंकि रोलर फ्लोर मिलें वाणिज्यिक आधार पर कारोबार करती हैं, इसलिए इस सैक्टर को भारी मात्रा में राजसहायता देने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि रोलर फ्लोर मिलों के प्रमुख उत्पादों पर मूल्य तथा वितरण संबंधी नियन्त्रण है, इस-लिए यह महसूस किया जाता है कि इस सैक्टर को सप्लाई की जा रही गेहूं पर राजसहायता की राशि में कमी करने की आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में राजसहायता को पूर्णतया समाप्त करना वांछनीय नहीं होगा।

चीनी का रक्षित भंडार बनाने के बारे में वक्तव्य

कृषि, ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्यों को मालूम ही है, प्रधान मंत्री ने इस वर्ष को "उत्पादकता वर्ष" घोषित किया था। गन्ना उत्पादक तथा चीनी उद्योग उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए गोरवपूर्ण स्थान के लिए दावा वैध रूप से कर सकते हैं। सरकार द्वारा 1980 से किए जा रहे सतत प्रयासों से न केवल 1979-80 उत्पादन में हुई अत्यधिक कमी से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने बल्कि गन्ने और चीनी का पिछले सभी वर्षों से सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त करने में भी सफलता मिली है।

यदि भरपूर उत्पादन की समस्या को सूझ-बूझ के साथ सम्भाला नहीं जाता है, तो यह कमी की समस्या की तरह गम्भीर समस्या बन सकती है। सरकार एक ओर उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता से सजग रही है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में पहली बार चीनी का बफर स्टाक तैयार करने सम्बन्धी उपाय को मूर्तरूप देने का निर्णय किया गया है। हालांकि विभिन्न समितियों ने इस

उपाय की सिफारिश की थी और पिछली सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया था, मुझे यह घोषणा करने में खुशी है कि अब पहली बार इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा ठोस निर्णय ले लिया गया है और वास्तविक तौर-तरीके तैयार कर लिए गए हैं। मैं इस योजना की मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा नीचे देता हूं :

1. प्रारम्भ में, बफर स्टाक की मात्रा 2 लाख मीटरी टन होगी जिसे खुली बिक्री की चीनी से तैयार किया जाएगा।

2. इस स्टाक को चीनी मिलों के पास अलग रखा जाएगा।

3. बफर स्टाक की इस मात्रा के लिए बैंकों द्वारा 100 प्रतिशत ऋण सुलभ किया जाएगा।

4. इसके अलावा, मिलों को 1-10-1982 से बफर स्टाक रखने के लिए स्टाक रखने की लागत देकर तथा टैरिफ मूल्य की तिमाही औसत का 19½ प्रतिशत वास्तविक ब्याज देकर क्षति-पूर्ति की जाएगी।

5. यह प्रस्ताव है कि भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे कि अतिरिक्त उधार को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उपयोग करने हेतु अलग रखा जाता है।

6. इस योजना को स्व वित्त पोषी बनाने के लिए यह तय किया गया है कि उत्पादित चीनी पर उपकर को 5 रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर 15 रुपये प्रति क्विंटल कर योजना की राशि को पूरा करने के लिए विकास उपकर और उपकर निधि सम्बन्धी अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस योजना का स्वागत करेंगे क्योंकि यह योजना अतीत में गन्ने और चीनी की अर्थ-व्यवस्था में जो निरन्तर भारी चक्रीय उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, उन्हें समाप्त करने की दिशा में पहला कदम होगा। मुझे इस बात का भी पूरा-पूरा विश्वास है कि अन्ततः ऐसा स्थिरीकरण उपभोक्ता और गन्ना उत्पादक दोनों के दीर्घ कालिक हित में होगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, उचित दर की दुकानों पर गेहूं का दाम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव) : ठीक है, आप इसके लिए नोटिस दीजिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नोटिस हम दे रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, वो सभी सदस्य जो इस मामले को उठाना चाहते हैं, चर्चा के लिए अपेक्षित नोटिस दे दें।

आधे घंटे की चर्चा

कोढ़ उन्मूलन सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा और और अत्यधिक महत्वपूर्ण और सम्बद्ध प्रश्न उठाना चाहूंगा ।

पिछले वर्ष, 6 मई को, जनेवा में 34वें विश्व स्वास्थ्य सभा को सम्बोधित करते हुए हमारी विख्यात प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ यह घोषणा की थी :

> "कुष्ठ रोग लगभग 53 देशों में फैला हुआ है । यदि इस समस्या का इस समय वैज्ञानिक और प्रभावशाली रूप से समाधान नहीं किया गया, तो यह रोग और फैल जाएगा और लम्बे समय तक रहेगा । अब समय आ गया है कि अगले बीस वर्षों के दौरान पृथ्वी से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाने हेतु बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य तकनीक और रोग क्षमता विज्ञान की प्रगति का उपयोग किया जाए ।"

स्पष्ट है कि उनके विचारों को सम्पूर्ण विश्व के 53 कुष्ट रोग पीड़ित देशों को भेज दिया गया है । परन्तु जिस स्थिति में वह थी, उसमें वह केवल अपने ही देश में उन्मूलन के क्षेत्र में प्रभावशाली कदम उठा सकती थीं ।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि दुर्भाग्यवश, हमारे देश में कम से कम 35 लाख रोगी हैं अर्थात्, पूरे विश्व में सारे कुष्ठ रोगियों का एक तिहाई भाग ।

उन्होंने विषय में जो महत्ता जोड़ी है वह इससे स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार ने 8 जुलाई, 1981 को, अर्थात् जनेवा घोषणा के दो महीने बाद ही, डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में विख्यात कुष्ठ रोग विशेषज्ञों और जाने माने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं सहित कुष्ठ रोग उन्मूलन सम्बन्धी एक कार्य दल की नियुक्ति की थी । कुष्ठ रोग विशेषज्ञों में से कुछ ये थे :

1. डा० वी० रामलिंग स्वामी,
   महानिदेशक,
   भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली ।
2. डा० आर० एच० थंगराज,
   महा सचिव,
   कुष्ठ रोग मिशन, नई दिल्ली ।
3. डा० सी० जी० एस० अय्यर,
   अवकाश प्राप्त चिकित्सा वैज्ञानिक,
   केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, चिंगलेपुट्टु ।
4. डा० बी० आर० चटर्जी,
   निदेशक,
   समन्वित एच० ई० पी० परियोजना,
   फील्ड रिसर्च स्टेशन, झालदा, जिला पुरुलिया ।

5. डा० नित्यानंद,
निदेशक,
केन्द्रीय औषध अनुसंधान, लखनऊ।
6. डा० के० वी० देसीकन,
निदेशक,
केन्द्रीय कुष्ठ रोग जालमा संस्थान, आगरा।
7. डा० के० सी० दास,
सहायक महानिदेशक (कुष्ठ),
महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली (सदस्य सचिव)

कार्य दल में कुष्ठ रोग के क्षेत्र में विभिन्न जोनों का गहराई से अध्ययन करने के लिए चार कृतिक बल थे। इन कृतिक बलों को अपने प्रतिवेदन और सिफारिशें अध्ययन दल को प्रस्तुत करनी थीं।

दल ने पूरे देश का व्यापक रूप से दौरा किया और समाज के विभिन्न स्तरों से सम्बन्ध रखने वाले अनेक जानकार कार्यकर्त्ताओं से प्रमाण एकत्र किए। उन्होंने समस्या का विभिन्न कोणों से गहन अध्ययन किया और अन्त में निष्कर्ष पर पहुंचे और अपना प्रतिवेदन तथा सिफारिशें तैयार कीं।

उनकी नियुक्ति के सात महीने बाद, अर्थात् फरवरी 1982 में, यह प्रतिवेदन तथा सिफारिशें प्रकाशित की गई हैं। डा० स्वामीनाथन ने इस वर्ष 7 मार्च को माननीय प्रभारी मंत्री श्री शंकरानन्द को प्रतिवेदन और सिफारिशों की एक प्रति प्रस्तुत की और उस अवसर पर मैं भी उपस्थित था।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : माननीय मंत्री सभा में उपस्थित हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : 8 दशकों तक प्रतीक्षा कीजिए।

श्री हरिनाथ मिश्र : सम्भवतः मानव इतिहास में हमारे विख्यात वैज्ञानिकों और जाने माने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के सामूहिक प्रयास से और सिद्धान्ततः उचित और व्यापक रूप से व्यावहारिक कुष्ट रोग उन्मूलन पर इतना विशाल प्रतिवेदन कभी तैयार नहीं किया गया है। और फिर मंत्री और उनके मंत्रालय के हाथों इसका क्या हश्र हुआ ?

श्री चित्त बसु : आप उनसे क्या आशा करते हैं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अब ठीक 4 महीने 14 दिन बीत गए हैं। माननीय मंत्री ने उत्तर में यह कहा था कि प्रतिवेदन और सिफारिशों की जांच हो रही है, जैसे कि शीघ्र निर्णयों और तत्काल कार्यवाही के लिए सम्भवतः उचित प्रतिस्थापी की लम्बी जांच, हो सकता है चिन्तन भी, हो सकता हो।

चाहे जो हो, मेरे लिए नियत समय का ध्यान रखते हुए मैं इस सम्बन्ध में केवल तीन या चार महत्वपूर्ण प्रश्न उठाऊंगा।

तीन वर्षों से भी पहले 1979 में तत्कालीन भारत सरकार ने एस० आई० डी० ए० (स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट अथारिटी), के साथ एक समझौता किया था, जिसके अनुसार पूरे देश के कुष्ठ रोग से अत्याधिक प्रभावित दस जिलों में प्रयोग के रूप में क्रेश मल्टी ड्रग ट्रीटमैंट अभियान चलाने के लिए एस० आई० डी० ए० को पर्याप्त मात्रा में रेफाम्पीसियन (REFAMPICIAN) और क्लोफाजिमाइन (CLOFAZIMINE) तथा ऐसी ही अन्य आधुनिकतम दवाओं की आपूर्ति करनी थी। बाद में यह प्रयोग देश में शेष 200 विशेष रूप से ग्रस्त जिलों में किया जाना था। जैसे मैंने आपको बताया कि करार पर हस्ताक्षर हुए तीन वर्ष बीत गए हैं। लेकिन कार्य-निष्पादन क्या रहा है ? केवल दो जिलों, अर्थात् वर्धा और पुरुलिया को लिया गया है और वह भी पिछले वर्ष। स्वास्थ्य मंत्री और उनके मंत्रालय की आश्चर्यजनक रफ्तार को देख कर मैं महसूस करता हूं कि यदि वे निरन्तर ऐसा करते रहे तो उनके तथा हमारे जीवन काल में तो नहीं शायद उनके पोतों के जीवन काल में सम्पूर्ण देश को इसमें लिया जा सकेगा। यह पुनः कहा जा सकता है कि इस समय बहु औषध इलाज अभी भी बचाव, और उन्मूलन के लिए, जाना जाता है।

अब मैं एक अन्य बात महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर आता हूं। कई दशकों से समस्या से जुड़े होने के कारण मुझे पता है और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति जानता है कि समस्या का अधिकतम काम अर्थात् बचाव, इलाज और उन्मूलन देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ही किया गया है। जहां तक सरकारी मशीनरी का प्रश्न है यह पूरी तरह से असफल रही है। इस सम्बन्ध में अध्ययन दल ने यह कहा है, मैं यहां उसे उद्धृत करता हूं :

> "यह सिफ़ारिश की गई है कि कुष्ठ रोग के कार्य में व्यस्त स्वैच्छिक संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए और उन्हें उचित समय पर अनुदान की धनराशि प्रदान करके उनके कार्यकरण को आसान बनाया जाए। जहां उचित हो, अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों को सरकारी सेवा में उनके समकक्ष कर्मचारियों (अध्यान-तीन) के समान वेतन दिया जाए। इस प्रयोजन के लिए सरकार को इन स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए आवश्यक धनराशियां उपलब्ध कराना चाहिए।"

अब वर्तमान स्थिति क्या है ? इस वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से अब तक लगभग चार महीने बीत चुके हैं और मेरी जानकारी के अनुसार—कुछ अपवाद हो सकते हैं—स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान की राशियां नहीं दी गई हैं। मेरी रिपोर्ट यह है कि उनके अस्तित्व और कार्यकरण की शर्तों को जब से अध्ययन दल की इन सिफारिशों को प्रकाशित किया गया था, अधिक कठिन बनाया गया है। माननीय मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय की इच्छा इन स्वैच्छिक संस्थाओं को असामयिक मौतों के लिए बनाने की है। मेरा सीधा सवाल यही है।

अब दूसरी बात यह है। केवल प्राकृतिक रूप में अध्ययन दल ने छात्रों और चिकित्सकों द्वारा कुष्ठ रोग की समस्या को समझने की ओर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। ···हुआ क्या है···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं तीन या चार मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आधे घंटे की चर्चा है और उसका आधा समय आपको दे दिया गया है। अभी चार और सदस्यों ने प्रश्न पूछने हैं और मंत्री महोदय को सबका जवाब देना है।

श्री हरिनाथ मिश्र : जैसा आप कहें। मैं बैठ जाता हूं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) मंत्री महोदय थोड़ा ही जवाब देंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैंने देखा है कि इसमें बीस-बीस मिनट तक दिए गए हैं, मैं 17-18 मिनट में खतम कर दूंगा।

क्या मैं जान सकता हूं कि मुखोपाध्याय समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों का क्या हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिती की रिपोर्ट को वर्ष 1979 में आल इंडिया मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी किया गया था लेकिन यह मात्र एक धर्मनिष्ठ इच्छा और लगभग एक निष्क्रिय रिपोर्ट रह गई—जब कभी मंत्री जी कहें या नहीं कहें।

मैं अंतिम बात पर नहीं आऊंगा। अंत में मैं अध्ययन दल की रिपोर्ट से केवल एक वाक्य उद्धृत करूंगा जो इस प्रकार है :

> "यह लाभप्रद होगा यदि लोक सभा और राज्य तथा राज्य विधानमण्डल मानव, आर्थिक तथा चिकित्सा के माध्यम में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प करें।

क्योंकि इस अनिष्ट रोग ने कुष्ठ रोग को गत 3000 वर्षों अथवा इससे भी अधिक वर्षों के दौरान इसे लगभग असाध्य सिद्ध किया है, इसलिए सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा सभी उपलब्ध संसाधनों—मानसिक, नैतिक, भौतिक, और शारीरिक—की सहायता से इसके उन्मूलन के लिए एक सुस्थापित योजना नहीं बनाई जाती है तब तक इस अनिष्ट रोग का आने वाले निकट भविष्य में उन्मूलन कर पाना बिल्कुल असंभव कार्य होगा।

इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री और हमारे देश के नेताओं द्वारा दिखाई जा रही रुचि के बारे में मैंने पहले ही संकेत कर दिया है, इसका आधार मैं जानना चाहता हूं। हमारे पास सभी प्रकार के औजार तथा तकनीकी जानकारी है और इस लोक सभा तथा राज्य सभा और राज्यों के विभिन्न विधानमण्डलों की अपेक्षा हमारे देश की प्रतिनिधि संस्थाएं और क्या हो सकती हैं। क्या में जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने रिपोर्ट की एक प्रति सभापटल पर रखने में असावधानी क्यों की है ? रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए।

समय तेजी से बीत रहा है। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं आपके समक्ष केवल दो विकल्प हैं। या तो शीघ्र निर्णय लें और दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपने को सभी संसाधनों में उलझा दें। इस प्रकार हमारे अभागे लाखों भाई-बहिनों का दिल जीतेंगे। इससे आप भी नाम कमायेंगे। एक मिनट के बाद मैं समाप्त कर दूंगा।

मूलचन्द डागा : आप काफी बोल चुके हैं। आपने मंत्री जी को पर्याप्त डोज दे दी है, अब उन्हें आज रात नींद नहीं आएगी।

श्री हरिनाथ मिश्र : उससे आपको न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के लोगों से आशीर्वाद मिलेगा ।

दूसरा विकल्प यह है कि आप अपने सामान्य तरीकों से कार्य करते रहे, जो भी गंभीर मामले हों और जो भी उपयुक्त हल सुझाए गए हों, उनकी ओर ध्यान न देते हुए आप अपना कार्य चलायें । इस प्रकार मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप इतिहास में जाने के लिए बाध्य हैं जैसे कि अन्य अनेक लोगों ने पूरी तरह, बिना सोचे, बिना सम्मान पाए और बिना यश पाकर ऐसा किया है ।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : सभापति महोदय, मुझे श्री हरिनाथ मिश्र को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस अनिष्ट रोग, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के बारे में समस्या को गम्भीरता के सम्बन्ध में सदन के माध्यम से राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है ।

कुछ दिन पहले, 8 जुलाई, 1982 को उन्होंने यह प्रश्न इस सदन में रखा था ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मुझे विशेष रूप से बुलाया गया था ।

श्री बी० शंकरानन्द : आपको विशेष रूप से बुलाया गया था और आप रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, शायद मैंने समझा कि आपने यह देखने के लिए समिति की सिफारिशों की प्रशंसा की होगी कि क्या वे सिफारिशें सरकार के विचारार्थ उपयुक्त है और क्या उन पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विचार की जरूरत है, न कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा । संभवत: मैंने सोचा कि आप अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से जानते हैं । जो रिपोर्ट की सिफारिशों को नहीं जानते हैं । कम-से-कम मैं माननीय श्री हरिनाथ मिश्र से यह आशा कभी नहीं रखूंगा क्योंकि वे सिफारिशों के बारे में जानते हैं ।

महोदय, वे यह प्रश्न कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय इस कार्य पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है । उसके लिए वे कार्य दल के गठन के बारे में तारीखें, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीखें और रिपोर्ट पर सरकार के विचार के बारे में बता रहे हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है । मैं उनके निष्कर्षों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । केवल सदन को तथ्यों से अवगत करूंगा । यह कार्य दल 8 जुलाई, 1981 को गठित किया गया था । उसने 12 मार्च, 1982 को रिपोर्ट प्रस्तुत की । आमतौर पर जब कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो सरकार को इसकी जांच एक शक्ति प्राप्त समिति द्वारा करवानी होती है, वह शक्ति प्राप्त 29 मार्च, 1982 को गठित की गई थी और कार्यदल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के अन्दर सरकार ने उस शक्ति प्राप्त समिती का गठन किया । मैं समझता हूं कि सदन यह देखेगा कि इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है ? मेरी जानकारी के अनुसार शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट अन्य हमारी अनेक समितियों की रिपोर्ट से शीघ्र प्रस्तुत की गई । उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समिति की केवल तीन बैठकें हुई थी—पहली बैठक 8 जुलाई, 1982 और दूसरी बैठक 14 अप्रैल को तथा तीसरी बैठक 26 अप्रैल, 1982 को

हुई थीं। उन्होंने मई, 1982 के अन्त तक इस कार्यदल की सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए योजना को अन्तिम रूप दिया। क्योंकि इन सिफारिशों में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की अनेक गतिविधियों के बारे में उल्लेख है, जिनमें कार्य दल ने मामलों को सुव्यवस्थित ढंग से पकड़ने, 'सप्लीमेन्टरी ड्रग केयर', इस कार्य में व्यस्त चिकित्सा अधिकारियों और अर्ध-शिक्षित चिकित्सा अधिकारियों को उनकी लगातार सेवा के लिए प्रोत्साहन देने, गहन प्रशिक्षण, भारतीय कुष्ठ रोग अधिनियम का निरसन और उसमें संशोधन करना, कुष्ठरोग-निवारक इंजक्शन वाले अनुसंधान केन्द्रों को बढ़ाना, राष्ट्रव्यापी जन शिक्षा अभियान, संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करना, इस क्षेत्र में व्यस्त स्वैच्छिक एजेन्सियों को आगे बढ़ाने, औषधियों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाना और अंतिम किन्तु महान कार्य की इन लोगों के लिए सामाजिक और पुनर्वास के उपाय करना, के कार्यों के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण आयोग का गठन करना और इस रोग से पीड़ित लोगों के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन बोर्ड तथा इस प्रकार के निकायों को गठन करने के बारे में विचार किया है। इस पर न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रीमण्डल द्वारा कार्यवाही की जाती है। विभिन्न प्रस्तावों की जांच करनी होगी। महोदय, मैं श्री मिश्र द्वारा पूछे गए प्रश्न को तथा मेरे द्वारा दिये गये उसके उत्तर को उद्धृत करता हूं :

"क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोढ़ उन्मूलन सम्बन्धी कार्यदल के चेयरमैन डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने कार्य-दल की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को किस तारीख को सौंपी थी ; और

(ख) सरकार का विचार इस रिपोर्ट को कब सभापटल पर रखने का तथा इस पर चर्चा करने का है ?

मेरा उत्तर यह था :

"(क) और (ख) कोढ़ उन्मूलन सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को 12 मार्च, 1982 को प्रस्तुत की गई थी। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।"

शक्ति प्राप्त समिति ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच पूरी कर ली है। समिति ने कार्यवाही सुझा दी है और इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही मैं करना चाहता हूं उसके लिए मुझे मंत्री-मण्डल का अनुमोदन लेना है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में हमने कोई विलम्ब किया है। संभवतया श्री हरिनाथ मिश्र, मैं यह नहीं कहता कि उनका यह आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्रालय सो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जो कार्यवाही कर रहा है उसके बारे में वह अनभिज्ञ हैं। कुष्ठ के लिए वह इतने उत्साही और कठोर हो गए कि उन्होंने आलोचना की मर्यादा की सीमाएं ही तोड़ दी और कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय जरा भी गम्भीर नहीं है। संभवतया उन्हें मालूम होना चाहिए था कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से हमने कितना काम किया है। उससे उन्हें यकीन हो जाता कि हम न केवल इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं बल्कि हम कार्य भी कर रहे हैं तथा उपलब्धियों से यह मालूम हो जाएगा कि अब तक कुष्ठ

नियंत्रण कार्यक्रम ने मार्च 1981 तक 382 कुष्ठ नियंत्रण एकक; 6,595 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र, 430 शहरी कुष्ठ केन्द्र और 35 स्वैच्छिक केन्द्र स्थापित कर दिए हैं जो कुष्ठ महामारी क्षेत्रों में 32 करोड़ जनसंख्या को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश में 32 लाख रोगियों में से 24 लाख रोगियों का पता लगा लिया गया है जिनमें से 22 लाख रोगियों को उपचार किया जा रहा है। यह संख्या स्थिर नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष दो से तीन लाख नए रोगियों का पता लगाया जाता है और प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख रोगी अस्पताल से छुट्टी लेकर अथवा स्वस्थ होकर निकलते हैं। अत: यह संख्या स्थिर नहीं है। मैं यह दर्शाने के लिए कि 1982-83 के दो महीनों में हमने क्या उपलब्धि की है, कुछ आंकड़े उद्धृत करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : हम चाहते हैं कि आप रिपोर्ट को सभा पटल पर रखें।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यदि मैं रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना चाहूं तो मुझे यह भी दर्शाना होगा कि मैंने सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है। मात्र रिपोर्ट को नहीं रखा जाता। अन्यथा सदस्य पूछेंगे कि क्या कार्यवाही की गई है। वरिष्ठ सदस्य जानते हैं कि यही प्रक्रिया है।

जहां तक 1982-83 के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्यों का प्रश्न है, मेरे पास जून, 1982 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं यह जानकारी अब तक प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर दे रहा हूं :

चार कुष्ठ नियंत्रण एककों का लक्ष्य था जिसमें से एक की उपलब्धि हो चुकी है। कुष्ठ नियंत्रण एककों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में 2 का लक्ष्य था जिसमें से एक-एक दर्जा बढ़ाया जा चुका है। सर्वेक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में 50 का लक्ष्य था जिसमें से 5 की उपलब्धि हो चुकी है। गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षकों के सम्बन्ध में लक्ष्य 80 था जिसमें से 23 की उपलब्धि हो चुकी है। 12 शहरी कुष्ठ केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य था और सभी 12 केन्द्र खोले जा चुके हैं। हमने यह लक्ष्य पूरा कर लिया है। एक कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का लक्ष्य है और हम इस केन्द्र को शीघ्र ही खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। 10 शहरी कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का लक्ष्य है जिसमें से हमने 4 का दर्जा बढ़ा दिया है। मैं इस वर्ष के कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूं। पांच कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का लक्ष्य है जिसमें से 2 का दर्जा बढ़ा दिया गया है। 20 जिला कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 3 का दर्जा बढ़ाया जा चुका है। यह उपलब्धियां दो महीने के भीतर की गई हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कृपया बैठ जाएं। अब मुझे सभा के विचार को समझना होगा क्योंकि समय बढ़ाना होगा। मैं समझता हूं कि यदि सभा सहमत हो तो हम समय को 15 मिनट और बढ़ा सकते हैं ताकि यह चर्चा समाप्त की जा सके।

माननीय सदस्य गण : जी, हां।

सभापति महोदय : ठीक है। समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : 15 मिनट में कैसे होगा ?

सभापति महोदय : इससे ज्यादा नहीं।

श्री रामविलास पासवान : 15 मिनट तो मंत्री जी अभी और लेंगे।

सभापति महोदय : नहीं, वे अभी खत्म कर रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्य भी सिर्फ सवाल ही पूछेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं चाहता हूं कि सभा को इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का और अवसर मिले। जब इसे सिफारिशों सहित तथा सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सहित सभा के सम्मुख रखा जाएगा। मैं समझता हूं कि सभा को इस रिपोर्ट पर और चर्चा करने की गुंजाइश होगी। मेरे विचार से, अब मुझे सभा का और समय नहीं लेना चाहिए। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम न केवल कार्यदल की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं बल्कि, जैसा कि मैंने पहले बताया है; हम निरन्तर इन कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमों को जारी रखे हुए हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं और इनका विस्तार कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि मलेरिया, चेचक जैसे रोग दुनियां से खत्म किये जा सकते हैं वैसे ही कुष्ठ रोग भी खत्म किया जा सकता है। तो आप यह बतलाएं कि यह कुष्ठ रोग हिन्दुस्तान में कब तक खत्म कर दिया जाएगा? क्या आपने कोई इसके लिए योजना बना ली है? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरे क्वेश्चन का उत्तर यह दीजिए कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर आपने जुलाई 1980 में यह दिया था :

31 मई 1980 की स्थिति के अनुसार, देश में कुष्ठ रोगियों की सही संख्या मालूम नहीं है। देश में अभी तक कुष्ठ रोगियों की गणना नहीं की गई है। आप यह बताइए कि जितने कुष्ठ रोगी हैं, उनका सैंसेंस आपने अभी करवाया है या नहीं, कितने वालंट्री आर्गेनाइजेशन्स इस काम में लगे हुए हैं और कितनी आर्थिक सहायता आप उनको देते हैं और किस ढंग से? महात्मा गांधी जी ने इस पर बहुत ज्यादा वजन दिया था कि इस रोग को खत्म किया जाए और कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की थी। समाज का जो अन्याय कुष्ठ रोगियों के साथ होता है, उनको बसाने के लिए और मनुष्य के नाते उनको सामाजिक और नागरिक अधिकार दिलाने के लिए आप कब तक कोशिश कर लेंगे और यह जो रिपोर्ट है, इस पर अपनी रिकमैन्डेशन्स पूरी तरह करने के बाद, कब तक इस को आप सदन की मेज पर रख देंगे।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा, डागा जी। आपने बहुत थोड़े में क्वेशचन्स पूछे हैं। श्री दिलीप सिंह भूरिया।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : यह काम्पलीमेंट किस बात के लिए?

सभापति महोदय : बहुत प्वाइन्टेड और मुख्तसर प्रश्न इन्होंने पूछे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : ये तो ब्रीफ और मुख्तसर ही बोलते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मंत्री अन्त में उत्तर देंगे।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : मैं भी डागा साहब की तरह कुछ प्वाइन्ट्स ही मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। हमारे देश के अन्दर और हमारे समाज में, भारतीय समाज में यह एक कलंक है। चाहे धर्मशाला हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, और चाहे बस स्टेशन हो, सब जगहों पर ये अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने आते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शासन ने उनके खाने की, पीने की और ठहरने की तथा उनके लिए दवाइयों की कोई व्यवस्था की है और यदि नहीं तो शासन इसकी व्यवस्था कब तक करेगा ? और कब तक करेंगे ?

इस रोग से पीड़ित सबसे ज्यादा गरीब लोग, आदिवासी, हरिजन गांवों की गन्दी बस्तियों में रहते हैं। उनके पास खाने-पीने का साधन नहीं है। उनका बलड तक खराब हो जाता है। गांवों में यह रिवाज है कि ऐसे आदमियों को मार दिया जाता है और जिंदा मार दिया जाता है। जिंदा दफन कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। ऐसे आदमी के जीने के वास्ते आप क्या कोई कानून बनायेंगे जिससे कि वह जिंदा रह सके। क्या आप उसको पूरी सुरक्षा कि गारन्टी देंगे ?

आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि ऐसे लोगों की खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो सके। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे ? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, 35 लाख लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हमारे देश में हैं, ऐसा कहा जाता है। आज के ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी है जिसका शीर्षक है :

"रोगियों के कुष्ठ रोगाणुओं से वैक्सीन" मद्रास के वीरोलोजिस्ट डा० वीराराघवन इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वे हेड आफ द वीरोलोजी यूनिट, अड्यार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट की तरफ सरकार का ध्यान गया है कि वहां के डा० वीरा राघवन रोगियों के कीड़ों से दवा निकालने के लिए रिसर्च कर रहे हैं ? क्या इसकी जानकारी आपको है ? अगर है तो आप उस पर कौनसी कार्यवाही करना चाहते हैं ?

अभी भी हमारे देश में हजारों रोगी चारों तरफ घूमते फिरते मिलते हैं और यह रोग बड़ा ही संक्रामक है। छुआछूत से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। ये रोगी दर-दर मारे नहीं फिरें क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने के बारे में सोचती है जिससे की उन्हें इधर-उधर न घूमना पड़े ?

आखिरी बात यह है कि आपने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा के लिए किन-किन राज्यों में अस्पताल की व्यवस्था की है, अपनी तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से ? अस्पतालों में तो ऐसे रोगियों की भर्ती नहीं होती है। अगर कोई इस तरह की व्यवस्था की है तो वह क्या है ?

सभापति जी, एक बात ऐसी है जो कि संभवतः आपके नालिज में भी आयी हो और सरकार के ध्यान में भी लायी गयी हो कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो उनकी सेवा करती हैं, कहीं-कहीं उनके कार्यक्रम के बारे में कई शिकायतें मिली हैं ? अगर मिली हैं तो क्या उनको ठीक करने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का जबाब देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया है कि ये कुष्ठ रोगी आंध्रप्रदेश में 5 लाख ये अधिक, बिहार में डेढ़ लाख से अधिक, कर्नाटक में सवा लाख से अधिक, उड़ीसा में डेढ़ लाख से अधिक, तमिलनाड

में साढ़े चार लाख, उत्तर प्रदेश में पौने तीन लाख हैं। जो गरीब राज्य माने जाते हैं और जहां गरीबी है वहां इनकी संख्या अधिक है और हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में इनकी संख्या कम है।

यह बात सही हो सकती है कि यह बीमारी वंश परम्परागत चल सकती है, लेकिन सरकार ने इस रोग के जन्म के बारे में पता लगाने की क्या कोशिश की है ?

सबसे अहम सवाल है कि आज जहां चले जाइए वहीं कुष्ठ रोगी दिखाई देते हैं। किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाइए, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, सब जगह हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगी पड़े रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ तो सरकार कहती है कि सारी व्यवस्था की जा रही है, अभी मंत्री महोदय ने भी बताया कि इतने इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, दवा-दारू का इंतजाम किया गया है, तो फिर ये जो कुम्भ मेले से लेकर ऋषिकेश तक जो कुष्ठ रोगी बैठे हैं, क्या ये शौकिया बैठे हैं ?

इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जैसा कि आपने ही बताया है कि 35 लाख कुष्ठ रोगी हैं, इनके रहने और दवादारू के लिए आप क्या कर रहे हैं ? उस परिस्थिति में जबकि इसका विरोध करने वाला हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति भी नहीं होगा। आपने वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट बना लिया, इंपावर कमेटी बना ली, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी जो केबीनेट में गई, वहां से सुपर केबीनेट में जाएगी और वहां से पता नहीं कहां जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में उन रोगियों के लिए इतना डिले किया जा रहा है। क्या सरकार बताने में सक्षम है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने भी पूछा है कि रोड पर कुष्ठ रोगी नजर न आए, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। उनके रहने, दवादारू की व्यवस्था के बारे में क्या यह सरकार बताने में सक्षम है ? गोली मत मारिए, कहीं ऐसा न हो कि रोड पर नजर न आएं, इसलिए गोली ही मार दो। ये जो सब जगह बिखरे फिर रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, दवा-दारू की व्यवस्था सरकार कब तक कर लेगी ?

एक प्रश्न मेरा और है कि ये जो कुष्ठ रोगी हैं, इनकी पीढ़ी तो इस रोग से ग्रस्त हो गई, लेकिन इनके जो बच्चे हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी कुष्ठरोगी हो। उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? क्या उसके भविष्य के लिए यह सरकार कुछ करने जा रही है ? क्या अच्छे से अच्छे स्कूल में उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी ?

अंत में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा, जो दवाई दी जा रही है, वह अनइफेक्टिव है, इसका पता लगाने की कोशिश की गई है ? क्योंकि जो कुष्ठरोगी हैं, उन पर दवाई इफेक्टिव साबित नहीं हो रही है।

इन सब बातों की जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : सभापति महोदय, श्री डागा ने इन लोगों की गणना के बारे में पूछा है। हम सभी यह जानते हैं कि चाहे शहरी क्षेत्र हों या देहाती, कुष्ठ रोगियों का पता लगाना बहुत कठिन है क्योंकि जो व्यक्ति प्रारम्भ में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो वह अपने को इतना अभागा महसूस करता है कि यदि वह कुष्ठ से पीड़ित होने का रहस्य प्रकट कर देगा तो उसे अस्पृश्य समझा

जाएगा और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा । इस भय और इस रोग के प्रति ऐसे रवैये के कारण कुष्ठ रोग का पता लगा पाना बहुत कठिन हो जाता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इन लोगों की कोई गणना की गई है ।

श्री बी० शंकरानन्द : आप गणना कैसे कर सकते हैं जब तक कोई आपको बताए नहीं ? आप स्वयं अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते । (व्यवधान)

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभी मामलों में नहीं ।

सभापति महोदय : क्या कोई प्रयास किया गया है अथवा नहीं ।

श्री बी० शंकरानन्द : उस अर्थ में कोई प्रयास नहीं हो सकता यदि आप कहें कि··· (व्यवधान) ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैं सहमत नहीं···(व्यवधान)··· । मैं गणना की बात कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री बी शंकरानन्द : मैं गणना की बात कर रहा हूं । सभापति महोदय कृपया मेरी बात सुनें ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया बैठ जाइए । आपके मंत्रालय ने इस सभा में उत्तर दिया है और उन्होंने इसी सभा में आंकड़े उद्धृत किए हैं । अतः किस आधार पर वे आंकड़े उपलब्ध किए गए थे ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, वही तो मैं आपको बता रहा हूं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं । आप गणना के बारे में पूछ रहे हैं और मैं कहता हूं कि गणना नहीं की गई है। वे आंकड़े नमूना सर्वेक्षण पर आधारित हैं । गणना और नमूना सर्वेक्षण में भारी अन्तर है । ये आंकड़े नमूना सर्वेक्षण पर आधारित हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : यदि आप नमूना सर्वेक्षण कर सकते हैं तो गणना क्यों नहीं कर सकते ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य लोगों को यह शिक्षा देने में हमारी सहायता करें कि लोग सामने आकर यह कहें कि वे कुष्ठ से पीड़ित हैं । तब कुष्ठ रोगियों का पता लगाना बहुत आसान होगा ।

अब, इन्होंने 31 मार्च, 1982 तक कार्य कर रहे अथवा स्थापित किए गए विभिन्न प्रकार के कुष्ठ एककों और संस्थानों की संख्या तथा अस्पतालों के बारे में पूछा है । उनका विवरण इस प्रकार है ।

देश में 300 कुष्ठ आश्रम तथा अस्पताल हैं 385 कुष्ठ नियंत्रण एकक, 6,795 सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्र, 549 शहरी कुष्ठ केन्द्र, 72 रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट; 149 जिला

कुष्ठ एकक ; 42 कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र ; कुष्ठ रोगियों के लिए अस्थायी अस्पताली सेवाओं के 235 बार्ड; 2 क्षेत्रीय कुष्ठ एकक; 2 केन्द्रीय कुष्ठ अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ; 45 स्वैच्छिक कुष्ठ संगठन हैं ; तथा 8 अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां कुष्ठ कार्य में लगी हुई हैं। ये सभी कुष्ठ रोगियों के उपचार तथा पुनर्वास की देखभाल कर रहे हैं।

अब, महोदय, जब प्रधान मंत्री ने पिछले वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा में भाषण दिया तो उन्होंने समूचे विश्व को—न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि इस महामारी से पीड़ित अन्य 50 से भी अधिक देशों के संदर्भ में—आह्वान किया कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक, अर्थात् 2000 ई० तक, हमें इस रोग का उन्मूलन करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। इस संबंध में हम यह कुछ करना चाहते हैं।

महोदय, अब हमने ऐसे रोगियों का बहु-व्यवस्था-उपचार शुरू किया है। पहले रोगियों को डैपसोन दी जाती थी। कुछ मामलों में रोगियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हमने पाया है कि रीफैम्पीसीन नामक औषधि से रोगी बहुत जल्द, बहुत अल्पावधि के भीतर, ठीक हो जाते हैं। यह औषधि रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस औषधि के संबंध में हमारी सहायता कर रहा है और हमें आशा है कि समाज तथा समाज के नेताओं के सहयोग से हम इस रोग का इस शताब्दी के अन्त तक उन्मूलन कर सकेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है।

———

6.20 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 27 जुलाई 1982/5 श्रावण, 1904 (शक) के 11.00 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मित्तल प्रिण्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032